दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

फरवरी, 2019

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

नोट :

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **9**

- केरल ने किया दवा कीमत निगरानी इकाई का गठन 9
- हाथी गलियारों के संरक्षण हेतु समझौता 10
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर अध्ययन-रिपोर्ट 10
- खदानों में महिलाओं के लिये रोज़गार के समान अवसर 12
- चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन को मंज़ूरी 13
- अटल भूजल योजना 14
- राजस्थान पंचायत चुनावों में शिक्षा मानदंड खत्म 15
- अनिवासी भारतीय (प्रवासी) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019' 16
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना 17
- राष्ट्रपति ने चार अध्यादेशों को मंज़ूरी दी 20
- डिजिटल स्वास्थ्य पर दिल्ली घोषणा-पत्र अपनाया गया 22
- श्रेयस योजना 22

आर्थिक घटनाक्रम **24**

- औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग की भूमिका का विस्तार 24
- प्रमुख उद्योगों के विकास की गति हुई धीमी 24
- महाराष्ट्र में गुलाबी क्रांति 25
- शीर्ष कपास उत्पादक' का तमगा खो देगा भारत 26
- अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 में आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी 27
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 28
- कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष 30
- मेगा फूड पार्क 31

नोट :

- रिज़र्व बैंक ने 7 बैंकों पर लगाया जुर्माना 31
- सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP) पर कार्यशाला का आयोजन 32
- वर्षा आधारित कृषि के खिलाफ नीतिगत पूर्वाग्रह 33
- रूफटॉप सोलर कार्यक्रम: दूसरे चरण को मंज़ूरी 34
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 35
- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM) 36
- खादी ग्रामोद्योग विकास योजना जारी रखने की मंज़ूरी 37
- स्वायत्त' तथा 'जेम स्टार्ट-अप रनवे' 38
- बांध बनाम सिंचित क्षेत्र 39
- ई-कॉमर्स नीति मसौदा 40
- चावल की नई किस्मों का विकास 41
- विमानन सम्मेलन 2019 41

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **44**

- भारत और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह 44
- आईएनएफ संधि का खत्म होना तय 45
- भारत-मोनाको संबंध 46
- व्यापार युद्ध पर अंकटाड (UNCTAD) की रिपोर्ट 47
- भारत, नामीबिया तथा पनामा के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी 48
- 3rd इंडो-जर्मन वर्किंग ग्रुप की बैठक 49
- विंडरश स्कीम' 50
- बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग 50
- भारत-नॉर्वे द्वारा समुद्री प्रदूषण से निपटने हेतु पहल 51
- भारत ने पाकिस्तान से 'सबसे पसंदीदा राष्ट्र' (MFN) का दर्जा वापस लिया 52
- अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का भारत दौरा 53
- 1959 के तिब्बती विद्रोह के 60 साल 55
- UNSC ने की पुलवामा हमले की निंदा 56
- प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया यात्रा 57
- चाबहार के ज़रिये अफगानिस्तान के निर्यात की पहली खेप 58

नोट :

- ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट 59
- चागोस द्वीप समूह को खाली करे ब्रिटेन 60
- RIC समिट 61
- युद्ध बंदियों हेतु जिनेवा कन्वेंशन 62

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी **63**

- भारत द्वारा छह पनडुब्बियों का निर्माण 63
- अंटार्कटिक ग्लेशियर में बड़ा छिद्र/विवर 64
- केरल में समाप्त हुआ एंडोसल्फान आंदोलन 64
- शरीर के अंदर पहला जीन संपादन 65
- भारत के आधे से ज्यादा ऊर्जा संयंत्र बेकार 66
- ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिये टेलीस्कोप: SPHEREx 67
- डार्क वेब: साइबर अपराध की काली दुनिया 68
- अंतरिक्ष में पहला सौर ऊर्जा स्टेशन 69
- ब्रह्मांड के नए नक्शे में 3 लाख से ज़्यादा आकाशगंगाएँ 70
- भारतनेट कार्यक्रम 71
- भारत में कोयला बिजली संयंत्रों की स्थिति 72
- भारत लॉन्च करेगा खुद का DNS 73
- EESL द्वारा शुरू किया गया सुपर-एफिशियंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम 74
- वन्यजीव अपराधों को रोकेगा डीएनए परीक्षण 74
- कवक की विशेष प्रजाति 75
- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 76

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी **78**

- विश्व आर्द्रभूमि दिवस 78
- ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन स्तर में तीव्र वृद्धि 81
- लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला ऊँट को आवास 82
- ग्लेशियरों के पिघलने से भारत चिंतित 82
- वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वाँ COP 83
- एशियाई शेर संरक्षण परियोजना (Asiatic Lion) 84

नोट :

- विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन- 2019 85
- नई सेंटीपीड प्रजातियाँ 87
- जीवाणुओं की बढ़ती प्रतिरोधकता 88
- भारत और चीन बना रहे दुनिया को हरा-भरा 89
- ग्रेट बैरियर रीफ को क्षति पहुँचा सकता है बाढ़ का पानी 89
- ग्रामीण भारत की एक बड़ी समस्या है संदूषित जल 91
- समुद्री बादलों पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव 92
- गाइनान्ड्रोमॉर्फी 93
- खाद्य सुरक्षा का बढ़ता खतरा 94

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **95**

- पृथ्वी की सतह के नीचे मिले विशालकाय पर्वत 95

सामाजिक मुद्दे **96**

- मानव तस्करी मामले में तीव्र वृद्धि 96
- अब भी प्रचलित है बाल विवाह 96
- महिलाओं की सुरक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण पहल की शुरुआत 98
- महिलाओं के लिये आजीविका बॉण्ड 99
- बेदखली का सामना कर रहे लाखों वनवासी 100

कला एवं संस्कृति **102**

- दर्द आर्यन जनजाति 102
- कवचुआह रोपुठे विरासत स्थल 102
- मैथिली भाषा तथा इसकी लिपियों का संवर्द्धन एवं संरक्षण 104
- गीत गोविन्द 105
- कंबोडिया का अंकोर शहर 105

आंतरिक सुरक्षा **107**

- अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 107

नोट :

विविध 110

- गंगा एक्सप्रेस वे (Ganga Express Way) 110
- रिसर्च फेलोशिप बढ़ाने की घोषणा (Hike in Research Fellowship) 110
- रसायन विज्ञान की आवर्त सारणी के 150 साल 110
- आईएनएस कोहासा (INS KOHASA) 111
- बांदीपुर टाइगर रिज़र्व 112
- एन्वायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फंड (Environment, Social, and Governance-ESG) 112
- डॉल्फिन: पंजाब का जलीय जीव 112
- विश्व कैंसर दिवस 113
- 20वाँ भारत रंग महोत्सव 113
- बौनी आकाशगंगा 114
- ब्लैक सॉफ्टशेल टर्टल 114
- संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 114
- सुरक्षित शहर परियोजना 115
- इसरो ने लॉन्च किया जीसैट -31 115
- चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में परिवर्तन 115
- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 116
- आयकर शिकायत जाँच संस्था और अप्रत्यक्ष कर शिकायत जाँच संस्था 116
- राजीव गांधी कॅरियर पोर्टल 116
- मृत्युदंड की सज़ा को फिर से लागू करेगा श्रीलंका 117
- 2018: चौथा सबसे गर्म वर्ष 117
- विश्व का प्रथम निजी लूनर लैंडर 117
- सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 118
- देश की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग 118
- गुरु पद्मसंभव की प्रतिमा का अनावरण 118
- उज्ज्वला उत्सव 118
- सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली 119
- मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ 'कटलैस एक्सप्रेस' 119
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान 119

नोट :

- वोटर हेल्पलाईन एप, 'पीडब्ल्यूडी एप' और VVIP कार्यक्रम 120
- श्रम-योगी मानधन वृहद् पेंशन योजना की शुरुआत 120
- मोबाइल-एप ई-कोकून 121
- पेट्रोटेक- 2019 121
- महामस्तकाभिषेक महोत्सव 121
- 'लाइट हाउस परियोजना चुनौती' 121
- स्वच्छ शक्ति -2019 122
- सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम 122
- बौद्ध सर्किट के अंतर्गत पाँच नई परियोजनाओं को मंज़ूरी 123
- 'राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस' 123
- एक्वा मेगा फूड पार्क 124
- पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) 124
- कुसुम योजना 125
- मानव से नहीं जीत पाया AI प्रोजेक्ट डिबेटर 125
- ई-औषधि पोर्टल 126
- तीसरा भारत- जर्मन पर्यावरण सम्मेलन 126
- ट्रांस फैटी एसिड पर जागरूकता अभियान 126
- NASA का अपॉरच्यूनिटी मिशन हुआ निष्क्रिय 126
- 687 परियोजनाओं में से 682 को मंज़ूरी 127
- ताज व्यू गार्डन 127
- भारत ने जर्मनी और स्वीडन के साथ रक्षा समझौतों पर किये हस्ताक्षर 128
- न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली 128
- म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2019 129
- काला हिरण 129
- टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार 129
- युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 130
- गुरु रविदास जयंती 130
- क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 130
- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना 131

नोट :

- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण 131
- तीन तलाक पर फिर से अध्यादेश मंज़ूर 131
- जलवायु परिवर्तन से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी 132
- पीसा (PISA) में भारत की प्रस्तावित भागीदारी के समझौते को मंज़ूरी 132
- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड 133
- VIVID 2019 133
- अट्टुकल पोंगल त्योहार 133
- डिजिटल इंडिया पुरस्कार 133
- 14वाँ कृषि विज्ञान कॉन्ग्रेस 134
- वेस्ट टू वंडर पार्क 134
- दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी 135
- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 135
- बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 135
- केरल इको- टूरिज़्म सर्किट 136
- शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान योजना 136
- रेल दृष्टि डैशबोर्ड 136
- सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान 137
- बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग 137
- UAE का पहला अंतरिक्ष यात्री 137
- अभ्यास 'सम्प्रीति' - 2019 137
- क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM) 138
- सतत् स्कीम 138
- अपतानी जनजाति 138
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक 139

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

केरल ने किया दवा कीमत निगरानी इकाई का गठन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल राज्य ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (Drugs Price Control Order-DPCO) के तहत आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों के उल्लंघन की जाँच करने के लिये एक मूल्य निगरानी और अनुसंधान इकाई (Price Monitoring and Research Units) स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केरल सरकार का यह प्रयास नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (National Pharmaceutical Pricing Authority-NPPA) द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये इस तरह की व्यवस्था प्रस्तावित करने के लगभग पाँच साल बाद आया है।
- केरल के स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर (State Drugs Controller) ने बताया कि इस इकाई (Unit) के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिये केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक सोसायटी को पंजीकृत किया गया था।
- इनके अनुसार बुनियादी ढाँचा स्थापित होते ही नया कार्यालय प्रभाव में आ जाएगा।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कर्मचारियों की भर्ती और बुनियादी ढाँचे के लिये तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। केरल दूसरी श्रेणी में आता है, जिसकी जनसंख्या 3% से कम है, लेकिन देश की कुल जनसंख्या का 1% से अधिक है।
- राज्य में एक परियोजना समन्वयक, दो फील्ड जाँचकर्ता और दो डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे।
- इस इकाई द्वारा राज्य ड्रग्स कंट्रोल विंग की मदद किये जाने की उम्मीद जताई गई है, जो कर्मचारियों की भारी कमी के चलते गंभीर रूप से प्रभावित है। इस इकाई के सहयोग से दवा की कीमतों को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा।
- सूत्रों के अनुसार, केरल में एक साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की दवाइयाँ बेची जाती हैं, जबकि सार्वजनिक संस्थानों के दवा खरीद के आधिकारिक आँकड़ों का खुलासा नहीं किया गया है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में कोई मूल्य नियंत्रण समीक्षा तंत्र नहीं है। राज्य का स्वास्थ्य सचिव इस इकाई का अध्यक्ष होगा तथा ड्रग्स नियंत्रक इसका सदस्य सचिव।
- इसके अन्य सदस्यों में एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि, निजी दवा कंपनियों के प्रतिनिधि, और उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंच भी शामिल हैं। ड्रग्स कंट्रोलर की अध्यक्षता में सोसायटी की एक कार्यकारी समिति भी होगी।
- यह नई इकाई 'स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स' और NPPA को अनुसूचित के साथ ही गैर-अनुसूचित दवाओं की सुनिश्चित कीमतों की निगरानी करने, DPCO के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने, कीमत के अनुपालन पर नज़र रखने, दवाओं के परीक्षण के नमूने एकत्र करने और बाज़ार-आधारित डेटा एकत्र करने में तकनीकी मदद उपलब्ध करेगी।
- फार्मा कंपनियों पर DPCO द्वारा तय की गई श्रेणी की दवाओं की कीमतों पर ओवरचार्ज करने का आरोप लगाया गया है जबकि यह कार्य इसके दायरे से बाहर हैं।
- PMRU स्थापित करने का सुझाव NPPA और राज्य ड्रग्स कंट्रोलर और राज्य ड्रग इंस्पेक्टरों के बीच दवा की कीमतों की निगरानी के लिये एक फील्ड-स्तरीय लिंक की कमी की पृष्ठभूमि के खिलाफ किया गया था।

नोट :

हाथी गलियारों के संरक्षण हेतु समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एशियाई हाथी समझौते के तहत पाँच गैर-सरकारी संगठनों द्वारा एक अम्ब्रेला पहल (Umbrella Initiative) की शुरुआत की गई है जिसमें भारत के 12 राज्यों में हाथियों के लिये मौजूदा 101 गलियारों में से 96 गलियारों को एक साथ सुरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है। एक सर्वेक्षण के दौरान देश में सात हाथी गलियारों की स्थिति बहुत खराब पाई गई है।

नई पहल

- संयुक्त उद्यम द्वारा आने वाले दस वर्षों में पुराने और नए 96 हाथी गलियारों के संरक्षण के लिये लगभग 1,187.16 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस समझौते के तहत गलियारों के लिये आवश्यक भूमि (Land) प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं हेतु धन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।
- वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) एलीफेंट कॉरिडोर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट-साउथ इंडिया (Elephant Corridor Securement Project-South India) के मैनेजर के अनुसार, वर्तमान में तलाई-चमारजनगर हाथी कॉरिडोर (Talamai-Chamarajnagar Elephant Corridor) नाम के तमिलनाडु-कर्नाटक अंतर-राज्यीय गलियारे को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है।
- 2012-15 के दौरान किये गए अध्ययन में WTI द्वारा निर्धारित 101 हाथी कॉरिडोर में से पाँच को WTI द्वारा संरक्षणकर्त्ता साझेदारों तथा राज्यों की सहायता से पहले ही सुरक्षित कर लिया गया है, शेष 96 हाथी कॉरिडोर को अगले 10 वर्षों में सुरक्षित किया जाना है।

संयुक्त प्रयास के रूप में

- इस समझौते में WTI के साथ NGO एलीफेंट फैमिली (NGOs Elephant Family), इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर (International Fund for Animal Welfare), IUCN नीदरलैंड और वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट (World Land Trust) शामिल हैं।
- हाल ही में किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, झारखंड, यूपी, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सात हाथी गलियारों की स्थिति भूमि संबंधी समस्याओं के कारण पहले ही ख़राब हो चुकी है।

वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (WTI)

- WTI का गठन नवंबर 1998 में भारत में वन्यजीवों की तेज़ी से बिगड़ती स्थिति में सुधार हेतु किया गया था।
- यह एक भारतीय प्रकृति संरक्षण संगठन है जो वन्यजीवों और उनके निवास स्थान को संरक्षित करता है, साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर जंगली जानवरों के कल्याण के लिये काम करता है।
- इसको गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी बढ़ाने, प्रजाति का स्थानांतरण, मनुष्य एवं जीवों के बीच टकराव कम करने, हाथियों, बाघों, तेंदुओं, एक सींग वाले गैंडे और भालू सहित अन्य जानवरों के पुनर्वास एवं संरक्षण का श्रेय दिया जाता है।
- भारत में WTI आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के तहत एक पंजीकृत दान-दात्री संस्था है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर अध्ययन-रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana- PMUY) पर तैयार की गई अध्ययन-रिपोर्ट पंजीकरण के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंपी गई।

नोट :

अध्ययन-रिपोर्ट के बारे में

- अध्ययन-रिपोर्ट का शीर्षक 'लाइटिंग अप लाईव्ज थ्रू कुकिंग गैस एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी' (Lighting up Lives through Cooking Gas and transforming Society) है और इसमें देश के सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रमों में शामिल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सफर पेश किया गया है।
- यह रिर्पोट प्रोफेसर एस. के. बरुआ (S.K. Barua) ने तैयार की है, जो IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक हैं।
- इस अध्ययन में बताया गया है कि किस तरह रसोई गैस ने गरीबों के जीवन को बदला है और सामाजिक-आर्थिक समावेश के ज़रिये उन्हें शक्ति संपन्न बनाया है।
- अध्ययन रिर्पोट में योजना के पूरे सफर के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि इस योजना की बदौलत पहली बार रसोई गैस का इस्तेमाल करने वालों को कितना लाभ हुआ।
- अध्ययन रिपोर्ट के लेखक और उनके दल ने लाभार्थियों के साथ विस्तार से बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है।
- अध्ययन रिर्पोट को पंजीकृत कर लिया गया है और अब दुनिया भर के प्रबंधन संस्थानों में इसका उपयोग किया जा सकता है।
- यह अध्ययन रिपोर्ट अब विश्व के सामने है और विश्व के देश इस योजना के संबंध में भारत के अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं। इस तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कई देशों के लिये आदर्श के रूप में सामने आएगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

- BPL (Below Poverty Line) यानी गरीबी रेखा से नीचे गुज़र-बसर करने वाले परिवारों की महिलाओं को नि:शुल्क LPG कनेक्शन देने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 मार्च, 2016 को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' को स्वीकृति दी थी।
- इस योजना की शुरुआत 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से हुई थी।
- इस योजना में नया LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये 1600 रुपए की नकद सहायता देना शामिल है और यह सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

अध्ययन-रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- सरकारी तंत्र, सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies- OMCs) और बैंकिंग प्रणाली के बीच उत्कृष्ट समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पैमाना तैयार किया गया जिसने इस कार्यक्रम को गति प्रदान की।
- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों (सरपंचों) के प्रतिनिधित्व वाली सरकारी प्रणाली ने BPL लाभार्थियों की पहचान करने और लोगों को खाना पकाने के लिये प्रयुक्त होने वाले पारंपरिक ईंधन के स्थान पर LPG के उपयोग करने के विचार को स्वीकार करने में मदद की है।
- OMCs (कार्यान्वयन में शामिल तीन कंपनियाँ IOCL, BPCL और HPCL) ने खाना पकाने के लिये प्रयुक्त होने वाले गैस सिलिंडर की बॉटलिंग और वितरण के लिये आवश्यक मज़बूत लॉजिस्टिक सिस्टम का निर्माण किया। उन्होंने पूरी प्रणाली के लिये आसान लेन-देन और रिकॉर्ड रखने हेतु आवश्यक IT प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया।
- बैंकों ने सरकार की तरफ से सब्सिडी उपलब्ध कराने और लेखांकन सहित धन के प्रवाह के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान किया।
- PMUY स्पष्ट रूप से इस तरह के चुनौतीपूर्ण वातावरण में दुनिया में कहीं भी निष्पादित सबसे बड़ी सामाजिक मध्यवर्ती योजनाओं में से एक है। इसका सफल कार्यान्वयन इस प्रकार के अन्य मध्यवर्ती योजनाओं के प्रबंधन हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

आगे की राह

- PMUY को ऐसे समय में लागू किया गया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल और रसोई गैस की कीमतें देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल हैं। लेकिन यदि भविष्य में इन कीमतों में वृद्धि होती है तो संभवत: LPG का उपयोग करना BPL परिवारों के लिये महँगा हो सकता है। लागत बढ़ने से ये परिवार फिर से पारंपरिक इंधन के उपयोग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस तरह के पलायन को रोकने के लिये सरकार को ऊर्जा सब्सिडी के लिये अधिक धनराशि निर्धारित करनी होगी।

  सरकार को ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये नीतिगत विकल्प चुनने पर भी विचार करना होगा।

नोट :

- सौर ऊर्जा समय के साथ सस्ती होती जा रही है और भारत में वर्ष भर पर्याप्त धूप उपलब्ध होती है। ऐसे में दूर-दराज़ के क्षेत्रों में सौर-पैनलों को आसानी से लगाया भी जा सकता है। ऐसे में सौर ऊर्जा भविष्य में प्राथमिक ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत बन सकती है। यदि ऐसा होता है, तो खाना पकाने के लिये LPG से सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर होने के लिये किस प्रकार की नीतियों को अपनाया जाना चाहिये इस पर विचार करना भी आवश्यक है।
- उज्ज्वला ने महिलाओं (साथ ही पुरुषों, जो ईंधन के लिये लकड़ी इकट्ठा करने में समय खर्च करते थे) का काफी समय बचाया है क्योंकि खाना पकाने में अब पहले की तुलना में कम समय लगता है और LPG की प्राप्ति में भी बहुत समय नहीं लगता है। अत: सरकार को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस बचे हुए समय का उपयोग ग्रामीण घरेलू आय को बढ़ाने के लिये किया जा सकता है यदि हाँ तो कैसे?

तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराने का सुझाव

- कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन किसी विश्वसनीय तीसरे पक्ष द्वारा किया जाना अधिक उपयोगी होगा। भले ही सरकार और OMCs द्वारा किये गए आंतरिक मूल्यांकन ने यह संकेत दिया था कि इस योजना के महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं लेकिन कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन किसी विश्वसनीय तीसरे पक्ष द्वारा किया जाना अधिक उपयोगी होगा क्योंकि तीसरे पक्ष द्वारा किया गया मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय होगा।

खदानों में महिलाओं के लिये रोज़गार के समान अवसर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने खान अधिनियम, 1952 (Mines Act, 1952) की धारा 83 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के प्रावधानों से महिलाओं को ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे स्थित खदान में रोज़गार प्रदान करने की छूट दी है।

सरकार ने यह छूट निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की है-

- ज़मीन के ऊपर स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोज़गार देने के मामले में खदान का मालिक महिलाओं को रात्रि 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक की कार्य अवधि प्रदान कर सकता है। जबकि ज़मीन के नीचे स्थित किसी खदान में रोज़गार देने के मामले में खदान का मालिक महिलाओं को प्रात: 6 बजे से सायं 7 बजे तक तकनीकी, निरीक्षण और प्रबंधकीय कार्य सौंप सकता है जहाँ निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता न हो।
- दोनों ही तरह की खदानों में महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी।
- ऐसी नियुक्ति में महिलाओं को पर्याप्त सुविधाएँ, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी।
- मुख्य खान निरीक्षक (Chief Inspector of Mines) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं (Standard Operating Procedures) के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।
- एक शिफ्ट में कम-से-कम तीन महिलाओं को ड्यूटी दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

- खान अधिनियम, 1952 में ज़मीन के ऊपर या नीचे स्थित खदानों में महिलाओं को सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक रोज़गार देना प्रतिबंधित था।
- विभिन्न महिला कामगार समूह, उद्योग जगत और इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने सरकार से समय-समय पर यह मांग की थी कि खदानों में कार्य करने के लिये महिलाओं को भी रोज़गार के समान अवसर दिये जाने चाहिये। खनन कंपनियों ने भी इस संबंध में अनुरोध किया था।
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने यह छूट खान अधिनियम, 1952 की धारा 12 के तहत गठित समिति की अनुशंसाओं तथा गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development), खान मंत्रालय (Ministry of Mines), कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) के परामर्श के आधार पर प्रदान की है।

नोट :

चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन को मंज़ूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चलचित्र अधिनियम, 1952 (Cinematograph Act, 1952) में संशोधन के लिये चलचित्र संशोधन विधेयक, 2019 (Cinematograph Amendment Bill, 2019) को प्रस्तुत करने की मंज़ूरी दी है।

- इस संशोधन का प्रस्ताव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था।
- प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य फिल्म की साहित्यिक चोरी/पायरेसी (Piracy) को रोकना है और इसमें गैर-अधिकृत कैमकॉर्डिंग (Camcording) और फिल्मों की कॉपी (Duplication of films) बनाने के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करना है।

प्रस्तावित संशोधन

गैर-अधिकृत रिकॉर्डिंग को रोकने हेतु नई धारा 6AA

- चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 6A के बाद एक और धारा 6AA जोड़ी जाएगी।
- इस धारा के अनुसार, 'अन्य कोई लागू कानून के बावजूद किसी व्यक्ति को लेखक की लिखित अनुमति के बिना किसी ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड उपकरण का उपयोग करके किसी फिल्म या उसके किसी हिस्से को प्रसारित करने या प्रसारित करने का प्रयास करने या प्रसारित करने में सहायता पहुँचाने की अनुमति नहीं होगी।
- "यहाँ लेखक का अर्थ चलचित्र अधिनियम, 1957 की धारा 2 की उपधारा-D में दी गई व्याख्या के समान है।"

धारा-7 में संशोधन

- धारा-7 में संशोधन का उद्देश्य धारा-6AA के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करना है। मुख्य अधिनियम की धारा-7 में उपधारा-1 के बाद उपधारा-1A जोड़ी जाएगी।
- इसके अनुसार, "यदि कोई व्यक्ति धारा-6AA के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे 3 साल तक का कारावास या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सज़ा दी जा सकती है।"

संशोधन के लाभ

- प्रस्तावित संशोधनों से इस उद्योग के राजस्व में वृद्धि होगी, रोज़गार का सृजन होगा, भारत के राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (India's National IP policy) के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति होगी और पायरेसी तथा ऑनलाइन विषय-वस्तु के कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में राहत मिलेगी।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंज़ूरी दी थी।
इस नीति के तहत सात लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं जो इस प्रकार हैं-

1. बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता: पहुँच और प्रोत्साहन- समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
2. बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजन- बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा।
3. वैधानिक एवं विधायी ढाँचा- मज़बूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना, ताकि अधिकृत व्यक्तियों तथा बृहद् लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके।
4. प्रशासन एवं प्रबंधन- सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मज़बूत बनाना।
5. बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरण- व्यवसायीकरण के ज़रिये बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण।
6. प्रवर्तन एवं न्यायाधिकरण- बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रणालियों को मज़बूत बनाना।
7. मानव संसाधन विकास- मानव संसाधनों, संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मज़बूत बनाना तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत कौशल निर्माण का प्रयास करना।

नोट :

संशोधन की आवश्यकता

- समय के साथ एक माध्यम के रूप में सिनेमा, इसकी प्रौद्योगिकी, उपकरण और यहाँ तक कि दर्शकों में भी महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। पूरे देश में टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क के विस्तार से मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए हैं। लेकिन नई डिजिटल तकनीक के आगमन विशेष रूप से इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्मों के प्रदर्शन से पायरेसी का खतरा बढ़ा है। इससे फिल्म उद्योग और सरकार को राजस्व की अत्यधिक हानि होती है।
- फिल्म उद्योग की लंबे समय से मांग रही है कि सरकार कैमकोर्डिंग और पायरेसी रोकने के लिये कानून में संशोधन पर विचार करे। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (National Museum of Indian Cinema) के उद्घाटन अवसर पर यह घोषणा की गई थी कि कैमकोर्डिंग और पायरेसी निषेध की व्यवस्था की जाएगी।
- इससे पहले चलचित्र अधिनियम और नियमों की समीक्षा करने और सिफारिशें देने के लिये वर्ष 2013 में मुदगल समिति तथा वर्ष 2016 में श्याम बेनेगल समिति का गठन भी किया गया था।

मुदगल समिति

- इस समिति का गठन 4 फरवरी, 2013 को चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत प्रमाणीकरण मुद्दों पर विचार करने हेतु पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में किया गया था।
- मुदगल समिति ने अपनी रिपोर्ट में अश्लीलता और सांप्रदायिक वैमनस्य, महिलाओं के चित्रण और सलाहकार मंडल जैसे मुद्दों के संबंध में दिशा-निर्देश, वर्गीकरण, फिल्मों की पायरेसी, अपीलीय पंचाट की न्याय सीमा तथा चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों की समीक्षा पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।

श्याम बेनेगल समिति

- 1 जनवरी, 2016 को फिल्मों के प्रमाणन हेतु सर्वांगीण रूपरेखा का निर्माण करने के लिये श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति को फिल्म प्रमाणन के लिये विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और कलात्मक रचनात्मकता को पर्याप्त स्थान प्रदान करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के लाभ के लिये प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के साथ-साथ जन अनुकूल और निष्पक्ष प्रभावी ढाँचे के निर्माण की सिफारिशें प्रस्तुत करनी थीं।

अटल भूजल योजना

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि भारत में भूजल भंडार के लगातार कम होने की चिंता को दूर करने के लिये विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना (ABHY) के तहत 6,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

- यह योजना 2018-19 से 2022-23 तक पाँच साल की अवधि में लागू की जानी है।

अटल भूजल योजना के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- इस योजना के तहत पहचान किये गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
- ये राज्य भारत के कुल भूजल के दोहन के संदर्भ में 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ अत्यधिक दोहन वाले, अत्यधिक जोखिम तथा कम जोखिम वाले ब्लॉक हैं।

भारत में भूजल संसाधनों का दोहन

भारत के भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया है जिसके कारण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी।

नोट :

- 2011 में किये गए नमूना मूल्यांकन के अनुसार, भारत के 71 ज़िलों में से 19 में भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया। जिसका अर्थ है कि जलाशयों की प्राकृतिक पुनर्भरण की क्षमता से अधिक जल की निकासी की गई है।
- 2013 में किये गए आकलन के अनुसार, जिसमें ज़िलों के ब्लाकों को शामिल किया गया और पाया गया कि यहाँ का 31% जल खारा हो गया था।

विश्व बैंक से प्राप्त निधि का उपयोग

- विश्व बैंक से मिलने वाली यह निधि राज्यों में भूजल के लिये काम करने वाले संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही भूजल को बढ़ावा देने के लिये सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि की जाएगी।

योजना के बारे में

- वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट में 'राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार योजना' (National Groundwater Management Improvement Programme- NGMIP) की घोषणा की गई थी। मई 2017 में व्यय वित्त समिति द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में इस योजना को 'अटल भूजल योजना' के रूप में पुन: नामकरण कर फिर से शुरू किया गया।
- इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation) द्वारा किया जा रहा है।
- अटल भूजल योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है।
- इस योजना में विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50:50 की है।
- यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जल की कमी वाले क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित है।
- इस योजना के अंतर्गत इन प्रदेशों के 78 ज़िलों, 193 ब्लॉकों और 8350 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड की विगत वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 6584 भूजल ब्लॉकों में से 1034 ब्लॉकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है। सामान्यत: इन्हें 'डार्क ज़ोन' (पानी के संकट की स्थिति) कहा जाता है।

विश्व बैंक (World Bank)

- विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में विश्व के नेताओं के एक सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा पटरी पर लाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं का गठन किया गया था।
- विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो ऋण प्रदान करती है।
- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है।
- विश्व बैंक समूह पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है।
- इसके उद्देश्यों में शामिल हैं- विश्व को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाना, विश्व में गरीबी को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना।

राजस्थान पंचायत चुनावों में शिक्षा मानदंड खत्म

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने दो विधेयकों को पारित किया हैं जिनमें पंचायत और नगर निर्वाचन में उम्मीदवारी हेतु न्यूनतम शिक्षा मानदंड को समाप्त करने की कोशिश की गई है। गौरतलब है कि वर्तमान राजस्थान सरकार ने सत्ता में आते ही न्यूनतम शिक्षा मानदंड को खत्म करने की घोषणा की थी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सदन ने निम्नलिखित विधेयक ध्वनिमत से पारित किये-
  - राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019
  - राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019
- पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव लड़ने हेतु आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मानदंड को पिछली सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। इस मानदंड के अनुसार-
  - ज़िला परिषद या पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता माध्यमिक स्तर की (दसवीं कक्षा) होनी चाहिये।
  - सरपंच का चुनाव लड़ने के लिये सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
  - जबकि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिये एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवार को पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
- गौरतलब है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किये जा चुके सरपंच भी अधिनियम के पिछले प्रावधानों की वज़ह से चुनाव में अयोग्य घोषित हो गए थे।

क्या रही है बहस ?

- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मानदंड पर बहस के समय सदन में यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम का कथित प्रावधान संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि समाज को शिक्षा के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है।
- 1928 में साइमन कमीशन को दिये गए ज्ञापन में भारतीय संविधान के जनक बी.आर. अंबेडकर ने भी कहा था, "जो लोग साक्षरता को मताधिकार हेतु परीक्षण के रूप में देखते हैं और इसे एक शर्त के रूप में लागू करने पर ज़ोर देते हैं, मेरी राय में वे दो गलतियाँ करते हैं। पहली गलती, उनका यह विश्वास कि एक अनपढ़ व्यक्ति आवश्यक रूप से मूर्ख होता है। उनकी दूसरी गलती यह मानने में है कि साक्षरता किसी व्यक्ति को आवश्यक रूप से निरक्षर व्यक्ति की तुलना में उच्च स्तर का बुद्धिमान या ज्ञानी बनाती है।"
- किसी अच्छे राजनेता की परिभाषा अत्यधिक व्यक्तिपरक होती है और किसी व्यक्ति से अपेक्षित गुण भी बहुत अस्पष्ट होते हैं।
- यदि विभिन्न लोगों से राजनेताओं के अपेक्षित गुणों के बारे में पूछा जाए तो विभिन्न उत्तर प्राप्त होते हैं। इन उत्तरों में से ईमानदारी, विश्वसनीयता, आम लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता और संकटों से निपटने की ताकत जैसे गुण सबसे अधिक होते हैं। हालाँकि, क्या यह मानने का कोई कारण है कि आधुनिक, शिक्षित राजनेता बेहतर नेता होंगे, खासकर स्थानीय स्तर पर?

आगे की राह

एक तरफ कई लोगों का यह मानना है कि हालिया निर्णय कई मायनों में स्वागत योग्य है, जबकि वहीं दूसरी तरफ, कई लोग पंचायत चुनावों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक मानदंड जैसे नियमों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। किसी भी देश के राजनेता उस देश के समाज के प्रतिबिंब होते हैं। जैसा कि 'व्हेन क्राइम पे: मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स' (When Crime Pays: Money And Muscle In Indian Politics by Milan Vaishnav) नामक पुस्तक में लिखा है, "किसी ऐसे देश में जहाँ आपराधिकता को एक चुनावी संपत्ति के रूप में देखा जाता हो, वहाँ लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का खंडन करने की बजाय अपराधियों द्वारा शासित होने से इनकार किया जाना चाहिये।

अनिवासी भारतीय (प्रवासी) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अप्रवासी भारतीयों के विवाह के पंजीकरण पर एक पथ प्रवर्तक विधेयक 'अनिवासी भारतीय (प्रवासी) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019' (Registration of Marriage of Non-Resident Indian (NRI) Bill, 2019) राज्यसभा में पेश किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस विधेयक का उद्देश्य अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ अप्रवासी भारतीय (Non-Resident Indian: NRI) पति द्वारा भारतीय महिला के शोषण के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्रदान करना है।

नोट :

- प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, किसी भी NRI द्वारा भारतीय युवती (चाहे वह युवती भारत में रह रही हो अथवा स्वयं भी NRI हो) से विवाह का पंजीयन शादी की तारीख से 30 दिन के भीतर करवाना अनिवार्य होगा।
- यह विधेयक अप्रवासी भारतीय की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान करता है, यदि वह अदालत के सामने पेश नहीं होता है और अदालत द्वारा अपराधी घोषित किया जाता है।
- विधेयक पारित हो जाने पर निम्नलिखित में आवश्यक बदलाव करने होंगे-
  - पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967) में
  - धारा 86A को शामिल करते हुए फौजदारी या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure 1973) में

महत्त्व

- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, भारत या विदेश में शादी के 30 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है, इस प्रकार विभिन्न पारिवारिक कानूनों के तहत परित्यक्त पति या पत्नी के अधिकारों का बेहतर ढंग से प्रवर्तन संभव होगा।
- इसी तरह पासपोर्ट अधिनियम में संशोधन करने से पासपोर्ट प्राधिकरण को उस स्थिति में अप्रवासी भारतीय के पासपोर्ट को ज़ब्त करने या रद्द करने का अधिकार होगा, जब यह ध्यान में लाया जाए कि अप्रवासी भारतीय ने शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया है।
- फौजदारी अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन के फलस्वरूप अनिवासी भारतीयों से विवाह करने वाली भारतीय महिलाओं को अपेक्षाकृत ज़्यादा संरक्षण मिलेगा। CRPC में संशोधन, 1973 विदेश मंत्रालय के विशेष रूप से नामित वेबसाइट के माध्यम से सम्मन, वारंट जारी करने के लिये न्यायालयों को सशक्त करेगा।
- इसके साथ ही यह विधेयक जीवनसाथी का उत्पीड़न करने वाले अनिवासी भारतीयों पर लगाम लगाएगा।

निष्कर्ष

- यह विधेयक विदेश मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा कानून एवं न्याय मंत्रालय की एक संयुक्त पहल का परिणाम है। विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों, ज़्यादातर महिलाओं जो कि अप्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त या उत्पीड़ित की गई हैं, से प्राप्त कई शिकायतों के कारण इस विधेयक का प्रस्तुतीकरण आवश्यक था।
- इससे दुनिया भर में अप्रवासी भारतीयों से शादी करने वाली सभी भारतीय महिलाओं को काफी राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना

चर्चा में क्यों ?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन [Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM)] योजना लॉन्च की है। अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में अधिसूचित किया गया है।

योजना के पात्र

- इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्टा मज़दूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मज़दूर, खेतिहर मज़दूर, निर्माण मज़दूर, बीड़ी मज़दूर, हथकरघा मज़दूर, चमड़ा मज़दूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है।
- पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना (New Pension Scheme-NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation-ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation-EPFO) के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिये।

नोट :

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

न्यूनतम निश्चित पेंशन (Minimum Assured Pension) : PM-SYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी।

परिवार को पेंशन (Family Pension) : यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता (subscriber) की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी (Spouse) को मिलेगी।

- परिवार पेंशन/फैमिली पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होती है।
- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।

अभिदाता द्वारा अंशदान: अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से 'ऑटो डेबिट' (auto-debit) सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। PM-SYM योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी।योजना में प्रवेश के दौरान आयु के अनुसार विशेष मासिक अंशदान का विवरण इस प्रकार है:

प्रवेश आयु	योजना पूरी होने के समय	आयु सदस्य का मासिक अंशदान (रुपए में)	केंद्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपए में)	कुल मासिक अंशदान (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	60	100	100	200
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320

नोट :

37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	60	200	200	400

केंद्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदान (Matching contribution by the Central Government) : PM-SYM 50:50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान (Age-Specific Contribution) लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और तालिका के अनुसार बराबर का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

- उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की आयु 29 वर्ष है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपए का अंशदान करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा बराबर का यानी 100 रुपए का अंशदान किया जाएगा।

PM-SYM योजना के अंतर्गत नामांकन:

- अभिदाता के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या होना अनिवार्य है। पात्र अभिदाता नज़दीकी सामुदायिक सेवा केंद्रों (Community Service Centers-CSCs) पर जाकर आधार संख्या तथा बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित करके PM-SYM के लिये नामांकन करा सकते हैं।
- बाद में अभिदाता को PM-SYM वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल एप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी और अभिदाता आधार संख्या /स्वप्रमाणित आधार पर बचत बैंक खाता/जनधन खाता का इस्तेमाल करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

नामांकन एजेंसियाँ (Enrollment Agencies)

- इस योजना के लिये नामांकन का कार्य सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSCs) द्वारा किया जाएगा।
- असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता, पासबुक/जनधन खाता के साथ नज़दीकी CSCs जाकर योजना के लिये अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- पहले महीने में अंशदान राशि का भुगतान नकद करना होगा और इसकी रसीद दी जाएगी।

सहायता केंद्र

- भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation-LIC) के सभी शाखा कार्यालयों, ESIC/EPFO के कार्यालयों तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा असंगठित श्रमिकों को योजना, उसके लाभों तथा प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा।

कोष प्रबंधन (Fund Management) : PM-SYM केंद्र की योजना है, जिसका संचालन श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम और CSC के माध्यम से लागू किया जाएगा।

- LIC पेंशन फंड मैनेजर (Pension Fund Manager) होगी और पेंशन भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी।
- PM-SYM पेंशन योजना के अंतर्गत एकत्रित राशि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश तरीकों के अनुसार किया जाएगा।

योजना से बाहर निकलने और वापसी संबंधी प्रावधान (Exit and Withdrawal) : असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के रोज़गार के अनिश्चित स्वभाव को देखते हुए योजना से बाहर निकलने के प्रावधान लचीले रखे गए हैं जो इस प्रकार हैं-

- यदि अभिदाता 10 वर्ष से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलता है तो उसे केवल लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को बचत बैंक ब्याज दर के साथ दिया जाएगा।
- यदि अभिदाता 10 वर्षों या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलता है तो उसे लाभार्थी के अंशदान के हिस्से के साथ कोष द्वारा अर्जित संचित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज, दर जो भी अधिक हो, के साथ दिया जाएगा।
- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान लेकर योजना से बाहर निकल सकता है।

नोट :

- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और योजना के अंतर्गत अंशदान करने में अक्षम होता है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान प्राप्त कर योजना से बाहर निकल सकता है।
- अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद संपूर्ण राशि कोष में जमा करा दी जाएगी।
- NSSB की सलाह पर सरकार द्वारा तय योजना से बाहर निकलने का कोई अन्य प्रावधान।

अंशदान में चूक:

- यदि अभिदाता ने निरंतर अपने अंशदान का भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दंड राशि के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान करके अंशदान को नियमित करने की अनुमति होगी।

पेंशन भुगतान:

- 18-40 वर्ष की प्रवेश आयु में योजना में शामिल होने के बाद 60 वर्ष की उम्र तक तक लाभार्थी को अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर अभिदाता को परिवार पेंशन लाभ के साथ प्रति महीने 3000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगी।

संदेह तथा स्पष्टीकरण:

- योजना को लेकर किसी तरह के संदेह की स्थिति में JS & DGLW (Joint Secretory & Directorate General Labour Welfare) द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अंतिम होगा।

PM-SYM योजना के अंतर्गत निर्धारित ब्याज दर

- हालाँकि यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जाएगी लेकिन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने अभी तक इसके परिचालन के पहले साल के ब्याज दर की घोषणा नहीं की है।
- यह संभव है कि PM-SYM को अधिक आकर्षक बनाने के लिये इसकी ब्याज दर को लगभग संगठित क्षेत्र के पेंशन फंड की दर के समान रखा जाए।

PM-SYM कैसे अलग है अटल पेंशन योजना से ?

- PM-SYM, अटल पेंशन योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, का एक बेहतर संस्करण है।
- अटल पेंशन योजना के तहत ब्याज दर लगभग 7.5% है लेकिन PM-SYM को अधिक आकर्षक बनाने के लिये इसकी ब्याज दर को अटल पेंशन योजना की ब्याज दर से अधिक रखा जा सकता है।
- अटल पेंशन योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पेंशन अथवा वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से की गई थी, जबकि प्रधानमंत्री श्रम मान-धन योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये की गई है। उल्लेखनीय है कि देश के असंगठित क्षेत्र में लगभग 42 करोड़ श्रमिक काम करते हैं।

राष्ट्रपति ने चार अध्यादेशों को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा चार महत्त्वपूर्ण अध्यादेशों को मंज़ूरी प्रदान की गई। इनमें से कुछ अध्यादेशों को दूसरी बार लागू किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

राष्ट्रपति की मंज़ूरी प्राप्त अध्यादेश निम्नलिखित है -

- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 [The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019]

नोट :

- भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 [The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019]
- कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 [The Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019]
- अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध से संबंधित अध्यादेश, 2019 [The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019]

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 [The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019]

- यह अध्यादेश पूर्व में जारी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप संचालक मंडल (Board of Governors-BOG) द्वारा शुरू किये गए कार्यों को जारी रखने के लिये दूसरी बार लागू किया गया है।
- यह अध्यादेश पूर्व में जारी अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किये गए कार्यों को मान्यता देने एवं कार्यों को आगे भी जारी रखने को सुनिश्चित करता है।
- भारतीय चिकित्सा परिषद के निवर्तन के बाद गठित संचालक मंडल को दो वर्षों तक या परिषद के दोबारा गठन तक जो भी पहले हो, उसके सभी अधिकारों का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है।
- इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा को ज़्यादा पारदर्शी, गुणवत्ता युक्त और जवाबदेह बनाना है।

कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 [The Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019]

- इस अध्यादेश को कानून का पालन करने वाली कंपनियों को कारोबारी सुगमता का माहौल प्रदान करने तथा कंपनी कानून अधिनियम 2013 (Companies Act, 2013) की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियमों के अनुपालन की व्यवस्था को और सख्त बनाने के लिये दूसरी बार लागू किया गया है।
- इसमें कानून का पालन करने वाली कंपनियों के लिये प्रोत्साहन तथा उल्लंघन करने पर कठोर सज़ा का प्रावधान है।
- इसके माध्यम से केंद्र सरकार को वित्तीय कारोबार से जुड़ी कुछ कंपनियों को ट्रिब्यूनल द्वारा तय किये गए वित्त वर्ष की बजाय भिन्न-भिन्न वित्त वर्ष चुनने की अनुमति का अधिकार दिया गया है।
- इसमें तकनीकी तथा प्रक्रिया संबंधी छोटी गलतियों के लिये सिविल सज़ा (Civil Liability) का प्रावधान है। इससे कॉर्पोरेट प्रशासन तथा अनुपालन रूपरेखा के अंतर्गत बहुत सारे मामलों में कमियों को दूर किया जाएगा।

अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध से संबंधित अध्यादेश, 2019 [The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019]

- इस अध्यादेश को देश में अवैध रूप से धनराशि जमा करने वाली योजनाओं को रोकने के लिये केंद्र द्वारा सख्त काननू लाने के इरादे से लागू किया गया है।
- अब तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के तहत आम जनता से पैसा एकत्र कर भाग जाती थी। ऐसे में नए अध्यादेश के जरिए इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की प्रभावी व्यवस्था की गई है।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश ,2019 [The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019]

- इस अध्यादेश को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 के प्रावधानों को बनाए रखने के लिये दूसरी बार लाया गया है।
- इस अध्यादेश के ज़रिये तीन तलाक को अमान्य और गैर-कानूनी करार देते हुए इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके तहत तीन साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है।
- यह अध्यादेश विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगा एवं उनके पतियों द्वारा दिये जाने वाले तात्कालिक एवं अपरिवर्तनीय 'तलाक-ए-बिद्दत' के प्रचलन को रोकेगा।
- प्रस्तावित अध्यादेश ऐसी मुस्लिम महिलाओं को आजीविका भत्ता, उनके नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अधिकार प्रदान करेगा।

नोट :

डिजिटल स्वास्थ्य पर दिल्ली घोषणा-पत्र अपनाया गया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं ने 'सतत् विकास के लिये डिजिटल स्वास्थ्य पर दिल्ली घोषणा-पत्र' (Delhi Declaration on Digital Health for Sustainable Development) को अपनाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इसे चौथे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट के समापन सत्र में अपनाया गया।
- यह घोषणा-पत्र डिजिटल स्वास्थ्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का नेतृत्व और इसके सदस्य देशों की सहायता के लिये डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्रीय समन्वय हेतु एक विशिष्ट तंत्र स्थापित करने का आह्वान करता है।
- सतत् विकास के लिये डिजिटल हेल्थ के अनुप्रयोग का एक उदाहरण टेलीमेडिसिन, रिमोट केयर और मोबाइल हेल्थ है जो अस्पतालों और क्लीनिकों के बजाय लोगों को उनके घरों में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनर (GDHP) के सहयोग से डिजिटल हेल्थ पर वैश्विक अंतर-सरकारी बैठक का आयोजन किया जिसमें दिल्ली घोषणा-पत्र को अंगीकार करने की घोषणा की गई।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विटज़रलैंड में स्थित है तथा WHO 7 अप्रैल, 1948 अस्तित्व में आया थाI इस तिथि को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) WHO में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। असेंबली की सालाना बैठक होती है तथा इसमें 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

श्रेयस योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministery of Human Resources Development) ने उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिये श्रेयस (Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills-SHREYAS) कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना से युवाओं को रोज़गार प्राप्त करने और देश की प्रगति में योगदान करने में सहायता मिलेगी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotional Scheme-NAPS) के माध्यम से आने वाले सत्र के सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के लिये उच्च शिक्षा के युवाओं के लिये प्रशिक्षण और कौशल (SHREYAS) की योजना शुरू की गई है।
- वर्तमान समय में कौशल के साथ शिक्षा समय की आवश्यकता है। SHREYAS कार्यक्रम इस दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा।
- देश के डिग्रीधारी छात्रों को अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिये अधिक कुशल, सक्षम, रोज़गारपरक और संगठित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वे देश की प्रगति में अधिकतम योगदान कर सकें और लाभकारी रोज़गार भी प्राप्त कर सकें।
- SHREYAS कार्यक्रम में तीन केंद्रीय मंत्रालयों की पहल शामिल है - मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी राज्यों से सहयोग की भी अपेक्षा की गई है।

नोट :

- इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कौशल विकास के लिये विज्ञान और उद्यमिता के क्षेत्र में 7 अन्य अपरेंटिसशिप पाठ्यक्रम को BBA (Bachelor of Business Administration) और BVoc (Bachelor of Vocation) पाठ्यक्रम के साथ संलग्न किया गया है।
- 6 क्षेत्रीय कौशल परिषदों – सूचना प्रौद्योगिकी (IT), रिटेल (Retail), लॉजिस्टिक्स (Logistics), टूरिज़्म (Tourism), BFSI (Banking, Financial Services and Insurance), फूड प्रोसेसिंग (Food Processing) ने कौशल विकास के क्षेत्र में बढ़त बना ली है।
- वर्तमान में चल रहे अधिकतर पाठ्यक्रमों में हेल्थकेयर (Healthcare), इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) और मीडिया क्षेत्र (Media Sectors) शामिल हैं।

SHREYAS कार्यक्रम के उद्देश्य

इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

- उच्च शिक्षा प्रणाली सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों में रोज़गार प्रासंगिकता की शुरुआत कर उनकी क्षमता में सुधार करना।
- स्थायी तौर पर शिक्षा और उद्योग/सेवा क्षेत्रों के बीच सकारात्मक कार्य करना।
- छात्रों को समय की मांग के अनुसार प्रगतिशील तरीके से कौशल प्रदान करना।
- उच्च शिक्षा के दौरान सीखने के साथ आय अर्जन सुनिश्चित करना।
- अच्छी गुणवत्ता वाली जनशक्ति सुनिश्चित करके व्यापार/उद्योग क्षेत्र में सहयोग करना।
- सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के साथ ही छात्र समुदाय को रोज़गार से जोड़ना।

The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग की भूमिका का विस्तार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु 'औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग' (Department of Industrial Policy & Promotion-DIPP) का नाम बदलकर 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) करते हुए इसकी भूमिका का विस्तार किया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग का नाम बदलते हुए इसमें परिवर्तन किया है।
- केंद्र सरकार द्वारा दी गई अधिसूचना में पुनर्निमाण निकाय के प्रभार की चार नई श्रेणियों को भी शामिल किया गया है,जिसमें शामिल हैं -
  - आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना (खुदरा व्यापार सहित)
  - व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का कल्याण
  - ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की सुविधा से संबंधित मामले
  - स्टार्ट-अप से संबंधित मामले
- इस निर्देश के तहत शामिल निकाय DIPP की सामान्य औद्योगिक नीति, उद्योगों के प्रशासन (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951, औद्योगिक प्रबंधन, उद्योग की उत्पादकता और ई-कॉमर्स से संबंधित मामलों के अतिरिक्त है।
- इस निकाय का नाम बदलने और इसके अंतर्गत आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायित्वों को शामिल करने का कार्य 'ऑल इंडिया ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज़ेशन' द्वारा किया गया है।
- अखिल भारतीय व्यापारियों के परिसंघ (Confederation Of All India Traders-CAIT) के अनुसार, सरकार ने DIPP के तहत खुदरा व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत लंबे समय से की जा रही मांग को भी स्वीकार किया है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

- औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की स्थापना 1995 में हुई थी तथा औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था।
- इससे पहले अक्तूबर 1999 में लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (Small Scale Industries & Agro and Rural Industries -SSI&A&RI) और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम (Heavy Industries and Public Enterprises- HI&PE) के लिये अलग-अलग मंत्रालयों की स्थापना की गई थी।

प्रमुख उद्योगों के विकास की गति हुई धीमी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आठ प्रमुख कोर उद्योगों (Core Industries) के उत्पादन में वृद्धि के आँकड़े जारी किये गए, जिसमें दिसंबर 2018 में लगभग 2.6% की गिरावट दर्ज की गई।

नोट :

कोर इंडस्ट्रीज़

- कोर उद्योग को एक मुख्य उद्योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अर्थव्यवस्था पर 'गुणक प्रभाव' (Multiplier Effect) पड़ता है।
- ज्यादातर देशों में विशेष उद्योग स्थापित हैं जो अन्य सभी उद्योगों की रीढ़ (Backbone) माने जाते हैं तथा कोर उद्योग होने के योग्य प्रतीत होते हैं।
- आठ कोर इंडस्ट्रीज़ पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP) में शामिल वस्तुओं का 40.27% भार है।
- उनके भार के घटते क्रम में आठ कोर इंडस्ट्रीज़ हैं - रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।
- इससे पहले जुलाई, 2018 में वी. के. सारस्वत (NITI आयोग सदस्य) की एक रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि सरकार को एल्यूमिनियम क्षेत्र को भारत के नौवें प्रमुख उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार करना चाहिये।

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (Index of Industrial Production)

- औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (IIP) एक सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण देता है, जैसे कि खनिज खनन, बिजली, विनिर्माण आदि।
- इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- अप्रैल 2017 में आठ कोर इंडस्ट्रीज़ के सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया है।
- वर्तमान में IIPआईआईपी आँकड़ों का आधार वर्ष 2011-12 है। आईआईपी में आठ प्रमुख उद्योगों (Core Industries) का भारांश अवरोही क्रम में निम्नलिखित है –

रिफाइनरी उत्पाद (Refinery Products)	28.04%
विद्युत (Electricity)	19.85%
इस्पात (Steel)	17.92%
कोयला (Coal)	10.33%
कच्चा तेल (Crude Oil)	8.98%
प्राकृतिक गैस (Natural Gas)	6.88%
सीमेंट (Cement)	5.37%
उर्वरक (Fertilizers)	2.63%

महाराष्ट्र में गुलाबी क्रांति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महाराष्ट्र में किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिये उच्च गुणवत्ता वाला पोर्क 'गुलाबी क्रांति' के रूप में विकसित हो रहा है।

- इसका उद्देश्य किसानों को आजीविका प्रदान करने के अलावा सस्ते माँस तक पहुँच से वंचित आबादी के एक बड़े हिस्से हेतु प्रोटीन की कमी की समस्या के समाधान के लिये आयातित सूअरों का प्रजनन करना है।

नोट :

कौन करेगा इसका परिचालन ?

- महाराष्ट्र सरकार की नीतियों के तहत समर्थित मुंबई स्थित गार्गी जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड उच्च गुणवत्ता वाले पोर्क की आपूर्ति के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर काम कर रही है।
- यह कंपनी कनाडा से आयातित सूअरों (Pigs) की आपूर्ति करके किसानों के साथ साझेदारी की योजना बना रही है। इनका प्रजनन उच्च गुणवत्ता वाले माँस के उत्पादन के लिये स्वच्छ वातावरण में किया जायेगा।
- गार्गी जेनेटिक्स आयातित नस्लों के स्वच्छ पर्यावरण में उत्पादित पोर्क की आपूर्ति के माध्यम से इस चिंता का समाधान करने की योजना बना रहा है, साथ ही एक शिक्षा अभियान शुरू करेगा।
- कंपनी की योजना है कि पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने वाले पिग्लेट (baby pig) का प्रजनन किया जाये जिससे पशुपालन, खाद्य और चिकित्सा उद्योग में सहायता मिलेगी।
- पोर्क उत्पादन के लिये यह एक व्यापक मूल्य श्रृंखला का निर्माण करेगा, साथ ही चिकित्सा और अनुसंधान उद्योग,अंग प्रत्यारोपण एवं इंसुलिन के लिये उच्च गुणवत्ता वाले जानवरों की आपूर्ति भी करेगा।

वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति

- भारतीय पोर्क लगभग 250 रुपए प्रति किग्रा. की दर से बेचा जाता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले संसाधित पोर्क की कीमत 1,200-3,000 रुपए प्रति किग्रा. है।
- कीमत में इतना ज़्यादा अंतर का सबसे बड़ा कारण भारत के पोर्क का असुरक्षित होने के साथ ही गुणवत्ता युक्त न होना है।
- किसानों की क्षमता बढ़ाने, उपभोक्ताओं की सुरक्षित और स्वस्थ माँस की मांग को पूरा करने तथा स्वास्थ्य उद्योग विकसित करने के लिए स्वस्थ, सुरक्षित जानवरों की आवश्यकता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 'गुलाबी क्रांति' योजना का उद्देश्य 'फार्म टू मार्केट' अर्थात पोर्क की बाज़ार तक पहुँच में आने वाली समस्या का समाधान करना है।
- स्वस्थ पोर्क उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये प्रमाणित दुकानों/भोजनालयों की एक फ्रेंचाइजी श्रृंखला शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।
- पोर्क और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये सार्वजनिक शिक्षा चैनलों का भी उपयोग किया जाएगा।
- पोर्क की सार्वजनिक छवि को बदलने और उपभोक्ता की रसोई में गुणवत्ता वाले उत्पाद लाने का प्रयास किया जाएगा
- इस पहल को 2019 की दूसरी तिमाही में आधिकारिक तौर पर शुरू किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कंपनी अपने पहले चरण में इक्विटी फंडिंग से 2 मिलियन डॉलर की राशि जुटाने को प्रयासरत है।
- कंपनी द्वारा परियोजना शुरू करने के लिये महाराष्ट्र के पालघर ज़िले के वाडा में पहले ही ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया था।

शीर्ष कपास उत्पादक' का तमगा खो देगा भारत

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2018-19 की हालिया अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि भारत प्रतिकूल जलवायु और अपर्याप्त वर्षा की वज़ह से 'शीर्ष कपास उत्पादक' होने का अपना तमगा खो देगा। गौरतलब है कि कपास उत्पादन में दुसरे नंबर पर स्थित चीन पिछले कुछ वर्षों के दौरान बेहतर कृषि पद्धतियों की सहायता से अच्छी पैदावार प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (International Cotton Advisory Committee-ICAC) के अनुसार, भारत के कपास उत्पादन क्षेत्रों में 'अपर्याप्त वर्षा' के कारण कुल उत्पादन में 7 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है, जबकि चीन का उत्पादन लगभग 1 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
- कपास उगाने योग्य क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु और जल उपलब्धता न होने की स्थिति के कारण भारत निश्चित रूप से चीन से पीछे हो जाएगा।

नोट :

- तेलंगाना और कर्नाटक में स्थिति और खराब है।
- गौरतलब है कि भारत ने 2015-16 सीज़न के दौरान कपास उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष कपास उत्पादक बना था।
- बदलती जलवायु की वज़ह से भारत कपास उत्पादन गिरता जा रहा है क्योंकि कपास उत्पादन योग्य क्षेत्र का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा गैर-सिंचित है और यह क्षेत्र बारिश पर अत्यधिक निर्भर रहता है।

कपास उत्पादन की वैश्विक स्थिति

वैश्विक आँकड़ों के अनुसार, 2018-19 सत्र की अगस्त-दिसंबर अवधि के लिये भारत का कपास उत्पादन 5.98 मिलियन टन रहने का अनुमान है।

भारत के सर्वोच्च कपास व्यापार निकाय, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Cotton Association of India-CAI) के अनुसार, वर्ष 2018-19 के लिये भारत का कपास उत्पादन 335 लाख गाँठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) तक कम हो जाएगा, जो 2010-11 के 332.25 लाख गाँठ के बाद से सबसे कम है।

संसाधन बनाम उपज

- एक तरफ जहाँ भारत की अनुमानित कपास उपज लगभग 483-500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं चीन की उपज लगभग 1,755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
- हालाँकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च (Central Institute for Cotton Research-CICR) के निदेशक के अनुसार, अच्छी खेती के तरीकों पर किसानों के बीच जागरूकता की कमी भी कम पैदावार की एक वज़ह है। क्योंकि प्रति हेक्टेयर 1,200-1,500 किलोग्राम तक की कपास उपज कुछ विकट परिस्थितियों में भी हासिल की जा चुकी है। बेहतर कृषि प्रबंधन से ही उत्पादकता में सुधार आता है।

अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति

- अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति कपास का उत्पादन, खपत और व्यापार करने वाले सदस्य देशों का एक संघ है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका में है।
- भारत 1939 से इस समूह के 27 सदस्यों में से एक है।

अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 में आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थायी वित्त समिति (Standing Committee on Finance-SCF) के गठन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 में आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव को अपनी मंज़ूरी दे दी है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 18 जुलाई, 2018 को अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक-2018 को संसद में पेश किया गया था और इसे स्थायी वित्त समिति (Standing Committee on Finance-SCF) के सुपुर्द कर दिया गया था।
- 03 जनवरी, 2019 को इस विधेयक की 17वीं रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया।
- इस संशोधन के पश्चात् यह विधेयक देश में अवैध रूप से जमा राशि जुटाने के जोखिम से कारगर ढंग से निपटने और इस तरह की योजनाओं के ज़रिये गरीबों एवं भोले-भाले लोगों की गाढ़ी कमाई हड़प लेने पर रोक लगाने की दृष्टि से और मज़बूत हो जाएगा।
- इस संशोधित विधेयक में प्रतिबंध लगाये जाने हेतु एक व्यापक अनुच्छेद लाया गया है, जिसके अंतर्गत जमा राशि जुटाने वालों को किसी भी अनियमित जमा योजना का प्रचार-प्रसार, संचालन, विज्ञापन जारी करने अथवा जमा राशि जुटाने से प्रतिबंधित किया गया है।

नोट :

विधेयक के उद्देश्य

- यह विधेयक अनियमित तौर पर जमा राशि जुटाने से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा देगा। इसके तहत ऐसी गतिविधियों को प्रत्याशित अपराध माना जाएगा, जबकि मौजूदा विधायी-सह-नियामकीय फ्रेमवर्क केवल व्यापक समय अंतराल के बाद ही यथार्थ या अप्रत्याशित रूप से प्रभावी होता है।
- विधेयक में अपराधों के तीन प्रकार निर्दिष्ट किये गए हैं, जिनमें अनियमित जमा योजनाएँ चलाना, नियमित जमा योजनाओं में धोखाधड़ी के उद्देश्य से डिफॉल्ट करना और अनियमित जमा योजनाओं के संबंध में गलत इरादे से प्रलोभन देना शामिल हैं।
- विधेयक में कठोर दंड देने और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, ताकि लोगों की इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लग सके।
- विधेयक में उन मामलों में जमा राशि को वापस लौटाने या पुनर्भुगतान करने के पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं, जिनके तहत ये योजनाएँ किसी भी तरह से अवैध तौर पर जमा राशि जुटाने में सफल हो जाती हैं।
- विधेयक में सक्षम प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों/परिसंपत्तियों को ज़ब्त करने और जमाकर्त्ताओं को पुनर्भुगतान किये जाने के उद्देश्य से इन परिसंपत्तियों को हासिल करने का प्रावधान किया गया है।

विधेयक के प्रावधान

18 जुलाई, 2018 अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक-2018 को संसद में पेश किया गया जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था की गई है –

- अनियमित जमा राशि जुटाने की गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध।
- अनियमित जमा राशि जुटाने वाली योजना का प्रचार-प्रसार अथवा संचालन के मामले में कठोर दंड।
- जमाकर्त्ताओं को पुनर्भुगतान के मामले में धोखाधड़ी और डिफॉल्ट करने पर कठोर दंड।
- जमा राशि जुटाने वाले प्रतिष्ठान को डिफॉल्टर घोषित किये जाने की स्थिति में जमा राशि का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक सक्षम प्राधिकरण को अधिकृत करना।
- सक्षम प्राधिकरण को अधिकार सौंपना, जिसमें डिफॉल्टर प्रतिष्ठान की परिसम्पत्तियाँ ज़ब्त करने का अधिकार देना भी शामिल हैं।
- जमाकर्त्ताओं के पुनर्भुगतान की निगरानी करने और अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई करने के लिये अदालतों को अधिकृत करना।
- विधेयक में नियमित जमा योजनाओं की सूची पेश करना, इसमें एक ऐसा प्रावधान होगा जिसके तहत केंद्र सरकार इस सूची को बड़ा या छोटा कर सकेगी।

पृष्ठभूमि

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जुलाई 2014 और मई 2018 के बीच की अवधि के दौरान अनधिकृत योजनाओं के 978 मामलों पर विभिन्न राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति (State Level Coordination Committee-SLCC) की बैठकों में विचार किया गया और उन्हें राज्यों के संबंधित नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सुपुर्द किया गया।
- 2016-17 के दौरान इस तरह की योजनाओं से देश भर में बहुत से लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ था जिसमें ज़्यादातर गरीब और वित्तीय मामलों से अनभिज्ञ लोग शामिल थे इस तरह की योजनाओं का जाल अनेक राज्यों में फैला हुआ है।
- इसके बाद वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2017-18 में यह घोषणा की थी कि अवैध रूप से जमा राशि जुटाने वाली योजनाओं पर अंकुश लगाने के लिये विधेयक के मसौदे को सार्वजनिक तौर पर पेश किया गया है और इसे अंतिम रूप देने के बाद जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 (International Financial Srvices Centres Authority Bill, 2019) के अंतर्गत भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (International Financial Services Centres-IFSCs) के तहत सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिये एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना को मंज़ूरी दी है।

नोट :

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया है।
- IFSC उन वित्तीय सेवाओं और निवेश को भारत में वापस लाने में सक्षम बनाता है जो वर्तमान में भारतीय कॉर्पोरेट संस्थाओं और विदेशी शाखाओं/वित्तीय संस्थानों की सहायक कंपनियों द्वारा भारत में व्यावसायिक और विनियामक स्थिति प्रदान करके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की तुलना में विश्व के अन्य वित्तीय केंद्रों जैसे - लंदन और सिंगापुर में किये जाते हैं।

एकीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता

- वर्तमान में IFSC में बैंकिंग, पूंजी बाज़ार और बीमा क्षेत्रों को कई नियामकों, अर्थात् RBI, SEBI और IRDAI द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- IFSCs में व्यवसाय की गतिशील प्रकृति को देखते हुए अंतर-नियामक समन्वय तथा इनकी वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों में नियमित स्पष्टीकरण एवं संशोधन किये जाने की भी आवश्यकता है।
- IFSCs में वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के विकास के लिये संकेंद्रित और समर्पित विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। इसलिये, वित्तीय बाज़ार सहभागियों को विश्व स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करने के लिये भारत में IFSCs के लिये एकीकृत वित्तीय नियामक होने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
- इसके अलावा, यह व्यावसायिक दृष्टिकोण को आसान बनाना भी आवश्यक होगा। एकीकृत प्राधिकरण वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारत में IFSC के विकास के लिये आवश्यक प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा।

एकीकृत नियामक स्थापित करने हेतु मसौदा विधेयक

IFSCs की नियामक आवश्यकताओं और वित्तीय क्षेत्र के मौजूदा कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय (MoF) ने IFSCs के लिये एक अलग एकीकृत नियामक स्थापित करने के लिये मसौदा विधेयक तैयार किया है। विधेयक की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

प्राधिकरण का प्रबंधन :

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (Securities Exchange Board of India-SEBI), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India-IRDAI) द्वारा नामित एक-एक सदस्य,केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सदस्य और दो अन्य पूर्णकालिक या पूर्ण या अंशकालिक सदस्य होंगे।

प्राधिकरण के कार्य:

इसके अंतर्गत IFSC में ऐसी सभी वित्तीय सेवाओं, उत्पादों और संस्थाओं को विनियमित किया जाएगा, जिन्हें वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा IFSCs के लिये पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। प्राधिकरण ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, सेवाओं को भी विनियमित करेगा जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किये जा सकते हैं। यह केंद्र सरकार को ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों की भी सिफारिश कर सकता है जिन्हें आईएफएससी में अनुमति दी जा सकती है।

प्राधिकरण की शक्तियाँ:

अधिनियमों के तहत संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक (RBI, SEBI, IRDAI, और PFRDA आदि) द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ प्राधिकरण द्वारा IFSCs में अब तक वित्तीय रूप से नियमन के अनुसार पूरी तरह से प्रयोग की जाएंगी।

प्राधिकरण की प्रक्रिया

प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली और प्रक्रियाएँ वित्तीय उत्पादों, सेवाओं या संस्थानों पर लागू भारत की संसद के संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगी।

नोट :

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान

केंद्रीय सरकार को इस संबंध में संसद द्वारा कानून के उचित विनियोजन के बाद, प्राधिकरण को इस तरह के धन को अनुदान के रूप में देना होगा क्योंकि केंद्र सरकार प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिये इसके उपयोग को समझती है।

विदेशी मुद्रा में लेन-देन:

IFSCs के ज़रिये विदेशी मुद्रा में वित्तीय सेवाओं का लेन-देन प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार के परामर्श से किया जाएगा।

IFSCs के लिये एकीकृत वित्तीय नियामक की स्थापना से बाज़ार के प्रतिभागियों को व्यापार की दृष्टि से उचित विश्व स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान किया जा सकेगा। यह भारत में IFSCs के विकास को प्रोत्साहित करेगा और उन वित्तीय सेवाओं तथा लेन-देन को वापस लाने में सक्षम बनाएगा जो वर्तमान में भारत से बाहर के वित्तीय केंद्रों में किये जाते हैं। यह विशेष रूप से भारत में IFSCs के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण रोज़गार सृजित करेगा।

कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (Cabinet Committee of Economic Affairs-CCEA) ने कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष (Agri-Market Infrastructure Fund-AMIF) के लिये 2000 करोड़ रुपए की निधि के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

- ग्रामीण कृषि बाज़ारों एवं व्यवस्थित थोक बाज़ारों में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास एवं उन्नयन के लिये इस कोष की स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ मिलकर की जाएगी।
- केंद्रीय बजट 2018-19 में यह घोषणा की गई थी कि 22 हज़ार ग्रामीण कृषि बाजारों तथा 585 APMCs में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास के लिये दो हज़ार करोड़ रुपए की स्थायी निधि से एक कृषि बाज़ार अवसंरचना कोष की स्थापना की जाएगी।

नाबार्ड (NABARD)

- नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये एक शीर्ष बैंक है।
- इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई, 1982 को की गई थी।
- इसका कार्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के संवर्द्धन और विकास के लिये ऋण उपलब्ध कराना है। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य संबद्ध आर्थिक क्रियाओं को समर्थन प्रदान कर गाँवों का सतत् विकास करना है।

कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष का महत्त्व

- कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष (AMIF) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को 585 कृषि उपज विपणन समितियों (Agriculture Produce Market Committees- APMCs) एवं 10,000 ग्रामीण कृषि बाज़ारों (Grameen Agricultural Markets-GrAMs) में विपणन की ढाँचागत व्यवस्था विकसित करने के लिये उनके प्रस्ताव पर वित्तीय छूट प्राप्त ऋण मुहैया कराएगा।
- राज्य हब (Hub) एवं स्पोक प्रणाली (Spoke Mode) तथा PPP (Public Private Partnership) प्रणाली समेत उन्नत एकीकृत बाज़ार अवसंरचना परियोजनाओं के लिये कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष से सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
- इन ग्रामीण कृषि बाज़ारों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA) एवं अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग कर भौतिक एवं आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा।
- अनुमति प्राप्त होने के बाद कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष (AMIF) योजना को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare- DAC&FW) द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 2018-19 एवं 2019-20 के साथ-साथ 2024-25 तक के दौरान जारी वार्षिक बजट के अनुरूप ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना के मांग आधारित होने से इसकी प्रगति राज्यों की मांग एवं उनसे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का विषय होगी।

नोट :

मेगा फूड पार्क

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क, क्रेमिका मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह मेगा फूड पार्क 107.34 करोड़ रुपए की लागत से 52.40 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया है। इस मेगा फूड पार्क में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, थोक-पैकेजिंग, फ्रोजन स्टोरेज, डीप फ्रीज, ड्राई वेयरहाउस, क्यूसी लेबोरेटरी के साथ अन्य खाद्य प्रसंस्करण सुविधाए उपलब्ध होंगी।

क्या होता है मेगा फ़ूड पार्क ?

- मेगा फूड पार्क 'क्लस्टर' (cluster) दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इसमें पार्कों में सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिये कृषि/बागवानी क्षेत्र में अत्याधुनिक सहायक अवसंरचना जैसे - संग्रहण केंद्र , केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र , प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र , शीतगृह श्रृंखला (Chain of cold Storage) उपलब्ध होती हैं।
- केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में सामान्य सुविधाएं और सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और संग्रह केंद्र के रूप में प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा खेत के पास उपलब्ध कराई जाती है।
- मेगा फूड पार्क परियोजना का कार्यान्वयन एक विशेष प्रयोजन उपाय (Special Purpose Vehicle - SPV) द्वारा किया जाता है।

उद्देश्य

- मेगा फूड पार्क का उद्देश्य 'खेत से बाज़ार तक' खाद्य श्रृंखला कायम करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण हेतु आधुनिक अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करना है।
- यह किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाज़ार से जोड़ने के लिये एक तंत्र उपलब्ध कराता है।
- इस के तहत मूल्यसंवर्धन (Value Addition), बर्बादी को न्यूनतमबी करने, किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर सृजित करना की कोशिश की जाती है।

रिज़र्व बैंक ने 7 बैंकों पर लगाया जुर्माना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के कुल 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- RBI द्वारा जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आंध्र बैंक, HDFC, IDBI और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज़ बैंक प्रत्येक पर 1.50 करोड़ रुपए जबकि आंध्र बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
- RBI ने धन के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान, धोखाधड़ी की रिपोर्ट और वर्गीकरण और खातों के पुनर्गठन पर आदि विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन नही करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) पर जुर्माना लगाया गया है।
- केंद्रीय बैंक ने HDFC, IDBI और कोटक महिंद्रा बैंक पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, इन बैंकों पर जुर्माना लगाने का कारण रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए नो योर कस्टमर (Know Your Customer-KYC) मानदंडों तथा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (Anti-money laundering) मानकों के लिये जारी विभिन्न निर्देशों का अनुपालन न करना है।
- RBI के के अनुसार, इन सात बैंकों के मामले में लिया गया यह फैसला RBI के नियमों के तहत निहित शक्तियों के अंतर्गत ही लिया गया है। RBI द्वारा यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाया गया है।

नोट :

भारतीय रिज़र्व बैंक

- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई।
- रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया।
- यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।
- वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जिन्होंने उर्जित पटेल का स्थान लिया है।

कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किये गए हैं:

- भारत में मौद्रिक स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक-नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि (Reserves) को बनाए रखना।
- सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना।
- अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिये आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क तैयार करना।
- वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP) पर कार्यशाला का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation-MoSPI) ने कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute-ISI) के साथ मिलकर सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (Gross Domestic Knowledge Product-GDKP) के उभरते क्षेत्र पर नई दिल्ली में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (Domestic Knowledge Product-GDKP)

- दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उम्बेर्टो सुलपास्सो (Umberto Sulpasso) द्वारा GDKP के विचार को प्रस्तुत किया गया।
- सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद ज्ञान आधारित अर्थव्यस्था के निम्नलिखित चार बुनियादी स्तंभों के माध्यम से किसी राष्ट्र के विकास और भविष्य की माप करता है –
- नॉलेज आइटम्स (Knowledge items-Ki) – अलग-अलग श्रेणियों में आधुनिक और स्थानीय दोनों वर्गों की अलग-अलग संस्कृतियों की सूचना सामग्रियों की पहचान करना।
- कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स (Country's Knowledge Producing Matrix-CKPM) – सरकार, निजी संस्थानों और परिवारों द्वारा उत्पादित ज्ञान में विभेद करते हुए GDP प्रभाव के लिये इनकी तुलना करना।
- कंट्री नॉलेज यूज़र मैट्रिक्स (Country's Knowledge User Matrix-CKUM) – व्यक्तियों और निजी कंपनियों द्वारा अपने आधुनिकीकरण के प्रयासों को मापने के लिये स्वीकृत ज्ञान का मूल्य।
- कॉस्ट ऑफ लर्निंग (Cost of Learning) – युवा नागरिकों को समर्थन देने के लिये शिक्षा परिवार बॉण्ड, शिक्षा क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से सरकार के बजटीय निर्णयों (राजनीतिक संदर्भ) में उपयोग की जाने वाली वर्तमान लागत के समान।

भारत के लिये सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद

- यह राष्ट्रीय संस्कृति से संबंधित विशिष्ट ज्ञान सामग्रियों के मूल्य की गणना करने और इन सामग्रियों में समय के साथ परिवर्तन की अनुमति देगा।
- उदाहरण के तौर पर, भारत में इन विशिष्ट ज्ञान सामग्रियों के अंतर्गत सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षणों (योग, वेद और नृत्य विद्यालय), धार्मिक त्योहारों एवं फसल त्योहारों के प्रसार को शामिल किया गया है।

नोट :

- सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद एक राष्ट्रीय ज्ञान शिक्षा मंच के निर्माण की सुविधा भी प्रदान कर सकता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने के साथ-साथ जीडीपी और निजी निवेश की उचित भूमिका को बढ़ावा देगा।
- यह देश में ज्ञान आधारित अर्थव्यस्था को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

वर्षा आधारित कृषि के खिलाफ नीतिगत पूर्वाग्रह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत में एक वर्षा आधारित कृषि मानचित्र तैयार किया गया। इसके अंतर्गत वर्षा आधारित क्षेत्रों में व्याप्त कृषि जैव विविधता और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का विवरण देते हुए नीतिगत पूर्वाग्रहों का दस्तावेज़ीकरण करने का प्रयास किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में जारी कृषि मानचित्र में वर्षा आधारित क्षेत्रों में व्याप्त कृषि जैव विविधता और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ उन नीतिगत पूर्वाग्रहों का दस्तावेज़ीकरण किया गया है, जो इन क्षेत्रों में लोगों को खेती करने में असफल बना रहे हैं।
- भारत में पाँच में से तीन किसान सिंचाई के बजाय वर्षा जल का उपयोग कर फसलों का उत्पादन करते हैं। हालाँकि इस तरह से उनका अपनी भूमि में प्रति हेक्टेयर सरकारी निवेश 20 गुना तक कम हो सकता है।
- ऐसे किसानों की फसलों की सरकारी खरीद प्रमुख सिंचित भूमि की फसलों का सिर्फ एक भाग है और सरकार की कई प्रमुख कृषि योजनाएँ उन्हें लाभान्वित करने के अनुरूप नहीं हैं।

सरकार की नीतियाँ

- राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण के CEO जो वर्तमान में किसानों की आय दोगुनी करने हेतु बनाई गई सरकारी समिति के प्रमुख भी हैं, इन्होने बताया कि वर्षा आधारित क्षेत्रों के किसानों की अधिक उपेक्षा हुई है जो इन क्षेत्रों में किसानों की कम आय का महत्त्वपूर्ण कारण है।
- एक सम्मेलन के दौरान इन्होंने स्पष्ट किया कि वर्षा आधारित क्षेत्रों में किसानों को सिंचित क्षेत्रों वाले किसानों की तुलना में लगभग 40% कम आय प्राप्त होती है।
- रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर (Revitalising Rainfed Agriculture-RRA) नेटवर्क के समन्वयक जिन्होंने यह मानचित्र प्रकाशित किया है ने किसानों की आय में असमानता के लिये सरकार की नीति और उसके व्यय में भेदभाव होना बताया है।
- सिंचित भूमि वाले क्षेत्रों में बड़े बांधों और नहर नेटवर्क के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 5 लाख का निवेश प्राप्त होता है, जबकि वर्षा आधारित भूमि में वाटरशेड प्रबंधन का खर्च केवल 18,000-25,000 है। जो यह दर्शाता है कि उपज में अंतर निवेश के अंतर के अनुपात में नहीं है।
- इसी प्रकार जब उपज की खरीद देखी गई तो पाया गया कि सरकार ने 2001-02 तथा 2011-12 के दशक में गेहूं और चावल पर 5.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किये। जबकि मोटे अनाज जो वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं की खरीद पर उसी अवधि में 3,200 करोड़ रुपए खर्च किये गए।
- बीज, उर्वरक सब्सिडी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी फ्लैगशिप सरकारी योजनाओं को सिंचित क्षेत्रों के लिये ही बनाया गया है जो कि वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी बिना किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे विस्तृत कर दिया गया है।
- उदाहरण के लिये सरकार योजना द्वारा अधिसूचित बहुत से संकर बीजों को उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिये समय पर पानी, उर्वरक और कीटनाशक पदार्थों की बहुत आवश्यकता होती है जिसका वर्षा आधारित किसानों के लिये कोई महत्त्व नही हैं। सरकार द्वारा अब तक स्वदेशी बीजों को प्राप्त करने या जैविक खाद को सब्सिडी देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

निष्कर्ष

- वर्षा आधारित क्षेत्र के किसानों के लिये अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने तथा उत्पादन हेतु समर्थन प्रदान करने के लिये सिंचित क्षेत्रों वाले किसानों से ज़्यादा संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- वर्तमान समय में किसानों की मदद करने के लिये आय समर्थन महत्वपूर्ण है, साथ ही भविष्य के लिये बेहतर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में हर कोई खेती करने के बजाय व्यवसाय करने में सहज महसूस करता है। आने वाले समय में यदि वर्षा आधारित क्षेत्रों में बीज, मिट्टी, पानी की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो किसान कृषि कार्य छोड़ देंगे।

नोट :

रूफटॉप सोलर कार्यक्रम: दूसरे चरण को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कैबिनेट ने रूफटॉप सोलर परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने हेतु ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि यह मंज़ूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने वर्ष 2022 तक के लिये दी है।
- इस कार्यक्रम को 11,814 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।
- कार्यक्रम के दूसरे चरण में आवासीय क्षेत्र के लिये केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance-CFA) का पुनर्गठन किया गया है।
- केंद्रीय वित्तीय सहायता के तहत 3 किलोवाट तक की क्षमता वाली रूफटॉप सोलर (RTS) प्रणालियों के लिये 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता और 3 किलोवाट से ज़्यादा एवं 10 किलोवाट तक की क्षमता वाली रूफटॉप सोलर प्रणालियों के लिये 20 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों/आवासीय कल्याण संघों (GHS/RAW) के मामले में साझा सुविधाओं को देखते हुए विद्युत आपूर्ति हेतु रूफटॉप सोलर संयंत्रों के लिये केंद्रीय वित्तीय सहायता को 20 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा।
- केंद्रीय वित्तीय सहायता अन्य श्रेणियों जैसे- संस्थागत, शैक्षणिक, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि के लिये उपलब्ध नहीं होगी।
- कार्यक्रम के इस दूसरे चरण में वितरण कंपनियों (Distribution Company- DISCOM) की सहभागिता पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- डिस्कॉम और इनके स्थानीय कार्यालय इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये मुख्य केन्द्र होंगे।
- डिस्कॉम को प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। डिस्कॉम को मिलने वाले प्रोत्साहन इस प्रकार होंगे:

क्रम संख्या	मानदंड	प्रोत्साहन
1.	किसी वित्त वर्ष में स्थापित आधार क्षमता के अलावा 10 प्रतिशत तक हासिल स्थापित क्षमता के लिये	कोई प्रोत्साहन नहीं
2.	किसी वित्त वर्ष में स्थापित आधार क्षमता के अलावा 10 प्रतिशत से ज़्यादा और 15 प्रतिशत तक हासिल स्थापित क्षमता के लिये	स्थापित आधार क्षमता के 10 प्रतिशत से ज़्यादा हासिल क्षमता के लिये लागू लागत का 5 प्रतिशत
3.	किसी वित्त वर्ष में स्थापित आधार क्षमता के अलावा 15 प्रतिशत से ज़्यादा हासिल स्थापित क्षमता के लिये	स्थापित आधार क्षमता के 10 प्रतिशत से ज़्यादा और 15 प्रतिशत तक हासिल क्षमता के लिये लागू लागत का 5 प्रतिशत प्लस स्थापित आधार क्षमता के 15 प्रतिशत से ज़्यादा हासिल क्षमता के लिये लागू लागत का 10 प्रतिशत

वितरण कंपनियों को प्रोत्साहन क्यों ?

- चूँकि वितरण कंपनियों (Distribution Company- DISCOM) को ही योजना के कार्यान्वयन में अतिरिक्त श्रमबल, बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं के निर्माण, क्षमता निर्माण, जागरूकता इत्यादि पर अतिरिक्त खर्च का भार वहन करना पड़ता है, इसलिये उन्हें प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न प्रोत्साहन देकर भरपाई किये जाने को मंज़ूरी दी गई है।
- इस योजना के तहत डिस्कॉम को प्रोत्साहन केवल 18,000 मेगावाट की आरंभिक क्षमता वृद्धि के लिये ही दिया जाएगा।

नोट :

व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव

- इस कार्यक्रम का कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में कमी के नज़रिये से व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा।
- प्रति मेगावाट 1.5 मिलियन यूनिट औसत ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2022 तक कार्यक्रम के चरण-2 के तहत 38 गीगावाट की क्षमता वाले सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना से प्रतिवर्ष कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 45.6 टन की कमी होगी।

रोज़गार सृजन

- इस कार्यक्रम में रोज़गार सृजन की संभावनाएँ भी निहित हैं।
- इस मंज़ूरी से स्व-रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा और वर्ष 2022 तक योजना के चरण-2 के तहत 38 गीगावाट की क्षमता वृद्धि हेतु कुशल एवं अकुशल कामगारों के लिये लगभग 9.39 लाख रोज़गार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 (National Policy on Electronics-NPE 2019) को अपनी स्वीकृति दे दी है।

- इस नीति में चिप सेटों सहित महत्त्वपूर्ण घटकों को देश में विकसित करने की क्षमता को प्रोत्साहित कर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु उद्योग के लिये अनुकूल माहौल बना कर भारत को 'इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (Electronics System Design and Manufacturing-ESDM)' के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

NPE 2019 की विशेषताएँ

1. वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी ESDM सेक्टर के लिये अनुकूल माहौल बनाया जाएगा। ESDM की समूची मूल्य श्रृंखला (Value Chain) में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
2. प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों (components) के विनिर्माण के लिये प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाएगी।
3. ऐसी मेगा परियोजनाएँ जो अत्यंत हाई-टेक हैं और जिनमें भारी-भरकम निवेश की ज़रूरत होती हैं, को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष पैकेज दिया जाएगा, इनमें सेमी कंडक्टर (Semiconductor) सुविधाएँ, डिस्प्ले फैब्रिकेशन (Display Fabrication) इत्यादि शामिल हैं।
4. नई यूनिटों को बढ़ावा देने और वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिये उपयुक्त योजनाएँ तैयार कर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा।
5. इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप-क्षेत्रों में उद्योग की अगुवाई में अनुसंधान एवं विकास (Industry-led R&D) और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें बुनियादी या ज़मीनी स्तर के नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे कि 5G, IoT/सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI), मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियल्टी (Virtual Reality-VR), ड्रोन, रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (Additive Manufacturing), फोटोनिक्स (Photonics), नैनो आधारित उपकरण (Nano-based devices) इत्यादि प्रारंभिक चरण वाले स्टार्ट-अप्स भी शामिल हैं।
6. कुशल श्रमबल की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिये प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। इसमें कामगारों के कौशल को फिर से सुनिश्चित करना भी शामिल है।
7. फैबलेस चिप डिज़ाइन उद्योग (Fabless Chip Design Industry), मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और मोबिलिटी एवं रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
8. ESDM क्षेत्र में IPs के विकास एवं अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिये सॉवरेन पेटेंट फंड (Sovereign Patent Fund-SPF) बनाया जाएगा।
9. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिये विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला से जुड़ी पहलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

नोट :

लक्ष्य

- वर्ष 2025 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 26,00,000 करोड़ रुपए) का कारोबार हासिल करने हेतु आर्थिक विकास के लिये ESDM की समूची मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसमें वर्ष 2025 तक 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 13,00,000 करोड़ रुपए) मूल्य के एक बिलियन (100 करोड़) मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन का लक्ष्य शामिल है।
- इसमें निर्यात के लिये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए) मूल्य के 600 मिलियन (60 करोड़) मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन करना भी शामिल है।

प्रमुख प्रभाव

- NPE 2019 को कार्यान्वित करने पर इसमें परिकल्पित रोडमैप के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से देश में ESDM सेक्टर के विकास के लिये अनेक योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं इत्यादि को मूर्त रूप देने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- इससे भारत में निवेश एवं प्रौद्योगिकी का प्रवाह सुनिश्चित होगा, जिससे देश में ही निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के ज़्यादा मूल्यवर्द्धन और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के क्षेत्र में अधिक उत्पादन के साथ-साथ उनके निर्यात का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसके अलावा, बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 (NPE-2012) के तत्त्वावधान में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से एक प्रतिस्पर्द्धी भारतीय ESDM वैल्यू चेन से जुड़ी नींव सफलतापूर्वक मज़बूत हो गई है।
- NPE 2019 में इस नींव को और मज़बूत करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि देश में ESDM उद्योग के विकास की गति तेज़ की जा सके। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 (NPE-2019) ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 (NPE-2012) का स्थान लिया है।

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM)

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान-कुसुम (Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan-KUSUM) को शुरू करने की मंज़ूरी दे दी है।

लक्ष्य

- तीनों घटकों को शामिल करने वाली इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना है।

योजना के घटक

प्रस्तावित योजना के तीन घटक हैं :

- घटक A : भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना।
- घटक B : 17.50 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
- घटक C : ग्रिड से जुड़े 10 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण (Solarisation)।

योजना का कार्यान्वयन

- घटक A और घटक C को क्रमश: 1000 मेगावाट की क्षमता तथा एक लाख कृषि पंपों को ग्रिड से जोड़ने के लिये पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। पायलट योजना की सफलता के बाद इसे बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जाएगा। घटक B को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।

नोट :

- घटक A के अंतर्गत किसान/सहकारी समितियाँ/पंचायत/कृषि उत्पादक संघ (Farmer Producer Organisations-FPO) अपनी बंजर या कृषि योग्य भूमि पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेंगे। बिजली वितरण कंपनियाँ (DISCOMs) उत्पादित ऊर्जा की खरीद करेंगी। दर का निर्धारण संबंधित SERC द्वारा किया जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर बिजली वितरण कंपनियों को पाँच वर्षों की अवधि के लिये 0.40 रुपए की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- घटक B के अंतर्गत किसानों को 7.5 HP क्षमता तक के सौर पंप स्थापित करने के लिये सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में पंप क्षमता को सौर पीवी क्षमता (KW में) के समान मानने की अनुमति दी गई है।
- योजना के घटक C के अंतर्गत किसानों को 7.5 HP की क्षमता वाले पंपों के सौरीकरण के लिये सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में पंप क्षमता को सौर पीवी क्षमता के दोगुने के समान माना गया है।

वित्तपोषण

- इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 34,422 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- घटक B और घटक C के लिये मानदंड लागत का 30 प्रतिशत या निविदा लागत, इनमें जो भी कम हो, के लिये केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance-CFA) प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार 30 प्रतिशत की सब्सिडी देगी और शेष 40 प्रतिशत खर्च का वहन किसानों को करना होगा। लागत के 30 प्रतिशत खर्च के लिये बैंकों से सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। शेष 10 प्रतिशत लागत किसान के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्म–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षदीप और अंडमान-निकोबार दीप समूहों में 50 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के लाभ

- इस योजना से ग्रामीण भू-स्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्रोत प्राप्त होगा।
- किसान उत्पादित ऊर्जा का उपयोग सिंचाई ज़रूरतों के लिये कर पाएंगे तथा अतिरिक्त ऊर्जा बिजली वितरण कंपनियों को बेच पाएंगे। इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
- इस योजना से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी और वायुमंडल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। योजना के तीनों घटकों को सम्मिलित करने से पूरे वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 27 मिलियन टन की कमी आएगी।
- घटक बी के अंतर्गत सौर कृषि पंपों से प्रतिवर्ष 1.2 बिलियन लीटर डीज़ल की बचत होगी। इससे कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
- इस योजना में रोज़गार के प्रत्यक्ष अवसरों को सृजित करने की क्षमता है। स्व–रोज़गार में वृद्धि के साथ इस योजना से कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिये 6.31 लाख रोज़गार के नए अवसरों के सृजित होने की संभावना है।

खादी ग्रामोद्योग विकास योजना जारी रखने की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खादी ग्रामोद्योग विकास योजना को वित्त वर्ष 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति दे दी।

प्रमुख बिंदु

- MPDA, खादी अनुदान, ISEC और ग्रामोद्योग अनुदान की मौजूदा योजनाओं को जारी रखने के लिये इन्हें 'खादी और ग्रामोदय विकास योजना' के अंतर्गत रखा गया।
- इस योजना पर 2017-18 से 2019-20 की अवधि में कुल 2,800 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- इस योजना के तहत एक नए आयाम 'रोज़गार युक्त गाँव' को जोड़ा गया है जिससे खादी क्षेत्र में उपक्रम आधारित परिचालन शुरू किया जा सकेगा। इससे हज़ारों नए बुनकरों को चालू और अगले वित्त वर्ष में रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।

नोट :

'रोज़गार युक्त गाँव' का उद्देश्य तथा विशेषताएँ

- रोज़गार युक्त गाँव (RYG) का उद्देश्य 3 हितधारकों- सहायता प्राप्त खादी संस्थानों, बुनकरों और व्यापार साझेदारों के बीच साझेदारी के माध्यम से 'सब्सिडी आधारित मॉडल' के स्थान पर 'एंटरप्राइज़ आधारित बिज़नेस मॉडल' की शुरुआत करना है।
- इसके अंतर्गत खादी बुनकरों को 10,000 चरखे, 2000 करघे और 100 वार्पिंग (warping) इकाइयाँ प्रदान करके इसे 50 गाँवों में शुरू किया जाएगा। इससे प्रत्येक गाँव में 250 बुनकरों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्राप्त होगा।
- प्रति गाँव में कुल पूंजी निवेश सब्सिडी के रूप में 72 लाख रुपए होगा तथा बिज़नेस पार्टनर से प्राप्त वर्किंग कैपिटल के संदर्भ में 1.64 करोड़ रुपए होगा।
- विलेज इंडस्ट्री वर्टिकल के तहत कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण [हनी, पामगुर (palmgur) आदि], हस्तनिर्मित कागज़ और चमड़ा, मिट्टी के बर्तनों तथा सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्रों में उत्पाद नवाचार, डिज़ाइन विकास और उत्पाद विविधता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इस पहल के लिये उन्नत कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों, जैसे- CGCRI, CFTRI, IIFPT, CBRTI, KNHPI, IPRITI आदि के माध्यम से किया जाएगा।

'उत्पादन सहायता'

- अन्य प्रमुख घटक 'उत्पादन सहायता' (Production Assistance) को प्रतिस्पर्द्धी और प्रोत्साहन आधारित बनाना है।
- प्रोत्साहन संरचना उत्पादकता, टर्नओवर और गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है और इसे एक ऑब्जेक्टिव स्कोरकार्ड के आधार पर बढ़ाया जाएगा।
- खादी संस्थानों को स्वचालित रूप से 30% की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि 30% अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिये वे पात्र बन सकें।
- इन संस्थानों को दक्षता, संसाधनों के इष्टतम उपयोग, कचरे में कमी तथा प्रभावी प्रबंधकीय प्रथाओं आदि के लिये बेहतर प्रयास करना होगा।

8 योजनाओं का 2 योजनाओं में विलय

- युक्तिसंगत बनाने के लिये खादी और ग्रामोद्योग की 8 अलग-अलग योजनाओं को अब 2 अम्ब्रेला योजनाओं 'खादी विकास योजना' तथा 'ग्रामोद्योग विकास योजना' में विलय कर दिया गया है-

1. खादी विकास योजना [मार्केट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस (MPDA), इंटरेस्ट सब्सिडी पात्रता सर्टिफिकेट (ISEC), वर्कशेड, कमज़ोर बुनियादी विकास की मजबूती, आम आदमी बीमा योजना, खादी अनुदान तथा खादी एवं VI S & T]।
2. ग्रामोद्योग विकास योजना [ग्रामोद्योग अनुदान]

स्वायत्त' तथा 'जेम स्टार्ट-अप रनवे'

चर्चा में क्यों ?

19 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में 'स्वायत्त' (SWAYATT) तथा 'जेम स्टार्ट-अप रनवे' (GeM Start-up Runway) नामक दो पहलों की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु

- SWAYATT, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace-GeM) पर eTransactions के माध्यम से स्टार्ट-अप, महिला और युवाओं को बढ़ावा देने के लिये शुरू की गई एक पहल है।
- 'स्वायत्त' भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय उद्यम पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस साथ जोड़ने का काम करेगा।
- जेम स्टार्ट-अप रनवे (GeM Start-up Runway) की शुरुआत स्टार्ट-अप इंडिया के सहयोग से की गई है, जो स्टार्ट-अप इंडिया (Start -up India) के साथ पंजीकृत उद्यमियों (start-ups) को सार्वजनिक खरीद बाज़ार (Public Procurement Market) तक पहुँचने और सरकारी खरीददारों को नवीन उत्पाद और सेवाएँ बेचने की सुविधा प्रदान करेगा।

नोट :

- जेम स्टार्ट-अप रनवे औद्योगिक विविधीकरण और वस्तुओं के मूल्यवर्द्धन हेतु अनुकूल नीति से युक्त वातावरण सुनिश्चित करके प्रौद्योगिकी विकास, प्रेरणा अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करता है।
- GeM स्टार्ट-अप रनवे 'संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 9 : लचीले बुनियादी ढाँचे का निर्माण, समावेशी और सतत् औद्योगीकरण को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना' के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e Marketplace-GeM)

- GeM या गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के तहत वर्ष 2016 में की गई थी।
- गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का संक्षिप्त रूप जेम (GeM) है जहाँ सामान्य प्रयोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है।
- सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद के लिये GeM गतिशील, स्वपोषित, प्रयोक्ता अनुकूल पोर्टल है।
- इसे भारत के राष्ट्रीय खरीद पोर्टल (National Procurement Portal of India.) के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- इसे नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न (इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के तकनीकी समर्थन के साथ आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (Directorate General of Supplies and Disposals-DGS&D), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- GeM पूरी तरह से पेपरलेस, कैशलेस और सिस्टम चालित ई-मार्केट प्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफ़ेस के साथ सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है।

बांध बनाम सिंचित क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

महाराष्ट्र सरकार 285 नए बड़े बांधों का निर्माण करा रही है। गौरतलब है कि भारत के लगभग 40% बड़े बांध (2,069) महाराष्ट्र में मौजूद हैं, जबकि राज्य में सिंचित क्षेत्रो का प्रतिशत मात्र 19 है,जो झारखण्ड, मणिपुर और सिक्किम से थोड़ा ही अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है की मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में बड़े बांधों की संख्या क्रमश: 899, 620, 248 और 230 है, जबकि इनमें से मध्य प्रदेश के अलावा सभी राज्यों में सिंचित क्षेत्र 50% से कम हैं।
- जहाँ पंजाब में केवल 14 बड़े बांध होने के बाद भी 100% सिंचित क्षेत्र है, वहीं हरियाणा में केवल 1 बड़े बांध के बावजूद सिंचित क्षेत्र 84% है।

नीचे दिये गए टेबल में विभिन्न राज्यों में बांधों की संख्या एवं सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत है:-

- सरकारी समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने बड़े और मध्यम आकार के बांधों एवं जलाशयों पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिये हैं किंतु अब भी सिंचाई के शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है।
- इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम केवल बांधों और जलाशयों के निर्माण पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं न कि उनके स्थायी परिणाम पर।
- केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, दिसंबर 2018 तक देश में 5,701 बड़े बांध मौजूद थे, जिनमें से 5,264 का निर्माण हो चुका है और 437 निर्माणाधीन हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त टेबल और अन्य आँकड़ों के अध्ययन से हम पाते हैं कि सिंचित क्षेत्र, बांधों एवं जलाशयों की संख्या पर कम जबकि तकनीकी सहायता द्वारा बांधों एवं जलाशयों से खेतों तक जल की पर्याप्त मात्रा में पँहुच पर अधिक निर्भर करते हैं। नए बांधों के निर्माण से ज़्यादा ज़रूरी मौजूदा बांधों की कार्यकुशलता को बढ़ाना है, साथ ही परिणाम आधारित परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना है।

नोट :

ई-कॉमर्स नीति मसौदा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने सार्वजनिक टिप्पणियों हेतु राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का मसौदा जारी किया है।

नीति की आवश्यकता क्यों ?

- ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता और हितधारकों हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने जैसी समस्याएँ पटल पर आती रही हैं। इन्हीं समस्याओं हेतु उचित समाधान प्रस्तुत करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति एक रणनीति तैयार करती है।
- भारत में औसत मासिक डेटा की खपत 2014 में केवल 0.26 जीबी प्रति व्यक्ति थी, जो 2017 के अंत में बढ़कर 4GB हो गई।
- इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ ढेर सारा डेटा भी उत्पन्न होता है। इसलिये गोपनीयता, उपभोक्ता संरक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बढ़ गई है।
- इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से घरेलू अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाने के लिये डेटा के प्रवाह को विनियमित करने की आवश्यकता है।
- नियामक वातावरण इसलिये आवश्यक होता है ताकि बाज़ार में वास्तविक प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित की जा सके। गौरतलब है कि वास्तविक प्रतिस्पर्द्धा उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करती है।

प्रमुख मुद्दे

डेटा

- व्यक्तिगत अधिकार: किसी भी व्यक्ति के डेटा का उपयोग उसकी सहमति के साथ किया जाना चाहिये।
- डेटा पर भारतीय नियंत्रण: सीमा पार डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध होना चाहिये। डेटा के स्थानीयकरण के लिये नीति इस बात की पैरोकार है कि भारत के भीतर उत्पन्न डेटा को भारत में ही संग्रहीत किया जाना चाहिये।
- विदेश में संग्रहीत ऐसे सभी डेटा तक भारतीय अधिकारियों की पहुँच के अनुरोध का अनुपालन तुरंत किया जाएगा।

ई-कॉमर्स बाज़ार

- नीति में उल्लेख किया गया है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment-FDI) की अनुमति केवल बाज़ार आधारित मॉडल में है, सूची (Inventory) आधारित मॉडल में नहीं।
- यह दिसंबर में सरकार द्वारा दिये गए ई-कॉमर्स दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- यह नीति घरेलू निर्माताओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के हितों को भी ध्यान में रखती है, साथ ही ऑनलाइन बाज़ार को उनके लिये बराबरी का क्षेत्र बनाना चाहती है।
- चीनी ई-कॉमर्स निर्यात पर अंकुश लगाने के लिये मुफ्त रास्ते (जहाँ सामान उपहार के रूप में भेजा जाता है) जो कि अक्सर चीनी एप्स द्वारा उपयोग किया जाता है, जीवन रक्षक दवाओं को छोड़कर सभी पार्सलों के लिये वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
- नकली उत्पादों को रोकने के लिये सभी उत्पादों के विक्रेताओं का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये और विक्रेताओं को उत्पादों की प्रमाणिकता के बारे में एक मंच प्रदान करना चाहिये।

घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

- उपभोक्ता संरक्षण जैसे देश के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये स्मार्ट उपकरणों और IoT (Internet of things) उपकरणों के लिये घरेलू औद्योगिक मानकों (Domestic Industrial Standards) को बनाने की आवश्यकता है।
- ऑनलाइन कस्टम क्लीयरेंस (Online Custom Clearance) मैन्युअल प्रक्रियाओं की आवश्यकता को समाप्त किये जाने से यह व्यापार करने में सरलता प्रदान करेगा।
- सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पहल पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास में सहायता प्राप्त होगी।

नोट :

निर्यात को बढ़ावा

- ई-कॉमर्स, निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 25,000 रुपए से कूरियर शिपमेंट की सीमा बढ़ाते हुए 'शिशु उद्योग' का दर्जा प्राप्त कर सकता है।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिये परिवहन की लागत में कमी, कागज़ी कार्रवाई समाप्त करना तथा बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर होने वाली देरी को कम करना आदि हैं।
- ई-कॉमर्स के माध्यम से आयात की ट्रैकिंग में सुधार के लिये सीमा शुल्क, आरबीआई और इंडिया पोस्ट को एकीकृत करना।

चावल की नई किस्मों का विकास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) के कटक स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (National Rice Research Institute-NRRI) ने चावल की चार नई किस्में विकसित की हैं जिनमें दो उच्च प्रोटीन युक्त तथा दो जलवायु अनुकूल किस्में हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- संस्थान द्वारा विकसित की गई चावल की किस्में निम्नलिखित हैं –
  - दो उच्च प्रोटीन युक्त किस्में हैं - CR धान 310 (CR Dhan 310), CR धान 311 (CR Dhan 311)।
  - दो जलवायु अनुकूल किस्में हैं – CR धान 801 (CR Dhan 801), CR धान 802 (CR Dhan 802)। ये किस्में जलमग्न, सूखा, जैविक भार के लिये सहिष्णु एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने मंम सक्षम हैं।
- इस संस्थान ने विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी के लिये उच्च उपज वाले 132 चावल की किस्मों को विकसित किया है, जिनमें से कई किस्में विभिन्न राज्यों के किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।
- देश में अब तक लगभग 13 प्रतिशत चावल की किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (ICAR-NRRI) द्वारा जारी की गई हैं।
- वर्ष 2017-18 के दौरान चावल उत्पादन वाले 43 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रों में से 8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में NRRI की किस्मों का उत्पादन किया गया हैं जो कुल चावल उपज क्षेत्र का लगभग 18 प्रतिशत है।
- NRRI पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिये नोडल एजेंसी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR)

- भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तशासी संस्था है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिये यह परिषद भारत का एक सर्वोच्च निकाय है।
- पृष्ठभूमि - कृषि पर रॉयल कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत इसका पंजीकरण किया गया था जबकि 16 जुलाई, 1929 को इसकी स्थापना की गई।
- पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (Imperial Council of Agricultural Research) था।

विमानन सम्मेलन 2019

चर्चा में क्यों ?

नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India), AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज़ कंपनी लिमिटेड (AAICLAS) और भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) के सहयोग से नई दिल्ली में विमानन सम्मेलन 2019 (Aviation Conclave 2019) का आयोजन किया।

नोट :

थीम- इस सम्मेलन की थीम/विषय-वस्तु "सभी के लिये उड़ान" (Flying for All) थी।

- इस विमानन सम्मेलन में भारत में नये विमानन व्यवसाय को लाने के एजेंडा खास तौर से ड्रोण प्रणालियाँ, भारत में विमानों के निर्माण, भारतीय और विदेशी एयरलाइनों द्वारा विमानों के लिये वित्तपोषण और पट्टे, भारतीय हवाई अड्डों को अगली पीढ़ी के विमानन केंद्रों में बदलने और भारत के प्रत्येक गाँव को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़कर हवाई कार्गो की संभावना पर विचार-विमर्श किया गया।
- इससे पहले भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry-FICCI) ने संयुक्त रूप से प्रथम ग्लोबल एविएशन समिट (Global Aviation Summit) का आयोजन किया था। इसकी थीम "Flying for all - especially the next 6 Billion" थी।

सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श के 5 प्रमुख क्षेत्र

1. 'ड्रोण-इकोसिस्टडम नीति रोडमैप' (Drone-Ecosystem Policy Roadmap)
2. भारत में क्षेत्रीय परिवहन विमान सहित विमान और उससे जुड़े उपकरणों के निर्माण के लिये रोडमैप
3. 'भारत से विमानों के लिये वित्तपोषण और पट्टे- परियोजना रुपया रफ्तार' (Project Rupee Raftaar)
4. राष्ट्रीय विमान कार्गो नीति (National Air Cargo Policy)
5. भारतीय हवाई अड्डों को अगली पीढ़ी के विमानन केंद्रों में बदलने का मिशन

भारतीय नागर विमानन उद्योग

- भारतीय नागर विमानन उद्योग अपने विस्तार के अभूतपूर्व दौर से गुज़र रहा है, जिसमें कम लागत के विमान (Low-Cost Carriers-LCCs), आधुनिक हवाई अड्डे, घरेलू एयरलाइनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment-FDI), आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष ध्यान देना शामिल है।
- विमानन में वृद्धि MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul-रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) सुविधाओं की मांग भी बढ़ रही है।
- बुनियादी ढाँचे के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जैसे- AAI बढ़ते उदारीकरण, ओपन स्काई नीति (Open Sky Policy), हवाई अड्डों और एयर एंड नेविगेशन सिस्टम के आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है।
- इस क्षेत्र में संवर्द्धित कौशल विकास भारत की मानव पूंजी क्षमता का लाभ उठा सकता है और रोज़गार के अवसर पैदा कर सकता है।

नवाचार और तकनीकी- GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन (GAGAN): नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन सिस्टम (NOCAS) के साथ भारत का पहला उपग्रह-आधारित नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो हवाई अड्डों के आसपास की इमारतों की ऊँचाई को मंज़ूरी देने के लिये समय पर NOC (No Objection Certificate) की ऑनलाइन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। नागरिक उड्डयन के लिये ई-शासन (E-Governance for Civil Aviation-eGCA) नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के लाइसेंस और नियामक प्रक्रियाओं की ऑनलाइन डिलीवरी को नियंत्रित करता है।

सरकार की नीतियाँ

- उड़ान (UDAN)- 2016 में सरकार द्वारा शुरू की गई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान (Ude Desh ka Aam Nagrik-UDAN) का उद्देश्य उन क्षेत्रों में जहाँ वर्तमान में या तो हवाई सेवा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है या बेहद कम संख्या में उपलब्ध है, के लोगों के लिये हवाई यात्रा को किफायती बनाना है।
- नभ-निर्माण : 2018-19 के बजट में घोषित NABH Nirman योजना का उद्देश्य हवाई अड्डों की क्षमता को पाँच गुना से अधिक बढ़ाना है।
- राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) : क्षेत्रीय हवाई संपर्क एवं पर्यटन को बढ़ावा देने तथा रोज़गार सृजन के लिये एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से यह नीति तैयार की गई थी।

नोट :

- डिजी यात्रा नीति : सभी भारतीय हवाई अड्डों के चेक-पॉइंट्स पर सभी यात्रियों को सहज, पेपरलेस तथा सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने के लिये यह नीति जारी की गई है। इस नीति के उद्देश्य हैं :
  - यात्री अनुभव को बेहतर बनाना।
  - डिजिटल ढाँचे का उपयोग करके बेहतर परिणाम (throughput) प्राप्त करना।
  - चेक-पॉइंट्स पर अनावश्यक औपचारिकताओं को दूर करके संचालन लागत को कम करना।
  - आधार तथा पासपोर्ट की तर्ज़ पर सरकार द्वारा जारी डिजिटल पहचान-पत्र के साथ डिजी यात्रा प्रणाली की शुरुआत करना।

विज़न 2040 (VISION 2040) : यह दस्तावेज़ भारत के विभिन्न उप-क्षेत्रों में विकास की क्षमता पर प्रकाश डालता है। भारत में नागर विमानन उद्योग के लिये विज़न 2040 दस्तावेज़ के अनुसार-

- आने वाले समय में देश के पास किराये पर विमान लेने का अपना उद्योग होगा। वर्ष 2040 तक भारत द्वारा कर अवसंरचना और पट्टे पर विमान देने की प्रक्रिया वैश्विक स्तर के बराबर होगी या फिर उससे भी बेहतर होगी।
- वर्ष 2040 तक हवाई यात्रियों की संख्या छह गुना बढ़कर लगभग 1.1 अरब होने का अनुमान है।
- वर्ष 2040 तक भारत में संचालित हवाई अड्डों की संख्या 190-200 हो सकती है। इस समय तक देश के शीर्ष 31 शहरों में दो-दो हवाई अड्डे तथा दिल्ली और मुंबई में तीन-तीन हवाई अड्डे हो सकते हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में प्रवेश को लेकर चीन ने अपना पुराना राग अलापा है। चीन का कहना है कि परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में प्रवेश लेने के लिये भारत को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करना होगा।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) के स्थायी सदस्यों (जिन्हें P5 देश भी कहा जाता है) चीन, फ्राँस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने परमाणु निःशस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिये बीजिंग में अपनी दो बैठकें संपन्न की हैं।
- इसी बैठक के निष्कर्ष स्वरूप चीन का यह रुख सामने आया है। परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Supplier Group-NSG) में प्रवेश हेतु भारत के आवेदन पर विचार के संदर्भ में कहा गया कि P5 देश परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty-NPT) तंत्र को बनाए रखने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- चीन का कहना है कि परमाणु अप्रसार संधि परमाणु संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार प्रणाली की आधारशिला है।
- भारत परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है, इसलिये चीन 48-सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) में भारत के प्रवेश का विरोध करता रहा है। हालाँकि भारत के परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड के आधार पर अमेरिका और रूस सहित अन्य P5 सदस्यों ने भारत का समर्थन किया है।

क्यों भारत के खिलाफ है चीन ?

- दरअसल, परमाणु अप्रसार संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने का मामला उठाकर चीन, पाकिस्तान के साथ गठजोड़ में निहित अपने हितों का पालन करता है।
- पिछले कुछ दिनों से परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में भारत के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह के सदस्य देशों को नया मसौदा प्रस्ताव दिया गया है, जिससे भारत के इस विशिष्ट समूह का सदस्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

क्या है NSG ?

- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) 48 देशों का समूह है। NSG की स्थापना 1975 में की गई थी।
- परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तक इसी के दायरे में आता है।
- भारत में इस समय परमाणु संयंत्र लगाए जाने का काम तेज़ी से चल रहा है।
- भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि उसका उद्देश्य बिजली तैयार करना है और NSG की सदस्यता मिलने से उसकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन NSG की सदस्यता के लिये भारत को कई शर्तों को भी मंज़ूर करना होगा, जैसे कि परमाणु परीक्षण न करना आदि।

क्या है परमाणु अप्रसार संधि ?

- परमाणु अप्रसार संधि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु टेक्नोलॉजी के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। इस संधि की घोषणा 1970 में की गई थी।
- अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 188 सदस्य देश इसके पक्ष में हैं। इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते।
- हालाँकि, वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency-IAEA) के पर्यवेक्षक करेंगे।

नोट :

भारत के लिये क्यों ज़रूरी है NSG की सदस्यता ?

- गौरतलब है कि भारत ने अमेरिका और फ्राँस के साथ परमाणु करार किया है तथा कई अन्य देशों से भी करार की संभावनाएँ बनी हुई हैं।
- फ्राँसीसी परमाणु कंपनी अरेवा जैतापुर, महाराष्ट्र में परमाणु बिजली संयंत्र लगा रही है। वहीं, अमेरिकी कंपनियाँ गुजरात के मिठी वर्डी और आंध्र प्रदेश के कोवाडा में संयंत्र लगाने की तैयारी में हैं।
- NSG की सदस्यता हासिल करने से भारत बिना किसी विशेष समझौते के परमाणु तकनीक और यूरेनियम हासिल कर सकेगा।
- परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने में भी सदस्य राष्ट्रों से मदद मिलेगी। देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह ज़रूरी है कि भारत को NSG में प्रवेश मिले।

परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty -NPT)

- परमाणु नि:शस्त्रीकरण की दिशा में परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty) को एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जाता है।
- यह 18 मई, 1974 को तब सामने आया जब भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया ।
- भारत का मानना है कि 1 जुलाई, 1968 को हस्ताक्षरित तथा 5 मार्च, 1970 से लागू परमाणु अप्रसार संधि भेदभावपूर्ण है, साथ ही यह असमानता पर आधारित एकपक्षीय व अपूर्ण है।
- भारत का मानना है कि परमाणु आयुधों के प्रसार को रोकने और पूर्ण नि:शस्त्रीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्षेत्रीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जाने चाहियें।
- परमाणु अप्रसार संधि का मौजूदा ढाँचा भेदभावपूर्ण है और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के हितों का पोषण करता है।
- यह परमाणु खतरे के साए तले जी रहे भारत जैसे देशों के हितों की अनदेखी करता है।
- भारत के अनुसार, वे कारण आज भी बने हुए हैं जिनकी वज़ह से भारत ने अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
- कह सकते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत का रुख बेहद स्पष्ट है। वह किसी की देखा-देखी या दबाव में इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।
- इस पर हस्ताक्षर करने से पहले भारत अपने हितों और अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए मामले के औचित्य पर पूरी तरह से विचार करेगा।
- भारत इस अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता रहा है।

इसके लिये भारत दो तर्क देता है:

- इस संधि में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि चीन की परमाणु शक्ति से भारत की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित हो सकेगी।
- इस संधि पर हस्ताक्षर करने का अर्थ है कि भारत अपने विकसित परमाणु अनुसंधान के आधार पर परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग नहीं कर सकता।

आईएनएफ संधि का खत्म होना तय

चर्चा में क्यों ?

पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ की गई मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि (Intermediate-Range Nuclear Forces-INF Treaty) से अलग होने की बात की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह आरोप था कि रूस कई वर्षों से इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका ने अंतत: इस संधि के तहत आने वाले अपने दायित्वों को खत्म करने की घोषणा कर दी है जो कि 2 फरवरी, 2019 से प्रभावी होगी और अगले छह महीने में वह संधि से हट जाएगा।
- अमेरिका रूस और संधि में शामिल अन्य दलों को एक औपचारिक रूप से नोटिस देगा कि वह संधि के अनुच्छेद XV के तहत अलग हो रहा है। अनुच्छेद XV अलग होने से पहले छह महीने की नोटिस अवधि को अनिवार्य करता है।

नोट :

- हालाँकि अमेरिका का यह भी कहना है कि यदि रूस INF संधि का उल्लंघन करने वाली मिसाइलों, मिसाइल लॉन्चर और संबंधित उपकरणों को नष्ट कर दे तो संधि को छह महीने की नोटिस अवधि के दौरान बचाया भी जा सकता है।
- नाटो ने भी अमेरिका के पक्ष में इस निर्णय का समर्थ किया है।

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि (Intermediate-range Nuclear Forces Treaty-INF) की अवधि अगले दो साल में खत्म होनी है। 1987 में हुई यह संधि अमेरिका और यूरोप तथा सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करती है।
- यह संधि अमेरिका तथा रूस की 300 से 3,400 मील दूर तक मार करने वाली, ज़मीन से छोड़े जाने वाले क्रूज मिसाइल के निर्माण को प्रतिबंधित करती है। इसमें ज़मीन आधारित सभी मिसाइलें शामिल हैं।
- 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनके तत्कालीन यूएसएसआर समकक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं करने के लिये INF संधि पर हस्ताक्षर किये थे।

क्या है आईएनएफ संधि ?

- यह संधि प्रतिबंधित परमाणु हथियारों और ग़ैर-परमाणु मिसाइलों की लॉन्चिंग को रोकती है। अमेरिका की नाराज़गी रूस की एसएस-20 की यूरोप में तैनाती के कारण है। इसकी रेंज 500 से 5,500 किलोमीटर तक है।
- इस संधि के तहत 1991 तक क़रीब 2,700 मिसाइलों को नष्ट किया जा चुका है। दोनों देश एक-दूसरे की मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती पर नज़र रखने की अनुमति देते हैं।
- 2007 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि इस संधि से उनके हितों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। रूस की यह टिप्पणी 2002 में अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से बाहर होने के बाद आई थी।

संधि से क्या हासिल हुआ ?

- शीतयुद्ध के दौरान हुए आईएनएफ संधि का ऐतिहासिक नतीजा सामने आया था।
- इसके तहत 2,700 मिसाइलों के साथ ही उनके लॉन्चर भी नष्ट कर दिये गए थे।
- इससे अमेरिका-सोवियत संघ के संबंधों को प्रोत्साहन मिला था।

आगे की राह

- ट्रंप प्रशासन को लगता है कि रूस में मिसाइल सिस्टम को लेकर हो रहा काम और इनकी तैनाती चिंताजनक विषय है। लेकिन ट्रंप का इस समझौते से बाहर निकलने की वज़ह से हथियारों के नियंत्रण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- कई विश्लेषकों का मानना है कि अभी वार्ता जारी रहेगी और उम्मीद है कि रूस इस बात को समझेगा।
- डर है कि हथियारों की होड़ पर शीतयुद्ध के बाद जो लगाम लगी थी वह होड़ कहीं फिर से न शुरू हो जाए।

भारत-मोनाको संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मोनाको के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय (Albert II) अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- मोनाको के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय की यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ।

नोट :

- यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए-
  - पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग।
  - विकास के क्षेत्र में संबंध स्थापित करना, विशेषकर अवसंरचना के क्षेत्र में।
  - मोनाको के राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिये वीज़ा छूट।
  - व्यावसायिक सहयोग के लिये गुंज़ाइश।
  - दोनों पक्षों ने समुद्रीय संसाधनों और शहरी मामलों (स्मार्ट सिटी) के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का भी फैसला किया है।

भारत-मोनाको संबंध

- भारत और मोनाको की रियासत ने आधिकारिक रूप से 21 सितंबर, 2007 को राजनयिक संबंध स्थापित किये थे। हालाँकि भारत और मोनाको की रियासत के बीच वाणिज्यिदूतावास स्तर का संबंध (Consular Relations) 30 सितंबर, 1954 से मौजूद है।

मोनाको

- मोनाको भूमध्यसागरीय तट पर दक्षिणी यूरोप में स्थित एक शहर-राज्य है।
- मोनाको 2 किमी. वर्ग में फैला हुआ है और वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है।
- मोनाको की शासनिक संरचना एक वंशानुगत संवैधानिक राजतंत्र की है, जो 17 दिसंबर, 1962 को स्थापित संविधान द्वारा शासित है।
- कार्यकारी शक्ति राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय के उच्च अधिकार के तहत है।

व्यापार युद्ध पर अंकटाड (UNCTAD) की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने व्यापार युद्ध (Trade War) पर एक रिपोर्ट जारी की है।

- UNCTAD द्वारा जारी इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जो दुनिया की शीर्ष दो अर्थव्यवस्थाओं- अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव से लाभान्वित हो सकता।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध (पृष्ठभूमि)

- अमेरिका और चीन तब से एक व्यापार युद्ध में लिप्त हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मार्च में आयातित इस्पात और एल्युमीनियम की वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा दिया था, यह एक ऐसा कदम था जिसने वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका को जन्म दिया।
- चीन ने भी अमेरिका के इस कदम का 'जैसे को तैसा' की तर्ज़ पर जवाब दिया और अरबों डॉलर के अमेरिकी आयात पर शुल्क लगा दिया।
- संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार संबंधी विवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

व्यापार युद्ध के सकारात्मक प्रभाव

- जिन देशों को अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव से सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है, वे ऐसे देश हैं जो अधिक प्रतिस्पर्द्धी हैं और आर्थिक रूप से अमेरिकी और चीनी फर्मों को प्रतिस्थापित करने में सक्षम हैं।
- अध्ययन के अनुसार, यूरोपीय संघ के निर्यात में सबसे अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद क्रमशः जापान, मेक्सिको, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया और भारत का स्थान आता है।
- अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापर युद्ध के कारण लाभान्वित होने वाले देशों की सूची में शामिल अन्य देश हैं-
- ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, फिलिपींस, चिली, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, पेरू तथा ईरान।

नोट :

नकारात्मक वैश्विक प्रभावों के हावी होने की संभावना

- हालाँकि इस अध्ययन में इस बात को रेखांकित किया गया है कि व्यापार युद्ध के कारण कुछ देशों के निर्यात में वृद्धि हुई है लेकिन इस व्यपार युद्ध के सभी परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे।
- एक सामान्य चिंता यह है कि इस व्यापार युद्ध का व्यापक प्रभाव कमज़ोर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होगा।
- एक आर्थिक मंदी अक्सर अपने साथ वस्तुओं की कीमतों, वित्तीय बाज़ारों और मुद्राओं तथा वे सभी चीज़ें जो एक विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण होती हैं, से संबंधित परेशानियाँ लेकर आती है।
- इसका एक प्रमुख जोखिम यह है कि व्यापारिक तनाव करेंसी वॉर के रूप में तब्दील हो सकता है।
- एक और चिंता यह है कि अन्य देश भी इस प्रकार के व्यापार युद्ध में शामिल हो सकते हैं तथा संरक्षणवादी नीतियाँ वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ सकती हैं। ये संरक्षणवादी नीतियाँ आम तौर पर कमज़ोर देशों को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाती हैं।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)

- 1964 में स्थापित, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है।
- यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- इसके द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट हैं:
  - व्यापार और विकास रिपोर्ट (Trade and Development Report)
  - विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report)
  - न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट (The Least Developed Countries Report)
  - सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (Information and Economy Report)
  - प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट (Technology and Innovation Report)
- वस्तु तथा विकास रिपोर्ट (Commodities and Development Report)

भारत, नामीबिया तथा पनामा के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इलेक्टोरल कमीशन ऑफ नामीबिया (Electoral Commission of Namibia-ECN) तथा इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा (Electoral Tribunal of Panama-ETP) के बीच चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस समझौता ज्ञापन में ऐसे मानक अनुच्छेद/धाराएँ (Articles/Clauses) शामिल हैं, जो मोटे तौर पर चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, इनमें शामिल हैं-
  - चुनाव प्रक्रिया के संगठनात्मक और तकनीकी विकास के बारे में जानकारी तथा अनुभव का आदान-प्रदान करना।
  - सूचना का आदान-प्रदान करना।
  - संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण करना।
  - कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।
  - नियमित विचार-विमर्श आदि को बढ़ावा देना।

नोट :

प्रभाव

- यह समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। इसका लक्ष्य इलेक्टोरल कमीशन ऑफ नामीबिया और इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा के लिये तकनीकी सहायता/ क्षमता का निर्माण करना है।
- यह चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग तथा उन देशों में चुनाव आयोजित कराने में सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना करता है।
- इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

पृष्ठभूमि:

- निर्वाचन आयोग कुछ देशों और एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के माध्यम से दुनिया भर में चुनाव से संबंधित मामलों और निर्वाचन प्रक्रियाओं में सहयोग देता रहा है।
- भारत में लोकतंत्र की सफलता ने दुनिया भर की लगभग हर एक राजनीतिक व्यवस्था का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
- उत्कृष्टता हासिल करने की जद्दोजहद में निर्वाचन आयोग चुनाव और उससे जुड़े मामलों के संबंध में द्विपक्षीय संबंध कायम करने हेतु विदेशी चुनाव निकायों की ओर से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त करता रहा है।
- निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो दुनिया में सबसे बड़े चुनावों का आयोजन करता है।
- निर्वाचन आयोग का यह उत्तरदायित्व है कि वह विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 85 करोड़ मतदाताओं वाले देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन करे।

भारतीत निर्वाचन आयोग

- भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी।
- भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग को संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिये चुनावों की पूरी प्रक्रिया का निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है।
- प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
- पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्तूबर, 1989 को की गई थी लेकिन उनका कार्यकाल 01 जनवरी, 1990 तक ही चला। उसके बाद 01 अक्तूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, तब से आयोग की बहु-सदस्यीय अवधारणा प्रचलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है।

3rd इंडो-जर्मन वर्किंग ग्रुप की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तीसरे इंडो-जर्मन वर्किंग ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान जल और अपशिष्ट प्रबंधन के लिये दोनों पक्षों ने संभावित सहयोग पर चर्चा की।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारत सरकार तथा पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा संघीय मंत्रालय, जर्मनी (संक्षिप्त रूप BMU) के प्रतिनिधिमंडल ने उक्त क्षेत्रों में सहयोग की संभावना हेतु मुलाकात की थी।
- एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों पक्षों ने कपड़ा क्षेत्र, जल प्रबंधन, समुद्री कूड़ा, ऊर्जा, लैंडफिल साइटों के अपशिष्ट, जल गुणवत्ता प्रबंधन, स्थानीय निकायों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण व सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है।

नोट :

पृष्ठभूमि

- भारत-जर्मनी द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पहले से ही मज़बूत रहा है। ध्यातव्य है कि अधिकांश क्षेत्रों में भारत की प्राथमिकता जर्मन प्राथमिकताओं से मेल खाती है, लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में तब और मज़बूती आई जब दोनों देशों के पर्यावरण मंत्रालयों ने जनवरी 2015 में दूसरा इंडो-जर्मन एन्वायरनमेंट फोरम का आयोजन किया था। इसी फोरम में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था, जिसकी तीसरी बैठक के दौरान जल और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई है।

विंडरश स्कीम'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'विंडरश स्कीम' के तहत सैकड़ों भारतीयों की ब्रिटेन के नागरिक होने की पुष्टि की गई है। इसे पिछले साल 'Windrush Scandal' के मद्देनज़र स्थापित किया गया था।

क्या है Windrush Scandal?

- ब्रिटेन में रहने वाले राष्ट्रमंडल के सैकड़ों लोग, जो 1971 से पहले ब्रिटिश जहाज़ एम्पायर 'Windrush' से ब्रिटेन आ गए थे तथा स्थायी रूप से यू.के. में रहने और काम करने के हकदार थे, को गलत तरीके से अवैध अप्रवासी माना जा रहा था। इसे ही 'विंडरश कांड' (Windrush Scandal) के रूप में जाना जाता है।
- एक राष्ट्रमंडल नागरिक (Commonwealth Citizen) राष्ट्रमंडल के सदस्य राज्य का नागरिक होता है। राष्ट्रमंडल नागरिकों को यूनाइटेड किंगडम में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो सकते हैं।

क्या है Windrush scheme?

- 'विंडरश योजना' (Windrush Scheme) ऐसे ही अप्रवासी (Immigrants) को सहायता प्रदान करने के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम है।
- इस योजना के अंतर्गत एक अलग टास्कफोर्स का गठन किया गया है, जो Windrush Scheme के तहत आवेदन करने वाले अप्रवासी की मदद करेंगी।
- विंडरश स्कीम के तहत आवेदन यू.के. में रहने वाले आवेदकों के लिये 'GOV.UK' पर - "Windrush Scheme application (UK)" तथा यू.के. के बाहर रहने वाले आवेदकों के लिए" Windrush Scheme application (Overseas)" पर किया जा सकता है।

बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिये भारत और फिनलैंड के बीच सहमति पत्र (Memorandum of Understanding-MoU) को अपनी मंज़ूरी दे दी है। इस MoU पर पहले ही 10 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

समझौते का महत्त्व

- हस्ताक्षरित MoU के तहत पृथ्वी के सुदूर संवेदन (Remote Sensing), उपग्रह संचार (Satellite communication), उपग्रह आधारित नौवहन (Navigation), अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण (Exploration) के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग (Application) से जुड़ी संभावनाओं की तलाश को बढ़ावा दिया जाएगा।
- फिनलैंड की सरकार के साथ सहयोग के परिणामस्वरूप मानवता की भलाई के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में एक संयुक्त गतिविधि का विकास संभव हो पाएगा।

नोट :

किन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा ?

सहमति पत्र से निम्नलिखित संभावित क्षेत्रों में सहयोग सुनिश्चित होगा :

- पृथ्वी का सुदूर संवेदन
- उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नौवहन
- अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह संबंधी अन्वेषण
- अंतरिक्ष उपकरणों (Objects) और ज़मीन आधारित प्रणाली का विकास, परीक्षण एवं परिचालन
- भारत के प्रक्षेपण यानों द्वारा फिनलैंड के अंतरिक्ष उपकरणों को प्रक्षेपित करना।
- अंतरिक्ष से जुड़े डेटा की प्रोसेसिंग एवं उपयोग करना।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग पर आधारित अभिनव अनुप्रयोगों और समाधानों (Solutions) को विकसित करना।
- उभरते नए अंतरिक्ष अवसरों और डेटा पारिस्थितिकी एवं बाह्य अंतरिक्ष के सतत उपयोग के क्षेत्र में सहयोग करना।

कार्यान्वयनकारी रणनीति

- सभी प्रतिभागी इस MoU के तहत सहकारी गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से एक-एक समन्वयक को मनोनीत करेंगे। इस MoU के कार्यान्वयन में सुविधा के लिये प्रतिभागी पारस्परिक निर्णय लेने के लिये बारी-बारी से भारत अथवा फिनलैंड में बैठकें करेंगे अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिये निर्णय लेंगे।
- प्रतिभागी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये जाने पर कार्यान्वयनकारी एजेंसियां आवश्यकता पड़ने पर उन विशिष्ट सहकारी परियोजनाओं के प्रबंधन के लिये परियोजना टीमों का गठन कर सकती हैं, जिन पर काम कार्यान्वयनकारी व्यवस्थाओं के तहत शुरू किया जाएगा। यह निर्णय अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिये फिनलैंड की सरकार द्वारा दिखाई गई रुचि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

भारत-नॉर्वे द्वारा समुद्री प्रदूषण से निपटने हेतु पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में देश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forests and Climate Change) तथा नॉर्वे के विदेश मंत्रालय (Norwegian ministry of Foreign Affairs) ने संयुक्त रूप से भारत-नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल (India-Norway Marine Pollution Initiative) के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- जनवरी 2019 में भारत और नॉर्वे की सरकारों द्वारा महासागरीय क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- जनवरी में नॉर्वे के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत-नॉर्वे महासागर संवाद (India-Norway Ocean Dialogue) स्थापित किया गया।
- ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) के बारे में सरकारी अधिकारियों, अनुसंधानकर्त्ताओं और विशेषज्ञों के साथ ही निजी क्षेत्र को शामिल करके एक संयुक्त कार्यबल की स्थापना की गई है।
- इसका उद्देश्य समुद्र तटीय और समुद्री क्षेत्र के अलावा ऊर्जा क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी का रणनीतिक स्थायी समाधान विकसित करना है।
- इस भागीदारी में भारत और नॉर्वे अपने अनुभव और क्षमता को साझा करते हुए स्वच्छ एवं स्वस्थ महासागरीय विकास, समुद्री संसाधनों का सतत् उपयोग एवं ब्लू इकोनॉमी के विकास के प्रयासों में सहयोग करेंगे।
- दोनों सरकारों के नेतृत्व के तहत की गई यह पहली संयुक्त पहल (भारत-नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल) समुद्री प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये कार्य करेगी। जो वर्तमान में तेज़ी से बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्या की चिंता का विषय बन गई है।
- इस संयुक्त पहल पर औपचारिक रूप से भारत में नार्वे के राजदूत और भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं।

नोट :

समझौते के लाभ

- इस पहल के माध्यम से स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने, समुद्री प्रदूषण के स्रोतों और संभावनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने एवं विश्लेषण करने के लिये प्रणाली विकसित करने तथा निजी क्षेत्र में निवेश में सुधार लाने हेतु स्थानीय सरकारों को सहायता प्रदान करने की मांग की जाएगी।
- इस पहल से समुद्र तटों की सफाई के प्रयासों, जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों, सीमेंट उद्योग में कोयले की जगह प्लास्टिक अपशिष्ट को ईंधन के विकल्प के रूप में उपयोग करने और जमा योजनाओं के लिये ढाँचा विकसित करने में भी मदद मिलेगी।

समुद्री प्रदूषण - समुद्री प्रदूषण वह प्रदूषण है जिसमे रसायन, कण, औद्योगिक, कृषि और घरेलू कचरा, तथा आक्रामक जीव महासागर में प्रवेश करके समुद्र में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। समुंद्री प्रदूषण के स्रोत अधिकांशत: धरातलीय हैं। सामान्यत: यह प्रदूषण कृषि अपवाह या वायु प्रवाह से पैदा हुए अपशिष्ट स्रोतों के कारण होता है।

भारत ने पाकिस्तान से 'सबसे पसंदीदा राष्ट्र' (MFN) का दर्जा वापस लिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force-CRPF) पर हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया गया 'सबसे पसंदीदा राष्ट्र' (Most-Favoured Nation-MFN) का दर्जा वापस वापस लेने की बात कही है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के 40 जवानों के शहीद होने की घटना के पश्चात् भारत ने पाकिस्तान को दिया सबसे पसंदीदा राष्ट्र (Most-Favoured Nation) का दर्जा वापस ले लिया।
- भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ सीमा शुल्क, बंदरगाह प्रतिबंध और आयात होने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाने पर विचार कर रहा है।
- आतंकवादियों द्वारा किया गया यह हमला अब तक के सबसे घातक हमलों में से एक था। इस हमले में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए तथा पाँच जवान बुरी तरह से घायल हो गए।
- यह हमला केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के बस काफिले के गुजरने के दौरान जम्मू-कश्मीर हाईवे पर अवंतिपोरा इलाके में 100 किग्रा. विस्फोटक से लदी कार ने इस काफिले की एक बस को टक्कर मार दी जिससे बस में सवार जवानों कि मृत्यु हो गई।
- पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने इस आतंकवादी हमले की ज़िम्मेदारी ली है।

MFN (Most-Favoured Nation) क्या है ?

- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation-WTO) के टैरिफ एंड ट्रेड पर जनरल समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) के तहत MFN का दर्जा दिया गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही WTO के हस्ताक्षरकर्त्ता देश हैं तथा विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें माल पर सीमा शुल्क लगाने के मामले में एक-दूसरे एवं WTO के अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापारिक साझेदार के रूप में व्यवहार करना आवश्यक है।
- 1996 में भारत ने पाकिस्तान को MFN का दर्जा दिया था हालांकि 2012 में पाकिस्तान ने भारत को MFN का दर्जा देने की प्रतिबद्धता जताई थी लेकिन बाद में मुकर गया।
- पाकिस्तान MFN के बजाय भारत को गैर-भेदभावपूर्ण बाज़ार पहुँच (Non-Discriminatory Market Access-NDMA) का दर्जा देने पर काम कर रहा था, लेकिन यह भी घोषित नहीं किया गया।

भारत द्वारा MFN का दर्जा वापस लेने का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

- MFN का दर्जा वापस लेने का मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान से आने वाले सामान पर सीमा शुल्क बढ़ा सकता है। इससे भारत में पाकिस्तान द्वारा किया गया निर्यात प्रभावित होगा। यह निर्यात 2017-18 में 488.5 मिलियन डॉलर (लगभग 3,482.3 करोड़ रुपए) का था लेकिन MFN का दर्जा वापस लेने से यह बहुत कम हो सकता है।

नोट :

- कुछ समय पहले आई एक सूचना के अनुसार, पकिस्तान के पास भारत को MFN का दर्जा देने के लिये 'कोई तात्कालिक योजना' नहीं है। पाकिस्तान वाघा सीमा भूमि मार्ग के माध्यम से भारत से केवल 137 उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति देता है।

भारत का पाकिस्तान के साथ व्यापार

- भारत मुख्य रूप से कपास, रंजक, रसायन, प्लास्टिक, सब्जियाँ और लोहा तथा इस्पात निर्यात करता है, जबकि फल, सीमेंट, चमड़ा और मसाले आयात करता है।
- भारत में पाकिस्तान द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में ताज़े फल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, थोक खनिज और अयस्क और तैयार चमड़ा शामिल है।

MFN का महत्त्व

- विकासशील देशों के लिये MFN स्टेटस व्यापार में सहयोगात्मक भूमिका निभाता है। MFN हस्ताक्षरकर्त्ता देशों में व्यापार हेतु सामानों की बाज़ार तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित की जाती है, साथ ही बहुत कम टैरिफ और व्यापार बाधाओं के चलते निर्यात होने वाली वस्तुओं की लागत में कमी आती है।
- यह आयात के क्षेत्र में आने वाली नौकरशाही बाधाओं और विभिन्न प्रकार के अन्य शुल्कों को भी कम करता है। इससे वस्तुओं की मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था एवं निर्यात को बढ़ावा मिलता है।
- एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही विश्व व्यापार संगठन को सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान को MFN का दर्जा न देने के अपने फैसले के बारे में अधिसूचित करेगा। शीघ्र ही मंत्रालय पाकिस्तान से आयातित सामानों की सूची पर काम करेगा, जिस पर भारत द्वारा सीमा शुल्क बढाया जाएगा।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का भारत दौरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री (Mauricio Macri) भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए।

- 2019 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 70वाँ वर्ष है।

भारत-अर्जेंटीना संबंध

राजनीतिक संबंध

- 1943 में भारत द्वारा ब्यूनस आयर्स में एक व्यापार आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में 1949 में इसे भारतीय दूतावास में बदल दिया गया।
- इस यात्रा के दौरान दोनों देशों की समृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही एक रणनीतिक साझेदारी के तहत दोनों देशो ने साथ मिलकर कार्य करने का फैसला किया।

आतंकवाद का सामना (Counter-Terrorism)

- भारत और अर्जेंटीना द्वारा आतंकवाद से लड़ने के लिये अलग से एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया।
- अर्जेंटीना ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा ज़िले में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है।
- दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एक संयुक्त बयान में कहा कि दोनों में से कोई भी देश किसी अन्य देश पर आतंकवादी हमला करने के लिये अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।
- भारत ने वर्ष 2018 में जी -20 शिखर सम्मेलन के दौरान 'आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये हैम्बर्ग स्टेटमेंट' (Hamburg Statement on countering terrorism) के 11-सूत्री एजेंडे को लागू करने का भी आग्रह किया।

नोट :

आर्थिक और वाणिज्यिक अनुबंध (Economic and Commercial Engagement)

- पिछले 10 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुने से अधिक होकर लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
- कृषि, धातु और खनिज, तेल एवं गैस, दवा, रसायन, मोटर वाहन तथा अन्य सेवाओं जैसे विभिन्न' क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना व्यक्त गई है।
- भारत और अर्जेंटीना ने व्यापार क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर कर, बाज़ार तक पहुँच अधिक सुविधाजनक बनाने, व्यापार एवं निवेश में वृद्धि एवं इसमें विविधता लाने के लिये एक साथ काम करने का फैसला किया।

कृषि (Agriculture)

- अर्जेंटीना एक कृषि शक्ति संपन्न (Powerhouse of Agriculture) है। भारत इसे अपनी खाद्य सुरक्षा के लिये एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है।
- यात्रा के दौरान दोनों देशों ने उत्पादकता बढ़ाने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और जलवायु तन्यकता (climate resilience) बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान सहित कृषि सहयोग के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया।

खनन (Mining)

- अर्जेंटीना लीथियम ट्राएंगल (Lithium Triangle) का एक हिस्सा है और इसके पास दुनिया के लिथियम भंडार का लगभग 54% हिस्सा है।
- भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी, खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (Khanij Bidesh India Limited-KABIL) ने अर्जेंटीना में लिथियम खनन के लिये एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का निर्णय लिया है।

भारत-मर्कोसुर

- भारत 2004 में मर्कोसुर के साथ अधिमान्य व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement-PTA) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था।
- अर्जेंटीना और भारत के बीच PTA के विस्तार के लिये भी सहमति बनी है।

मर्कोसुर (MERCOSUR)

दक्षिणी साझा बाज़ार (Southern Common Market),जिसे स्पेनिश भाषा में मर्कोसुर कहा जाता है, एक क्षेत्रीय एकीकरण प्रक्रिया है। इसकी स्थापना अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे (Paraguay) और उरुग्वे (Uruguay) द्वारा की गई थी, जबकि वेनेजुएला और बोलीविया इसमें बाद में शामिल हुए थे।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation)

- अर्जेंटीना ने विभिन्न अप्रसार व्यवस्थाओं तक भारत की पहुँच में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसमें मिसाइल संधि नियंत्रण व्यवस्था (Missile Treaty Control Regime), वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) और ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group) शामिल हैं।
- भारत और अर्जेंटीना ने वैश्वीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और बहुपक्षवाद में सुधार किया है।
- दोनों पक्ष विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) में सुधार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) के व्यापक सुधार के लिये मिलकर काम करने पर सहमत हुए।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation)

- भारत 2019 में में ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) में आयोजित होने वाले दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र के दूसरे उच्च स्तरीय सम्मेलन (BAPA 40) में भाग लेगा।

भारत तथा अर्जेंटीना के बीच हस्ताक्षरित अन्य समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding-MoU) में रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग, परमाणु ऊर्जा, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति, आदि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

नोट :

1959 के तिब्बती विद्रोह के 60 साल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन ने 1 अप्रैल, 2019 तक के लिये विदेशी पर्यटकों के तिब्बत आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि चीन ने यह प्रतिबंध 1959 के तिब्बती विद्रोह की 60वीं वर्षगाँठ से पहले सुरक्षा कारणों से लगाया है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि 10 मार्च को चीन के खिलाफ 1959 में हुए आंदोलन के 60 साल पूरे हो रहे हैं। इसी आंदोलन के पश्चात् तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को निर्वासित होकर भारत आना पड़ा था।
- लंबे समय से तिब्बत पर अपना अधिकार मानने वाली चीन सरकार ने दलाई लामा को खतरनाक अलगाववादी का दर्जा दिया है।
- इसके अलावा, 2008 में ल्हासा में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों की भी 14 मार्च को वर्षगाँठ है। इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए चीन ने विदेशी पत्रकारों, राजनयिकों और पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया है।
- जानकारों का कहना है कि पर्यटकों के आगमन को प्रतिबंधित करने का यह सिलसिला हर साल चलता है।

क्या है 1959 का तिब्बती विद्रोह ?

- 1912 से लेकर 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना तक किसी भी चीनी सरकार ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (Tibet Autonomous Region-TAR) पर नियंत्रण नहीं किया।
- दलाई लामा की सरकार ने 1951 तक तिब्बत की भूमि पर शासन किया था। माओ-त्से-तुंग की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के तिब्बत पर कब्ज़ा करने से पहले तक यह चीन का हिस्सा नहीं था।
- तिब्बती लोग तथा अन्य टिप्पणीकार चीन द्वारा किये गए इस कृत्य को 'सांस्कृतिक नरसंहार' के रूप में वर्णित करते हैं।
- तिब्बत वासियों ने मार्च 1959 में चीन सरकार को उखाड़ फेंकने का असफल प्रयास किया था, जिस वज़ह से 14वें दलाई लामा को भारत आना पड़ा था।

1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद

- 1959 के विद्रोह के पश्चात् चीन सरकार लगातार तिब्बत पर अपनी पकड़ मज़बूत करती रही है।
- तिब्बत में आज भी भाषण, धर्म या प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है और चीन की मनमानी जारी है।
- ज़बरन गर्भपात, तिब्बती महिलाओं की नसबंदी और कम आय वाले चीनी नागरिकों के स्थानांतरण से तिब्बती संस्कृति के अस्तित्व को खतरा है।
- हालाँकि चीन ने विशेष रूप से ल्हासा क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये निवेश किया है जिसकी वज़ह से हज़ारों हान चीनी समुदाय तिब्बत में स्थानांतरित हुए हैं और परिणामस्वरूप तिब्बत में जनसांख्यिकीय बदलाव आया है।
- 14वें दलाई लामा भारत के धर्मशाला के उपनगर मैक्लॉयडगंज से तिब्बत की निर्वासित सरकार का नेतृत्व करते हैं।
- दलाई लामा पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय तिब्बत के लिये और अधिक स्वायत्तता की वकालत करते रहे हैं किंतु चीनी सरकार उनसे वार्ता करने से भी इनकार करती है।
- तिब्बत को समय-समय पर अशांति का सामना करना पड़ता है।

तिब्बत

- तिब्बत एशिया में तिब्बती पठार पर स्थित एक क्षेत्र है, जो लगभग 24 लाख वर्ग किमी. में फैला हुआ है और यह चीन के क्षेत्रफल का लगभग एक-चौथाई है।
- यह तिब्बती लोगों के साथ-साथ कुछ अन्य समुदायों की भी पारंपरिक मातृभूमि है।
- तिब्बत पृथ्वी पर सबसे ऊँचा क्षेत्र है जिसकी औसत ऊँचाई 4,900 मीटर है।

नोट :

भारत-चीन संघर्ष की अन्य वज़ह

- सीमा विवादों के अलावा भारत-चीन संघर्ष की एक वज़ह दलाई लामा भी हैं, जिन्हें भारत में आध्यात्मिक गुरु का दर्ज़ा प्राप्त है।
- चीन दलाई लामा (जिनका तिब्बतियों पर बहुत प्रभाव है) को एक अलगाववादी मानता है।
- यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि दलाई लामा ने 1974 में ही तिब्बत की स्वतंत्रता की वकालत छोड़ दी थी और अब वह केवल तिब्बती समुदाय पर चीन द्वारा किये जा रहे दमन को रोकना चाहते हैं।
- पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बती शरणार्थियों को उनकी वापसी तक भारत में बसने के लिये सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी।
- भारत सरकार ने तिब्बतियों के लिये विशेष स्कूल बनाए हैं जो मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं।
- तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास में भारत की भूमिका को लेकर चीन का रवैया हमेशा से आलोचनात्मक रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार समूहों ने भारत के इस कदम की प्रशंसा की है।

UNSC ने की पुलवामा हमले की निंदा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) ने पुलवामा, जम्मू-कश्मीर में आत्मघाती बम विस्फोट की निंदा की है, जिसमें भारतीय अर्द्धसैनिक बल के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से इस संबंध में भारत सरकार और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया है।
- इस हमले की संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्राँस सहित विश्व के कई देशों ने निंदा की है।
- न्यूज़ीलैंड की संसद ने हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।
- UNSC द्वारा हमले की निंदा करना भारत के लिये कूटनीतिक जीत है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के भारत के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है।
- जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को लेकर चीन के रुख में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि UNSC ने जैश-ए-मोहम्मद को इस हमले का अपराधी बताया है।

सुरक्षा परिषद क्या है ?

- यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1945 में हुआ था और इसके पाँच स्थायी सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और चीन) हैं।
- सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के उस शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है, जब सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था।
- इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को दो साल के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी-बारी से एक-एक महीने के लिये परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र में भारत

- भारत 7 बार अर्थात् 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संबंधी अभियानों में योगदान करने वाला सबसे बड़ा देश है।

नोट :

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से संबंधित 64 अभियानों में से 43 अभियानों में 1,60,000 से अधिक सैनिकों का योगदान किया है।
- संयुक्त राष्ट्र के नीले झंडे के नीचे लड़ते हुए भारतीय सशस्त्र एवं पुलिस बल के 160 से अधिक कार्मिकों ने अपने जीवन की आहुति दी है।
- वर्तमान में चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के 14 मिशनों में से 7 मिशनों में भारतीय सशस्त्र बलों की मौजूदगी है।

प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया यात्रा

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के साथ भारत के सामरिक संबंधों को मजबूत करने हेतु दक्षिण कोरिया की दो दिवसीय यात्रा की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर द्वीपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।

- प्रधानमंत्री मोदी की 2015 के बाद से कोरिया गणराज्य की यह दूसरी यात्रा है तथा दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के साथ दूसरी शिखर बैठक है।

प्रमुख समझौते

- दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने और सीमा पार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- राजकुमारी सुरीरत्ना (क्वीन हुर ह्वांग-ओक) जो कि अयोध्या की एक पौराणिक राजकुमारी थीं, 48AD में कोरिया चली गई थीं और वहाँ उन्होंने राजा किम-सुरो से विवाह कर लिया था, की याद में एक संयुक्त टिकट जारी करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- दोनों पक्षों ने कोरिया प्लस संगठन (Korea Plus Organisation) के संचालन को जारी रखने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जो भारत में कोरियाई कंपनियों को निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है।
- कोरिया प्लस का संचालन जून 2016 में किया गया था और इसमें दक्षिण कोरिया उद्योग, व्यापार तथा ऊर्जा मंत्रालय, कोरिया व्यापार निवेश एवं संवर्द्धन एजेंसी (Korea Trade Investment and Promotion Agency-KOTRA) और इन्वेस्ट इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- दोनों देश स्टार्ट-अप के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे और स्टार्ट-अप कंपनियों के विचारों, प्रौद्योगिकियों और डिज़ाइनों के व्यावसायीकरण के लिये भारत में एक कोरिया स्टार्ट-अप सेंटर (KSC) की स्थापना करेंगे।
- कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम (KBS) और प्रसार भारती ने दक्षिण कोरिया में डीडी इंडिया चैनल और भारत में KBS वर्ल्ड चैनल के प्रसारण की सुविधा देने पर सहमति व्यक्त की है।
- भारत की सड़क और परिवहन अवसंरचना विकास परियोजनाओं में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा सड़क और परिवहन के क्षेत्र में तकनीकी एवं संस्थागत ज्ञान विनिमय की सुविधा के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कोरिया एक्सप्रेस-वे कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गए।
- दोनों पक्षों ने वर्ष 2010 से प्रभावी मुक्त व्यापार समझौता यानी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीपा) को बढ़ाने के लिये वार्ता को गति देने पर सहमति व्यक्त की है। सीपा के तहत बाज़ार उदारीकरण पर ज़ोर देने के लिये अब तक सात दौर की बातचीत हो चुकी है।
- दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक व्यापार को दोगुना कर इसे 50 अरब डॉलर तक के अपने साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सहयोग करने का भी आश्वासन दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरिया के दौरे के दूसरे दिन सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोदी ने पुरस्कार में मिली 1.30 करोड़ की रकम को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिये देने की घोषणा की।
- यह पुरस्कार पाने वाले वह 14वें व्यक्ति हैं। पिछली बार यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान को दिया गया था।
- यह पुरस्कार 1988 में सियोल ओलिंपिक के सफल आयोजन के बाद शुरू किया गया था।
- जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जैसी हस्तियाँ तथा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ऑक्सफैम जैसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठन इस पुरस्कार को पाने वालों में शामिल हैं।

नोट :

प्रधानमंत्री मोदी को क्यों दिया गया यह पुरस्कार ?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल पुरस्कार समिति ने भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में उनके योगदान को मान्यता देते हुए तथा अमीर और गरीब के बीच सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को कम करने के लिये उनकी विशिष्ट आर्थिक नीतियाँ 'मोदीनॉमिक्स' को श्रेय देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि, विश्व शांति, मानव विकास में सुधार और भारत में लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिये उनके योगदान को देखते हुए सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

भारत-कोरिया संबंध

- भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों के अलावा सामरिक संबंधों में ऐसा बदलाव आया है जिसे ऐतिहासिक कहा जा सकता है।
- दक्षिण कोरिया ने भारत को अपना 'विशेष रणनीतिक साझेदार' घोषित किया है, वहीं इस बीच उसने भारत का दर्जा बढ़ाते हुए उसे अपने उन पारंपरिक सहयोगियों की सूची में भी शामिल कर लिया जिनमें केवल रूस, चीन, जापान और अमेरिका जैसे कुछ चुनिंदा देश ही हैं।
- भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी और कोरिया की न्यू साउदर्न पालिसी का तालमेल विशेष रणनीतिक भागीदारी (Special Strategic Partnership) को और अधिक गहराई तथा मज़बूती देने का सशक्त प्लेटफार्म प्रदान कर रहा है।
- दोनों देशों ने अपने संबंधों में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। यह प्रगति और भविष्य में संबंधों का रोडमैप, नागरिक शांति और समृद्धि के साझा विज़न पर आधारित है।
- दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ रहा है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ा कर 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
- दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट डेवलपमेंट, मरीन और फ़ूड प्रोसेसिंग स्टार्ट-अप और स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं।
- दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक साझेदारी में रक्षा क्षेत्र की अहम भूमिका है। इसका एक उदाहरण भारतीय थल सेना में K-9 "वज्र" आर्टिलरी गन के शामिल होने के रूप में देखा जा सकता है।

चाबहार के ज़रिये अफगानिस्तान के निर्यात की पहली खेप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अफगानिस्तान ने ईरानी पोर्ट चाबहार के ज़रिये भारत को निर्यात की शुरुआत कर दी है। अफगानिस्तान अब चाबहार के ज़रिये औपचारिक रूप से भारत से जुड़ चुका है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ ग़नी ने चाबहार बंदरगाह के ज़रिये भारत पहुँचने वाले निर्यात की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर चाबहार पोर्ट के लिये रवाना किया। इस खेप में 570 टन ड्राई फ्रूट्स, टैक्सटाइल्स, कार्पेट और मिनरल उत्पाद शामिल हैं जो जहाज के ज़रिये मुंबई पहुँचेगी।
- ध्यातव्य है कि भारत ने भी चाबहार पोर्ट के ज़रिये अफगानिस्तान को 1.1 मिलियन टन गेहूँ और 2000 टन मसूर की दाल निर्यात किया है।
- चारों तरफ ज़मीन से घिरा (Landlocked) और युद्धग्रस्त अफगानिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु विदेशी बाज़ारों तक पहुँच बनाने का प्रयास कर रहा है।
- अफगानिस्तान द्वारा चाबहार के ज़रिये निर्यात की शुरुआत कई अन्य कारणों के अलावा इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही भारत, ईरान तथा अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन समझौता पूरी तरह से क्रियान्वित हो गया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तेहरान में मई 2016 में हस्ताक्षर किये थे।
- दक्षिण एशिया में चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के समानांतर एक व्यवस्था कायम रखने हेतु भारत के लिये अफगानिस्तान का व्यापक महत्त्व है और इस कदम से भारत ने अफगानिस्तान की समृद्धि एवं विकास हेतु सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

नोट :

भारत के लिये चाबहार का महत्त्व

- मध्ययुगीन यात्री अल-बरूनी द्वारा चाबहार को भारत का प्रवेश द्वार (मध्य एशिया से) कहा गया था। ज्ञात हो कि यहाँ से पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भी महज़ 72 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके विकास के लिये चीन द्वारा बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है।
- चाबहार भारत के लिये अफगानिस्तान और मध्य एशिया के द्वार खोल सकता है और यह बंदरगाह एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने के लिहाज़ से सर्वश्रेष्ठ है।
- भारत वर्ष 2003 से ही इस बंदरगाह के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के प्रति अपनी रुचि दिखा रहा है हालाँकि ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों और कुछ हद तक ईरानी नेतृत्व की दुविधा की वज़ह से इस बंदरगाह के विकास की गति धीमी रही लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें काफी प्रगति हुई है।
- चाबहार कई मायनों में ग्वादर से बेहतर है, क्योंकि:
  - चाबहार गहरे पानी में स्थित बंदरगाह है और यह ज़मीन के साथ मुख्य भू-भाग से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ सामान उतारने-चढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लगता।
  - यहाँ मौसम सामान्य रहता है और हिंद महासागर से गुज़रने वाले समुद्री रास्तों तक भी यहाँ से पहुँच बहुत आसान है।
- चाबहार बंदरगाह पर परिचालन आरंभ होने के साथ ही अफगानिस्तान को भारत से व्यापार करने के लिये एक और रास्ता मिल चुका है।
- विदित हो कि अभी तक भारत-अफगानिस्तान के बीच व्यापार पाकिस्तान के रास्ते होता है, लेकिन पाकिस्तान इसमें रोड़े अटकाता रहता है।
- पाकिस्तान के इस रुख से अफगानिस्तान तो असहज महसूस करता ही है साथ में भारत, अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की अपनी नीति में भी कठिनाइयाँ महसूस करता है। अत: चाबहार परियोजना भारत के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- व्यापारिक और कूटनीतिक दोनों ही दृष्टि से चाबहार का अपना महत्त्व है। गौरतलब है कि ईरान-इराक युद्ध के समय ईरानी सरकार ने इस बंदरगाह को अपने समुद्री संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिये इस्तेमाल किया था।
- हालाँकि इन बातों के बावजूद भारत में ऐसे तबके भी हैं जो यह मानते हैं कि तालिबान या किसी अन्य चरमपंथी समूह ने अगर काबुल पर कब्ज़ा कर लिया तो चाबहार में भारत का पूरा निवेश डूब जाएगा। हालाँकि तालिबान और अफगानिस्तान सरकार तथा अन्य विभिन्न समूहों के प्रयासों से होने वाली हालिया शांति वार्ताओं ने इन आशंकाओं को दूर किया है।
- यह अफगानिस्तान तक सामान पहुँचाने के लिये यह सबसे बढ़िया रास्ता है, यहाँ वे तमाम सुविधाएँ हैं, जिनके ज़रिये अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान में भी आसानी से व्यावसायिक पहुँच बनाई जा सकती है।

ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने आज नई दिल्ली में चौथे वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी सम्मेलन (Global Digital Health Partenership Summit) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक अंतर-सरकारी सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तथा वैश्विक स्वास्थ्य डिजिटल साझेदारी (Global Digital Health Partenership-GDHP) के सहयोग से किया जा रहा है।
- भारत ने स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में 71वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में डिजिटल स्वास्थ्य पर प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
- सम्मेलन में भारत द्वारा स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तन लाने हेतु प्रौद्योगिकी नवाचार पर बल दिया गया तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में सरकार की विभिन्न पहलों का उल्लेख किया गया।
- भारत डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा डिजिटल समावेश के माध्यम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिये संकल्पबद्ध है।

नोट :

डिजिटल खाई को पाटने का काम कम लागत की टैक्नोलॉजी से किया जा सकता है।

- डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम परिवर्तन को गति प्रदान कर रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) को समर्थन देने की अपार क्षमता है और इसके लिये भारत सरकार संकल्पबद्ध है।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिये आयुष्मान भारत नाम से व्यापक स्वास्थ्य देखभाल योजना लॉन्च की गई है। इसके प्राथमिक और द्वितीय स्तर पर स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (HWC) हैं और उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (PMJAY) है।
- इस योजना के अंतर्गत मात्र 155 दिनों में 1.3 मिलियन लोगों ने 16 बिलियन रुपए से अधिक का लाभ उठाया है।

वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी

- ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप (GDHP) साक्ष्य आधारित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बेहतरीन उपयोग के माध्यम से अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और देखभाल में सुधार के लिये समर्पित सरकारों, सरकारी एजेंसियों और बहुराष्ट्रीय संगठनों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है।
- इसे फरवरी 2018 में स्थापित किया गया था, ताकि इसके प्रतिभागियों को परिवर्तनकारी जुड़ाव का अवसर मिल सके।
- 2018 में इसके पहले शिखर सम्मेलन के लिये ऑस्ट्रेलिया मेज़बान देश था।

चागोस द्वीप समूह को खाली करे ब्रिटेन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ) ने ब्रिटेन से कहा है कि वह चागोस द्वीप समूह को खाली कर उसे मॉरीशस को वापस लौटा दे।

न्यायालय की परामर्शदायी राय

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि चागोस द्वीपसमूह पर ब्रिटेन का कब्ज़ा अवैधानिक है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की परामर्शदायी राय के अनुसार, 1968 में मॉरीशस की आज़ादी के वक्त राजनैतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी क्योंकि चागोस द्वीपसमूह को अलग कर दिया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि जितनी जल्दी हो सके ब्रिटेन को चागोस द्वीपसमूह पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण छोड़ देना चाहिये।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2017 में भारी मतदान के बाद इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजा गया था जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवादों पर कानूनी मामले देखता है।
- मॉरीशस ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अपनी दलील में कहा था कि उसे चागोस द्वीपसमूह छोड़ने के लिये विवश किया गया था।
  - स्वतंत्रता से पूर्व चागोस द्वीप समूह का मारीशस से अलग किया जाना संयुक्त राष्ट्र के रेज़ॉल्यूशन 1514 का उल्लंघन था। गौरतलब है कि 1960 में पारित इस रेज़ॉल्यूशन में स्वतंत्रता से पहले उपनिवेशों के विभाजन पर प्रतिबंध लगाया गया था।
- सुनवाई के दौरान ब्रिटेन ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई करने का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अधिकार ही नहीं है।

चागोस द्वीपसमूह

- चागोस द्वीपसमूह मध्य हिंद महासागर में एक द्वीपसमूह है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से से लगभग 1,000 मील (1,600 किमी) दूर दक्षिण में स्थित है।
- 19वीं शताब्दी में चागोस मॉरीशस से शासित होता था, जो कि एक ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था।
- ब्रिटेन की सरकार इसे ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र या BIOT (British Indian Ocean Territory) के रूप में संदर्भित करती है।

नोट :

संभावित प्रभाव

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह फैसला कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं, बल्कि परामर्शदायी है। लेकिन इस फैसले को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहस के लिये भेजा जाएगा। यहाँ पर ब्रिटेन का पक्ष न सिर्फ कमज़ोर होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि भी खराब होगी।
- ब्रिटेन: संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2017 के मतदान के दौरान ही ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का पता चल गया था, क्योंकि कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन को समर्थन नहीं दिया और पारंपरिक सहयोगियों जैसे- कनाडा ने भी दूरी बनाए रखी।
- मॉरीशस: मॉरीशस ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि उपनिवेशवाद को समाप्त करने के प्रयासों और मानवाधिकारों, स्वतंत्रता तथा कानून के अंतर्राष्ट्रीय शासन को बढ़ावा देने के प्रयासों में यह एक ऐतिहासिक क्षण है।

भारत की स्थिति

- भारत ने चागोस द्वीपसमूह के मामले में मॉरीशस का समर्थन किया है।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि चागोस द्वीपसमूह मॉरीशस का हिस्सा रहा है।

RIC समिट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक (RIC Meeting) 27 फरवरी, 2019 को चीन के झेजियांग में संपन्न हुई।

- RIC की बैठक इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि रूस, भारत और चीन ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं और दुनिया की घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

संयुक्त बयान

- बैठक में RIC ने बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
- यह बैठक प्रतिनिधियों को शामिल करने, इसे मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को और बढ़ाने के साथ संयुक्त राष्ट्र सहित सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के उद्देश्य से बुलाई गई ताकि यह वैश्विक चुनौतियों का जवाब दे सके।
- शिखर सम्मेलन के दौरान RIC को बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिये ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के महत्वपूर्ण प्रभावी तंत्र के रूप में स्वीकार किया गया।
- सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रीय मंचों और संगठनों, जैसे- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF), आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM-Plus), एशिया-यूरोप बैठक (ASEM), द कांफ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र्स इन एशिया (CICA) तथा एशिया कोऑपरेशन डायलॉग (ACD) के महत्त्व को दोहराया गया।
- RIC बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (The Comprehensive Convention on International Terrorism-CCIT) को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया गया। इसमें आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया गया।
- RIC बैठक में इस बात पर भी ज़ोर दिया कि आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वाले, इसे पोषित करने वाले, उकसाने वाले या समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये और उन्हें न्याय तंत्र के दायरे में लाया जाना चाहिये।
- RIC बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, जैविक तथा रासायनिक हथियारों के निषेध के विरुद्ध कन्वेंशन को अपनाने का भी आह्वान किया गया।
- RIC बैठक के दौरान अफगानिस्तान में एक अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली शांति और सुलह प्रक्रिया के माध्यम से शांति का आह्वान किया गया, कोरियाई प्रायद्वीप में महत्त्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तनों का स्वागत किया गया, ईरान-परमाणु समझौते का समर्थन किया गया तथा फिलिस्तीन मुद्दे के निपटारे के लिये दो-राज्य समाधान (Two-State Solution) का समर्थन किया गया गया।
- सम्मेलन में यमन, सीरिया और वेनेजुएला में उत्पन्न संकट के राजनयिक और राजनीतिक समाधान निकालने का भी आह्वान किया।

नोट :

युद्ध बंदियों हेतु जिनेवा कन्वेंशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मुहम्मद के कैंप के खिलाफ कार्रवाई की थी जिसके प्रतिक्रियास्वरूप पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी भारतीय सैन्य स्थल पर कार्रवाई कर दी।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्रवाई में भारत को अपना एक मिग 21 खोना पड़ा, जबकि एक पायलट लापता हो गया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना का पायलट उनकी हिरासत में है।
- भारत ने पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की मांग करते हुए जिनेवा कन्वेंशन, 1949 का हवाला दिया है।

जिनेवा कन्वेंशन, 1949

- 1864 और 1949 के बीच जिनेवा में संपन्न जिनेवा कन्वेंशन (Geneva Convention) कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों की एक ऐसी श्रृंखला है जो युद्धबंदियों (Prisoners of War-POW) और नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखने हेतु युद्ध में शामिल पक्षों को बाध्यकारी बनाती है।
- जिनेवा कन्वेंशन में चार संधियाँ और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिनका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिये कानून तैयार करना है।
- 1949 के समझौते में शामिल दो अतिरिक्त प्रोटोकॉल 1977 में अनुमोदित किये गए थे।
- दुनिया के सभी देश जिनेवा कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्त्ता हैं। हालिया घटनाक्रम भी जिनेवा कन्वेंशन के दायरे में आता है क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के प्रावधान शांतिकाल, घोषित युद्ध और यहाँ तक कि उन सशस्त्र संघर्षों में भी लागू होते हैं जिन्हें एक या अधिक पक्षों द्वारा युद्ध के रूप में मान्यता नहीं दी गई हो।

युद्धबंदियों हेतु प्रावधान

- जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जाएगा और उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित या फिर उसका शोषण नहीं किया जाएगा।
- जिनेवा कन्वेंशन के तहत कोई भी देश अपने युद्धबंदी को न तो अपमानित कर सकता है और न ही डरा-धमका सकता है।
- कोई देश युद्धबंदी से उसकी जाति, धर्म या रंग-रूप के बारे में नहीं पूछ सकता और अगर कोशिश की भी जाए तो युद्धबंदी अपने नाम, सर्विस नंबर और रैंक के अलावा कुछ भी अन्य जानकारी नहीं देगा।
- हिरासत में लेने वाला देश युद्धबंदी के खिलाफ संभावित युद्ध अपराध का मुकदमा चला सकता है, लेकिन उस हिंसा की कार्रवाई के लिये नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत आती हो।
- किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर यह संधि लागू हो जाती है।
- कन्वेंशन के अनुसार, युद्ध खत्म होने पर युद्धबंदी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिये।
- युद्धबंदियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के अनुसार, युद्धबंदियों का सही तरीके के इलाज किया जाएगा।
- कोई भी देश अपने युद्धबंदी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जिससे कि जनमानस के बीच किसी तरह की उत्सुकता पैदा हो।
- जिनेवा कन्वेंशन के तहत युद्धबंदी को उचित भोजन दिया जाना चाहिये और हर तरह से उसकी देखभाल की जानी चाहिये।

नोट :

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

भारत द्वारा छह पनडुब्बियों का निर्माण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नई पीढ़ी की छह पारंपरिक स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण की लंबित परियोजना को 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership-SP) मॉडल के तहत पूरा किये जाने का औपचारिक निर्णय लिया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के अंतर्गत नई पीढ़ी की छह पारंपरिक स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण को 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership-SP) मॉडल के तहत निष्पादित किया जाएगा, जिसमें 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत भारतीय शिपयार्ड एवं विदेशी शिपयार्ड दोनों का सहयोग प्राप्त होगा।
- इस परियोजना को 'सभी पनडुब्बियों के सौदों की जननी' नाम दिया गया, क्योंकि इसमें कम –से-कम 50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद के अंतर्गत 'P-75I परियोजना के तहत 111' (Twin-Engine Naval Light Utility Choppers) हेलिकॉप्टरों के निर्माण के लिये 21,000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंज़ूरी दी गई है जो SP मॉडल की दूसरी परियोजना है।
- 'प्रोजेक्ट -75 इंडिया (P -75I)' नामक पनडुब्बी परियोजना को पहली बार नवंबर 2007 में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन सामान्य राजनीतिक-नौकरशाही उदासीनता संबंधी अवरोधों के कारण इस पर कार्य नही किया जा सका।
- जुलाई 2017 में चार विदेशी जहाज़ निर्माताओं ने पहले SP मॉडल के तहत सहयोग करने की बात कही थी जो निम्नलिखित हैं –
  - नेवल ग्रुप-DCNS (फ्राँस)
  - थिससेनकृप मरीन सिस्टम्स (जर्मनी)
  - रोसोबोरोनेक्सपोर्ट रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो (रूस)
  - साब कोकम्स (स्वीडन)

भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शक्तियाँ

- अनुमोदित योजना के अनुसार, नौसेना के पास 18 पारंपरिक डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ होने के साथ-साथ चीन और पकिस्तान के खिलाफ प्रभावी निरोध के लिये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली छह हमलावर पनडुब्बियाँ (जिन्हें SSN कहा जाता है) और चार अन्य पनडुब्बियाँ हैं।
- वर्तमान में नौसेना के पास 13 पनडुब्बियाँ हैं जिनमें से सिर्फ आधे को ही किसी भी ऑपरेशन पर भेजा जा सकता है। छह फ्रेंच स्कॉर्पीन पनडुब्बियों में से एक मझगांव डॉक्स (MDL) में 23,652 करोड़ रुपए के 'प्रोजेक्ट -75' के तहत बनाई जा रही है।
- सेना के पास रूस से लीज़ पर ली गई दो परमाणु-पनडुब्बियाँ, स्वदेशी INS अरिहंत (SSBN) और INS चक्र (SSN) भी हैं।
- SP मॉडल का उद्देश्य वैश्विक आयुध की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर नई पीढ़ी की हथियार प्रणालियों के उत्पादन में भारतीय निजी क्षेत्र की भूमिका को संयुक्त रूप से बढ़ावा देना है। लेकिन स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के बाद डिफेंस शिपयार्ड MDL किसी भी निजी शिपयार्ड के बजाय 'P -75I' को स्वचालित रूप से चलाने के लिये प्रथम दावेदार होगा।
- कई घोषणाओं और नीतियों के बावजूद 'मेक इन इंडिया' के तहत कोई बड़ी रक्षा परियोजना वास्तव में पिछले चार वर्षों में धरातल पर नहीं आ सकी है। लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों से लेकर हेलीकॉप्टर और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों तक की 3.5 लाख करोड़ रुपए की कम-से-कम छह बड़ी मेगा परियोजनाएं विभिन्न चरणों में अटकी हुई हैं।

नोट :

- पूरी प्रक्रिया में 'पारदर्शिता' लाने और निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों(Defence Public Sector Units-DPSUs) व आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board-OFB) दोनों हेतु एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के 'सूत्रीकरण' के कारण SP मॉडल को संचालित करने में बहुत देरी हुई है।

अंटार्कटिक ग्लेशियर में बड़ा छिद्र/विवर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक ग्लेशियर (Antarctic Glacier) में लगभग 300 मीटर लंबे विशाल विवर/ छिद्र की खोज की है, जो पश्चिमी अंटार्कटिका में थवाइट्स ग्लेशियर (Thwaites Glacier) के तल पर बढ़ रहा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- थवाइट्स ग्लेशियर के तल पर बढ़ रहा विशाल छिद्र बर्फ की चादर के तेज़ी से क्षय और जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि का संकेत देता है।
- 'साइंस एडवांस' पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्ष अंटार्कटिक ग्लेशियरों के विस्तृत अवलोकन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो यह बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया से समुद्र स्तर कितनी तेज़ी से बढेगा।
- नासा के शोधकर्त्ताओं के अनुसार थवाइट्स ग्लेशियर के तल में उपस्थित बर्फ और आधारशैल के बीच कुछ अंतराल पाया गया है, जहां से समुद्र का पानी बह सकता है और ग्लेशियर को पिघला सकता है।
- हाल में पाए गए छिद्र के आकार और विस्फोटक में वृद्धि दर चिंताजनक है। यह काफी बड़ा है जिसमें 14 बिलियन टन बर्फ है, तथा इसमें से अधिकांश बर्फ पिछले तीन वर्षों में पिघल गई है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि लगभग 4% के लिये थवाइट्स ग्लेशियर ज़िम्मेदार है।
- 2010 में नासा के एक हवाई अभियान ऑपरेशन आइसब्रिज में आइस-मर्मज्ञ रडार (Ice-Penetrating Radar) द्वारा छिद्र का पता चल पाया था, जो ध्रुवीय क्षेत्रों एवं वैश्विक जलवायु के बीच संबंध का अध्ययन करता है।

केरल में समाप्त हुआ एंडोसल्फान आंदोलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल सरकार द्वारा एंडोसल्फान विषाक्तता (Endosulfan Poisoning) के शिकार लोगों में और अधिक परिवारों को शामिल करने के लिये उनके प्रतिनिधियों द्वारा की जाने वाली मांग को स्वीकार कर लिया गया जिसके पश्चात प्रतिनिधियों ने सचिवालय के सामने किये जाने वाले धरने को समाप्त कर दिया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एंडोसल्फान विषाक्तता से प्रभावित लोगों के क्षति-पूर्ति दायरे में और अधिक परिवारों को शामिल करने की मांग को स्वीकार कर लिया। इससे राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों को क्षति-पूर्ति और पुनर्वास हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने आधिकारिक निवास पर 'एंडोसल्फान पीडिथा जनकिया मुन्नानी' (Endosulfan Peeditha Janakiya Munnani) को सामंजस्यपूर्ण वार्ता के लिये आमंत्रित किया।
- प्रदर्शनकारियों में 30 माताएँ भी शामिल थीं जिनके बच्चों में इसी कीटनाशक के संपर्क में आने की वज़ह से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ पाई गई हैं, साथ ही कुछ बच्चों में जन्मजात विकृति/विकलांगता पाई गई है।
- केरल सरकार ने इस मुद्दे पर अन्य राजनीतिक पार्टियों को इसे राजनीतिक आयाम नहीं देने की अपील की है, इसीलिये इस मुद्दे का मुन्नानी नेताओं के साथ बातचीत से हल निकालने का प्रयास किया जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई बाधा न आये।
- मुख्यमंत्री ने इस कीटनाशक के हवाई छिड़काव से प्रभावित 11 गाँवों के अतिरिक्त भी अन्य प्रभावित लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने का विश्वास दिलाया है। उन्होंने विकृत बच्चों के लिये अतिरिक्त विशेष स्कूल खोलने की भी बात कही है।

नोट :

पृष्ठभूमि

- 2017 में केरल सरकार द्वारा मुन्नानी की मांग को स्वीकार कर लिया गया था जिसमें राज्य के तत्काल एंडोसल्फान (कीटनाशक) प्रभावित 1,905 लोगों को एंडोसल्फान तत्काल मुआवज़ा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था।
- इस योजना के तहत प्रभावित लोगों को क्षति-पूर्ति तथा पुनर्वास का प्रावधान किया गया था।

हिंदू मुन्नानी

हिंदू मुन्नानी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन है जिसका गठन हिंदू धर्म की रक्षा तथा हिंदू धार्मिक स्मारकों की सुरक्षा के लिये किया गया था।

एंडोसल्फान

- एंडोसल्फान एक प्रतिबंधित कीटनाशक है।
- इसका उपयोग 1940 से 1960 के दौरान कीटनाशक के रूप में कृषि और मच्छर नियंत्रण हेतु बड़े पैमाने पर किया जाता था।

शरीर के अंदर पहला जीन संपादन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किये गए कुछ परीक्षणों के बाद वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शरीर के अंदर प्रथम जीन संपादन के मुकाम को हासिल कर लिया है। गौरतलब है कि इन परीक्षणों के तहत वयस्कों के डीएनए में बदलाव कर बीमारी का इलाज करने की कोशिश की गई।

प्रमुख बिंदु

- प्रारंभिक परिणामों से पता चला है कि दुर्लभ बीमारी वाले दो पुरुषों के जीन में सुधार देखा जा रहा है। हालाँकि यह सुधार बहुत ही कम स्तर पर है जो चिकित्सकीय इलाज़ को सफल बनाने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता है फिर भी यह परिणाम भविष्य में इस क्षेत्र में सफलता दिला सकता है।
- जीन संपादन क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यह सफलता एक बड़ी उपलब्धि है।
- जीन एडिटिंग का उद्देश्य जीन थेरेपी है जिससे खराब जीन को निष्क्रिय किया जा सके या किसी अच्छे जीन के लापता होने की स्थिति में उसकी आपूर्ति की जा सके।

जीन एडिटिंग के अनुप्रयोग (Applications of Gene Editing)

- वैज्ञानिक अनुसंधान में पहले से ही व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है, क्रिस्पर-कैस 9 को HIV, कैंसर या सिकल सेल रोग जैसी बीमारियों के लिये संभावित जीनोम एडिटिंग उपचार हेतु एक आशाजनक तरीके के रूप में भी देखा गया है।
- इस तरह इसके माध्यम से चिकित्सकीय रूप से बीमारी पैदा करने वाले जीन को निष्क्रिय किया जा सकता है या आनुवंशिक उत्परिवर्तन को सही कर सकते हैं। क्रिस्पर जीन एडिटिंग जेनेटिक हेरफेर के लिये एक टूलबॉक्स प्रदान करती है।
- उल्लेखनीय है कि क्रिस्पर सिस्टम पहले से ही मौलिक बीमारी अनुसंधान, दवा जाँच और थेरेपी विकास, तेजी से निदान, इन-विवो एडिटिंग (In Vivo Editing) और ज़रूरी स्थितियों में सुधार के लिये बेहतर आनुवंशिक मॉडल प्रदान कर रहा है।
- वैज्ञानिक इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि क्रिस्पर का उपयोग शरीर की टी-कोशिकाओं (T-Cells) के कार्य को बढ़ावा देने में किया जा सके ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर को पहचानने और नष्ट करने में बेहतर हो तथा रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली के विकार और अन्य संभावित बीमारियों को लक्षित किया जा सके।
- कैलिफ़ोर्निया में विश्व के पहले जीन-एडिटिंग परीक्षण में HIV के लगभग 80 रोगियों के खून से HIV प्रतिरक्षा कोशिकाओं को (Zinc-finger nucleases) ZFNs नामक एक अलग तकनीक का प्रयोग कर हटाया गया। चीन में शोधकर्त्ताओं ने मानव भ्रूण के एक दोषपूर्ण जीन को सही करने की कोशिश के लिये संपादित किया जो विरासत में रक्त विकार का कारण बनता है।

नोट :

- वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने मलेरिया को दूर करने के लिये भी जीन एडिटिंग का उपयोग किया था जिससे मलेरिया का प्रतिरोध किया जा सकता है। किसानों द्वारा भी फसलों को रोग प्रतिरोधी बनाने के लिये क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सकीय क्षेत्र में, जीन एडिटिंग संभावित आनुवंशिक बीमारियों का इलाज कर सकती है, जैसे हृदय-रोग और कैंसर के कुछ रूप या एक दुर्लभ विकार जो दृष्टिबाधा या अंधेपन का कारण बन सकता है।
- कृषि क्षेत्र में यह तकनीक उन पौधों को पैदा कर सकती है जो न केवल उच्च पैदावार में कारगर होंगे, जैसे कि लिप्पमैन के टमाटर, बल्कि यह सूखे और कीटों से बचाव के लिये फसलों में विभिन्न परिवर्तन कर सकते हैं ताकि आने वाले सालों में चरम मौसमी बदलावों में भी फसलों को हानि से बचाया जा सके।

नैतिक चिंताएँ (Ethical Concerns)

- दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग पर चिंता जताते हुए इसे विज्ञान और नैतिकता के खिलाफ बताया है क्योंकि इससे भविष्य में 'डिजाइनर बेबी' के जन्म की अवधारणा को और बल मिलेगा। यानी बच्चे की आँख, बाल और त्वचा का रंग ठीक वैसा ही होगा, जैसा उसके माता-पिता चाहेंगे।
- इसके अलावा, मानव भ्रूण एडिटिंग अनुसंधान को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीन-एडिटेड बच्चों को बनाने के लिये विभिन्न प्रयोगशालाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
- इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा आशंका जताई गई है कि इस तकनीक का संभावित दुरुपयोग आनुवंशिक भेदभाव पैदा करने के लिये भी हो सकता है।

क्रिस्पर Cas9 तकनीक

- क्रिस्पर-कैस 9 (CRISPR-Cas9) एक ऐसी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को अनिवार्य रूप से डीएनए काटने और जोड़ने की अनुमति देती है, जिससे रोग के लिये आनुवंशिक सुधार की उम्मीद बढ़ जाती है।
- क्रिस्पर (Clustered Regualarly Interspaced Short Palindromic Repeats) डीएनए के हिस्से हैं, जबकि कैस-9 (CRISPR-ASSOCIATED PROTEIN9-Cas9) एक एंजाइम है। हालाँकि, इसके साथ सुरक्षा और नैतिकता से संबंधित चिंताएँ जुड़ी हुई हैं।

भारत के आधे से ज्यादा ऊर्जा संयंत्र बेकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किये गए एक विश्लेषण में कहा गया है कि भारत में गैर-जैवनिम्नीकरण कचरे (Non-Biodegradable Waste) को परिवर्तित कर अपशिष्ट-से-ऊर्जा (Waste-to-Energy-WTE) बनाने वाले लगभग आधे से अधिक संयंत्र खराब हो चुके हैं। इसके कारण मौजूदा संयंत्रों में क्षमता से कम काम हो रहा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 1987 के बाद देश भर में 15 WTE संयंत्र स्थापित किए गए। हालाँकि इनमें से सात संयंत्र बंद हो चुके हैं जिनमें दिल्ली, कानपुर, बंगलूरू, हैदराबाद, लखनऊ, विजयवाड़ा और करीमनगर के संयंत्र शामिल हैं।
- इनके बंद होने के प्रमुख कारणों में मिश्रित ठोस अपशिष्ट और बिजली उत्पन्न करनें में आने वाली उच्च लागत को वहन करने में इन संयंत्रों की अक्षमता है जिससे बिजली कंपनियाँ इनके उपयोग किये जाने से बचती हैं।
- पिछली उपलब्धियों ने हालाँकि सरकार को WTE के क्षेत्र में बड़े प्रयास करने हेतु हतोत्साहित नहीं किया है। साथ ही नीति आयोग ने अपने स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में 2018-19 में स्थापित WTE संयंत्रों से 800 मेगावाट उर्जा प्राप्ति की परिकल्पना की है, जो सभी मौजूदा WTE संयंत्रों की क्षमता का 10 गुना है।
- इसमें भारत के अपशिष्ट-से-ऊर्जा निगम (Waste-to-Energy Corporation of India) की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया गया है, जो पीपीपी मॉडल (Public Private Partnership Model) के माध्यम से संयंत्रों का निर्माण करेगा।
- वर्तमान में 40 विवादित (Odd) WTE संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

नोट :

अपशिष्ट प्रबंधन पर रिपोर्ट

- रिपोर्ट में यह पाया गया है कि संयंत्र के विवादित या बेकार होने का मूलभूत कारण अपशिष्ट की गुणवत्ता और संरचना है। भारत में MSW (Municipal Solid Waste) में कम कैलोरी और उच्च नमी की मात्रा पाई जाती है।
- WTE संयंत्रों में भेजे जाने वाले अधिकांश अपशिष्टों में अत्यंत निष्क्रिय पदार्थ मौजूद होते हैं जो संयंत्र में अपशिष्ट को पृथक करने के लिये उपयुक्त नहीं हैं। अत: इसके लिये अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे संयंत्रों को चलाना महँगा हो जाता है।

क्या कहते हैं आँकड़े ?

- देश भर में प्रतिदिन लगभग 1.43 लाख टन (Tonnes Per Day-TPD) नगरपालिका का ठोस कचरा उत्पन्न होता है। इसमें से लगभग 1.11 लाख TPD (77.6%) कचरा एकत्र किया जाता है, जबकि 35,602 TPD (24.8%) को ही संसाधित किया जाता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, भारत में 25,940 TPD प्लास्टिक कचरा पाया जाता है, जिसमें से 15,342 TPD ही एकत्र किया जाता है।
- केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार, नगरपालिका का ठोस कचरा उत्पादन 2031 तक 4.5 लाख TPD और 2050 तक 11.9 लाख TPD तक पहुँच जाएगा।
- नागरिकों द्वारा WTE का व्यापक रूप से विरोध किया जाता रहा है। जैसे ओखला WTE संयंत्र का वहाँ के लोगों द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करने के कारण लगातार विरोध किया गया।
- 2016 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal-NGT) ने इस संयंत्र पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
- इसके अलावा इन कारखानों से उत्पादित विद्युत की दर लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट है जो कि थर्मल एवं सौर स्रोतों से प्राप्त 3-5 रुपए प्रति यूनिट की अपेक्षा काफी महँगी है।

ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिये टेलीस्कोप: SPHEREx

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA) ने 2023 में एक नया स्पेस टेलीस्कोप मिशन स्पेक्ट्रो-फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोच ऑफ रियनाइज़ेशन एंड आईसेस एक्सप्लोरर (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer-SPHEREx) लॉन्च करने की जानकारी दी है।

- यह खगोलविदों को ब्रह्मांड (Universe) के इतिहास को समझने में मदद कर सकता है जैसे कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और हमारी आकाशगंगा में ग्रहीय प्रणाली के जीवन के सामान्य संघटक कितने हैं।

मिशन के उद्देश्य

- SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश में आकाश का सर्वेक्षण करेगा।
- इस मिशन का उपयोग खगोल विज्ञानी 300 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं साथ ही अपनी आकाशगंगा में पाए जाने वाले 100 मिलियन से अधिक सितारों के आँकड़े (डेटा) एकत्र करने के लिये करेंगे।
- मिशन के तहत 96 अलग-अलग रंग के बैंडों में पूरे आकाश का नक्शा बनाया जाएगा।

मिशन का महत्त्व

- यह मिशन आकाशगंगा में जीवन के लिये आवश्यक पानी और कार्बनिक अणुओं की खोज करेगा। तारों के प्रारंभिक जीवन अर्थात ये कैसे बनते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ सितारे गैस और धूल से पैदा होते हैं, साथ ही सितारों के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ अन्य नए ग्रह हो सकते हैं, इन सबका पता लगाएगा।

नोट :

- इस प्रकार अद्वितीय आँकड़ों का भंडार प्राप्त किया जा सकेगा।
- यह ब्रह्मांड के इतिहास के प्रारंभिक क्षणों का फिंगरप्रिंट (Fingerprints) लेकर आकाशगंगा का एक अभूतपूर्व मानचित्र प्रदान करेगा जिससे विज्ञान के सबसे गूढ़ रहस्यों को उजागर किया जा सकेगा।
- यह विज्ञान के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक को नई राह प्रदान करेगा कि बिग-बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार नैनो सेकंड से कम समय में हुआ था या नहीं।
- SPHEREx प्रत्येक छह माह में पृथ्वी उपग्रहों और मंगल अंतरिक्ष यान की अनुकूलित तकनीकों का उपयोग करके पूरे आकाश का सर्वेक्षण करेगा।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, यह नासा के भविष्य के मिशनों जैसे - जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) और वाइड फील्ड इन्फ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप (Wide Field Infrared Survey Telescope) द्वारा अधिक विस्तृत अध्ययन के लिये लक्ष्यों की पहचान करेगा।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope)

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (इसे JWST या वेब्ब भी कहा जाता है) 6.5 मीटर प्राथमिक प्रतिबिंब के साथ एक बड़ा अवरक्त दूरबीन है जिसे 2021 में फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
- यह हमारे ब्रह्मांड के इतिहास में हुए हर चरण का अध्ययन करेगा, साथ ही बिग-बैंग के बाद पहली चमकदार उद्दीप्ति के विस्तार, सौरमंडल के गठन, पृथ्वी जैसे जीवन जीने में सक्षम ग्रहों और हमारे अपने सौर मंडल के विकास का विस्तृत अध्ययन करेगा।
- यह नासा (NASA), यूरोपियन स्पेस एजेंसी (European Space Agency-ESA) और कनाडाई स्पेस एजेंसी (Canadian Space Agency-CSA) के बीच एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है।

वाइड फील्ड इन्फ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप (Wide Field Infrared Survey Telescope-WFIRST)

WFIRST नासा का एक मिशन है जिसे कृष्ण ऊर्जा (Dark Energy) का अध्ययन करने, आकाशगंगा (Galactic) और बाह्य-आकाशगंगा (Extragalactic) सर्वेक्षण करने और वाह्य ग्रहों (Exoplanets) का पता लगाने के लिये विकसित किया गया है।

डार्क वेब: साइबर अपराध की काली दुनिया

चर्चा में क्यों ?

इंटरनेट के सदुपयोग और दुरुपयोग की बहस में डार्क वेब हमेशा से चर्चा का बिंदु रहा है। पिछले दिनों जब हैकरों ने कुछ वेबसाइटों के डेटा हैक कर लिये तब यह पुन: चर्चा में आ गया।

क्या है डार्क नेट ?

- इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो आमतौर पर प्रयोग किये जाने वाले गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजनों और सामान्य ब्राउज़िंग के दायरे से परे होती हैं। इन्हें डार्क नेट या डीप नेट कहा जाता है।
- सामान्य वेबसाइटों के विपरीत यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिस तक लोगों के चुनिंदा समूहों की पहुँच होती है और इस नेटवर्क तक विशिष्ट ऑथराइज़ेशन प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर और कन्फिग्यूरेशन के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 देश में सभी प्रकार के प्रचलित साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिये वैधानिक रूपरेखा प्रदान करता है। ऐसे अपराधों के नोटिस में आने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ इस कानून के अनुसार ही उचित कार्रवाइयाँ करती हैं।
- एक्सेस (Access) के संदर्भ में इंटरनेट को निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा जाता है-

1. सरफेस वेब (Surface Web)

- यह इंटरनेट का वह भाग है जिसका आमतौर पर हम दिन-प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग करते हैं।
- जैसे गूगल या याहू पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें सर्च रिज़ल्ट्स प्राप्त होते हैं और इसके लिये किसी विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
- ऐसी वेबसाइटों की सर्च इंजनों द्वारा इंडेक्सिंग की जाती है। इसलिये इन तक सर्च इंजनों के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

नोट :

2. डीप वेब (Deep Web)

- इन तक केवल सर्च इंजन के सर्च परिणामों की सहायता से नहीं पहुँचा जा सकता।
- डीप वेब के किसी डॉक्यूमेंट तक पहुँचने के लिये उसके URL एड्रेस पर जाकर लॉग-इन करना होगा, जिसके लिये पासवर्ड और यूज़र नेम का प्रयोग करना होगा।
- जैसे-जीमेल अकाउंट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, सरकारी प्रकाशन, अकादमिक डेटाबेस, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि ऐसी ही वेबसाइट्स होती हैं जो अपने प्रकृति में वैधानिक हैं किंतु इन तक पहुँच के लिये एडमिन की अनुमति की आवश्यकता होती है।

3. डार्क वेब (Dark Web)

- डार्क वेब अथवा डार्क नेट इंटरनेट का वह भाग है जिसे आमतौर पर प्रयुक्त किये जाने वाले सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता।
- इसका इस्तेमाल मानव तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और बिक्री, हथियारों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में किया जाता है।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार, 2015 से 2017 की अवधि में विभिन्न दवा कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा चार मामले दर्ज किये गए थे जिनमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की बिक्री तथा खरीद के लिये 'डार्क नेट' का इस्तेमाल किया गया था।
- डार्क वेब की साइट्स को टॉर एन्क्रिप्शन टूल की सहायता से छुपा दिया जाता है जिससे इन तक सामान्य सर्च इंजन से नहीं पहुँचा जा सकता।
- इन तक पहुँच के लिये एक विशेष ब्राउज़र टॉर (TOR) का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिये 'द ऑनियन राउटर' (The Onion Router) शब्द का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें एकल असुरक्षित सर्वर के विपरीत नोड्स के एक नेटवर्क का उपयोग करते हुए परत-दर-परत डेटा का एन्क्रिप्शन होता है। जिससे इसके प्रयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता बनी रहती है।
- समग्र इंटरनेट का 96% भाग डार्क वेब से निर्मित है, जबकि सतही वेब केवल 4% है।
- सिल्क रोड मार्केटप्लेस नामक वेबसाइट डार्क नेटवर्क का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिस पर हथियारों सहित विभिन्न प्रकार की अवैध वस्तुओं की खरीद और बिक्री की जाती थी।

अंतरिक्ष में पहला सौर ऊर्जा स्टेशन

चर्चा में क्यों ?

चंद्रमा के अनदेखे हिस्से के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिये भेजे गए मिशन की सफलता के बाद चीन अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा स्टेशन (Solar Power Station) बनाने की तैयारी कर रहा है।

प्रायोगिक आधार का निर्माण

- वैज्ञानिकों ने पहले ही पश्चिमी चीनी शहर चोंगकिंग(Chongqing) में इस प्रयोग के लिये एक बेस/आधार के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है।
- साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली (Science and Technology Daily)के अनुसार, वैज्ञानिकों की योजना प्रारंभ में 2021 से 2025 के बीच समतापमंडल (Stratosphere) में एक छोटा ऊर्जा स्टेशन, वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में 1 मेगावाट की क्षमता वाले ऊर्जा स्टेशन और अंतत: एक बड़ा सौर जनरेटर स्थापित करने की है।
- 3 जनवरी को राष्ट्र के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी पर अपना लैंड रोवर सफलतापूर्वक उतारा गया जिसने, मिशन की एक श्रृंखला की कैपिंग की और चीन की महत्त्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया।
- पृथ्वी से विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के अभाव के कारण अस्पष्टीकृत क्षेत्र पर उतारे गए लैंड रोवर (Change-4) द्वारा चंद्रमा का बेहतर ढंग से अध्ययन किया जा सकेगा।

अंतरिक्ष केंद्र (Space Station)

- चीन का लक्ष्य 2022 तक अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र, तियांगोंग (Tiangong) या हैवेनली पैलेस (Heavenly Palace) स्थापित करना है। इसमें एक कोर मॉड्यूल (Core Module) और प्रयोगों के लिये दो अन्य मॉड्यूल होंगे, जो विकसित किये जाने से कम-से-कम 10 साल तक 66 टन भार और तीन व्यक्तियों को ले जाने में सक्षम होगा।

नोट :

- इसका उपयोग जीव विज्ञान (Biology), भौतिकी (Physics) और पदार्थ विज्ञान (Material Sciences) सहित एक दर्जन क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये किया जाएगा।

चीन का लूनर रोवर 'चांग ई-4' (Chang'e 4)

- हाल ही में चीन ने चंद्रमा के अनदेखे हिस्से के बारे में जानकारी जुटाने के लिये चांग ई-4 यान का प्रक्षेपण किया।
- चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित शीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च-3 रॉकेट के ज़रिये यह प्रक्षेपण किया गया था।
- चांग ई-4 का उद्देश्य चंद्रमा के उस हिस्से के रहस्यों का खुलासा करना है, जहाँ अभी तक कोई यान नहीं गया है।
- ध्यातव्य है कि चंद्र अभियान 'चांग ई-4' का नाम चीनी पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है।

ब्रह्मांड के नए नक्शे में 3 लाख से ज़्यादा आकाशगंगाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में LOFAR (Low-Frequency Array) दूरबीन का प्रयोग करके मानचित्र पर रात में आकाश के भाग का एक नया नक्शा प्रकाशित किया गया जिसमें पूर्व अज्ञात सैकड़ों आकाशगंगाओं के चित्र दिखाए गए हैं। ये मानचित्र प्रकाशीय उपकरण द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों ने इस अब तक ज्ञात इस ब्रह्मांड का आकार बहुत बड़ा होने की जानकारी दी है। जिसे उन्होंने ब्रह्मांड में एक 'नई खिड़की' (New Window) की संज्ञा दी है।
- अभूतपूर्व अंतरिक्ष सर्वेक्षण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम ने बताया है कि इस खोज द्वारा ब्रह्मांड के कुछ गूढ़ रहस्यों, जैसे - ब्लैक होल की भौतिकी और आकाशगंगाओं के समूह कैसे विकसित हुए, पर नई जानकारी प्राप्त हुई है।
- 18 देशों के 200 से अधिक खगोलविदों ने अपने इस अध्ययन में उत्तरी गोलार्द्ध के ऊपर आकाश के एक भाग को देखने के लिये 'रेडियो खगोल विज्ञान' का उपयोग किया, और 3,00,000 ऐसे अनदेखे प्रकाश स्रोतों की पहचान की जिन्हें पहले नहीं प्राप्त किया जा सका था।
- खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पत्रिका (Journal Astronomy & Astrophysics) में प्रकाशित LOFAR दूरबीन के अवलोकन द्वारा बनाए गए इस नक्शे में केवल दो प्रतिशत आँकड़े प्राप्त किये जा सके हैं, जबकि दूरबीन में दस मिलियन डीवीडी की क्षमता के बराबर आँकड़े शामिल हैं।

प्राचीन विकिरण (Ancient Radiation)

- वैज्ञानिकों की टीम ने नीदरलैंड्स में लो-फ्रिक्वेंसी एरे (LOFAR) टेलीस्कोप से उन प्राचीन विकिरणों का पता लगाया जब आकाशगंगायें एक साथ जुड़ी थी जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुईं। ये विकिरण लाखों प्रकाश वर्ष तक विस्तार कर सकते हैं।
- वैज्ञानिको के अनुसार, रेडियो विकिरण द्वारा उन विरल माध्यमों से विकिरण का पता लगाया जा सकता है जो आकाशगंगाओं के बीच मौजूद होते हैं।
- नए प्रकाश स्रोतों की खोज से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की सबसे गूढ़ घटनाओं में से एक के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।
- ब्लैक होल भी जब अन्य उच्च द्रव्यमान वाली वस्तुओं, जैसे कि तारे और गैस के बादलों को खुद में समाहित करते हैं तो विकिरण का उत्सर्जन करते हैं।
- नई अवलोकन तकनीक खगोलविदों को आने वाले समय में ब्लैक होल की तुलना करने में सहयोग करेगी कि कैसे ये बनते हैं या विकसित होते हैं क्योंकि इस तकनीक से बहुत पुराने इलेक्ट्रॉन एवं विकिरणों को देखा जा सकता है।
- वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप द्वारा ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाशगंगाएँ होने के मानचित्र दिये है हालाँकि कई पारंपरिक पहचान तकनीकों का उपयोग करके पाया गया कि आकशगंगा के ये चित्र बहुत पुराने और दूर के हैं।

नोट :

LOFAR टेलीस्कोप

- लो-फ्रिक्वेंसी एरे या LOFAR एक बड़ा रेडियो टेलीस्कोप नेटवर्क है जो मुख्य रूप से नीदरलैंड्स में स्थित है।
- यह टेलीस्कोप सात देशों के रेडियो एंटीना के नेटवर्क से बना है, जो 1,300 किलोमीटर के व्यास वाले सैटेलाइट डिश (Satellite Dish) के बराबर है।

कृष्ण-छिद्र Black Hole

- कृष्ण-छिद्र अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन नहीं होता।
- चूँकि इनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, अत: हमें कृष्ण छिद्र दिखाई नहीं देते अर्थात वे अदृश्य होते हैं। हालाँकि विशेष उपकरणों से युक्त अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से कृष्ण-छिद्रों की पहचान की जा सकती है।
- ये उपकरण यह जानकारी प्राप्त करने में भी सक्षम हैं कि कृष्ण-छिद्रों के निकट स्थित तारे अन्य प्रकार के तारों से किस प्रकार भिन्न व्यवहार करते हैं।

रेडियो खगोल विज्ञान (Radio Astronomy)

- यह खगोल विज्ञान का एक उप-क्षेत्र है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आकाशीय वस्तुओं का अध्ययन करता है। 1932 में एक खगोलीय वस्तु से रेडियो तरंगों की पहली बार पहचान की गई थी।

भारतनेट कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (Digital Communications Commission-DCC) ने सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम भारतनेट (BharatNet Programme) के अंतर्गत 2.5 लाख किमी. तार (Fibre) बिछाने के कार्य को निज़ी कंपनियों को पट्टे पर देने या बेचने की मुद्रीकरण (Monetize) प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन द्वारा दूरसंचार क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे से उबारने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य के तहत भारतनेट कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये इस क्षेत्र में निज़ी कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
- एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सरकार फाइबर परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग करने में अक्षम है, इसीलिये इसे निज़ी कंपनियों को पट्टे पर देने अथवा बेचने का प्रस्ताव दिया गया है। हालाँकि कुछ कार्य भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (Bharat Broadband Network Limited) द्वारा भी किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
- आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इस प्रक्रिया को लीज़ मॉडल के आधार पर शुरू किया जा रहा है। इसके लिये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund) को राजस्व आय का अनुमान लगाते हुए 10 दिनों के भीतर एक योजना पेश करने के लिये कहा गया है।

सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति

- डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने घाटे में चल रही दूरसंचार क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) जैसे कि BSNL और MTNL को उच्च राजस्व प्राप्त करने की योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जिसके आधार पर इन उपक्रमों द्वारा पुनरुद्धार योजनाओं को प्रस्तुत किया गया।
- दोनों फर्मों BSNL और MTNL ने भू-संपत्ति के मुद्रीकरण के साथ साथ कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (Voluntary Retirement Scheme-VRS) की मंज़ूरी मांगी है। इस VRS योजना से राजस्व पर क्रमश: 6,365 और 2,120 करोड़ रुपए काभार पड़ेगा।
- एक अनुमान के अनुसार आने वाले 5-6 वर्षों में MTNL के कुल लगभग 22,000 कर्मचारियों में से 16,000 कर्मचारी और BSNL के कुल 1.75 लाख में से 75,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो सकते हैं।

नोट :

भारतनेट क्या है ?

- भारत नेट परियोजना का नाम पहले ओएफसी नेटवर्क (Optical Fiber Communication Network) था।
- भारतनेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिये हाईस्पीड ब्रॉडबैंड, किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है।
- इसके तहत ब्रॉडबैंड की गति 2 से 20 mbps तक होगी।
- इसके तहत ज़िला स्तर पर भी सरकारी संस्थानों के लिये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
- इस परियोजना का वित्तपोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund-USOF) द्वारा किया जा रहा है।
- इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर-दराज़ के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉड बैंड सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
- इस परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिये पहुँचाया जाएगा, लेकिन जहाँ ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाना संभव नहीं हो, वहाँ वायरलैस एवं सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा।
- गाँवों में इंटरनेट पहुँचाने के बाद निजी सेवा प्रदाताओं को भी मौके दिये जाएंगे ताकि वे विभिन्न प्रकार की सेवाएँ मुहैया करा सकें।
- स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं कौशल विकास केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन नि:शुल्क प्रदान किये जाएंगे।
- भारतनेट के पहले चरण में देश के कई राज्यों की एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।
- भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण के तहत मार्च 2019 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉड बैंड का लक्ष्य है।

भारत में कोयला बिजली संयंत्रों की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्विट्ज़रलैंड में उपस्थित ईटीएच ज़यूरिख (ETH Zurich in Switzerland) के पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा किये गए वैश्विक उत्सर्जन हॉटस्पॉट्स (Global Emission Hotspots) के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि भारत में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों (Coal-Fired Power Plants) पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टोल (Toll) लिया जाता है जबकि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़े दो देश चीन और अमेरिका हैं।

- शोधकर्त्ताओं ने बताया कि कोयला संयंत्र आधारित बिजली उत्पादन वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस (GHG) और विषैले गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख कारण है।

कोयला जलाने के दुष्प्रभाव

- कोयला के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उसर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। साथ ही कोयले के जलने से पार्टिकुलेट मैटर (Particulate Matter), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO) और पारा (Hg) का भी उत्सर्जन होता है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
- इस क्षेत्र में तत्काल कार्यवाही करने के लिये शोधकर्त्ताओं ने दुनिया के 7,861 बिजली संयंत्र इकाइयों में से प्रत्येक के लिये कोयला संयंत्र आधारित बिजली के अवांछित दुष्प्रभावों की गणना की।
- नेचर सस्टेनेबिलिटी (Nature Sustainability) नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख दर्शाते हैं कि चीन और अमेरिका कोयला ऊर्जा के दो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत के बिजली संयंत्र स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं।
- ETH ज़यूरिख के पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा किये गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मध्य यूरोप, उत्तरी अमेरिका और चीन सभी में आधुनिक बिजली संयंत्र हैं, लेकिन पूर्वी यूरोप, रूस और भारत में अभी भी कई पुराने संयंत्र हैं जिनसे असुरक्षित रूप से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।
- फलस्वरूप पुराने बिजली संयंत्र प्रदूषकों के केवल कुछ अंश को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर निम्न गुणवत्ता वाले कोयले का उपयोग किया जाता है।

नोट :

- शोधकर्त्ताओं द्वारा ऐसे बिजली संयंत्रों को जल्द-से-जल्द बंद किये करने तथा कोयला संयंत्र आधारित बिजली उत्पादन के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने को इसे वैश्विक प्राथमिकता में रखने की बात कही गई है।
- वर्तमान में बढ़ते औद्योगिकीकरण के दौर में विशेष रूप से चीन और भारत में इन संयंत्रों के बंद करने की बजाय इनका उपयोग बढ़ने का खतरा है।
- कोयला बिजली संयंत्र के निर्माण के लिये प्रारंभिक निवेश लागत अधिक होती है, लेकिन बाद में परिचालन लागत कम होती है। बिजली संयंत्र संचालकों का अपने संयंत्रों को लंबे समय तक चलाने पर ही आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

भारत लॉन्च करेगा खुद का DNS

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने तेज़ और सुरक्षित ब्राउज़िंग सुविधा प्रदान करने हेतु इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के लिये एक सार्वजनिक डोमेन नेम सर्वर (Domain Name Server-DNS) लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है। गौरतलब है कि इस कदम से देश में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं को अपना डेटा स्थानीय स्तर पर संग्रहीत करने की सुविधा मिल सकेगी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सार्वजनिक डोमेन नेम सर्वर लाने का मुख्य उद्देश्य उन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (Interest Service Providers-ISP) के लिये डोमेन नेम सर्वर की उपलब्धता सुनिश्चित करना है जिनके पास विश्वसनीय डोमेन नेम सर्वर नहीं है। ध्यातव्य है कि छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के पास आमतौर पर अपना विश्वसनीय सर्वर नहीं होता है।
- सार्वजनिक डोमेन नेम सर्वर का कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सरकार की प्रौद्योगिकी शाखा) द्वारा निष्पादित किया जाएगा जो अगले चार से छह महीनों में पूरा हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center-NIC) पहले से ही सरकारी नेटवर्क के भीतर सार्वजनिक DNS का उपयोग कर रहा है।
- यह प्रणाली वेबसाइट में घुसपैठ और मालवेयर के प्रसार तथा मैलीसियस वेबसाइटों तक उपयोगकर्त्ताओं की पहुँच को रोकेगी।

'डोमेन नेम' क्या होता है ?

- डिजिटल युक्त इस दुनिया में आज इंटरनेट पर करोड़ों की संख्या में वेबसाइट्स मौजूद हैं। इन सभी वेबसाइट्स का अपना अद्वितीय नाम होता है जिसे डोमेन नेम कहते हैं। इसी डोमेन नेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट उपयोगकर्त्ता किसी वेबसाइट तक पहुँचता है।
- ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) दुनिया के सभी डोमेन नेम को प्रबंधित करता है। ICANN एक गैर-लाभकारी निकाय है जो अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में स्थित है।
- ICANN डोमेन नेम विक्रेता कंपनियों (गोडैडी, बिग रॉक) को अधिकार प्रदान करता है।

'डोमेन नेम सर्वर' क्या होता है ?

- DNS इंटरनेट के लिये किसी निर्देशिका की तरह है। डोमेन नेम सर्वर को डोमेन नेम सिस्टम या संक्षिप्त में DNS भी कहा जाता है।
- DNS का मुख्य कार्य डोमेन नेम (किसी वेबसाइट का वेब एड्रेस) को IP एड्रेस में परिवर्तित करना होता है।
- जब हम किसी भी डोमेन नेम (Domain Name) को वेब ब्राउज़र (गूगल क्रोम, सफारी, मोज़िला) में टाइप करते हैं तो DNS उसको IP एड्रेस में परिवर्तित कर देता है।
- ध्यातव्य है कि ऐसा इसलिये किया जाता है क्योंकि हम IP एड्रेस (गणितीय संख्या) की तुलना में शब्दों को ज़्यादा आसानी से याद रख सकते है।
- उदहारण के तौर पर जब हम https://www.drishtiias.com को ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो DNS इसे 198.15.40.180 में या ऐसे ही किसी मान्य IP एड्रेस में परिवर्तित कर देता है। 198.15.40.180 की तुलना में drishtiias.com को याद रखना आसान है।

नोट :

EESL द्वारा शुरू किया गया सुपर-एफिशियंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत चार राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संयुक्त उपक्रम 'एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited-EESL)' ने आवासीय और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए सुपर-एफिशियंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम (Super-Efficient Air Conditioning Programme) की शुरुआत की गई।

- ये सुपर-एफिशियंट एयर कंडीशनर पहले की अपेक्षा 40% से अधिक की क्षमता से युक्त हैं, लेकिन वर्तमान में बाज़ार में उपलब्ध 3-स्टार एयर कंडीशनर की तुलना में इसकी कीमत अधिक है।
- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के अलावा यह सुपर- एफिशियंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता में सक्षम बनाकर बिजली की अत्यधिक मांग को कम करने में भी मदद करेगा।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से 2032 तक भारत में लगभग चार गुना ऊर्जा की खपत में वृद्धि की संभावना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हुए किगाली और पेरिस समझौतों के तहत भारत को लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सक्षम बनायेगा।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited)

- EESL, चार राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (Rural Electrification Corporation-REC) और पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (POWERGRID) का एक संयुक्त उपक्रम है। इसे ऊर्जा मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य कुशल और परिवर्तनकारी समाधानों द्वारा बाजार तक पहुँच बनाकर सभी हितधारकों को सफलता प्राप्त करने में मदद करना है।
- EESL ने देश में आत्मनिर्भर वाणिज्यिक मॉडल के माध्यम से 29 करोड़ से अधिक LED (Light Emitting Diode) बल्ब तथा 50 लाख एलईडी स्ट्रीटलाइट का वितरण किया है।
- इसका उद्देश्य अपने पोर्टफोलियो के विविधीकरण के लिए विदेशी बाज़ार में नए अवसरों का पता लगाना है। EESL ने ब्रिटेन, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपना परिचालन शुरू कर दिया है।

यह कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility-GEF) से प्राप्त अनुदान द्वारा आंशिक रूप से समर्थित है। इसके अलावा, एशियाई विकास बैंक (ADB) आवश्यक अनुदान सहायता और ऋण प्रदान कर रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme-UNEP) सुपर- एफिशियंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

वन्यजीव अपराधों को रोकेगा डीएनए परीक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विश्लेषण से पता चला है कि वन्यजीव अपराधों को रोकने में डीएनए (Deoxyribonucleic Acid-DNA) एक उपकरण के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों द्वारा पिछले कुछ समय में किये गए विश्लेषणों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि अवैध रूप से शिकार किये गए जंगली जानवरों के डीएनए फॉरेंसिक (जाँच प्रक्रिया) द्वारा पहचान करके भविष्य में इन जानवरों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाईं जा सकती है।
- ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार आने वाले वर्षों में वन्यजीव प्रजातियों की पहचान करते हुए आँकड़े एकत्र किये जाएंगे जिससे अवैध शिकार की प्रवृत्ति को समझ कर पहले से ही इसे रोकने के समुचित उपाय किये जा सकेंगे।

नोट :

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (Zoological Survey of India-ZSI)

- भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI), पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है।
- समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI) की स्थापना तत्कालीन 'ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य' में 1 जुलाई, 1916 को की गई थी।
- इसका उद्भव 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थित प्राणी विज्ञान अनुभाग की स्थापना के साथ ही हुआ था।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित हैं।

डीएनए फोरेंसिक जांच प्रक्रिया

- वर्तमान समय में डीएनए फोरेंसिक प्रक्रिया द्वारा बेहतर तरीके से समस्त मानव एवं जीव-जंतुओं की पहचान करने तथा आपराधिक मामलों की गुत्थियाँ सुलझाने में किया जा सकता है।
- मनुष्यों सहित समस्त जीव-जंतुओं में एक विशेष संरचनायुक्त रसायन पाया जाता है जो उसे विशिष्ट पहचान प्रदान करता है उसे डीएनए (Deoxyribonucleic Acid) कहते हैं।
- इस प्रक्रिया द्वारा किसी जीव-जंतु के जैविक अंशों जैसे - रक्त, बाल, लार, वीर्य या दूसरे कोशिका-स्रोतों के द्वारा उसके डीएनए की पहचान की जाती है।
- डीएनए फोरेंसिक प्रक्रिया विशिष्ट डीएनए क्रम का प्रयोग करती है, जिसे माइक्रोसैटेलाइट (Microsatellites) कहा जाता है।

माइक्रोसैटेलाइट (Microsatellites) – यह गुणसूत्र में किसी विशेष स्थान पर डीएनए अनुक्रमों का एक सेट है जो कम संख्या में दोहराया गया होता है। यह विभिन्न व्यक्तियों में संख्या में भिन्न होता है। इसलिए डीएनए फोरेंसिक प्रक्रिया (आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग) के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

कवक की विशेष प्रजाति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में ऐसी कवक प्रजातियों को तलाशने में सफलता हासिल की है, जिनसे ब्लड कैंसर का उपचार किया जा सकता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इन खास कवक प्रजातियों से ब्लड कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाले एंज़ाइम L-एस्पेरेजिनेज़ (L-asparaginase) का उत्पादन किया जा सकता है।
- इस एंज़ाइम का उपयोग एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (Acute Lymphoblastic Leukemia-ALL) नामक ब्लड कैंसर के उपचार की एंज़ाइम-आधारित कीमोथेरेपी में किया जाता है।
- वर्तमान में कीमोथेरेपी के लिये L-एस्पेरेजिनेज़ का उत्पादन साधारण जीवाणुओं जैसे - एश्चेरीचिया कोलाई (Escherichia coli) और इरवीनिया क्राइसेंथेमी (Irveenia Kraisenthemi) से किया जाता है, जिसमें L-एस्पेरेजिनेज़ के साथ ग्लूटामिनेज़ और यूरिएज़ नामक दो अन्य एंज़ाइम भी होते है जो मरीज़ों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- यदि इनके द्वारा प्राप्त L-एस्पेरेजिनेज़ से अन्य एंज़ाइमों को अलग किया जाता है तो उपचार लागत बढ़ जाती है लेकिन अंटार्कटिका द्वारा खोजे गए कवक से शुद्ध L-एस्पेरेजिनेज़ प्राप्त किया जा सकता है तथा सस्ते इलाज के साथ दोनों अन्य एंज़ाइमों से होने वाले दुष्प्रभावों को भी रोका जा सकता है।

एंज़ाइम का महत्त्व

- L-एस्पेरेजिनेज़ एंज़ाइम ब्लड कैंसर के इलाज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कीमोथेरेपी दवाओं में से एक है।
- यह कैंसर कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन के संश्लेषण के लिये आवश्यक एस्पेरेजिन नामक अमीनो अम्ल की आपूर्ति को कम करता है।
- इस प्रकार यह एंज़ाइम कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि और प्रसार को रोकता है।

नोट :

अनुकूल परिस्थितियाँ

- खोजी गई अंटार्कटिका कवक प्रजातियाँ अत्यंत ठंडे वातावरण में वृद्धि करने में सक्षम सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आती हैं।
- ये कवक प्रजातियाँ माइनस 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेट के न्यूनतम तापमान पर वृद्धि और प्रजनन कर सकती हैं। इस तरह के सूक्ष्मजीवों में विशेष तरह के एंटी-फ्रीज़ (Anti- Freez) एंज़ाइम पाए जाते हैं, जिनके कारण ये अंटार्कटिका जैसे अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय वातावरण में भी जीवित रह पाते हैं।
- इन एंज़ाइमों की इसी क्षमता का उपयोग कैंसर जैसी बीमारियों के लिये प्रभावशाली दवाएँ तैयार करने के लिये किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (National Centre for Polar and Ocean Research NCPOR), गोवा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institutes of Technology-IIT), हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के श्रीमाचेर पर्वत की मिट्टी और काई से कवक प्रजातियों के 55 नमूने अलग किये थे। इनमें शामिल 30 नमूनों में शुद्ध L-एस्पेरेजिनेज़ पाया गया है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में संदेश फैलाने, मानव कल्याण के लिये विज्ञान के क्षेत्र में सभी गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और विज्ञान के विकास के लिये नई तकनीकों को लागू कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' मनाया जाता है।

- इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर पटना वीमेंस कॉलेज के विज्ञान ब्लॉक द्वारा दो दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- देश में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इसमें देश भर के वैज्ञानिक संगठन और संस्थान शामिल हुए।
- इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है: साइंस फॉर द पीपल, एंड पीपल फॉर द साइंस ।
- इस अवसर पर वर्ष 2016, 2017 और 2018 के लिये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी प्रदान किये गए।

पृष्ठभूमि

- 28 फरवरी, 1928 को देश के प्रसिद्द भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 'रमन प्रभाव' की खोज की थी जिसके लिये वर्ष 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी, 1986 से प्रत्येक वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 1954 में भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिये सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

रमन प्रभाव (Raman Effect)

रमन प्रभाव के अनुसार, प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है।

अनुप्रयोग

- यह एक अद्भुत प्रभाव है, इसकी खोज के एक दशक बाद ही 2000 रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया। इसके पश्चात् ही क्रिस्टल की आंतरिक रचना का भी पता लगाया गया।
- फोटोन की ऊर्जा या प्रकाश की प्रकृति में होने वाले अतिसूक्ष्म परिवर्तनों से माध्यम की आंतरिक अणु संरचना का पता लगाया जा सकता है। रमन प्रभाव रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना समझने के लिये भी महत्वपूर्ण है।

नोट :

- प्रत्येक रासायनिक पदार्थ का अपना एक विशिष्ट रमन स्पेक्ट्रम होता है और किसी पदार्थ के रमन स्पेक्ट्रम को देखकर उन पदार्थों की पहचान की जा सकती है। इस तरह रमन स्पेक्ट्रम पदार्थों को पहचानने और उनकी आतंरिक परमाणु संयोजन का ज्ञान प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण साधन भी है।

शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार- 2018

अपने स्थापना दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) ने वर्ष 2018 के लिये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं की सूची जारी की है।

- हर साल 45 वर्ष से कम आयु के कई वैज्ञानिकों को देश भर के विभिन्न संस्थानों से चुना जाता है और पिछले पाँच वर्षों में उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिये सम्मानित किया जाता है।
- विभिन्न श्रेणियों में इस वर्ष के विजेताओं की सूची इस प्रकार है :

जीव विज्ञान - डॉ. गणेश नागाराजू (भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरू) और डॉ. थॉमस पुकाडिल (भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान –IISER पुणे)।

रसायन विज्ञान – डॉ. राहुल बनर्जी तथा डॉ. स्वाधीन कुमार मंडल (IISER कोलकाता)।

पृथ्वी, वातावरण, सामुद्रिक एवं ग्रहीय विज्ञान - डॉ. मेदिनेनी वेंकट रत्न (राष्ट्रीय वातावरण अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरूपति) और डॉ. पार्थसारथी चक्रवर्ती (CSIR-राष्ट्रीय सामुद्रिक संस्थान)।

अभियांत्रिकी विज्ञान – डॉ. अमित अग्रवाल और डॉ. अश्विन अनिल गुमास्ते (IIT बॉम्बे)।

गणितीय विज्ञान - डॉ. अमित कुमार (IIT दिल्ली) और डॉ. नितिन सक्सेना (IIT कानपुर)।

चिकित्सा विज्ञान - डॉ. गणेशन वेंकट सुब्रमण्यम (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलूरू)।

भौतिक विज्ञान - डॉ. अदिति सेन डे (हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद) और डॉ. अंबरीश घोष (भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरू)।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research CSIR)

- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अग्रणी अनुसंधान एवं विकास ज्ञानाधार के लिये ज्ञात एक समसामयिक अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- CSIR की स्थापना वर्ष 1942 में की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है तथा भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है।
- शिमागो इंस्टीट्यूशन्स रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2014 के अनुसार, विश्व भर के 4851 संस्थानों में CSIR का स्थान 84वाँ है और यह शीर्षस्थ 100 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अकेला भारतीय संगठन है। CSIR एशिया में 17वें और देश में पहले स्थान पर है।

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

विश्व आर्द्रभूमि दिवस

चर्चा में क्यों ?

पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (World Wetland Day) के रूप में मनाया गया। गौरतलब है कि आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिये आर्द्रभूमि की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिये किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय (Convention on Wetlands) को अपनाया गया था।
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी, 1997 को रामसर सम्मलेन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था।
- वर्ष 2019 के लिये विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम 'आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन' (Wetlands and Climate Change) थी।
- आर्द्रभूमि/वेटलैंड्स पर रामसर अभिसमय/कन्वेंशन की स्थायी समिति द्वारा अगले दो वर्षों 2020 और 2021 के लिये स्वीकृत की गई थीम्स हैं-
  - 2020- आर्द्रभूमि और जैव-विविधता (Wetlands and Biodiversity)
  - 2021- आर्द्रभूमि और जल (Wetlands and Water)

भूमिका

- पृथ्वी पर जीवों के विकास की एक लंबी कहानी है और इस कहानी का सार यह है कि धरती पर सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है अपितु इसके विभिन्न भागों में विद्यमान करोड़ों प्रजातियों का भी इस पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा।

नदियों, झीलों, समुद्रों, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जीवों (समृद्ध जैव-विविधता) को देखकर हम रोमांचित हो उठते हैं।

- जब जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर समृद्ध जैव-विविधता देखने को मिलती है तो सोचने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर जलीय एवं स्थलीय जैव-विविधताओं का मिलन होता है वह जैव-विविधता की दृष्टि से अपने आप में कितना समृद्ध होगा ?
- दरअसल वेटलैंड (आर्द्रभूमि) एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिकीय तंत्र है तथा जैव-विविधता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। जलीय एवं स्थलीय जैव-विविधताओं का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वन्य प्राणी प्रजातियों व वनस्पतियों की प्रचुरता पाए जाने की वजह से वेटलैंड समृद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र है।
- आज के आधुनिक जीवन में मानव को सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन से है और ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी जैव-विविधता का संरक्षण करें।
- वर्ष 2017 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये वेटलैंड्स (संरक्षण एवं प्रबंधन नियम) 2017 (Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017) नामक एक नया वैधानिक ढाँचा (Legal Framework) लाया गया है।

क्या है वेटलैंड ?

- नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड (Wetland) कहा जाता है। दरअसल, वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं।
- आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णत: जल से भरा रहता है।
- भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है।

नोट :

क्यों महत्त्वपूर्ण हैं वेटलैंड्स ?

- **बायोलॉजिकल सुपर मार्केट:**
  - वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपर-मार्केट कहा जाता है, क्योंकि ये विस्तृत भोज्य-जाल (Food-Webs) का निर्माण करते हैं।
  - फूड-वेब्स यानी भोज्य-जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएँ शामिल होती हैं और ऐसा माना जाता है कि फूड-वेब्स पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के खाद्य व्यवहारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - एक समृद्ध फूड-वेब समृद्ध जैव-विविधता का परिचायक है और यही कारण है कि इसे बायोलॉजिकल सुपर मार्केट कहा जाता है।
- **किडनीज ऑफ द लैंडस्केप:**
  - वेटलैंड्स को 'किडनीज़ ऑफ द लैंडस्केप' (Kidneys of the Landscape) यानी 'भू-दृश्य के गुर्दे' भी कहा जाता है।
  - जिस प्रकार से हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड तंत्र जल-चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषणकारी अवयवों को निकाल देता है।
  - जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी अवस्था में बदलाव लाना अपेक्षाकृत आसान है।
  - जल-चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने की चक्रीय प्रक्रिया है।
  - जलीय चक्र निरंतर चलता है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है और पृथ्वी पर इसके अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा।
- **उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में सहायक:**
  - वेटलैंड्स जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है, जहाँ उपयोगी वनस्पतियाँ एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।
  - अत: ये उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- लोगों की आजीविका के लिये महत्त्वपूर्ण:
  - दुनिया की तमाम बड़ी सभ्यताएँ जलीय स्रोतों के निकट ही बसती आई हैं और आज भी वेटलैंड्स विश्व में भोजन प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
  - वेटलैंड्स के नज़दीक रहने वाले लोगों की जीविका बहुत हद तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर होती है।
- **पर्यावरण संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण:**
  - वेटलैंड्स ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र हैं जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं।
  - इस तरह बाढ़ का पानी झीलों एवं तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं।
  - इतना ही नहीं 'कार्बन अवशोषण' व 'भू जल स्तर' में वृद्धि जैसी महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं।

वेटलैंड्स संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- **रामसर कन्वेंशन**
  - रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है, जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमतापूर्ण उपयोग के लिये राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढाँचा उपलब्ध कराती है।
  - 2 फरवरी, 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किये थे, इसीलिये इस दिन विश्व वेटलैंड्स दिवस का आयोजन किया जाता है।
  - वर्ष 2015 तक के आँकड़ों के अनुसार, अब तक 169 दल रामसर कन्वेंशन के प्रति अपनी सहमति दर्ज़ करा चुके हैं जिनमें भारत भी एक है।
  - वर्तमान में 2200 से अधिक वेटलैंड्स हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल किया गया है और इनका कुल क्षेत्रफल 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है।

नोट :

- गौरतलब है कि रामसर कन्वेंशन विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि है।
- विलुप्त हो रहे वेटलैंड्स के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिये जाने का आह्वान करने के उद्देश्य से रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन का आयोजन किया गया था।
- इस कन्वेंशन में शामिल होने वाली सरकारें वेटलैंड्स को पहुँची हानि और उनके स्तर में आई गिरावट को दूर करने के लिये सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

- **रामसर कन्वेंशन में तय लक्ष्य:**
  - इस कन्वेंशन में यह तय किया गया था कि पर्यावरण सरंक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श और सहयोग के ढाँचे की ज़रूरत है।

वेटलैंड्स सरंक्षण के लिये राष्ट्रीय प्रयास

- **राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम**
  - सरकार ने वर्ष 1986 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था।
  - इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 115 वेटलैंड्स की पहचान की गई थी, जिनके संरक्षण और प्रबंधन हेतु पहल करने की ज़रूरत है।
  - इस योजना का उद्देश्य देश में वेटलैंड्स के संरक्षण और उन्नका बुद्धिमतापूर्ण उपयोग करना है, ताकि उनमें आ रही गिरावट को रोका जा सके।

क्या है आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2017

विदित हो कि वर्ष 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड्स के सरंक्षण से संबंधित नए नियमों को अधिसूचित किया गया है। आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2017 पहले के दिशा-निर्देशों का स्थान लेगी, जो 2010 में लागू हुए थे।

- **नए नियमों में व्याप्त विसंगतियाँ**
  - 2010 के नियमों में वेटलैंड्स से संबंधित कुछ मानदंडों को स्पष्ट किया गया था, जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य, पारिस्थितिक संवेदनशीलता, आनुवंशिक विविधता, ऐतिहासिक मूल्य आदि। लेकिन नए नियमों में यानी 2017 के नियमों में इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है।
  - वेटलैंड्स में जारी गतिविधियों पर लगने वाला प्रतिबंध 'बुद्धिमतापूर्ण उपयोग' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा जो कि राज्य के आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
  - नए नियमों के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण को हानि पहुँचाने वाली गतिविधि से बचाव के लिये ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार (जो कि प्रकृति में बाध्यकारी हो) किसी भी प्राधिकरण को नहीं दिया गया है।
  - अत: स्पष्ट है कि नए नियम वेटलैंड्स सरंक्षण के लिये नाकाफी साबित होंगे।

- **नए नियमों की कुछ अच्छी बातें:**
  - दरअसल, यह कहना भी उचित नहीं होगा कि वर्ष 2017 के नियमों में सब कुछ बुरा ही है। इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण बातें भी शामिल हैं।
  - नए नियमों में वेटलैंड्स प्रबंधन के प्रति विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि क्षेत्रीय विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और राज्य अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सकें।
  - ज़्यादातर निर्णय राज्य के आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा लिये जाएंगे, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय वेटलैंड समिति द्वारा की जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था सहकारी संघवाद की भावना को मज़बूत करती है।

आगे की राह

- दरअसल, देश में मौजूद 26 वेटलैंड्स को ही संरक्षित किया गया है, लेकिन ऐसे हज़ारों वेटलैंड्स हैं जो जैविक और आर्थिक रुप से महत्त्वपूर्ण तो हैं लेकिन उनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालाँकि, नए नियमों में एक स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास किया गया है।
- वेटलैंड्स योजना प्रबंध और निगरानी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आते है। हालाँकि अनेक कानून वेटलैंड को संरक्षित करते हैं, लेकिन इनकी पारिस्थितिकी के लिये विशेष रूप से कोई कानून नहीं है।

नोट :

- इनके लिये समन्वित पहुँच आवश्यक है, क्योंकि ये बहु-उद्देश्यीय उपयोगिता हेतु आम संपत्ति हैं और इनका संरक्षण और प्रबंधन करना सभी की ज़िम्मेदारी है।
- वैज्ञानिक जानकारी योजनाकारों को आर्थिक महत्त्व और लाभ समझाने में मदद करेगी। अत: वेटलैंड्स के वैज्ञानिक महत्त्व के प्रति नीति-निर्माताओं को जागरूक बनाना होगा।
- जहाँ तक जागरूकता का प्रश्न है तो आम जनता को भी इन वेटलैंड्स के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाए जाने की ज़रूरत है।
- नए नियमों की बात करें तो वेटलैंड्स किसी विशिष्ट प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत अंकित नहीं हैं और इस पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के हाथ में रही है।
- इस दृष्टि से वेटलैंड्स के सरंक्षण जैसे संवेदनशील मामले में राज्यों की सहभागिता महत्त्वपूर्ण है लेकिन साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इनके सरंक्षण से कोई समझौता न हो।

ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन स्तर में तीव्र वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किये गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि चीन की तुलना में भारतीय शहरों में ग्रीनहाउस गैस (GHG) का उत्सर्जन का स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में भारत में ज़िलों के जनसंख्या घनत्व तथा वाहनों के संदर्भ में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अध्ययन का विश्लेषण किया गया जिसमें यह बात सामने आई कि चीन की तुलना में भारत में शहरीकरण की अपेक्षा वाहनों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेज़ी से वृद्धि हो रही है।
- इस अध्ययन के अनुसार, गुरुग्राम में सबसे अधिक 140 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और श्रावस्ती में सबसे कम 1.8 किलोग्राम CO_2 होता है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कार्य पर आने-जाने के दौरान प्रत्येक भारतीय 20 किलोग्राम CO_2 उत्सर्जित करता है।
- अधिकांश विकसित देशों में शहरीकरण को GHG उत्सर्जन में कमी का कारण पाया गया क्योंकि वहाँ अधिक शहरीकरण का मतलब कार्यस्थल और घर के बीच कम दूरी तथा आने-जाने के लिये सार्वजनिक परिवहन पहली प्राथमिकता होती है। हालाँकि यह प्रभावी रूप से विकासशील देशों पर लागू नहीं होता है।
- अध्ययन के अनुसार, चीन में शहरीकरण से 1% की वृद्धि अर्थात CO_2 उत्सर्जन में 0.12% की वृद्धि, जबकि भारत में 0.24% की वृद्धि हुई है।
- 2017 में भारत का CO_2 उत्सर्जन अनुमानित 4.6% बढ़ा और यह प्रति व्यक्ति उत्सर्जन लगभग 1.8 टन था।
- भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा CO_2 उत्सर्जक होने के बावजूद यह उत्सर्जन विश्व औसत (प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 4.2 टन) से बहुत कम है। लेकिन ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के आँकड़ों के मुताबिक, पिछले एक दशक में औसत विकास दर 6% के साथ यह उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है।

उत्सर्जन का विश्लेषण

- अध्ययन में कहा गया है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी उत्सर्जन को रोकने को हमेशा एक समाधान नहीं है।
- डीजल की कीमत में 1% की वृद्धि से कुछ ज़िलों में उत्सर्जन में 11% की कमी आई, जबकि कम आय वाले ज़िलों में यह लगभग 3% तक गिर गया।
- अध्ययन में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि भारत का परिवहन पैटर्न यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में जलवायु के साथ ज़्यादा अनुकूल स्थिति में है। यहाँ के कुछ ज़िलों के ज़्यादातर लोग कम पैदल दूरी के लिये तीन पहिया वाहनों पर निर्भर हैं, जबकि अन्य शहरी, समृद्ध लोग जिनकी संख्या अधिक है, कारों का इस्तेमाल करते हैं।

नोट :

- दिल्ली में प्रति व्यक्ति उच्चतम उत्सर्जन पाया गया जिसके कारण प्रदूषण स्तर अपने उच्च स्तर पर पहुँच गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलूरु और हैदराबाद की तुलना में 2.5 गुना अधिक उत्सर्जन पाया गया।
- रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति और निजी यात्रा साधनों पर भारी निर्भरता के कारण अन्य बड़े शहरों की तुलना में यहाँ उच्च उत्सर्जन स्तर पाया गया।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला ऊँट को आवास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बांग्लादेश सीमा पर तस्करों से बचाए गए एक ऊँट को राज्य की पुलिस और असम राज्य चिड़ियाघर के अधिकारियों के बीच छह महीने तक चली कानूनी लड़ाई के बाद पूर्वी असम के शिवसागर ज़िले में एक आवास प्रदान किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में एक वयस्क नर ऊँट को गुवाहाटी के चिड़ियाघर से निकालकर लगभग 350 किमी. दूर पूर्वी असम के शिवसागर ज़िले में 'पशु घर' में एक ट्रक के माध्यम से पहुँचाया गया।
- अरण्यम नामक इस 'पशु घर' का संचालक समीरन हातिमुरिया (Samiran Hatimuria) है जिसके संरक्षण में इस ऊँट को भेजा गया है।
- समीरन हातिमुरिया ने ऊँट को यहाँ लाये जाने को स्वागत योग्य बताते हुए यहाँ मौजूद अन्य जानवरों के बारे में भी जानकारी दी जिनमें एमू (Emu), टर्की (Turkey), गिनी सूअर (Guinea Pigs), घोड़े (Horses), 12 प्रकार के मोर (Peafowls), पाँच प्रकार के कबूतर (Pigeons) और अन्य जानवर शामिल हैं।

क्या था मामला ?

- 2018 के मध्य में पश्चिमी असम के गोलपारा ज़िले की पुलिस ने इस ऊँट को बांग्लादेश में तस्करी के लिये ले जाने वाले तस्करों से बचाकर चिड़ियाघर में पहुँचा दिया था। जहाँ पहले से ही दो ऊँटों को रखा गया था।
- पशु चिकित्सकों ने पहले दो ऊँटों को उन बीमारियों के वाहक बताया था जिनसे अन्य जानवरों की जान को खतरा हो सकता था, हालाँकि कुछ समय बाद दोनों ऊँटों की मौत हो जाने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने गोलपारा में सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
- चिड़ियाघर के प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) ने अदालत में अपना तर्क देते हुए कहा कि चिड़ियाघर घरेलू पशुओं को रखने के लिये अधिकृत नहीं है तथा ऊँट (जो स्वस्थ था) को चिड़ियाघर से बाहर पुलिस को वापस सौंपने की मांग की।
- कुछ समय पश्चात स्थानीय अदालत ने पुलिस को ऊँट को वापस ले जाने का आदेश दिया लेकिन जानवर पालने में पुलिस की अक्षमता के चलते इसे चिड़ियाघर में छोड़ दिया।

अरण्यम (Aranyam)

वर्ष 2008 में समीरन हातिमुरिया ने अरण्यम नामक पशु घर खोला जिसमें शिवसागर ज़िले के वन्यजीव अधिकारियों द्वारा जंगली जानवरों को इलाज या पुनर्वास के लिये तथा उनकी सुरक्षा हेतु शरण दी जाती है।

ग्लेशियरों के पिघलने से भारत चिंतित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए तो हिंदुकुश हिमालय में दो-तिहाई ग्लेशियर वर्ष 2100 तक पिघल सकते हैं तथा पानी के बढ़ जाने से बड़ी नदियों में बाढ़ आ सकती है।

नोट :

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

- हिंदुकुश हिमालय उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवों के बाद तीसरा सबसे बड़ा बर्फ का क्षेत्र है और 1970 के दशक से लगातार ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित है।
- वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने हेतु पूर्व-औद्योगिक स्तर के वैश्विक प्रयास विफल हो जाते हैं, तो इसके कारण वर्ष 2100 तक हिंदुकुश क्षेत्र का दो-तिहाई ग्लेशियर पिघल सकता है।
- ग्लेशियर पिघलने से स्थिति काफी भयावह हो सकती है क्योंकि इस क्षेत्र में हिमनदों की लगभग 8,790 झीलें हैं जिनमें से 203 हिमनद झीलों में बाढ़ आ सकती है।
- सामान्यत: हिंदुकुश में हर साल औसतन 76 घटनाएँ ऐसी पाई जाती हैं, जिनमें चीन में लगभग 25 तथा भारत में 18 घटनाएँ हैं।

हिमालय में वार्मिंग की घटना कैसे नदियों को अस्थिर कर सकती है ?

- हिंदुकुश क्षेत्र एशिया का जल भंडार है। इसके ग्लेशियरों से निकलने वाला जल 10 मुख्य नदियों के माध्यम से दो अरब से अधिक लोगों को जीवन प्रदान करता है। लोग जल का उपयोग कृषि,उद्योग-धंधों एवं पीने के लिए करते हैं।
- हिमनद पिघलने की दर बढ़ने से इन नदियों का प्रवाह बदलकर अस्थिर हो सकता है।
- हिमनद पिघलने के उच्च दर के कारण सिंधु नदी के जल-स्तर में वर्ष 2050 तक अधिक जल का प्रवाह देखा जा सकता है, उसके बाद हिमनद पिघलने की दर कम होने के कारण जल प्रवाह कम हो जाएगा।
- गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो मुख्य रूप से मानसून से प्रभावित हैं, में भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून से पहले जल प्रवाह में कमी हो सकती है। इससे कृषि के लिये संकट उत्पन्न हो जाएगा क्योकि कृषि कार्य में जल का बहुत बड़ा योगदान है।

क्या बढ़ता प्रदूषण स्तर संकट में योगदान दे रहा है ?

- इंडो-गंगेटिक समतल भाग जो कि अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र है, ने ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को बढ़ाया है। ब्लैक कार्बन और धूल के जमाव ने हिंदुकुश ग्लेशियरों के पिघलने की दर को तेज़ दिया है।

मानसून पर क्या असर हो सकता है ?

- मानसून परिसंचरण के दौरान मौसमी घटनाओं तथा गर्मियों में एशिया में वर्षा के वितरण पर हिंदुकुश श्रेणी का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून से भारत में 70% वार्षिक वर्षा होती है। एक अनुमान के अनुसार, ग्लेशियर पिघलने से ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में 4-12% से 4-25% की वृद्धि की संभावना है।
- मानसून के पैटर्न में बदलाव से, तूफानों की आवृत्ति बढ़ने सहित यह पर्वत के लिए विभिन्न खतरों को बढ़ाकर इसके महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर सकता है।

क्या ज़बरन पर्यावरणीय पलायन का खतरा हो सकता है ?

- शोधकर्त्ताओं का कहना है कि बाढ़ जैसी चरम घटनाओं में वृद्धि के कारण लोग मज़बूरी में प्रवासन हो सकते हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय आंदोलन शुरू हो सकते हैं।
- हिंदुकुश हिमालय के देशों में प्रवासन में वृद्धि की वार्षिक दर सामान्य से अधिक रही है और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। अगले 20 वर्षों में इस क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में पलायन दर तीव्र हो सकती है।

वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वाँ COP

चर्चा में क्यों ?

वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (Conservation of Migratory Species of Wild Animals- CMS) पर 13वें COP (Conference of Parties) की मेज़बानी भारत करेगा। यह सम्मलेन 15 -22 फरवरी, 2020 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। सम्मलेन में 129 पार्टियों, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठित संरक्षणवादियों और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

नोट :

क्या है CMS ?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nation Environment Programme-UNEP) के तत्त्वाधान में एक पर्यावरण संधि के रूप में CMS प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिये एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसे बॉन कन्वेंशन (Bonn Convention) के नाम से भी जाना जाता है। यह कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ भी सहयोग करता है।
- प्रवासी प्रजातियाँ वे जीव हैं, जो भोजन, धूप, तापमान, जलवायु आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में एक निवास स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। निवास स्थानों के बीच की यह यात्रा कुछ किलोमीटर से लेकर हज़ारों किलोमीटर तक की हो सकती है।
- इस सम्मेलन के तहत ऐसी प्रजातियाँ, जो विलुप्ति के कगार पर हैं या जिनका अस्तित्व संकट में है, को अपेंडिक्स-। में सूचीबद्ध किया जाता है। वें प्रजातियाँ जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद की जरुरत है, उन्हें अपेंडिक्स-।। में शामिल किया गया है
- पार्टियाँ इन सूचीबद्ध जीवों की कड़ाई से रक्षा करने, इनके निवास स्थानों को संरक्षित करने या उन्हें पुनर्स्थापित करने की दिशा में प्रयास करती हैं साथ ही प्रवासन की बाधाओं को कम करती हैं।

CMS में भारत की स्थिति

- भारत 1983 से CMS की एक पार्टी है।
- साइबेरियन क्रेन (1998), मरीन टर्टल (2007), डूगोंग (2008) और रैप्टर (2016) के संरक्षण और प्रबंधन पर CMS के साथ गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी MOU पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं।
- भारत कई प्रवासी जानवरों और पक्षियों का अस्थायी घर है। अमूर फाल्कन, बार हेडेड घीस, ब्लैक नेकलेस क्रेन, मरीन टर्टल, डूगोंग, हंपबैक व्हेल इत्यादि इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं।
- भारतीय उप-महाद्वीप प्रमुख पक्षी फ्लाईवे नेटवर्क का हिस्सा है। इसे मध्य एशियाई फ्लाईवे (The Central Asian Flyway - CAF) भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्कटिक एवं हिन्द महासागर के मध्य का क्षेत्र आता है।
- इस क्षेत्र में जलीय पक्षियों की 182 प्रजातियों की कम-से-कम 279 आबादी पाई जाती है, जिसमें से 29 प्रजातियाँ वैश्विक रूप से संकटापन्न स्थिति में हैं।
- भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे के तहत प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना भी शुरू की है।

एशियाई शेर संरक्षण परियोजना (Asiatic Lion)

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने एशियाई शेर की दुनिया की आखिरी स्वतंत्र आबादी और इसके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 'एशियाई शेर संरक्षण परियोजना' (Asiatic Lion Conservation Project) शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वर्ष 2018 से 2021 तक तीन वित्तीय वर्षों के लिये इस परियोजना को मंज़ूरी दी है।

उद्देश्य

- 'एशियाई शेर संरक्षण परियोजना' एशियाई शेर के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के लिये किये जा रहे प्रयासों को बल प्रदान करेगी, इस परियोजना के तहत आधुनिक तकनीक/उपकरणों, नियमित वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी अध्ययनों, रोग प्रबंधन, आधुनिक निगरानी/गश्त तकनीक की सहायता से कार्य किया जाएगा।

नोट :

एशियाई शेर

- एक समय में पूर्वी एशिया में पलामू (Palamau) से लेकर फारस (ईरान) तक पाई जाने वाली एशियाई शेरों की प्रजाति अंधाधुंध शिकार और आवासीय क्षति के कारण विलुप्त होने को है।
- 1890 के दशक के अंत तक गुजरात के गिर जंगलों में शेरों की 50 से भी कम जनसंख्या बची थी। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर कड़े सुरक्षा उपाय किये जाने के बाद वर्तमान में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो पाई है।
- वर्ष 2015 में हुई आखिरी जनगणना में 1648.79 वर्ग किमी. के गिर संरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क (Gir Protected Area Network) में एशियाई शेरों की संख्या 523 दर्ज की गई।
- इस नेटवर्क के अंतर्गत गिर राष्ट्रीय उद्यान (Gir National Park); गिर अभयारण्य (Gir Sanctuary); पानिया अभयारण्य (Pania Sanctuary)' आरक्षित, संरक्षित एवं अनगिनत वनों के समीप अवस्थित मितीला अभयारण्य (Mitiyala Sanctuary) शामिल है।
- यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमेशा से एशियाई शेरों का संरक्षण भारत सरकार की प्राथमिकता रही है।
- आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ग्रेटर गिर क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के प्रयासों हेतु प्रस्तावित है। अतिरिक्त ICT में निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे:

1. जीपीएस आधारित ट्रैकिंग (GPS Based Tracking)
   a. निगरानी ट्रैकिंग (Surveillance Tracking)
   b. पशु ट्रैकिंग (Animal Tracking)
   c. वाहन ट्रैकिंग (Vehicle Tracking)
2. स्वचालित सेंसर ग्रिड (Automated Sensor Grid)
   a. चुंबकीय सेंसर (Magnetic Sensors)
   b. मूवमेंट सेंसर (Movement Sensors)
   c. इंफ्रा-रेड हीट सेंसर (Infra-red Heat Sensors)
3. नाईट विज़न कैपेबिलिटी (Night Vision Capability Enhancement)
4. GIS आधारित रियल टाइम निगरानी, विश्लेषण और रिपोर्ट।

शेरों के संरक्षण के लिये किये गए प्रयास

- इस परियोजना से पहले भी मंत्रालय ने गुजरात में एशियाई शेर के संरक्षण हेतु कई प्रयास किये हैं, ऐसे ही एक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा 21 गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) प्रजातियों की सूची में एशियाई शेरों को शामिल किया गया है। साथ ही CSS-DWH के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।
- इस परियोजना के अंतर्गत देश में एक स्थिर और व्यावहारिक शेर आबादी सुनिश्चित करने के लिये आवासीय सुधार के उपायों, वैज्ञानिक हस्तक्षेप, रोग नियंत्रण और पशु चिकित्सा देखभाल तथा पर्याप्त पारिस्थितिकी विकास कार्यों पर विशेष रूप से विचार किया गया है।

विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन- 2019

चर्चा में क्यों ?

नई दिल्ली में विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन- 2019 (World Sustainable Development Summit- 2019) का आयोजन किया जा रहा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के अग्रणी विचार मंच ऊर्जा और संसाधन संस्थान (The Energy and Resources Institute-TERI) द्वारा किया जा रहा है।

नोट :

- इस वर्ष TERI ने फिजी में सतत् विकास के लिये फिजी के प्रधानमंत्री, फ्रैंक बैनीमारामा (Frank Bainimarama) को सतत् विकास नेतृत्व पुरस्कार 2019 (Sustainable Development Leadership Award 2019) से सम्मानित किया है।
- इस शिखर सम्मेलन की थीम है- "Attaining the 2030 Agenda: delivering on our promise."
- WSDS 2019 जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिये एक्शन फ्रेमवर्क बनाने की मांग करता है। इस एक्शन फ्रेमवर्क में स्वच्छ महासागर, परिवहन और गतिशीलता, टिकाऊ कृषि, जलवायु वित्त और ऊर्जा संक्रमण शामिल हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने के मार्ग में आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों, यथा- विकास हेतु वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्थायी मूल्य श्रृंखला और अन्य दूरगामी चुनौतियों का तेज़ी से समाधान करना है।
- विश्व भर के नीति निर्माताओं शोधकर्त्ताओं, विचारकों, राजनयिकों और कंपनियों सहित 2000 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन के बारे में

- विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन (WSDS) TERI का एक प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है।
- अपनी 17 वर्षों की अवधि में यह सम्मेलन एक ही मंच पर वैश्विक नेताओं और विभिन्न शोधकर्त्ताओं के एकत्रित होने और व्यापक महत्त्व वाले जलवायु संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का एक प्रमुख केंद्र बन गया है।
- WSDS ने दिल्ली सतत् विकास शिखर सम्मेलन (Delhi Sustainable Development Summit-DSDS) की विरासत को जारी रखा है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में 'सतत् विकास' को विश्व स्तर पर साझा लक्ष्य बनाने के उद्देश्य से की गई थी।

ऊर्जा और संसाधन संस्थान (The Energy and Resources Institute-TERI)

- ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) अनुसंधान, नीति, परामर्श और कार्यान्वयन क्षमताओं से युक्त एक स्वतंत्र, बहुआयामी संगठन है।
- पिछले चार दशकों में TERI ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के क्षेत्र में एक प्रमुख विचार मंच और अनुसंधान संस्थान के रूप में उभरकर सामने आया है।
- 1974 में स्थापित इस संस्थान को पूर्व में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था।

एजेंडा 2030 के तहत संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्र के इन महत्त्वाकांक्षी सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य वर्ष 2030 तक गरीबी और भूख को समाप्त करना तथा लिंग समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना है।

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
2. भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
3. सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
5. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
6. सभी के लिये स्वच्छता और पानी का सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना।
7. सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
8. सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
9. लचीले बुनियादी ढाँचे, समावेशी और सतत् औद्योगीकरण को बढ़ावा।
10. देशों के बीच और देश के भीतर असमानता को कम करना।
11. सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर तथा मानव बस्तियों का निर्माण।
12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करना।

नोट :

14. स्थायी सतत् विकास के लिये महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
15. सतत् उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, जंगलों का संरक्षण तथा भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
16. सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेह बनाना ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।
17. सतत् विकास के लिये वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन हेतु साधनों को मज़बूत बनाना।

नई सेंटीपीड प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रजातियों के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिये जीवाश्म और उन्नत आनुवंशिक विधियों (Fossils and Advanced Genetic Methods) का प्रयोग किया गया जिसमें यह तथ्य सामने आया कि महाद्वीपीय विस्थापन (Continental Drift) के कारण उष्णकटिबंधीय सेंटीपीड/कनखजूरा की नई प्रजातियों का जन्म हुआ है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- जीवाश्म एवं उन्नत आनुवंशिक विधि (Fossils and Advanced Genetic Method) से किये गए अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीपीय विस्थापन (Continental Drift) ने दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एथेस्टिग्मस सेंटीपीड्स (Ethmostigmus Centipedes) की कई प्रजातियों की उत्पत्ति की।
- BMC इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय प्रायद्वीप में ये सेंटीपीड्स प्रजातियाँ सबसे पहले दक्षिणी और मध्य पश्चिमी घाट में उत्पन्न हुई और फिर धीरे-धीरे यहाँ की सीमाओं में फैल गई।

प्रजातियों की विविधता

- भारत में मूलत: 6 प्रकार के बड़े आकार वाले एथेस्टिगमस सेंटीपीड्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें पश्चिमी घाट में चार, पूर्वी घाट में एक और उत्तर-पूर्व भारत में एक पाया जाता है।
- एथेस्टिग्मस सेंटीपीड की अन्य प्रजातियाँ अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं।

प्रायद्वीपीय भारत और महाद्वीपों में प्रजातियों की विविधता में वितरण क्या बताता है ?

- प्रायद्वीपीय भारत और महाद्वीपों में प्रजातियों की विविधता के वितरण का पता लगाने के लिये वैज्ञानिकों ने इनकी आनुवंशिकी पर अध्ययन किया।
- इन्होंने पहले के प्रकाशित अध्ययनों से एथेस्टिग्मस सेंटीपीड के आनुवंशिक आँकड़ों का उपयोग करते हुए इन प्रजातियों के लिये एक 'टाइम-ट्री' (Time-Tree) का निर्माण किया जो प्रजातियों के एक-दूसरे के साथ संबंधों को दर्शाता है।
- इस अध्ययन में अन्य नई प्रजातियाँ सामने आईं जिसमें से नौ प्रजातियाँ प्रायद्वीपीय भारत के बाहर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती हैं।
- वैज्ञानिकों ने सेंटीपीड के डीएनए की जाँच करने के लिये तीन जीवाश्म सेंटीपीड का इस्तेमाल किया, जिससे इन्हें सेंटीपीड के पाए जाने के अनुमानित स्थान का पता चला, जो कि प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में बतलाता है।

सेंटीपीड की उत्पत्ति

- आनुवंशिक अध्ययन से पता चलता है कि सेंटीपीड के एक पूर्वज द्वारा गोंडवाना (एक बड़ा महाद्वीप जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत सहित एकल भूभाग शामिल है) में सभी एथेस्टिगमस सेंटीपीड की उत्पत्ति हुई।
- बाद में गोंडवाना में विस्थापन के कारण इसके अलग होकर कई भूखंडो के रूप में अलग-अलग दिशाओं में जाने से एथेस्टिग्मस के प्रारंभिक विकासवादी इतिहास को आकार मिला।

नोट :

भारतीय सेंटीपीड

- प्रायद्वीपीय भारत में अद्भुत प्रकार का एथेस्टिगमस पाया गया है।
- इसका विकास उस समय शुरू हुआ जब प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण एशिया की ओर विस्थापित हो रहा था।
- लगभग 72 मिलियन साल पहले एथेस्टिग्मस (ई. ट्रिस्टिस) का विस्तार दक्षिणी और मध्य पश्चिमी घाटों में शुरू हुआ था। इसके बाद इसका विस्तार पूर्वी घाटों एवं दक्षिणी पश्चिमी घाटों तक फैल गया। एथेस्टिग्मस सेंटीपीड्स दक्षिण-मध्य घाटों से भी उत्तरी घाटों तक पहुँचे और बाद में फिर से वहाँ से वापस केंद्रीय घाटों में पहुंच गए।
- वर्तमान में सभी भारतीय एथेस्टिग्मस सेंटीपीड केवल दलदली भूमि वाले जंगलों में रहते हैं। इन जंगलों का निर्माण इनके फैलाव को बढ़ा सकता है।

BMC इवोल्यूशनरी बायोलॉजी

- 2001 में स्थापित BMC इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, बायोमेड सेंट्रल द्वारा प्रकाशित BMC पत्रिकाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है।
- BMC इवोल्यूशनरी बायोलॉजी सहकर्मियों की एक समीक्षात्मक वैज्ञानिक पत्रिका है, जिसमें विकासवादी जीवविज्ञान के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- इसमें वर्गानुवंशिकी (Phylogenetics) और जीवाश्मिकी (Palaeontology) शामिल हैं।

जीवाणुओं की बढ़ती प्रतिरोधकता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किये गए एक शोध में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station-ISS) पर पाए गए सूक्ष्म जीवाणुओं एवं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवाणुओं के जीन के एक दूसरे से अलग होने का पता चला है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- शोध के अनुसार, यह परिवर्तन जो कि 'सुपरबग्स' की एक नई पीढ़ी का निर्माण करता है चिंता बढ़ा दी है इससे यह प्रतीत होता है कि जीवाणुओं में पाया जाने वाला यह अंतर बैक्टीरिया की रोगजनक क्षमता बढ़ाने के बजाय अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों का सामना करने में उन्हें सक्षम बना रहा है।
- बहुत से जीवाणु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़ों एवं सामानों में देखे जा सकते हैं, इनमें से हज़ारों सूक्ष्म जीवों के ISS से लिये गए जीवाणुओं के नमूने के जीनोमिक आँकड़ों को 'नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पब्लिक डेटाबेस' में संग्रहित किया गया है।
- अमेरिका में लोगों की अंतरिक्ष यात्रा के लिये लोगों की बढ़ती संख्या के साथ ही उनकी रूचि इस बात को समझने के प्रति बढ़ रही है कि ISS पर कठिन परिस्थितियों में, जहाँ उच्च स्तर का विकिरण, सूक्ष्म गुरुत्व और वेंटिलेशन की कमी है इस वातावरण में सूक्ष्म जीव कैसे व्यवहार करते है।
- वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि यदि ऐसी विषम परिस्थिति में ये सूक्ष्म जीव जीवित रहते हैं तो इनसे सुपरबग का विकास हो सकता है, जिसमें जीवित रहने की अधिक क्षमता होती है।

जीनोमिक विश्लेषण

- वैज्ञानिकों की टीम द्वारा 'सिविल एंड एन्वायरमेंट इंजीनियरिंग विभाग, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी' अमेरिका में स्टैफिलोकोकस ऑरियस (Staphylococcus aureus) और बेसिलस सेरेस (Bacillus cereus) के जीनोम की तुलना अंतरिक्ष स्टेशन पर पाए गए जीवाणुओं से की गई। विश्लेषण में ISS से लाये गए जीवाणुओं तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवाणुओं के जीन अलग पाए गए।
- विश्लेषण में सबसे महत्त्वपूर्ण जानकारी यह सामने आई कि यह आनुवंशिक अंतर बैक्टीरिया की रोगजनकता को नहीं बढ़ाएगा या उन्हें मानव स्वास्थ्य के लिये अधिक हानिकारक बना देगा। यह परिवर्तन सिर्फ विषम वातावरण में रहने वाले बैक्टीरिया की प्रतिक्रियाओं को दर्शाता हैं।

नोट :

- जीनोमिक विश्लेषण के आधार पर ऐसा लगता है कि यह बैक्टीरिया जीवित रहने के लिये अनुकूल हैं, बीमारी पैदा करने के लिये नहीं।
- यह खोज कि अंतरिक्ष में विषम परिस्थिति से बैक्टीरिया खतरनाक नहीं हो रहे हैं, एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी सुपरबग अंतरिक्ष यात्रियों और संभावित अंतरिक्ष पर्यटकों के लिये एक अच्छी खबर है, लेकिन यह संभव है कि संक्रमित व्यक्ति अंतरिक्ष स्टेशनों एवं अंतरिक्ष में बीमारी फैला सकते हैं।

भारत और चीन बना रहे दुनिया को हरा-भरा

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आँकड़ो को आधार बनाकर हाल ही में किये गए अध्ययन से पता चला है कि धरती को हरा-भरा बनाने में भारत और चीन वैश्विक प्रयासों की अगुआई कर रहे हैं। गौरतलब है कि अध्ययन का यह नतीजा भारत और चीन को लेकर दुनिया में बनी धारणा के उलट है।

प्रमुख बिंदु

- इस अध्ययन के परिणामस्वरूप यह भी जाहिर हुआ है कि 20 साल पहले की तुलना में दुनिया ज़्यादा हरी-भरी हुई है।
- इस अध्ययन में वर्ष 2000 से 2017 के दौरान उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरों का विश्लेषण किया गया। इसमें भारत और चीन में चकित करने वाला हरियाली पैटर्न सामने आया। साथ ही दोनों देश दुनिया में कृषि भूमि से ज़्यादा आच्छादित दिख रहे हैं।
- अध्ययन का यह नतीजा उस आम धारणा के उलट है जिसके तहत यह कहा जाता है कि बड़ी आबादी वाले देशों में ज़्यादा दोहन की वजह से हरित क्षेत्रों में गिरावट आ रही है।
- पिछली सदी के आठवें और नौवें दशक में भारत और चीन में हरित क्षेत्रों की स्थिति अच्छी नहीं थी किंतु 1990 के बाद से लोगों ने इसे समझा और अब इसमें काफी सुधार हुआ है।

वन और कृषि भूमि की हिस्सेदारी

- बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्त्ता के अनुसार, 'भारत और चीन धरती पर हरियाली बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। दोनों देश धरती पर एक-तिहाई हरियाली के लिये उत्तरदायी हैं, लेकिन दोनों देशों में दुनिया के पेड़-पौधों से आच्छादित क्षेत्र का महज़ नौ फीसद हिस्सा ही है।
- अध्ययन की मानें तो चीन में वन क्षेत्र 42 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र 32 प्रतिशत है, जबकि भारत में ज़्यादातर कृषि भूमि (82 प्रतिशत) है। भारत में वन क्षेत्र का योगदान महज 4.4 प्रतिशत ही है।
- चीन वन क्षेत्र बढ़ाने के लिये कई महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। इसका मकसद वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को कम करना है।

संबंधित चिंताएँ

- अध्ययन में इस बात पर चिंता जताई गई है कि भविष्य में विभिन्न कारकों की वजह से वर्तमान हरियाली की प्रवृत्ति बदल सकती है।
- साल 2000 से भारत और चीन में खाद्य उत्पादन में 35 फीसद से ज़्यादा का इज़ाफा हुआ है। कृषि सुविधाओं और खादों के उपयोग से कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत में भूजल सिंचाई की सुविधा से खाद्य उत्पादन काफी बढ़ा है। गौरतलब है कि भूजल स्तर लगातार कम होने की वजह से बढ़ते हरित क्षेत्र की प्रवृत्ति में बदलाव आ सकता है।
- शोधकर्त्ताओं ने यह भी बताया कि दुनिया भर में हरियाली में वृद्धि ब्राज़ील और इंडोनेशिया जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है।

ग्रेट बैरियर रीफ को क्षति पहुँचा सकता है बाढ़ का पानी

चर्चा में क्यों ?

उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ का पानी बैरियर रीफ के कुछ हिस्सों में बहने के कारण ग्रेट बैरियर रीफ (Great Barrier Reef) को काफी नुकसान हो सकता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उत्तरी क्वींसलैंड के कुछ हिस्सों में लगभग दो सप्ताह की अभूतपूर्व बारिश के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई की सड़कों पर पानी भर गया और बाढ़ का पानी सैकड़ों घरों में घुस गया। अब बाढ़ का यह पानी बैरियर रीफ के कुछ हिस्सों में पहुँच गया है जिसके चलते बैरियर रीफ को काफी क्षति हो सकती है।
- जेम्स कुक यूनिवर्सिटी (James Cook University) के वैज्ञानिकों के अनुसार, बाढ़ के पानी ने सैकड़ों किलोमीटर की तटरेखा के साथ कई नदियों के साथ बहते हुए उनकी तलछट (sediments) को बैरियर रीफ तक पहुँचा दिया है जिसे वहाँ पानी की गुणवत्ता ख़राब होने के साथ ही इन प्रवाल भित्त्यों को आवश्यक धूप भी कम मात्रा में मिल पा रही है।
- कोरल रीफ और समुद्री घास के विकास तथा उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है लेकिन बाढ़ के पानी के साथ पहुँचे तलछट से ढक जाने के कारण इन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिल पा रहा है।
- उत्तरी क्वींसलैंड की बर्देकिन (Burdekin) नदी के मुहाने जैसे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ समाप्ति की कगार पर पहुँच सकती हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है।
- यदि यह पानी वहाँ बहुत अधिक समय तक रहा तो इन प्रवाल भित्तियों में से कुछ को समाप्त होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा।
- उल्लेखनीत है कि 2,300 किलोमीटर (1,400 मील) की यह रीफ पहले ही 2016 और 2017 में कोरल ब्लीचिंग से पीड़ित हो चुकी हैं।

कोरल ब्लीचिंग क्या है ?

- जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल जूज़ैंथिली को निष्कासित कर देते हैं जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं।
- क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश (crown-of-thorns starfish) या कोट्स, जो इन प्रवाल भित्तियों/कोरल रीफ्स को खाती है, की संख्या में भी प्रदूषण और कृषिगत अपवाह के कारण वृद्धि हुई है।

दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है ग्रेट बैरियर रीफ

- ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है।
- यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर-पूर्वी तट में मरीन पार्क के समानांतर 1400 मील तक फैली हुई है।
- इसकी चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। महाद्वीपीय तट से इसकी दूरी 10 से 150 मील है।

कोरल रीफ क्या होते हैं ?

- प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टानें (Coral Reefs) समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं।
- प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव (सिलेन्ट्रेटा पोलिप्स) होते हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से रंगीन शैवाल जूज़ैंथिली (Zooxanthellae) पाए जाते हैं।
- प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल (Hotspot) माना जाता है तथा इन्हें समुद्रीय वर्षावन भी कहा जाता है।
- प्राय: बैरियर रीफ (प्रवाल-रोधिकाएँ) उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती हैं, जहाँ तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस रहता है।
- ये शैल-भित्तियाँ समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं, जिससे इनके बीच छिछले लैगून बन जाते हैं।
- प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है।
- प्रवालों के विकास के लिये स्वच्छ एवं अवसादरहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं।
- प्रवाल भितियों का निर्माण कोरल पॉलिप्स नामक जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित अस्थि-पंजरों के अलावा, कार्बोनेट तलछट से भी होता है जो इन जीवों के ऊपर हज़ारों वर्षों से जमा हो रही है।

नोट :

प्रवालों का वितरण

- विश्व के सर्वाधिक प्रवाल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- विश्व में पाए जाने वाले कुल प्रवाल का लगभग 30% हिस्सा दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ प्रवाल दक्षिणी फिलिपींस से पूर्वी इंडोनेशिया और पश्चिमी न्यू गिनी तक पाए जाते हैं।
- प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया, वानुआतु, पापुआ न्यू गिनी में भी प्रवाल पाए जाते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है।
- भारतीय समुद्री क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आदि द्वीप भी प्रवालों से निर्मित हैं।
- ये प्रवाल लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी पाए जाते हैं।

प्रवाल भित्तियों के प्रकार

प्रवाल भित्तियाँ मूल रूप से तीन प्रकार की होती हैं: तटीय या झालरदार, अवरोधक तथा एटॉल।

1. तटीय प्रवाल भित्तियाँ प्रवालों की ऐसी सरंचनाएँ होती हैं, जो समुद्र तल पर मुख्य भूमि के निकट के किनारों पर पाई जाती हैं।
   - ये चट्टानों के टुकड़ों, मृत प्रवालों और मिट्टी से निर्मित होती हैं।
   - जीवित प्रवाल बाहरी किनारों एवं ढलानों पर पाए जाते हैं।
   - ये उन स्थलों पर पाई जाती हैं, जहाँ तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक, लवणता 35 प्रतिशत और पंकिलता न्यून होती है।
   - भारत में ये मन्नार की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं।
2. अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ किनारे से दूर पाई जाती हैं।
   - इनके तथा किनारे के बीच सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा लैगून होता है।
   - बाहरी वृद्धि केंद्रों पर सबसे अधिक प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं।
   - संसार की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिययाई 'ग्रेट बैरियर रीफ' इसी प्रकार की प्रवाल भित्ति है।
3. एटॉल, किसी लैगून के चारों ओर प्रवाल भित्तियों की एक पट्टी से निर्मित होता है।
   - ये भित्तियाँ उथले लैगूनों के किनारों पर अवस्थित होती हैं।

ग्रामीण भारत की एक बड़ी समस्या है संदूषित जल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (Ministry of Drinking Water and Sanitation) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (Integrated Management Information System-IMIS) द्वारा दिये आँकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण पीने के लिये धातु-संदूषित जल (Metal-Contaminated Water) का उपयोग करते हैं।

- जल में पाए जाने वाले प्रमुख भारी धातु फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट हैं।
- आर्सेनिक संदूषण में बंगाल और राजस्थान शीर्ष पर हैं।

व्यापक समस्या (Widespread Problem)

- दिये गए आँकड़ों के अनुसार, भारत का सबसे अधिक 39 प्रतिशत प्रभावित आबादी वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। बंगाल के लगभग 1.57 करोड़ ग्रामीण धातु-संदूषित जल का सेवन करते हैं।
- राजस्थान में 65 लाख ग्रामीण पीने के लिये संदूषित जल का प्रयोग करते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित है, जबकि बिहार में 43 लाख लोग दूषित जल का सेवन करते हैं।
- आँकड़ों के अनुसार, धातु-संदूषित जल सेवन के आधार पर 16 राज्यों में एक लाख से अधिक ग्रामीण आबादी है। जबकि सात राज्यों - पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं।

नोट :

- फ्लोराइड संदूषण के क्षेत्र में 33 लाख, लवणता संदूषण के क्षेत्र में 25 लाख तथा नाइट्रेट संदूषण के क्षेत्र में 7 लाख आबादी के साथ राज्यों की सूची में राजस्थान सबसे उपर है।
- पश्चिम बंगाल में 96 लाख लोग आर्सेनिक और 49 लाख लोग लोहे के संदूषित जल का सेवन करते हैं।

धातु संदूषण (Metal Contamination)

- देश के 22 लाख लोग धातु-संदूषित जल सेवन से प्रभावित हैं जिनमें पंजाब सबसे आगे है यहाँ पर सभी प्रकार के धात्विक जल संदूषण पाए जाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल से किसी भी नाइट्रेट संदूषण की सूचना नहीं आई है।
- भारी धातु एक धात्विक रासायन तत्व है। भारी धातुओं की उच्च सांद्रता से विषाक्तता हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, पीने के जल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा लोगों को हड्डियों को कमज़ोर बना देती है।
- WHO ने चेतावनी दी है कि आर्सेनिक संदूषित जल के लंबे समय तक सेवन से आर्सेनिक पॉइज़निंग (Arsenic Poisoning) या आर्सेनिकोसिस Arsenicosis रोग होता है, इसमें त्वचा, मूत्राशय, गुर्दे, फेफड़े, त्वचा के विभिन्न रोग, रक्त वाहिकाओं का कैंसर आदि शामिल हैं जिसके कारण बहुत से अंग प्रभावित होते हैं।
- हाल में WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूषित जल के सेवन से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और प्रजनन संबंधी विकारों की शुरुआत के साथ ही इनके बीच एक संभावित संबंध हो सकता है।

केंद्रीय आवंटन (Central Allocation)

- मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र ने आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से निपटने के लिये सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों और पाइपलाइन की अनंतिम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये मार्च 2016 में 1,000 करोड़ रुपए जारी किये।
- 2017 में मंत्रालय ने 27,544 आर्सेनिक / फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (National Water Quality Sub-Mission) शुरू किया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति राज्य सूची का विषय है, इसलिये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण आबादी हेतु सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

समुद्री बादलों पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं द्वारा यह चेतावनी जारी की गई कि यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति तीन गुना हो जाती है तो समुद्री बादल जो सूर्य की किरणों को परावर्तित कर पृथ्वी को हॉटहाउस (Hothouse) की स्थिति से संरक्षण प्रदान करते हैं, नष्ट हो सकते हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, यह स्थिति जलवायु में होने वाले परिवर्तन का परिणाम है जिससे हम सभी अनजान थे।
- स्ट्रैटोक्यूम्यूलस (Stratocumulus) प्रकार के बादल उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों के लगभग 20 प्रतिशत भाग को आच्छादित करते हैं, जो कि अधिकतर पश्चिमी समुद्र तटों जैसे - कैलिफोर्निया (California), मेक्सिको (Mexico) और पेरू (Peru) के तटों के पास पाए जाते हैं।
- अध्ययन के अनुसार, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब ये बादल गायब हो जाते हैं तो पृथ्वी लगभग आठ डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के इस प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण ग्रीनहाउस सांद्रता में तीव्र वृद्धि हो जाएगी।
- तापमान बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ (Polar Ice) पिघल जाएगी इसके फलस्वरूप समुद्र का जल-स्तर लगभग दस मीटर तक बढ़ जाएगा।
- आखिरी बार लगभग 50 मिलियन साल पहले इओसीन युग (Eocene Epoch) के दौरान जब यह ग्रह गर्म था उस समय मगरमच्छ आर्कटिक में घूमते थे।

नोट :

- वैज्ञानिकों के अनुसार, यह प्रभाव मानव की अनुकूलन क्षमता को नष्ट कर सकता है।
- 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद से एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि जो कि पिछले 50 वर्षों में तीव्र हुई है, समुद्री चक्रवातों (Cyclones) के साथ-साथ हीटवेव (Heatwaves), सूखा (Droughts) और बाढ़ (Flooding) की विषम स्थितियाँ पैदा करने के लिये पर्याप्त है।
- 2015 की पेरिस जलवायु संधि को तापमान वृद्धि में कमी लाने हेतु राष्ट्रों द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिये लाया गया है।

गाइनान्ड्रोमॉर्फी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने नर और मादा कीटों एवं पक्षियों की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन कर दोनों के बीच पाई जाने वाली विविधताओं के बारे में जानकारी प्रदान की।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों के अनुसार, नर एवं मादा पक्षियों और कीटों के बाह्य आकार में परिवर्तन के आधार पर इनके विकास के अध्ययन के बारे में पता लगाया जा सकता है क्योंकि इनकी आतंरिक संरचना के साथ-साथ बाह्य संरचना भी भिन्न होती है।
- वैज्ञानिक वर्षों से इस बात का पता लगाने के लिये निरंतर शोध कर रहे थे कि कैसे भ्रूण और लावा विकास के दौरान वह सूक्ष्म परिवर्तन कर लेते हैं कि किस कोशिका को किससे जुड़ना है और किससे अलग होना है।
- शोध के अनुसार, गाइनान्ड्रोमॉर्फ (Gynandromorp) के पंखों के उपर पायी जाने वाली संरचना से पता चलता है कि शरीर संकेतन केंद्रों (Signaling Centers) का उपयोग यह नियंत्रित करने के लिये करती है कि कोशिकाएँ विकास के दौरान कहाँ प्रवेश करती हैं और कैसे विविध उतकों के साथ संयोजन करके एक तितली को अन्य तितलियों से अलग बनाती हैं।

गाइनान्ड्रोमॉर्फी (Gynandromorphy)

- सामान्यत: नर और मादा जीवों में उनके उतकों के वितरण के कारण विषमता पाई जाती है लेकिन किसी एक जीव में दोनों विशेषताओं का एक साथ पाया जाना गाइनान्ड्रोमॉर्फी कहलाता है।
- जीवों में यह विशेषता लिंग गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण पाई जाती है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, जानवरों और कीटों के लिंग विभेदी अध्ययन से मानव रोगों के अध्ययन के बारे में भी यह पता लगाया जा सकता है कि कोई रोग किसी एक लिंग को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रभावित क्यों करता है।
- सामान्यत: स्तनधारियों में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पक्षियों और कीड़ों में Z और W गुणसूत्र होते हैं। कुछ सरीसृप जो तापमान पर निर्भर होते हैं, वे अपने लिंग को परिवर्तित कर सकते हैं।
- ऐसा माना जाता था कि एक पक्षी के लिंग का निर्धारण DMRT1 जीन द्वारा बनाए गए प्रोटीन से किया जाता है, जो रक्तप्रवाह के माध्यम से पक्षी की सभी कोशिकाओं तक पहुँचता है लेकिन समान लिंग वाले पक्षी के दोनों भागों (Sides) के लिये एक ही रक्त प्रवाह से प्रवाहित नही किया जाता कुछ और प्रक्रिया भी इसमें शामिल है।

हार्मोन की भूमिका

- हार्मोन्स लिंग निर्धारण में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन लिंग के निर्धारण के लिये ये एकमात्र वाहक नहीं हो सकते हैं।
- गाइनान्ड्रोमॉर्फ्स (Gynandromorphs) कैसे पैदा होते हैं यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है लेकिन गुणसूत्र में अनियमितता ही इसका सबसे बड़ा कारण है।
- लिंग वंशाणु (Sex Genes) के अध्ययन से विभिन्न प्रकार के मानव रोगों जो कि लिंग के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं, का इलाज किया जाना संभव हो सकता है।
- मोटापा (Obesity), मेटाबॉलिक सिंड्रोम (Metabolic Syndrome), ऑटोइम्यून डिज़ीज़ (Autoimmune Disease), अल्ज़ाइमर (Alzheimer) यहाँ तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी अलग-अलग लिंग में भिन्न होती है।

नोट :

खाद्य सुरक्षा का बढ़ता खतरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation-FAO) ने एक नई रिपोर्ट जारी करते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि खाद्य और कृषि संगठन ने इस बढ़ते खतरे को जैव विविधता (पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव जो खाद्य उत्पादन मंस योगदान करते हैं) को हो रहे नुकसान का परिणाम बताया है।

प्रमुख बिंदु

- खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट का शीर्षक 'खाद्य और कृषि हेतु विश्व की जैव-विविधता स्थिति' (State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture) है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन देशों में से एक है जहाँ मृदा जैव विविधता को बड़ा खतरा है।
- वैश्विक मानचित्र से पता चलता है कि लगभग पूरा भारत, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्से अत्यधिक तनावग्रस्त क्षेत्रों में शामिल हैं।
- इस रिपोर्ट में जैविक नियंत्रण एजेंटों (Biological Control Agents-BCAs) जैसे- विभिन्न कीट-पतंगों के नुकसान को भी रेखांकित किया गया है जो जैव विविधता में गिरावट के महत्त्वपूर्ण कारकों में से हैं।
- रिपोर्ट में इस बात पर भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है कि चरम मौसमी घटनाएँ प्रजातियों के वितरण तथा पैदावार में व्यवधान पैदा कर रही हैं।
  - उदाहरण के तौर पर, कटिबंधों में बढ़ते तापमान ने पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊँचाई पर उग रही कॉफी को प्रभावित किया है।
  - वसंत में ठंडी या तेज़ हवाएँ भी परागण प्रक्रिया को बाधित कर रही हैं।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO)

- संयुक्त राष्ट्र संघ तंत्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी।
- खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

पृथ्वी की सतह के नीचे मिले विशालकाय पर्वत

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के केंद्र में बड़े पैमाने पर पर्वतों जैसे ऊँचे-नीचे स्थानों की खोज की है। पृथ्वी की सतह अर्थात भूपर्पटी (Crust) से 660 किमी. नीचे स्थित परत मेंटल (Mantle) पर यह स्थलाकृति पाई गई है जो हमारे ग्रह की उत्पत्ति एवं विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के मेंटल क्षेत्र (मध्य भाग) में बड़े पैमाने पर पर्वतों की खोज की है जो हमारे ग्रहों के प्रति समझ को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- पृथ्वी की संरचना को मुख्यत: तीन भागों में बाँटा जाता है – क्रस्ट (Crust), मेंटल (Mantle) और कोर (Core)। क्रस्ट पृथ्वी का बाहरी क्षेत्र, मेंटल मध्य क्षेत्र और कोर आतंरिक क्षेत्र है। इन तीनों की संरचना में भिन्नता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है।
- वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आतंरिक संरचना के प्राप्त आँकड़ों के आधार पर ही इन पहाड़ों की जानकारी दी है।
- जर्नल साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिकों ने बोलीविया में एक बड़े भूकंप के दौरान लिये गए आँकड़े का उपयोग किया, जिससे पृथ्वी की सतह से 660 किमी. नीचे स्थित क्षेत्र में पहाड़ों एवं अन्य स्थलाकृतियों की जानकारी प्राप्त हुई।
- वैज्ञानिकों ने इस सीमा को जहाँ पर उबड़-खाबड़ एवं समतल भाग पाए गए हैं, को '660 किलोमीटर की सीमा' नाम दिया है।
- उन्होने 660 किमी. की सीमा के इस भाग पर पृथ्वी की सतह से भी ज़्यादा ऊँचा-नीचा स्थान प्राप्त होने का अनुमान लगाया। इन ऊँचे-नीचे भागों को उन्होने रॉकी और अप्लेशियन पर्वत से भी मज़बूत एवं कठोर होने का अनुमान लगाया।
- हालाँकि शोधकर्ताओं ने मेंटल के मध्य भाग (410 किमी.) पर भी जानकारी एकत्र की लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी उबड़-खाबड़ स्थान नहीं प्राप्त हुआ।
- 660 किलोमीटर की सीमा पर खुरदरेपन की उपस्थिति हमारे ग्रह की उत्पत्ति एवं विकास को समझने में वैज्ञानिकों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- अमेरिका में प्रिंसटन विश्वविद्यालय (Princeton University) और चीन में इंस्टीट्यूट ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स (Institute of Geodesy and Geophysics) के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की गहराई की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये ग्रह पर सबसे शक्तिशाली तरंगों का इस्तेमाल किया, जो बड़े पैमाने पर भूकंप से उत्पन्न होते हैं।

पृष्ठभूमि

- वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन में आँकड़े प्राप्त करने हेतु 1994 में बोलीविया में आए भूकंप (8.2 तीव्रता) को आधार बनाया जो अब तक का रिकॉर्ड किया गया दूसरा सबसे बड़ा और गहरा भूकंप है।
- इस प्रयोग के अंतर्गत 7.0 या उससे अधिक की तीव्रता वाले भूकंपों के आँकड़े प्राप्त करने के लिये सभी दिशाओं में भेदी तरंगों को प्रेषित किया गया जिनकी क्षमता पृथ्वी के आतंरिक भागों से आगे तक जाने में सक्षम थी।
- वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक कंप्यूटरों के माध्यम से इन जटिल आँकड़ों का अध्ययन किया। इसमें बताया गया कि जैसे प्रकाश तरंगें किसी दर्पण या प्रिज़्म से टकराकर प्रकाश को परावर्तित करती हैं, ठीक उसी प्रकार भूकंपीय तरंगें समरूप चट्टानों में निर्बाध चलती हैं, लेकिन मार्ग में किसी भी उबड़-खाबड़ या खुरदरेपन के कारण ये तरंगे भी परावर्तित हो जाती हैं।

नोट :

सामाजिक मुद्दे

मानव तस्करी मामले में तीव्र वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किये गए आँकड़ों के अनुसार देश में मानव तस्करी के मामले में बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाई गई है जिसमें पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों में मानव तस्करी के मामले में दोगुनी वृद्धि पाई गई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 2013 से 2016 के बीच देश में मानव तस्करी के मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है।
- 2013 में राष्ट्रव्यापी मामलों की संख्या 3,940 थी जो 2014 में बढ़कर 5,235; 2015 में 7,143 और 2016 में 8,132 हो गई।
- इस बीच भारत में मानव तस्करी के मामलों में पश्चिम बंगाल का लगभग एक-तिहाई भाग लिप्त पाया गया।
- पिछले 4 वर्षों में देश भर में कुल 24,450 मामलों में से सबसे अधिक 8,115 मामले पश्चिम बंगाल में पाए गए। 3,278 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर राजस्थान था।
- 2016 में 8,132 मामलों में से अकेले पश्चिम बंगाल राज्य में 3,579 (44%), राजस्थान में 1,422 मामले पाए गए थे।

मानव तस्करी क्या है ?

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक या उससे दोषपूर्ण तरीके से काम लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य तस्करी की श्रेणी में आते हैं।

मानव तस्करी के कारण

- गरीबी और अशिक्षा (सबसे बड़ा कारण)
- मांग और आपूर्ति का सिद्धांत
- बंधुआ मज़दूरी
- देह व्यापार
- सामाजिक असमानता
- क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन
- बेहतर जीवन की लालसा
- सामाजिक सुरक्षा की चिंता
- महानगरों में घरेलू कामों के लिये भी होती है लड़कियों की तस्करी
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिये भी होती है बच्चों की तस्करी

अब भी प्रचलित है बाल विवाह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (United Nations International Children's Emergency Fund-UNICEF) ने एक रिपोर्ट, 'फैक्टशीट चाइल्ड मैरिजेज़ 2019' जारी करते हुए कहा है कि भारत के कई क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रचलन अब भी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में बाल विवाह की दर में कमी आई है किंतु कुछ राज्यों जैसे-बिहार, बंगाल और राजस्थान में अब भी यह कुप्रथा बदस्तूर जारी है।
- यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, उक्त राज्यों में करीब 40 फीसदी की दर से बाल विवाह का प्रचलन है।
- बाल विवाह की यह कुप्रथा आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जातियों सहित कुछ विशेष जातियों के बीच प्रचलित है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका शिक्षा की दर में सुधार, किशोरियों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा किये गए निवेश व कल्याणकारी कार्यक्रम और इस कुप्रथा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रभावी संदेश देने जैसे कदमों के चलते बाल विवाह की दर में कमी देखने को मिली है।
- रिपोर्ट की मानें तो 2005-2006 में जहाँ 47 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी, वहीं 2015-2016 में यह आँकड़ा 27 फीसदी था।
- यूनिसेफ के अनुसार, इस संबंध में सभी राज्यों में एक समान बदलाव दिखाई दे रहा है और बाल विवाह की दर में गिरावट लाए जाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है किंतु कुछ ज़िलों में बाल विवाह का प्रचलन अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है।

वैश्विक स्थिति

- वर्तमान में दुनिया भर में करीब 65 करोड़ ऐसी लड़कियाँ/महिलाएँ हैं जिनकी शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी गई है, जबकि बचपन में लड़कियों की शादी कर दिये जाने के मामले में यह संख्या प्रतिवर्ष करीब 1.2 करोड़ है।
- दक्षिण एशिया में बाल विवाह की दर 40 प्रतिशत (वैश्विक दर की) है, जबकि उप-सहारा अफ्रीका में बाल विवाह की दर 18 प्रतिशत (वैश्विक दर की) है।
- लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में बाल विवाह की स्थिति में बदलाव नहीं आया है। बाल विवाह की उच्च दर के मामले में 25 साल पहले जैसे हालात अब भी बरकरार हैं। हालाँकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में बाल विवाह की प्रथा में कमी आई है।
- पिछले एक दशक में बाल विवाह की दर में 15 प्रतिशत की कमी आई है जिसके तहत लगभग 2.5 करोड़ बाल विवाह होने से रोके गए हैं।
- दक्षिण एशिया में लड़की की शादी बचपन में कर दिए जाने के मामले में एक-तिहाई से भी अधिक की गिरावट आई है, यह एक दशक पहले लगभग 50 प्रतिशत थी जो अब वर्तमान में 30 प्रतिशत है।

बाल विवाह के दुष्प्रभाव

- भारत में बाल विवाह चिंता का विषय है। बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- कम उम्र में विवाह किये जाने का लड़के और लड़कियों दोनों पर शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, शिक्षा प्राप्ति के अवसर कम हो जाते हैं और व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से नही हो पाता है।

बाल विवाह के कारण

- गरीबी
- लड़कियों की शिक्षा का निम्न स्तर
- लड़कियों को आर्थिक बोझ समझना
- सामाजिक प्रथाएँ एवं परंपराएँ

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

- बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1929 में पारित किया गया था। बाद में सन् 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किये गए।
- इस समय विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिये 18 वर्ष और बालकों के लिये 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

नोट :

आगे की राह

- समाज में जड़ जमा चुकी बाल विवाह की इस कुप्रथा को खत्म करने के लिये विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- बाल विवाह को केवल एक 'सामाजिक बुराई' के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि इसे बच्चों के 'मौलिक अधिकारों' के उल्लंघन का एक गंभीर मामला मानते हुए इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- बाल विवाह के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने हेतु देश में युद्ध स्तर पर एक मुहिम चलाई जानी चाहिये।
- 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे कार्यक्रमों को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिये।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण पहल की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

देश के 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिये नई दिल्ली में कई पहलों की शुरुआत की गई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह योजना देश के 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एक साथ शुरू की गई। इनमें शामिल है - आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू-कश्मीर।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा घरेलू, कामकाजी और सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिये कई पहलों की शुरुआत की गई है। इनमें से तीन महत्त्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं –

1. इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (Emergency Response Support Systems-ERSS)
2. यौन अपराधों के लिये जाँच ट्रेकिंग सिस्टम (Investigation Tracking System-ITSSO)
3. सुरक्षित महानगर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल (Safe Metropolitan Implementation Monitoring Portal)

इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (Emergency Response Support Systems-ERSS)

- ERSS पीड़ित व्यक्तियों के लिये एक अखिल भारतीय एकल संख्या-112 (All India Single Number-112) आधारित रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है जिसे डायल कर नागरिकों द्वारा आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- '112 इंडिया ऐप' महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष सुविधा प्रदान करता है, जो तत्काल सहायता के लिये पीड़ित के आसपास के क्षेत्र में पंजीकृत स्वयंसेवकों को सचेत करता है।
- इस प्रणाली के तहत सभी राज्यों को एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स केंद्र (Emergency Response Center-ERC) स्थापित करना होगा। इसमें पुलिस, फायर एंड रेस्क्यू, स्वास्थ्य और अन्य आपातकालीन सेवाओं जैसी सहायता प्रदान करने हेतु आपातकालीन अनुरोधों के संचालन के लिये प्रशिक्षित कॉल-टेकर्स और डिस्पैचर की एक टीम होगी।
- ERC पर आपातकालीन सेवा के लिये कॉल किये जाने के बाद पुलिस घटनाओं की निगरानी कर सकती है। ERC ज़िला कमांड सेंटर (District Command Center) और इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (Emergency Response Vehicle) से जुड़े होते हैं और पीड़ितों को उनके माध्यम से सहायता/प्रतिक्रिया दी जाती है।
- ERSS पहल को प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा प्रबंधित एक सामान्य प्रोटोकॉल के रूप में तैयार किया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्भया योजना के हिस्से के रूप में ERSS के लिये राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 321.69 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जा रहा है।
- हिमाचल प्रदेश और नगालैंड में पहले ही ये सेवाएँ शुरू की जा चुकी हैं।

यौन अपराधों के लिये जाँच ट्रेकिंग सिस्टम (Investigation Tracking System-ITSSO)

इसके अंतर्गत इमरजेंसी नंबर 112 तथा एप के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर ट्रेकिंग सिस्टम से महिलाओं एवं बच्चों की यथास्थिति का पता लगाकर उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाती है।

नोट :

सुरक्षित महानगर कार्यान्वयन निगरानी पोर्टल (Safe Metropolitan Implementation Monitoring Portal)
पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- अपराध की पहचान, प्रत्येक शहर में हॉट-स्पॉट।
- चिन्हित हॉट-स्पॉट में सीसीटीवी (CCTV) द्वारा निगरानी बढ़ाना।
- आवश्यकता के अनुसार कुछ शहरों में स्वचालित नंबर प्लेट रीडिंग (Automatic Number Plate Reading-ANPR) और ड्रोन आधारित निगरानी की व्यवस्था भी की जा रही है।
- किसी भी पीड़ित महिला द्वारा घटना की सूचना देने या सहायता प्राप्त करने में आसानी के लिये महिला पुलिस आउट-पोस्ट (Women Police Out-Post) की स्थापना करना।
- असुरक्षित क्षेत्रों में महिला पुलिस द्वारा गश्त।
- प्रशिक्षित काउंसलर की सुविधा के साथ पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (Women's Help Desk) की स्थापना।
- मौजूदा महिला सहायता केंद्रों जैसे - आशा ज्योति केंद्र (Asha Jyoti Kendra) या भरोसा केंद्र (Trust Center) आदि का विस्तार।
- बसों में कैमरों सहित सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना।
- चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग में सुधार।
- महिलाओं के लिये शौचालय की स्थापना।
- महिला सुरक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम।

उद्देश्य

- बलात्कार जैसे अपराध की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिये सरकार द्वारा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018 (Criminal Law Amendment Act, 2018) लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये जाँच और अभियोजन तंत्र को मज़बूत करने तथा महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के उपायों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन पहलों की शुरुआत की गई है।
- इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा चार राज्यों - तमिलनाडु (चेन्नई और मदुरै), उत्तर प्रदेश (लखनऊ और आगरा), पश्चिम बंगाल (कोलकाता) और महाराष्ट्र (मुंबई) में राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की डीएनए विश्लेषण क्षमताओं को मज़बूत करने के लिये निर्भया फंड के तहत एक विशेष परियोजना की घोषणा की गई।

महिलाओं के लिये आजीविका बॉण्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'विश्व बैंक' (World Bank), 'लघु उद्योग विकास बैंक' (Small Industries Development Bank of India-SIDBI) और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के लिये काम करने वाली एक संस्था 'यूएन वुमन' (UN Women) ने वित्तीय प्रबंधन फर्मों और प्रमुख कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉण्ड (Social Impact Bond) शुरू करने की घोषणा की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सिडबी (SIDBI) द्वारा लाया गया यह महिला आजीविका बॉण्ड (Women's Livelihood Bonds-WLB) उद्यमी महिलाओं को 3 प्रतिशत पर एक वार्षिक कूपन प्रदान करेगा जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।
- इस बॉण्ड के ज़रिये जुटाई जाने वाली निधि (लगभग 300 करोड़ रुपए) आगामी तीन महीनों के अंतर्गत कई चरणों में जारी की जाएगी। प्राप्त निधि को सिडबी के माध्यम से लघु और मध्यम महिला उद्यमियों (Small and Medium Women Entrepreneurs) को सूक्ष्म वित्त उद्योग (Micro- Finance Industry) के माध्यम से दिया जायेगा।

नोट :

- सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अनुसार, महिला उद्यमियों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा 13 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा इस बॉण्ड की कीमत 50,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक होगा।
- बोर्ड में शामिल कुछ वित्तीय प्रबंधन फर्मों में सेंट्रम वेल्थ (Centrum Wealth), आस्क वेल्थ एडवाइज़र्स (Ask Wealth Advisors), एंबिट कैपिटल (Ambit Capital) और आदित्य बिड़ला कैपिटल (Aditya Birla Capital) हैं। ये पहले से ही व्यक्तिगत स्तर पर उच्च नेटवर्थ तक पहुँच चुके हैं और धन जुटाने के लिये निवेशकों को प्रभावित कर रहे हैं।
- पाँच कंपनियों - टाटा ग्रुप-टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा केमिकल्स, टाटा ट्रेंट, वोल्टास और टाइटन ने भी इसमें निवेश करने में रुचि दिखाई है।

असुरक्षित और गैर-सूचीबद्ध बॉण्ड

गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूति : यह शेयर, ऋणपत्र या कोई अन्य प्रतिभूति है, जिसका स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बल्कि बिना किसी तैयारी के (Over-the-Counter) बाज़ार के जरिये कारोबार होता है।

असुरक्षित बॉण्ड : इन्हें ऋणपत्र भी कहा जाता है, ये किसी भी संपार्श्विक या अचल संपत्ति पर अनुबंधों द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसके बजाय, जारीकर्त्ता द्वारा इन्हें चुकाए जाने का भरोसा दिया जाता है। इस भरोसे को अक्सर 'पूर्ण विश्वास और श्रेय' कहा जाता है।

सामाजिक प्रभाव बॉण्ड Social Impact Bond

- सामाजिक प्रभाव बॉण्ड (SIB) सार्वजनिक क्षेत्र या प्रशासकीय प्राधिकरण के साथ किया गया एक अनुबंध है, जिसके तहत वह कुछ क्षेत्रों में बेहतर सामाजिक परिणामों के लिये भुगतान तथा निवेशकों को प्राप्त बचत में भागीदारी प्रदान करता है।
- सामाजिक प्रभाव बॉण्ड कोई अनुबंध (बॉण्ड) नहीं है, क्योंकि पुनर्भुगतान और निवेश पर वापसी वांछित सामाजिक परिणामों की उपलब्धि पर निर्भर करती है, यदि उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है, तो निवेशकों को रिटर्न या मूलधन में से कुछ भी प्राप्त नही होता। इस फंड का उपयोग कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सेवाओं और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यक्तिगत महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिये किया जाएगा।

यूएन वुमन (UN Women)

- यूएन वुमन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये समर्पित है।
- इसे वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं के समर्थन एवं प्रगति के लिये स्थापित किया गया है।
- इसके तहत लैंगिक समानता प्राप्त करने हेतु वैश्विक मानकों को निर्धारित करके सरकारों और नागरिक समाज के साथ मिलकर कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं को विकसित करने के लिये काम किया जाता है, ताकि मानकों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को सही मायने में लाभ प्राप्त हो सके।
- इसके साथ ही यह सतत् विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और लड़कियों के लिये वास्तविक रूप में विश्व स्तर पर काम करता है।

बेदखली का सामना कर रहे लाखों वनवासी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 (Forest Rights Act 2006) के तहत दिये गए आदेश ने वन क्षेत्र पर वनवासियों के अधिकार के दावे को खारिज कर दिया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- देश के 21 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes-STs) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (Other Traditional Forest Dwellers-OTFDs) से संबंधित लाखों लोगों को वनों से बेदखल किया जा सकता है।
- कुछ दिन पहले तीन जजों की बेंच ने उन राज्यों, जहाँ के वनवासियों के दावों को ख़ारिज किया गया है, के मुख्य सचिवों को इन वनवासियों को 24 जुलाई, 2019 तक या उससे पहले ही वनों से बेदखल करने का आदेश दिया है।
- खंडपीठ ने राज्यों को तय समय के भीतर निष्कासन नहीं करने पर इस मामले में कठोर कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

नोट :

- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India-FSI) को एक सैटेलाइट सर्वेक्षण करने और जहाँ पर बेदखली हो चुकी है वहाँ के 'अतिक्रमणकारी स्थिति' पर आँकड़े तैयार करने का भी आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 के तहत राज्यों में अपीलीय समितियों के साथ-साथ ग्राम सभा के स्तर पर वन निवासियों के दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये बहुस्तरीय एवं श्रेणीबद्ध प्रक्रिया को दर्शाया गया है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे वनवासियों के वन भूमि पर अधिकार और कब्जे को सुनिश्चित करना है जो कई पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं लेकिन इनके अधिकार दर्ज नहीं किये जा सके हैं।

क्या है मामला ?

- आंध्र प्रदेश में निष्कासन के आदेश का अनुपालन करने का एक भी मामला दर्ज नही किया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वहाँ के 1,14,400 एकड़ वन भूमि पर 66,351 दावों को खारिज कर दिया गया है।
- इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल तथा पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के दावों को बड़ी संख्या में ख़ारिज किया गया है।
- सुर्खियों में आने वाले अन्य राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

कला एवं संस्कृति

दर्द आर्यन जनजाति

चर्चा में क्यों ?

16-21 जनवरी तक दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में दर्द आर्यन त्योहार मनाया गया। इस महोत्सव के दौरान एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें दर्द आर्यन जनजाति के सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा की गई। सेमिनार में इस समुदाय के कुछ कलाकारों ने जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री को अपनी संस्कृति के संरक्षण से जुड़ी मांगों एवं अन्य शिकायतों का एक चार्टर सौंपा।

लद्दाख की 'दर्द आर्यन' जनजाति

- दर्द आर्यन जनजाति,जो कि अपनी उदार परंपराओं के लिये जानी जाती है, को आर्यों का वंशज माना जाता है।
- कई शोधकर्त्ताओं का मानना है कि 'लद्दाख के आर्य' (Aryans of Ladakh) या 'ब्रोकपास' (Brokpas) सिकंदर (Alexander) की सेना का हिस्सा थे और 2,000 साल पहले इस क्षेत्र में आए थे।
- इस जनजाति के लोग लद्दाख की प्रशासनिक राजधानी लेह से 163 किमी. दक्षिण-पश्चिम में स्थित लेह और करगिल ज़िलों के धा (Dha), हानू (Hanu), दारचिक (Darchik) और गारकोन गाँवों में निवास करते हैं। इन गाँवों को आर्य घाटी कहा जाता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा।

क्या हैं 'दर्द आर्यन' जनजाति की समस्याएँ?

- तेज़ी से हो रहे आधुनिकीकरण, प्रवास और धर्मांतरण के कारण इन जनजातियों की समृद्ध विरासत खतरे में है।
- इस बारे में संबंधित राज्य से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इंदिरा गांधी कला केंद्र द्वारा योगदान

- स्थानीय समुदाय की मदद से लेह, लद्दाख, कारगिल आदि में दर्द आर्यन के क्षेत्र में कुछ संग्रहालय स्थापित करने में सहायता।
- 16-21 जनवरी, 2019 के दौरान आयोजित उत्सव में भाग लेने वाले 35 कलाकारों के लिये प्रयागराज में महाकुंभ की यात्रा की व्यवस्था एवं उन्हें जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों और संकायों से जुड़ने में मदद की गई।
- IGNCA द्वारा 9 जून 2018 से 15 जून 2018 तक आर्यन घाटी की परंपराओं के डॉक्यूमेंटेशन के लिये धा, हानू, लद्दाख एवं जम्मू-कश्मीर में सात दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

क्या है इंदिरा गांधी कला केंद्र ?

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली (IGNCA) को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था।
- यह भारत में एक प्रमुख सरकारी वित्त पोषित कला संगठन है।
- यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यहाँ कला के सभी रूपों का अध्ययन किया जाता है।

कवचुआह रोपुठे विरासत स्थल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा जलवायु परिवर्तन और मौसम की विषम परिस्थितिओं को देखते हुए विश्व में पानी के लिये बढ़ते संघर्षों को कम करने हेतु मिज़ोरम की एक खोई हुई सभ्यता को अपनाने की बात कही गई है जो चट्टानों को छिपे हुए जलाशयों में बदल कर विषम स्थितियों में जल संरक्षण में महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2016 में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) द्वारा म्याँमार की सीमा से सटे मिज़ोरम के चम्फाई (Champhai) ज़िले के एक गांव वांगछिया (Vangchhia) में एक 'लिविंग हिस्ट्री मयूज़ियम (Living History Museum)' की खोज की गई। जिसे कवचुआह रोपुठे विरासत स्थल (Kawtchhuah Ropuithe Heritage Site) नाम दिया गया।
- कवचुआह रोपुठे विरासत स्थल भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों के अंतर्गत मिज़ोरम की पहली साइट है। जो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कई पीढ़ियों से पूजनीय है।
- आइज़ॉल से 260 किमी. की दूरी पर स्थित यह साइट लगभग 45 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में विस्तृत है, जिसमें बड़े पत्थर के स्लैब, मेनहिर (Menhirs - बड़े और खड़े पत्थर) और एक नेक्रोपोलिस (Necropolis - एक बड़ा कब्रिस्तान) तथा कलाकृतियों के बीच में चित्रित चित्रलेख मिले हैं।
- यह क्षेत्र निचले हिमालय का हिस्सा है और इसमें हल्के भूरे व काले रंग के विभिन्न प्रकार के बलुआ पत्थरों की पहाड़ियों की कतारें हैं।

जल संग्रहण की संभावित कला

- ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में वांगछिया के लोगों ने अपनी बस्ती के लिये इन चट्टानों पर नक्काशी की थी। मुख्य खुदाई वाली जगह पर ऐसे 15 इलाके प्राप्त हुए हैं।
- पुरातत्त्वविदों द्वारा की गई सबसे महत्त्वपूर्ण खोजों में यहाँ पाए गए पत्थरों के बीच पानी के पैवेलियन (पत्थरों को काट कर बनाए गए एक फीट से लेकर एक मीटर तक के छेद) हैं, जो कई बलुआ पत्थर की ढलानों पर फैले हुए हैं।
- ASI के शोधकर्त्ताओं ने बताया कि ग्रे सैंडस्टोन (Grey Sandstone) छिद्रों के लिये उपयुक्त होती है, जबकि कठोर काली चट्टान (Black Rock) का उपयोग मेन्हिरों के लिये किया जाता है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा विगत वर्षों में वांगछिया साइट पर किये गए अध्ययन के अनुसार, यह क्रियाविधि कई शताब्दियों पहले सिद्ध की गई जल संचयन हेतु साधारण विज्ञान प्रतीत हो रही है जिसे स्थानीय आबादी कम-से-कम एक वर्ष तक इस्तेमाल कर सकती है।
- सबसे उल्लेखनीय विषय यह है कि कैसे उन लोगों द्वारा बारिश के पानी को ढलान से बहते हुए यहाँ चट्टानों में रोक दिया गया है, ताकि चट्टानों के अंदर पानी जमा हो सके।
- अभी तक पुरातत्त्वविद वांगछिया बस्ती के बारे में सही-सही पता नहीं लगा पाए हैं क्योंकि तीन साल पहले जब इस जगह की खुदाई की गई तो यहाँ मिले खंडहरों को 15वीं शताब्दी के होने का अनुमान लगाया गया। बाद में बीरबल साहनी संस्थान ने इसे 6वीं शताब्दी का बताया।

निष्कर्ष

- अभी हाल ही में ASI की टीम द्वारा पहले के अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब के तलाश में वांगछिया के पास नवपाषाण गुफाओं की खोज की गई जो यह दर्शाती है कि यह खोई हुई सभ्यता और भी अधिक पुरानी हो सकती है।
- मिज़ोरम चैप्टर ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (Mizoram Chapter of Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) के संयोजक ने बताया कि ये पुरातात्विक अवशेष वांगछिया या चम्फाई ज़िले तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि कम-से-कम चार और प्रमुख साइटें हैं - फ़ार्कन, डुंग्ट्लंग, लियानपुई और लुनघुनियान। जहाँ अब तक सैकड़ों मेनहिर और चित्रलेखों के साथ बड़े पैमाने पर खुदाई की जा रही है जो कि एक भुला दिए गए अतीत की कहानियों को बताते हैं।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI)

- संस्कृति मंत्रालय के अधीन यह राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा स्थलों और भग्नावशेषों का रख-रखाव करना है।
- प्राचीन स्मारक और पुरातात्त्विक अधिनियम,1958 के प्रावधान ASI का मार्गदर्शन करते हैं।
- पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 द्वारा ASI अपने कामकाज को दिशा देता है।
- ASI राष्ट्रीय महत्त्व के प्रमुख पुरातात्त्विक स्थलों की बेहतर देखभाल के लिये संपूर्ण देश को 24 मंडलों में बाँटता है।

नोट :

मैथिली भाषा तथा इसकी लिपियों का संवर्द्धन एवं संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक समिति ने मैथिली भाषा तथा इसकी लिपि के संवर्द्धन और संरक्षण (Promotion and Protection of Maithili Language) विषय पर अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को (Ministry of Human Resource Development) सौंपी। समिति द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में मैथिली भाषा के संवर्द्धन और संरक्षण हेतु कई सिफारिशें की गई हैं।

सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई का फैसला

मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट की जाँच किये जाने के बाद समिति की सिफारिशों में से कुछ पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है-

1. मिथिलाक्षर के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास के लिये दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या कामेश्वर सह-दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में से किसी एक परिसर में पांडुलिपि केंद्र की स्थापना की जाएगी।
2. मिथिलाक्षर (Mithilakshar) के उपयोग को आसान बनाने के लिये इस लिपि को भारतीय भाषाओं के लिये प्रौद्योगिकी विकास संस्थान (Technology Development of Indian Languages-TDIL) द्वारा जल्द-से-जल्द कंप्यूटर की भाषा (यूनिकोड) में परिवर्तित करने का काम पूरा किया जाएगा।
3. मिथिलाक्षर लिपि को सीखने के लिये श्रव्य-दृश्य/ऑडियो-विज़ुअल (Audio-Visual) तकनीक का विकास किया जाएगा।

संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता

- पिछले 100 वर्षों के दौरान इस लिपि के उपयोग में कमी आई है और इसके साथ ही हमारी संस्कृति का भी क्षय हो रहा है।
- चूँकि मैथिली भाषा की स्वयं की लिपि का उपयोग नहीं किया जा रहा, इसलिये संवैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद भी इसे समग्र रूप से विकसित करने की आवश्यकता है।
- इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मैथिली भाषा और उसकी लिपियों के संवर्द्धन और संरक्षण पर रिपोर्ट तैयार करने के लिये वर्ष 2018 में इस समिति का गठन किया था।

समिति के सदस्य

- समिति में चार सदस्य शामिल थे- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभागाध्यक्ष, प्रो. रमण झा; कामेश्वर सह-दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभागाध्यक्ष, डॉ. पं. शशिनाथ झा;, ललित नारायण विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रो. रत्नेश्वर मिश्र व पटना स्थित महावीर मंदिर न्यास के प्रकाशन विभाग के पदाधिकारी पं. भवनाथ झा।

पृष्ठभूमि

- मिथिलाक्षर या तिरहुत (Mithilakshar or Tirhuta) व्यापक संस्कृति वाली 'मिथिला' की लिपि है। मिथिलाक्षर, बांग्ला, असमिया, नेबारी, ओडिया और तिब्बती की लिपियाँ इसी परिवार का हिस्सा हैं।
- यह एक अत्यंत प्राचीन लिपि है और व्यापक उत्तर-पूर्वी भारत की लिपियों में से एक है।
- मिथिलाक्षार 10वीं शताब्दी तक अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई थी।
- मिथिलाक्षरों के प्राचीनतम रूपों के प्रयोग का साक्ष्य 950 ई. के सहोदरा के शिलालेखों में मिलता है।
- इसके बाद चंपारण से देवघर तक पूरे मिथिला में इस लिपि का उपयोग किया गया।

नोट :

जापान की बुलेट ट्रेन को भी मिथिला पेंटिंग्स से सजाने पर किया जा रहा है विचार

जापान में बुलेट ट्रेन को बिहार के विश्व विख्यात मिथिला पेंटिंग्स से सजाने पर विचार किया जा रहा है। जापान की सरकार ने इस काम के लिये भारत के रेल मंत्रालय से कलाकारों की मांग की है। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व भारतीय रेल के समस्तीपुर मंडल ने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को मिथिला पेंटिंग्स से सजाया था, जिसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र ने भी की थी। वैसे जापानी लोग मिथिला पेंटिंग्स से पहले ही से परिचित हंर क्योंकि वहाँ जापान-भारत सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने वाली संस्था ने मिथिला म्यूज़ियम भी बनाया है।

गीत गोविन्द

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल म्यूज़ियम में जयदेव द्वारा रचित 'गीत गोविन्द' की अठारहवीं सदी की प्रति प्रदर्शित की गई।

प्रमुख बिंदु

- 21 फरवरी, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर बांग्ला भाषा में हस्तलिखित गीत गोविन्द की पाण्डुलिपि (Manuscript) का प्रदर्शन किया गया।
- माना जाता है कि यह बांग्ला भाषा की सबसे पुरानी हस्तलिखित पाण्डुलिपियों में से एक है।
- कवि जयदेव द्वारा रचित पांडुलिपियों को प्रिंस हॉल में 'ऑब्जेक्ट ऑफ़ द मंथ' के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।
- पाण्डुलिपि की प्रासंगिकता और सामयिकता की तरफ ध्यान दिलाते हुए म्यूज़ियम के सेक्रेटरी ने बताया कि रचना की भाषा संस्कृत है किंतु स्क्रिप्ट बांग्ला में है।
- मध्य युगीन अन्य रचनाओं की तरह इस रचना का भी शताब्दियों तक कई भाषाओँ में अनुवाद किया गया।
- ये पांडुलिपियाँ प्रिंटिंग प्रेस के अविष्कार से काफी पहले लिखी गई हैं।

विक्टोरिया मेमोरियल हाल म्यूज़ियम में प्रदर्शित पांडुलिपियाँ

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

- ज्ञातव्य है कि हर वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (International Mother Language Day) का आयोजन किया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भाषायी और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषिता का प्रसार करना है।
- 1952 में भाषा आंदोलन के दौरान अपनी मातृभाषा के लिये शहीद हुए युवाओं की स्मृति में यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आयोजित किया था। इस वर्ष की थीम "Indigenous Languages as a Factor in Development, Peace and Reconciliation" रखी गई है।

कंबोडिया का अंकोर शहर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि खमेर (Khmer) साम्राज्य की प्राचीन राजधानी अंकोर का पतन अचानक नहीं हुआ था बल्कि इसका पतन क्रमिक क्षरण के कारण हुआ था।

नोट :

- इससे पहले कई पुरातत्त्वविदों और इतिहासकारों द्वारा यह कहा गया था कि 15वीं शताब्दी में अंकोर पतन का कारण, इस साम्राज्य पर अयुत्या (Ayutthaya) के थाई साम्राज्य द्वारा 1431 में किया गया आक्रमण था।
- अंकोर शहर में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, अंकोर वाट भी स्थित है।

अंकोर पुरातत्त्व पार्क (Angkor Archeological Park)

- अंकोर दक्षिण-पूर्वी एशिया के सबसे महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थलों में से एक है।
- वन क्षेत्र सहित लगभग 400 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैले हुए अंकोर पुरातत्त्व पार्क में 9वीं से 15वीं शताब्दी तक खमेर साम्राज्य की विभिन्न राजधानियों के विशाल अवशेष विद्यमान हैं।
- इनमें विश्व प्रसिद्द अंकोर वाट मंदिर और अंकोर थॉम (Angkor Thom) में अनगिनत मूर्तियों की सजावट के साथ बेयोन मंदिर (Bayon Temple) शामिल है।

अंकोर वाट मंदिर

- अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित एक मंदिर परिसर है तथा यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारकों में से एक है।
- इसकी स्थापना मूल रूप से खमेर साम्राज्य के लिये भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में की गई थी, लेकिन धीरे-धीरे 12वीं शताब्दी के अंत तक इसे एक बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया था।
- 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा खमेर साम्राज्य की राजधानी यशोधरपुर (वर्तमान में अंकोर), में इसका निर्माण उनके राज्य मंदिर और संभावित मकबरे के रूप में करवाया गया था।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019

चर्चा में क्यों ?

भारत की नवाचार पारिस्थितिकी में सुधार को स्वीकार करते हुए, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स (US Chamber of Commerce) ने वर्ष 2019 के लिये जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 50 देशों में से 36वें स्थान पर रखा है।

- उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 में भारत 44वें स्थान पर था।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस वर्ष जारी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का सातवाँ संस्करण है तथा इसका शीर्षक 'इंस्पायरिंग टुमारो' (Inspiring Tomorrow) है।
- इस सूचकांक में 50 देशों को शामिल किया गया है, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में इस सूचकांक में पाँच नए देशों (अर्थव्यवस्थाओं)– कोस्टारिका, आयरलैंड, जॉर्डन, मोरक्को और नीदरलैंड्स को शामिल किया गया। इससे पहले इस सूचकांक में 45 देश थे।
- भारत 16.22 अंकों के साथ सूचकांक में 36 वें स्थान पर है। भारत की स्थिति में यह सुधार भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा घरेलू उद्यमियों और विदेशी निवेशकों के लिये समान रूप से एक सतत् नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयासों को दर्शाता है।
- सूचकांक में शीर्ष 10 में स्थान हासिल करने वाले देश तथा उनका स्कोर इस प्रकार है-

शीर्ष 10 शामिल देश		
रैंक	देश का नाम	स्कोर
1.	अमेरिका	42.66
2.	यूनाइटेड किंगडम	42.22
3.	स्वीडन	41.03
4.	फ्राँस	41.00
5.	ज़र्मनी	40.54
6.	आयरलैंड	40.24
7.	नीदरलैंड	40.07
8.	जापान	39.48
9.	स्विट्ज़रलैंड	37.25
10.	स्पेन	37.12

- BRICS देशों में ब्राज़ील 18.25 अंकों के साथ 31वें स्थान पर, रूस 19.46 अंकों के साथ 29वें स्थान पर, भारत 36वें स्थान पर, चीन 21.45 अंकों के साथ 25वें स्थान पर तथा दक्षिण अफ्रीका 15.55 अंकों के साथ 38वें स्थान पर है।

नोट :

- सूचकांक के शामिल अंतिम पाँच देश और उनका स्कोर इस प्रकार है-

अंतिम पाँच में शामिल देश		
रैंक	देश का नाम	स्कोर
46.	इक्वाडोर	12.35
47.	पाकिस्तान	12.00
48.	मिस्र	11.83
49.	अल्जीरिया	10.28
50.	वेनेज़ुएला	7.11

भारत की स्थिति को सशक्त बनाने वाले प्रमुख क्षेत्र

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organisation- WIPO) की इंटरनेट संधियों में शामिल होने से भारत के कॉपीराइट संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मान्यता मिली है।
- JPO (Japan Patent Office) के साथ नए PPH (Patent Prosecution Highway) कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक सकारात्मक कदम है।
- उदार अनुसंधान एवं विकास और IP आधारित प्रोत्साहन।
- SMEs के लिये IP परिसंपत्तियों के निर्माण तथा उपयोग हेतु लक्षित प्रशासनिक प्रोत्साहन देने में वैश्विक रूप से अग्रणी देश।
- पायरेसी और जालसाजी के नकारात्मक प्रभाव पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास।

भारत की स्थिति को कमज़ोर बनाने वाले प्रमुख क्षेत्र

- सख्त पंजीकरण आवश्यकताओं सहित लाइसेंसिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में आने वाली बाधाएँ।
- बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों के IP अधिकारों की सुरक्षा के लिये सीमित ढाँचा।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बाहर पेटेंट प्राप्त करने की आवश्यकताएँ।
- बायोफार्मास्यूटिकल्स के लिये किसी शोधकर्त्ता विकास कार्यक्रम (Researcher Development Program-RDP) उपलब्ध न होना।
- पूर्व में व्यावसायिक और गैर-आपातकालीन स्थितियों के लिये उपयोग की जाने वाली अनिवार्य लाइसेंसिंग।

बौद्धिक संपदा अधिकार

- बौद्धिक संपदा अधिकार, निजी अधिकार हैं जो किसी देश की सीमा के भीतर मान्य होते हैं तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा कानूनी कंपनियों को उनकी रचनात्मकता अथवा नवप्रयोग के संरक्षण के लिये दिये जाते हैं।
- बौद्धिक संपदा अधिकार किसी भी प्रकार या आकार की अर्थव्यवस्थाओं में रोज़गार, नवाचार, सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर

- यू.एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र (U.S. Chamber of Commerce's Global Innovation Policy Center) बौद्धिक संपदा मानकों के माध्यम से दुनिया भर में श्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मकता के लिये काम कर रहा है, जो नौकरियों का सृजन करता है, जीवन को बचाता है, वैश्विक आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि को आगे बढ़ाता है तथा वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान तैयार करता है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

- WIPO बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिये एक वैश्विक मंच है। यह संगठन 191 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है।

नोट :

- इसका उद्देश्य एक संतुलित एवं प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) प्रणाली के विकास हेतु नेतृत्व करना है जो सभी के लाभ के लिये नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विटज़रलैंड में है।
- वर्तमान में इसके महानिदेशक फ्रांसिस गुरी (Francis Gurry) हैं।
- WIPO के दायरे में किये गए कुछ समझौते हैं:
  - दृष्टिबाधित रोगियों के लिये मारकेश संधि (Marrakech Treaty for visually imparied)
  - 1970 के दशक की पेटेंट सहयोग संधि (Marrakech Treaty for visually imparied)
  - मेड्रिड प्रणाली (Madrid system)

दृष्टि The Vision

नोट :

विविध

गंगा एक्सप्रेस वे (Ganga Express Way)

हाल ही में उत्तरप्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बार कुंभ मेले में आयोजित बैठक के दौरान 'गंगा एक्सप्रेस वे' के निर्माण को मंज़ूरी दी गई।

- राज्य मंत्रिमंडल के अनुसार, यह विश्व का सबसे बड़ा 'एक्सप्रेस वे' होगा।
- यह एक्सप्रेस वे प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) को मेरठ से जोड़ेगा।
- इस 'एक्सप्रेस वे' की लंबाई लगभग 600 किमी. होगी और यह ग्यारह ज़िलों मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फरुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ेगा ।
- राज्य के विभाजन के बाद यह पहली बार था जब मंत्रिमंडल की बैठक राज्य की राजधानी लखनऊ से बाहर आयोजित की गई।
- उत्तराखंड बनने से पहले उत्तरप्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक कभी-कभी नैनीताल में होती थी। यह भी अंतिम बार 1962 में हुई थी, तब इसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत ने की थी।

रिसर्च फेलोशिप बढ़ाने की घोषणा (Hike in Research Fellowship)

हाल ही में केंद्र सरकार अनुसंधान कर्मियों की फेलोशिप बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार का यह निर्णय 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी माना जाएगा।

- इन अनुसंधान कर्मियों में भौतिक और रासायनिक विज्ञान सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणितीय विज्ञान, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, फार्मेसी आदि किसी भी क्षेत्र में दाखिला लेने वाले Ph.D छात्रों और अन्य अनुसंधान कर्मियों को शामिल किया गया है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काम कर रहे Ph.D विद्वान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, शैक्षणिक जीवंतता और प्रौद्योगिकी नेतृत्व वाले नवाचारों के लिये देश के ज्ञान के आधार में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- फेलोशिप में की गई इस बढ़ोतरी से 60,000 से भी अधिक अनुसंधान कर्मियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।

संशोधित फेलोशिप राशि		
फेलोशिप की श्रेणी	**वर्तमान फेलोशिप**	**संशोधित फेलोशिप**
जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF)	25,000 रुपए	31,000 रुपए
सीनियर रिसर्च फेलो (SRF)	28,000 रुपए	35,000 रुपए
वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट्स	40,000 रुपए	51,000 रुपए

- सभी रिसर्च फेलो को केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार मकान किराया भत्ता भी मिलेगा।
- फेलोशिप की मात्रा सहित मूल्य, गुणवत्ता और डॉक्टरेट अनुसंधान के अनुभव को बढ़ाने पर असर पड़ने वाले सभी फेलोशिप मामलों की समय-समय पर जांच करने के लिये एक अधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रालयी समिति (Empowered Inter-Ministerial Committee) का गठन किया गया है।

रसायन विज्ञान की आवर्त सारणी के 150 साल

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 'रासायनिक तत्त्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' (International Year of the Period Table of Chemical Elements) की शुरुआत की है।

नोट :

- रासायनिक तत्त्वों की आवर्त सारणी को तैयार किये हुए 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और संयुक्त राष्ट्र की वैज्ञानिक एजेंसी इसके उपलक्ष्य में पूरे के वर्ष तक कार्यक्रम आयोजन करने की योजना बनाई है।
- रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडेलीव (Dmitri Mendeleev) ने पहली बार 1869 में आवर्त सारणी प्रकाशित की थी।
- इस सारणी में अंतिम बार मार्च 2015 में संशोधन किया गया था और 4 नए तत्त्वों (113, 115, 117 और 118) को जोड़ा गया था। ये चारों तत्त्व प्रकृति में नहीं पाए जाते लेकिन हल्के तत्त्वों के मेल से बनते हैं।

यूनेस्को (UNESCO)

- यूनेस्को (UNESCO) 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)' का संक्षिप्त रूप है। यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है।
- मुख्यालय-पेरिस (फ्राँस)
- गठन - 16 नवंबर, 1945
- कार्य - शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना।
- उद्देश्य - इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए।

आईएनएस कोहासा (INS KOHASA)

24 जनवरी, 2019 को नौसेना वायु केंद्र (Naval Air Station-NAS) शिबपुर को INS कोहासा के रूप में अधिकृत (commissioned) किया गया।

- INS कोहासा को यह नाम सफेद पेट वाले समुद्री बाज़ (White- Bellied Sea Eagle) के नाम पर दिया गया है, जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (Andaman and Nicobar Islands-ANI) का एक बड़ा तथा शिकारी पक्षी है।
- NAS शिबपुर को 2001 में उत्तरी अंडमान (North Andaman) में निगरानी के लिये फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयर बेस (Forward Operating Air Base-FOAB) के रूप में स्थापित किया गया था।
- INS कोहासा पोर्ट ब्लेयर में INS उत्क्रोश (Utkrosh) और कैंपबेल बे (Campbell Bay) में आईएनएस बाज़ (INS Baaz) के बाद अंडमान में तीसरा नौसेना हवाई केंद्र है।
- यह हवाई अड्डा सरकार की उड़ान (UDAN) योजना के अनुरूप सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार के विमानों के संयुक्त परिचालन के लिये एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

महत्त्व

- द्वीपों के सबसे उत्तरी भाग में स्थित यह हवाई क्षेत्र न केवल द्वीपों की सुरक्षा बल्कि समग्र विकास के लिये भी रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- इस एयरफील्ड के जुड़ने से अंडमान और निकोबार कमांड (Andaman & Nicobar Command's-ANC) की ANI के सभी क्षेत्रों से स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
- अपेक्षित सुविधाओं और श्रमशक्ति के साथ एक स्वतंत्र नौसैनिक इकाई का निर्माण ANC की समग्र परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा।
- यह नौसेना वायु केंद्र पर विमानों के स्थायी आधार का अवसर प्रदान करेगा।
- मलक्का जलडमरूमध्य (Straits of Malacca) के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित, INS कोहासा इंडोनेशिया से केवल 90 किमी., म्याँमार से 45 किमी. और थाईलैंड से 550 किमी. की दूरी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि चीन से जाने और चीन की ओर से आने वाले सभी कार्गो का लगभग 80% मलक्का से होकर गुजरता है। इस प्रकार रणनीतिक रूप से भी यह क्षेत्र भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

बांदीपुर टाइगर रिज़र्व

हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कुछ खंडों के माध्यम गुजरती हुई उन्नत (Elevated) सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव पर पर्यावरण मंत्रालय और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के बीच मतभेदों को दूर कर 6 सप्ताह के भीतर आम सहमति पर पहुँचने का निर्देश दिया है।

- उल्लेखनीय है कि बांदीपुर में गत 9 वर्षों से रात 9 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 766 पर यातायात प्रतिबंधित है। लेकिन इस प्रतिबंध के कारण दिन के दौरान कोझीकोड से मैसूर को जोड़ने वाले राजमार्ग पर वाहनों की संख्या में वृद्धि होने से इस मार्ग पर यातायात की स्थिति जटिल हो गई है।
- 272 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का लगभग 35 किमी बांदीपुर और केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरता है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने बांदीपुर हेतु 5 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को अपनी सहमति नहीं दी है, जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) पाँच उन्नत मार्गों का निर्माण करने को तैयार है, इन मार्गों में चार बांदीपुर में होंगे तथा एक वायनाड में होगा।

बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान

- यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है।
- प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973 में इसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था।
- पार्क उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा हुआ है। नुगु नदी पार्क से होकर गुज़रती है।
- निकटवर्ती नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई नेशनल पार्क और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलकर यह नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का हिस्सा है जो इसे दक्षिण भारत में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र और दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थान बनाता है।

एन्वायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फंड (Environment, Social, and Governance-ESG)

टाटा समूह के पूर्व अधिनायकों (Leaders) और उद्योग के दिग्गजों ने क्वांटम एडवाइज़र्स (Quantum Advisors) के साथ एक बिलियन डॉलर का एन्वायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस (ESG) फंड लॉन्च करने की घोषणा की है।

- ESG वैश्विक तौर पर निवेश का लोकप्रिय ज़रिया है ताकि इन तीनों क्षेत्रों में कंपनी का प्रदर्शन सुधरे, लेकिन अभी तक भारत में इस पर केंद्रित कोई फंड नहीं है।
- इस फंड का निवेश उन भारतीय कंपनियों में किया जाएगा जो पर्यावरण, समाज और कॉर्पोरेट प्रशासन को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं।
- प्रस्तावित संयुक्त उद्यम (Joint Venture-JV) के अंतर्गत लंबी अवधि के विदेशी निवेशकों जैसे पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड और उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों (HNIs), जो ESG को महत्त्व देते हैं से धन एकत्रित किया जाएगा।
- इस संयुक्त उद्यम की अगुआई मुकुंद राजन करेंगे, जो टाटा ब्रांड के अभिरक्षक (Custodian) के अलावा साइरस मिस्त्री के चेयरमैन वाले दौर में समूह की कार्यकारी परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इनके साथ टाटा कैपिटल के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी गोविंद शंकरनारायणन और टाटा संस के पूर्व निदेशक एलन रोसलिंग (Allen Rosling) भी शामिल हैं।

डॉल्फिन: पंजाब का जलीय जीव

हाल ही में पंजाब सरकार ने लुप्तप्राय (Critically Endangered) इंडस रिवर डॉल्फिन (Indus River Dolphin) को पंजाब का जलीय जीव घोषित करने की मंज़ूरी दी है।

- वन्यजीव प्रांतीय बोर्ड की मीटिंग के दौरान इंडस डॉल्फिन को एक दुर्लभ जलीय जीव बताते हुए यह फैसला लिया गया है।
- पंजाब में ब्यास नदी में यह डॉल्फिन पाई जाती है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम रह गई है।
- पिछले वर्ष WWF-India और पंजाब सरकार द्वारा कराए गए Indus River Dolphin Survey में इनकी संख्या 5 से 11 के बीच बताई गई थी।
- गौरतलब है कि ब्यास नदी की पर्यावरण प्रणाली के संरक्षण में इंड्स डॉल्फिन अहम भूमिका निभाती है।

नोट :

विश्व कैंसर दिवस

विश्व के लोगों को कैंसर के खिलाफ़ लड़ाई लड़ने में एकजुट करने के लिये प्रतिवर्ष 4 फरवरी को 'विश्व कैंसर दिवस' मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कैंसर के विषय में जागरूकता बढ़ाना, आवश्यक जानकारियों का प्रसार करना तथा वैश्विक स्तर पर सरकारों और व्यक्तियों को इस विषय में कार्रवाई करने के लिये संवेदनशील बनाना है।

- विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day) प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है।
- विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 4 फरवरी, 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम हेतु कैंसर के खिलाफ विश्व सम्मेलन में पेरिस चार्टर द्वारा की गई थी।
- वर्ष 2019 में तीन वर्षों, 2019-21 के लिये #IAmAndIWill अभियान की शुरुआत की गई है।
- #IAMANDIWILL व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हेतु एक सशक्त कॉल-टू-एक्शन आग्रह है जो भविष्य को प्रभावित करने के लिये यथाशीघ्र की जाने वाले कार्रवाई को इंगित करता है।
- विश्व स्वास्थ्य सगठन के अनुसार, कैंसर की वज़ह से एक मिनट में 17 लोगों की मौत हो जाती है।
- तमाम प्रयासों के बावजूद कैंसर के मरीज़ों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। इसी कारण हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया ताकि लोगों को अधिक-से-अधिक जागरूक किया जा सके।

कैंसर क्या है ?

- कैंसर अर्थात् शरीर के भीतर कुछ कोशिकाओं का अनियंत्रित होकर बढ़ना।
- अनुपचारित कैंसर आसपास के सामान्य ऊतकों या शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है तथा इसके कारण बहुत से गंभीर रोग, विकलांगता यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है।

कारण

- शारीरिक कैंसरकारी तत्त्व जैसे कि पराबैंगनी और आयनीकरण करने वाली विकिरण।
- रासायनिक कैंसरकारी तत्त्व जैसे - ऐस्बेस्टस, तंबाकू, एफ्लोटॉक्सिन (दूषित आहार) और आर्सेनिक (दूषित पेयजल)।
- जैविक कैंसरकारी तत्त्व जैसे - कुछ वायरस, बैक्टीरिया या हेपेटाइटिस बी और सी वायरस तथा मानव पेपिलोमा वायरस (एचपीवी) जैसे-परजीवियों से होने वाला संक्रमण।
- कैंसर के विकास का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक वृद्धावस्था है।
- तंबाकू और अल्कोहल का सेवन, अस्वास्थ्यकर आहार एवं शारीरिक निष्क्रियता ।

20वाँ भारत रंग महोत्सव

नई दिल्ली में 20वाँ अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह (INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL), 'भारत रंग महोत्सव' मनाया जा रहा है जो 1 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा।

- इस महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NATIONAL SCHOOL OF DRAMA-NSD) द्वारा किया जा रहा है।
- इस महोत्सव के अंतर्गत दिल्ली में 89 नाटक आयोजित किये जाएंगे। हिंदी में 25 नाटक, बांग्ला में 16, कन्नड़ में 5, ओड़िया में 2, गुजराती में 2, मणिपुरी में 2, अंग्रेज़ी में 3, असमिया में 2, मलयालम में 2 और मैथिली, तेलुगू, नेपाली व संस्कृत में 1-1 नाटक होगा।
- इस महोत्सव में 15 विदेशी नाटक भी शामिल हैं।
- थियेटर को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय डिब्रूगढ़, वाराणसी, रांची, मैसूर और राजकोट में भी समानांतर महोत्सवों का आयोजन कर रहा है।

नोट :

बौनी आकाशगंगा

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने हबल अंतरिक्ष टेलिस्कोप की सहायता से तीन करोड़ प्रकाश वर्ष दूर, हमारे ब्रह्माण्ड में पीछे की ओर मौजूद एक बौनी आकाशगंगा का पता लगाया है।

- गौरतलब है कि बौनी आकाशगंगा में दूसरी आकाशगंगाओं की तुलना में काफी कम तारे होते हैं।
- शोधकर्त्ताओं ने एनजीसी 6752 के भीतर सफेद बौने तारों का अध्ययन करने के लिये नासा/ईएसए हबल अंतरिक्ष टेलिस्कोप का इस्तेमाल किया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency-ESA) के अनुसार, इस अध्ययन का उद्देश्य गोल तारामंडल की आयु का पता लगाने के लिये इन तारों का इस्तेमाल करना था लेकिन इस प्रक्रिया में शोधकर्त्ताओं को बौनी आकाशगंगा मिल गई। शोधकर्त्ताओं के लिये यह एक अप्रत्याशित खोज है।
- बेदिन 1 नामक यह पड़ोसी आकाशगंगा आकार में बहुत छोटी है। शोधकर्त्ताओं ने बताया कि यह छोटी होने के साथ ही बहुत धुँधली भी है।
- यह शोध 'मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी: लेटर्स' (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters) जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

ब्लैक सॉफ्टशेल टर्टल

चर्चा में क्यों ?

भारत की 28 कछुओं की प्रजातियों में से सबसे दुर्लभ प्रजाति के काले रंग का कछुआ (Black Softshell Turtle) असम के गुवाहाटी के हाजो में हयाग्रीव माधव मंदिर के तालाब में पाला जा रहा है।

काले रंग का कछुआ

- स्थानीय लोग तालाब में पाए जाने वाले कछुए की इस प्रजाति को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं जिन्हें हाजो मंदिर समर्पित है।
- कछुए की यह प्रजाति भारत (असम) और बांग्लादेश (चटगाँव और सिलहट) में मीठे जल में पाई जाती है।
- 2002 में इस प्रजाति को IUCN की परिशिष्ट 1 तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची IV के रेड लिस्ट में 'जंगलों में विलुप्त' (Extinct in the Wild) के रूप में शामिल किया गया है।
- भारत में कछुओं की 28 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 20 असम में पाई जाती हैं। लेकिन कछुए के माँस और अंडों की खपत, खनन, आर्द्रभूमि का अतिक्रमण और बाढ़ के पैटर्न में बदलाव के कारण राज्य में कछुओं की आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है।
- असम में पाए जाने वाले 70% कछुए की प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है।

हयाग्रीव माधव मंदिर के बारे में

- हयाग्रीव माधव मंदिर वैष्णववाद के महत्त्वपूर्ण केंद्रों में से एक है।
- मंदिर एक पहाड़ी स्थान पर स्थित है जो गुवाहाटी, असम के पास हाजो में स्थित है।
- यह अनुमान लगाया गया था कि मंदिर 10वीं -12वीं शताब्दी के पाल शासन की अवधि के दौरान बनाया गया था।

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (Sangeet Natak Akademi Awards)

भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2017 प्रदान किये।

- संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद (General Council of the Sangeet Natak Akademi), भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटय अकादमी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) 2017 के लिये संगीत, नृत्य, थिएटर, पारंपरिक/लोक/जनजातीय, संगीत/नृत्य/थिएटर/कठपुतली कला तथा कला के क्षेत्र में समग्र योगदान/छात्रवृत्ति हेतु उक्त क्षेत्रों के 42 कलाकारों का चयन किया।
- ये अकादमी पुरस्कार वर्ष 1952 से दिये जा रहे हैं।

नोट :

- यह सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्च मानकों के संकेतक है बल्कि व्यक्तिगत कार्य/योगदान को भी मान्यता देता है।
- अकादमी पुरस्कार के तहत ताम्रपत्र तथा अंगवस्त्रम के अतिरिक्त एक लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

सुरक्षित शहर परियोजना (Safe City Project)

निर्भया फंड योजना के लिये अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee of Officers for Nirbhaya Funds Scheme) ने आठ चुनिंदा महानगरों में सुरक्षित शहर परियोजना को मंज़ूरी दे दी है।

- जिन महानगरों के लिये इस परियोजना को मंज़ूरी दी गई है उनमें शामिल हैं- दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ।
- सेफ सिटी प्रोजेक्ट या सुरक्षित शहर परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस परियोजना की कुल लागत राशि 2919.55 करोड़ रुपए है। उपरोक्त आठ में से पाँच राज्यों में इस परियोजना के लिये धन जारी किया गया है।

परियोजना की लागत केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है। लेकिन दिल्ली में यह परियोजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

इसरो ने लॉन्च किया जीसैट -31 (GSAT-31 launched by ISRO)

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से GSAT-31 ऑनबोर्ड एरियन 5 रॉकेट लॉन्च किया है। जीसैट -31 भारत का 40वाँ संचार उपग्रह है।

- जीसैट -31 भारत का नवीनतम संचार उपग्रह है। यह कू-बैंड (Ku-Band) के साथ एक 'उच्च क्षमता का संचार उपग्रह है।
- GSAT-31 जल्द ही समाप्त होने जा रहे INSAT-4CR और INSAT-4A उपग्रहों की जगह लेगा और इन उपग्रहों द्वारा वर्तमान में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगा।
- यह उपग्रह एटीएम, स्टॉक एक्सचेंज, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों और डायरेक्ट-टू-होम (DTH) सेवाओं के लिये वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल्स (Very Small Aperture TerminalsVSAT) को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
- यह अनुप्रयोगों, आपातकालीन संचार, आपदा प्रबंधन सहायता के होस्ट के लिये ज़्यादा मात्रा में डेटा हस्तांतरण हेतु दूरसंचार अनुप्रयोग भी प्रदान करेगा।

GSAT-31

- वजन: 2,536 किलोग्राम
- पेलोड: कू-बैंड ट्रांसपोंडर (दूरसंचार प्रणाली में सिग्नल प्राप्त करने और भेजने से संबंधित डिवाइस)
- कवरेज क्षेत्र: भारतीय मुख्यभूमि और द्वीप
- मिशन अवधि: 15 साल
- कक्षा: भू-स्थिर कक्षा (Geostationary orbit)

चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में परिवर्तन

हाल ही में अद्यतन (Updated) विश्व चुंबकीय मॉडल (World Magnetic Model) जारी किया गया।

विश्व चुंबकीय मॉडल को 2020 तक जारी किया जाना था, लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में बदलाव के कारण इसे समय से पहले ही जारी कर दिया गया है।

नोट :

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (Rashtriya Kamdhenu Aayog)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (Rashtriya Kamdhenu Aayog) की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि इस आयोग के गठन का प्रस्ताव अंतरिम बजट 2019-20 में किया गया था।

- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन से देश में गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और संवर्द्धन के साथ उनकी संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इनमें देशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना भी शामिल है।
- सरकार का मानना है कि इससे पशुधन क्षेत्र में वृद्धि होगी। इसके समावेशी होने के कारण इससे महिलाओं तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ होगा।
- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान या कृषि विश्वविद्यालय या केंद्र/राज्य सरकार के विभागों या संगठनों के सहयोग से काम करेगा, जो गायों के प्रजनन, पालन, जैविक खाद निर्माण, बायोगैस आदि के कार्य में लगे हैं
- इसका उद्देश्य देश में गोवंश के विकास एवं संरक्षण के लिये नीतिगत व्यवस्था एवं दिशा प्रस्तुत करना है। आयोग यह भी देखेगा कि देश में गौ-कल्याण के लिये नियमों और कानूनों का किस तरह से समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।

गायों के संरक्षण और विकास तथा उनकी संतति के लिये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग देश में गौ संरक्षण और विकास कार्यक्रमों को नीतिगत ढाँचा और दिशा प्रदान करेगा, साथ ही गायों के कल्याण से संबंधित कानूनों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

आयकर शिकायत जाँच संस्था और अप्रत्यक्ष कर शिकायत जाँच संस्था (Institution of Income-Tax Ombudsman and Indirect Tax Ombudsman)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर शिकायत जाँच संस्था और अप्रत्यक्ष कर शिकायत जाँच संस्था को समाप्त करने की मंज़ूरी दे दी है।

- यह मंज़ूरी लोगों द्वारा शिकायत दूर करने की वैकल्पिक व्यवस्था को चुनने के संदर्भ में दी गई है।
- वर्तमान में उपलब्ध शिकायत दूर करने की व्यवस्था, शिकायत जाँच संस्था से अधिक प्रभावी है।

पृष्ठभूमि

- आयकर शिकायत जाँच संस्था की स्थापना 2003 में आयकर शिकायतों को सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी।
- लेकिन यह संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही। नई शिकायतों की संख्या कम होकर एक अंक में रह गई।
- इसके अतिरिक्त आयकर प्रदाता शिकायत दूर करने के लिये वैकल्पिक प्रक्रियाओं को अपनाने लगे, जैसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System-CPGRAMS), आयकर सेवा केंद्र आदि।
- 2011 में यह निर्णय लिया गया था कि अप्रत्यक्ष शिकायत जाँच संस्था के खाली कार्यालयों को बंद कर दिया जाए।

राजीव गांधी कॅरियर पोर्टल (Rajiv Gandhi Career Portal)

हाल ही में राजस्थान की सरकार ने कक्षा नौंवी से बारहवीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिये 'राजीव गांधी कॅरियर पोर्टल' की शुरुआत की है।

- गौरतलब है कि यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया गया 'राजीव गांधी कॅरियर पोर्टल' देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है। इस पोर्टल के ज़रिये विद्यार्थियों को कॅरियर हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होगा तथा विभिन्न छात्रवृत्तियों, प्रवेश परीक्षाओं एवं संबंधित पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- राजस्थान सरकार ने 'राजीव गांधी पोर्टल' के लोकार्पण के साथ ही शिक्षा विभाग में 'राजीव गांधी कॅरियर काउंसिलिंग सेल' (Rajiv Gandhi Career Counselling Cell) के गठन की भी घोषणा की है।
- यह सेल स्कूल और कॉलेज के छात्रों को कौशल विकास कार्यक्रमों तथा इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के साथ ही उनके कॅरियर विकल्पों के साथ जोड़ेगी।

नोट :

मृत्युदंड की सज़ा को फिर से लागू करेगा श्रीलंका

नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में वृद्धि को देखते हुए श्रीलंका ने देश में मृत्युदंड की सज़ा पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है।

- श्रीलंका ने 1976 में मृत्युदंड की सजा पर रोक लगा दी थी।
- मानवाधिकार समूहों ने श्रीलंका के इस फैसले की यह कहते हुए आलोचना की है कि ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाता है इस सज़ा को पुन: लागू करने से नशीली दवाओं के इस्तेमाल या तस्करी पर रोक लगेगी।

वैश्विक रुझान

- अक्तूबर 2018 तक 170 राष्ट्रों ने या तो मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था या इसके उपयोग पर रोक लगा दी थी।
- हालाँकि, भारत सहित 23 राष्ट्रों ने पिछले एक दशक में कम-से-कम एक बार मृत्युदंड की सज़ा को अंजाम दिया है।

2018: चौथा सबसे गर्म वर्ष

संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब तक के दर्ज इतिहास में वर्ष 2018 चौथा सबसे गर्म साल था।

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization-WMO) के अनुसार, 2018 में औसत वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1 C (1.8 F) ऊपर था।
- 2016 सबसे गर्म वर्ष बना हुआ है जिसकी वज़ह अल नीनो था।
- WMO का कहना है कि इतिहास के 20 सबसे गर्म साल पिछले 22 वर्षों के भीतर रहे हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation)

- यह एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसे 23 मार्च, 1950 को मौसम विज्ञान संगठन अभिसमय के अनुमोदन के द्वारा स्थापित किया गया है।
- यह पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और व्यवहार, महासागरों के साथ इसके संबंध, मौसम और परिणामस्वरूप जल संसाधनों के वितरण के बारे में जानकारी देने के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) की आधिकारिक संस्था है।
- 191 सदस्यों वाले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा (Geneva) में स्थित है।
- उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है।

विश्व का प्रथम निजी लूनर लैंडर

- एक इज़राइली गैर-लाभकारी समूह निजी तौर पर वित्तपोषित विश्व का प्रथम मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि इसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर जाँच-पड़ताल करना होगा।
- बेयरशीट (हिब्रू शब्द: उत्पत्ति) नामक यह लूनर लैंडर इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की सहायता से समूह स्पेसिल (SpaceIL) द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
- यह चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिये एक उपकरण, नासा द्वारा प्रदान किया गया एक लेज़र-परावर्तक और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इज़राइली कलाकृतियों का एक टाइम-कैप्सूल अपने साथ ले जाएगा।
- विशेषताएँ
  - प्रमोचन द्रव्यमान: 585 किग्रा. (जिसमें 435 किग्रा. ईंधन है)
  - लैंडर की ऊँचाई: 1.5 मीटर
  - व्यास: 2 मीटर

नोट :

सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

हाल ही में सरकार ने सीमा पर घुसपैठ की जाँच के लिये सीमा प्रबंधन के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को उपयोग करने की योजना को मंज़ूरी दी है।

- पिछले चार वर्षों के दौरान देश की सीमाओं पर घुसपैठ की तीन हज़ार से अधिक घटनाएँ देखने को मिलीं।
- द्वीप विकास, सीमा सुरक्षा, संचार और नेविगेशन, भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा सीमा अवसंरचना विकास ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी पहचान सीमा प्रबंधन में सुधार हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिये की गई है।
- इस परियोजना को अंजाम देने के लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) और रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर पाँच साल में छोटी, मध्यम और दीर्घकालिक योजना को लागू करने की मंज़ूरी दी गई है।

देश की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग

हाल ही में 10.7 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जिसमें 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है को जोड़कर विज़िंजम इंटरनेशनल मल्टीपर्पज़ डीपवाटर सीपोर्ट (Vizhinjam International Multipurpose Deepwater Seaport) को रेलवे नेटवर्क से जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया।

- मई 2022 तक यह रेलवे लिंक स्थापित किये जाने की योजना है।
- कन्याकुमारी-तिरुवनंतपुरम रेलवे लाइन पर बलरामपुरम स्टेशन के पास कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Konkan Railway Corporation Ltd-KRCL) द्वारा प्रस्तावित यह सुरंग पूरी हो जाने पर देश की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी।
- केंद्रीय रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रेल विकास निगम लिमिटेड (Rail Vikas Nigam Ltd-RVNL) द्वारा इस परियोजना से हाथ खींचे जाने के बाद KRCL को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई जिसे सुरंग निर्माण में विशेषज्ञता हासिल है।
- बलरामपुरम रेलवे स्टेशन के विकास को सीपोर्ट के रेल लिंक के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
- विज़िंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड इस विशेष प्रयोजन हेतु एक कंपनी है जो सीपोर्ट परियोजना के निष्पादन की देखरेख कर रही है।
- KRCL के अनुसार, बलरामपुरम से विज़िंजम तक प्रस्तावित रेलवे लाइन, सिंगल लाइन होगी और आने वाले 20 सालों तक सुगमता पूर्वक संचालित होगी।

गुरु पद्मसंभव की प्रतिमा का अनावरण

- ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 8 फ़रवरी को गजपति ज़िले के जिरांग क्षेत्र में गुरु पद्मसंभव की 19 फीट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया। गुरु पद्मसंभव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वे ओडिशा में पैदा हुए, वहीँ पले-बढ़े और तत्पश्चात तिब्बत चले गए। इन्हे दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है।
- पत्थर की यह 29 टन वजनी प्रतिमा पद्मसंभव महावीर मठ के पास स्थित पद्म सरोवर के मध्य में है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मठ है। इसका उद्घाटन 2010 में दलाई लामा द्वारा किया गया था। यह मूर्ति प्रख्यात मूर्तिकार पद्मश्री प्रभाकर मोहराना द्वारा बनाई गई है।
- मूर्ति अनावरण समारोह में अपने धार्मिक और प्रशासनिक नेताओं के साथ तिब्बत वासियों का एक बड़ा समूह उपस्थित था।

उज्ज्वला उत्सव

07 फरवरी 2019 को तेल उद्योग ने 'उज्ज्वला उत्सव' मनाया। यह उत्सव प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Prime Minister Ujjwala Yojana -PMUY) की अपार सफलता में शामिल सभी हितधारकों यथा- ज़िला नोडल अधिकारियों, नीति निर्माताओं, वितरकों और लाभार्थियों की भूमिका की सराहना के लिये मनाया गया।

नोट :

- केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री एवं सचिव तथा तीन तेल विपणन कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों द्वारा तीन राज्यों में एलपीजी के प्रसार में तीन शीर्ष कार्य प्रदर्शन करने वालों को मान्यता दी गई है और संबंधित तेल विपणन कंपनियों के प्रभारी अधिकारियों को सम्मानित किया गया।
- ग्राम स्वराज अभियान तथा पूरे देश में 50,000 से अधिक गाँवों में विस्तारित ग्राम अभियान में सराहनीय कार्य के लिये शीर्ष 24 ज़िला नोडल अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।
- इस मौके पर गायक कैलाश खेर द्वारा कंपोज़ किया गया PMUY-गीत 'उज्ज्वला भारत उज्ज्वला' लॉन्च किया गया।

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (Generalised System of Preferences-GSP)

यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (US Trade Representative-USTR) भारत के लिये वरीयता व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है, जिसमें अमेरिका सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली के तहत कुछ निश्चित निर्यात सीमा पर भारत से कोई शुल्क नहीं लेता है।

- सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली विकसित देशों (वरीयता देने वाले या दाता देश) द्वारा विकासशील देशों (वरीयता प्राप्तकर्त्ता या लाभार्थी देश) के लिये विस्तारित एक अधिमान्य प्रणाली है।
- गौरतलब है कि इस प्रणाली के तहत विकासशील देशों को विकसित देशों के बाज़ार में कुछ शर्तों के साथ न्यूनतम शुल्क या शुल्क मुक्त प्रवेश मिलता है।
- इसके ज़रिये विकसित देश विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
- नामित लाभार्थी विकासशील देशों के लगभग 30-40 प्रतिशत उत्पादों के लिये वरीयता शुल्क मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। भारत भी एक लाभार्थी विकासशील देश है।
- ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, कज़ाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका GSP वरीयताएँ देते हैं।

मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ 'कटलैस एक्सप्रेस'

भारतीय नौसेना ने 27 जनवरी से 06 फरवरी, 2019 तक 'कटलैस एक्सप्रेस' (CUTLASS EXPRESS) अभ्यास में भाग लिया।

- कटलैस एक्सप्रेस, यू.एस. अफ्रीका कमांड (U.S. Africa Command-USAFRICOM) द्वारा प्रायोजित और नेवल फोर्सेज़ अफ्रीका (Naval Forces Africa-NAVAF) द्वारा संचालित एक अभ्यास है।
- इसका उद्देश्य समुद्री कानून प्रवर्तन क्षमता का आकलन और उसमें सुधार करना, पूर्वी अफ्रीका में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, योजना एवं संचालन को सूचित करना व सुरक्षा बल सहायता (SFA) के प्रयासों को आकार देना है।
- पूर्वी अफ्रीकी देशों के नौसैनिक, तटरक्षक और मरीन पुलिस के जवानों को संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत तथा नीदरलैंड्स के प्रशिक्षकों ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, संयुक्त समुद्री बल एवं यूरोपीय नौसेना बलों की सहायता से प्रशिक्षित किया।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान (National Deworming Day)

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिला और बाल विकास तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का 8वाँ चरण शुरू किया है।

- इस अभियान के तहत करोड़ों बच्चों को कृमि से बचाव हेतु सुरक्षित दवा अलबेंडेजौल (Albendazole) दी जाती है एवं आम लोगों को खुले में शौच करने से कृमि संक्रमण के खतरों तथा साफ-सफाई की आदतों के प्रति जागरूक बनाया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले 64 फीसदी आबादी को कृमि संक्रमण का खतरा है।
- अभियान का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के संक्रमण से आंतों में उत्पन्न होने वाले परजीवी कृमि को खत्म करना है।

नोट :

- कृमि मुक्ति अभियान 2015 में शुरू किया गया था। अब तक इसके सात चरण पूरे हो चुके हैं एवं यह आठवाँ चरण है। इस चरण में 30 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में 1-19 वर्ष की आयु वर्ग के 24.44 करोड़ बच्चों और किशोरों को लक्षित किया गया है।
- कृमि मुक्ति दिवस वर्ष में दो बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में मनाया जाता है।

वोटर हेल्पलाईन एप, 'पीडब्ल्यूडी एप' और VVIP कार्यक्रम

- हाल ही में लोकसभा चुनाव 2019 के संचालन में 'सूचना और संचार तकनीक के उपयोग' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिये नागरिकों को उनके नाम, नए पंजीयन, ब्यौरे में बदलाव और मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिये मतदाता पुनरीक्षण और सूचना कार्यक्रम (Voter Verification and Information Programme -VVIP) लॉन्च किया।
- इस अवसर पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को cVIGIL एप के प्रयोग की जानकारी दी गई।
- इस एप के माध्यम से आदर्श चुनाव संहिता के साक्ष्य आधारित सबूत, खर्च सीमा के उल्लंघन पर लाइव फोटो या वीडियो के ज़रिये कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है। उल्लंघन कहाँ हुआ है, इसकी जानकारी GPS के ज़रिये स्वत: सम्बंधित अधिकारियों को मिल जाती है।
- निर्वाचन आयोग द्वारा 'वोटर हेल्पलाईन' एप (Voter Helpline App) भी लॉन्च किया गया। इस एप की सहायता से नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने, ऑनलाइन फार्म जमा करने, आवेदन की स्थिति जानने और शिकायत दर्ज करने जैसी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते है।
- इस दौरान दिव्यांगजनों के लिये विशेष सुविधा प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग ने 'पीडब्ल्यूडी एप' (PwD App) भी लॉन्च किया। इस एप की सहायता से दिव्यांगजन अपनी पहचान का पंजीयन कर सकते हैं, पते और अन्य ब्यौरे में बदलाव कर सकते हैं। चुनाव के दौरान दिव्यांगजन व्हिलचेयर की मांग भी कर सकते हैं।

श्रम-योगी मानधन वृहद् पेंशन योजना की शुरुआत

हाल ही में श्रम मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद् पेंशन योजना 15 फरवरी, 2019 से शुरू कर दी जाएगी।

- श्रम मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिये असंगठित क्षेत्र के कामगार 15 फरवरी से सदस्यता ले सकेंगे।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019-20 के लिये अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद् पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी।
- 15 हज़ार रुपए तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामकारों के लिये प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद् पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- इसके तहत कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की उम्र से 3000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त की जा सकेगी।
- 29 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार को केवल 100 रुपए प्रतिमाह का अंशदान 60 वर्ष की उम्र तक करना होगा।
- 18 वर्ष की उम्र में इस पेंशन योजना में शामिल होने वाले कामगार को सिर्फ 55 रुपए प्रतिमाह का अंशदान करना होगा।
- सरकार हर महीने कामगार के पेंशन खाते में इतनी ही राशि जमा करेगी।
- इस योजना के लिये 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और इसे वर्तमान वर्ष से ही लागू किया जाएगा।

नोट :

मोबाइल-एप ई-कोकून

हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन ई-कोकून लॉन्च किया है। गौरतलब है कि यह एप्लीकेशन रेशम कीट बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिये उपयोग में लाया जाएगा।

- मोबाइल ऐप ई-कोकून रेशम कीट बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन में मदद करेगा क्योंकि रियल टाइम रिपोर्टिंग के माध्यम से प्रणाली और उत्पाद प्रमाणन हेतु इसका उपयोग केंद्रीय बीज अधिनियम के तहत नामित बीज विश्लेषकों एवं बीज अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- भारत एकमात्र ज्ञात ऐसा देश है, जो सभी पाँच ज्ञात वाणिज्यिक रेशम- शहतूत, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, एरी और मुगा का उत्पादन करता है।
- गैर-शहतूत रेशम या वन्या सिल्क (तसर, एरी और मुगा) का उत्पादन ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है।
- नॉर्थ-ईस्ट एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ रेशम की चार किस्मों -शहतूत, ओक तसर, मुगा और एरी का उत्पादन होता है।
- चीन के बाद भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।

पेट्रोटेक- 2019

प्रधानमंत्री द्वारा 11 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में पेट्रोटेक (PETROTECH)-2019 का उद्घाटन किया जाना है।

- भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्त्वाधान में 13वाँ अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी (PETROTECH-2019) का आयोजन किया जा रहा है।
- पेट्रोटेक - 2019 को भारत का प्रमुख हाइड्रोकार्बन सम्मेलन माना जाता है।
- यह तीन दिवसीय कार्यक्रम 10-12 फरवरी, 2019 तक आयोजित किया जाएगा।
- PETROTECH-2019 प्रदर्शनी में मेक इन इंडिया और अक्षय ऊर्जा थीम पर विशेष क्षेत्रों के साथ-साथ भारत के तेल और गैस क्षेत्र में हाल के बाज़ार और निवेशकों के अनुकूल विकास को दर्शाया जाएगा।

महामस्तकाभिषेक महोत्सव

हाल ही में श्रवणबेलगोला स्थित भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का अनावरण कर राष्ट्रपति ने महामस्तकाभिषेक महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 9-18 फरवरी, 2019 तक मनाया जाएगा।

- महामस्तकाभिषेक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। अब तक का यह चौथा महामस्तकाभिषेक है इससे पहले यह वर्ष 1982, 1995, 2007 में मनाया गया।
- भगवान बाहुबली पहले जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ के पुत्र थे।
- जैन मान्यताओं के अनुसार, बाहुबली ने निरंतर लंबी अवधि तक ध्यान में रहकर सांसारिक विषय-विकारों से मुक्ति प्राप्त की थी एवं मोक्ष भी सबसे पहले बाहुबली को ही प्राप्त हुआ था।

'लाइट हाउस परियोजना चुनौती' (Light House Project Challenge)

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing & Urban Affairs-MoHUA) ने GHTC-इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण हेतु पूरे देश में 6 स्थलों का चयन करने के लिये राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिये एक चुनौती की शुरुआत की है।

- इस चुनौती के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले 6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लाइट हाउस परियोजनाएँ प्रदान की जाएंगी। इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-Urban) के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के निर्माण के लिये केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

नोट :

- इसके अलावा, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग और अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने और अन्य संबंधित कारकों के कारण होने वाले किसी अतिरिक्त लागत के प्रभाव को दूर करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (Technology Innovation Grant-TIG) का भी प्रावधान किया गया है।

GHTC-इंडिया

- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय पहले ही वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-इंडिया (Global Housing Technology Challenge-India) की शुरूआत कर चुका है। इस चुनौती के तीन घटक हैं-

1. ग्रांड एक्सपो एवं सम्मेलन का आयोजन करना।
2. दुनिया भर से प्रमाणित प्रदर्शन योग्य प्रौद्योगिकियों की पहचान करना।
3. उष्मायन और त्वरित सहायता के लिये किफायती, स्थायी आवास की स्थापना के माध्यम से संभावित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
4. अंतिम रूप से चयनित वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ढांचे के अंदर लाइट हाउस परियोजनाओं की योजना बनाने और निर्माण के लिये आमंत्रित किया जाएगा।

स्वच्छ शक्ति -2019 (Swachh Shakti-2019)

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर स्वच्छ शक्ति 2019 का आयोजन किया।

- स्वच्छ शक्ति का यह तीसरा सम्मेलन था जिसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया।
- स्वच्छ शक्ति-2019 एक राष्ट्रीय आयोजन है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण महिलाओं द्वारा निभाई गई नेतृत्वकारी भूमिका पर प्रकाश डालना है।
- इस आयोजन में पूरे देश की महिला सरपंच और पंच शामिल हुईं।
- इस वर्ष महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्य से लगभग 15,000 महिलाओं ने स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम में भाग लिया है।
- इस कार्यक्रम के दौरान महिला सरपंचों द्वारा स्वच्छ भारत के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पर अपनाई गई बेहतरीन पद्धतियों को साझा किया जाता है।
- इस कार्यक्रम में स्वच्छ भारत की उपलब्धियों और हाल ही में आयोजित स्वच्छ सुंदर शौचालय, (Neat and Clean Toilet) जो कि विश्व में अपनी तरह का एक अनूठा अभियान है का भी पहली बार इसमें प्रदर्शन किया गया।

पृष्ठभूमि

- स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017 में गुजरात के गांधीनगर से हुई थी। तब देश भर से 6 हज़ार महिला सरपंचों ने इसमें भाग लिया था।
- दूसरे स्वच्छ शक्ति सम्मेलन का आयोजन 2018 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। जिसमें 8 हज़ार महिला सरपंच, 3 हज़ार महिला स्वच्छाग्रही तथा देश भर में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था।
- स्वच्छ भारत अभियान के क्षेत्र में किये गए सराहानीय कार्यों के लिये इन महिलाओं को सम्मानित किया गया था।

सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम
(Cultural Heritage Youth Leadership Programme-CHYLP)

केंद्रीय संस्कृति मंत्री द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय ने युवाओं में भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिये सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम(CHYLP) हेतु सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र(CCRT) को वर्ष 2018-19 के दौरान 10 लाख रुपए आवंटित किये।

नोट :

कार्यक्रम के बारे में

- भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति लगाव को बढ़ाने और स्कूली बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता के प्रोत्साहन के उद्देश्य से 19 नवंबर, 2011 को सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे अलाभान्वित बच्चों पर खास ध्यान देना है।

सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (CCRT)

- सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र एक अग्रणी संस्थान है, जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है।
- इसकी स्थापना मई 1979 में कमलादेवी चट्टोपाध्याय तथा डॉ. कपिला वात्स्यायन द्वारा की गई थी।
- यह केंद्र संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है।
- इस केंद्र का मुख्य सैद्धांतिक उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान कर उनका भावात्मक व आध्यात्मिक विकास करना है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके तीन क्षेत्रीय केंद्र हैं, जो भारतीय कला और संस्कृति के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पश्चिम में उदयपुर, दक्षिण में हैदराबाद तथा पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में स्थित हैं।

बौद्ध सर्किट के अंतर्गत पाँच नई परियोजनाओं को मंज़ूरी

बौद्ध सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिये चिह्नित विषयगत (थीम आधारित) सर्किटों में से एक है। मंत्रालय ने इस सर्किट के तहत 361.97 करोड़ की 5 नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

ये पाँच परियोजनाएँ हैं-

1. सांची-सतना-रीवा-मंदसौर-धार में बौद्ध सर्किट का विकास (मध्य प्रदेश)
2. श्रावस्ती, कुशीनगर, और कपिलवस्तु में बौद्ध सर्किट का विकास (उत्तर प्रदेश)
3. बोधगया के पश्चिमी तरफ माया सरोवर के निकट कन्वेंशन सेंटर का निर्माण (बिहार)
4. जूनागढ़-गिर-सोमनाथ-भरूच-कच्छ-भावनगर-राजकोट-मेहसाणा बौद्ध सर्किट का विकास (गुजरात)
5. सलीहुंडम-थोटलाकोंडा-बाविकोन्डा-बोज्जनाकोंडा-अमरावती-अनुपू बौद्ध सर्किट का विकास (आंध्र प्रदेश)

स्वदेश दर्शन योजना

- स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश में योजनाबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर खास विशेषता वाले सर्किटों का विकास करना है।
- इस योजना के तहत सरकार जहाँ एक ओर पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएँ देने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण ढाँचागत विकास पर ज़ोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित कर रही है।
- इस योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी।
- इस योजना के तहत जिन विषयगत आधारों पर सर्किटों का विकास किया जाता है, उनके नाम हैं- पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, रेगिस्तान सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन-जीवन सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट एवं धरोहर सर्किट।

'राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस' (National Productivity Day)

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council-NPC) ने 12 फरवरी, 2019 को अपना 61वाँ स्थापना दिवस मनाया। NPC अपने स्थापना दिवस को 'उत्पादकता दिवस' के रूप में मनाता है।

परिषद के बारे में

- भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 1958 में स्थापित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एक स्वायत्तशासी, बहुपक्षीय और गैर-लाभान्वित संगठन है ।

नोट :

- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिये शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करना है।
- यह परिषद टोक्यो स्थित अंत:शासकीय निकाय, एशियाई उत्पादकता संगठन (Asian Productivity Organisation-APO) का एक घटक है। उल्लेखनीय है कि भारत APO के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह (National Productivity Week)

- NPC 12-18 फरवरी, 2019 के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन भी कर रहा है।
- इस वर्ष के राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम है 'उत्पादकता और निरंतरता के लिये सर्कुलर अर्थव्यवस्था' ('Circular Economy for Productivity and Continuity')।
- सर्कुलर इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था 'बनाओ, उपयोग करो, वापस पाओ' (Make-Use-Return) से जुड़े सर्कुलर बिजनेस मॉडल के लिये अनूठे अवसर को परिलक्षित करती है।

एक्वा मेगा फूड पार्क (Aqua Mega Food Park)

12 फरवरी, 2019 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी ज़िले में भीमावरम मंडल के टुंडुरू गाँव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क (Godavari Aqua Mega Food Park) का उद्घाटन किया गया।

- इस पार्क का विकास मैसर्स गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड (M/s Godavari Mega Aqua Food Park Pvt. Ltd.) द्वारा किया गया है।
- यह आंध्र प्रदेश राज्य में मछली और अन्य समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिये विशेष रूप से स्थापित पहला मेगा एक्वा फूड पार्क है।
- गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क 122.60 करोड़ रुपए की लागत से 57.81 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है।
- आंध्र प्रदेश के अन्य मेगा फ़ूड पार्क चित्तूर ज़िले में तथा कृष्णा ज़िले में हैं। इनमें से चित्तूर स्थित मेगा फ़ूड पार्क की शुरुआत 9 जुलाई, 2012 को ही हो चुकी थी जबकि कृष्णा ज़िले में मेगा फ़ूड पार्क स्थापित करने का कार्य अभी प्रगति पर है।

पृष्ठभूमि

- मेगा फूड पार्क योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाज़ार से जोड़ने हेतु एक तंत्र उपलब्ध कराना है ताकि अधिकतम मूल्यवर्द्धन, न्यूनतम बर्बादी, किसानों की आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर सृजित करना सुनिश्चित किया जा सके।
- मेगा फूड पार्क स्कीम 'क्लस्टर' दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें पार्कों में सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ उपलब्ध औद्योगिक भूखंडों में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिये सुपरिभाषित कृषि/बागवानी ज़ोन में अत्याधुनिक सहायक अवसंरचना के सृजन की परिकल्पना की गई है।
- मेगा फूड पार्क में संग्रहण केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों, शीत श्रृंखला और उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु 30-35 पूर्ण विकसित भूखंडों समेत आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना शामिल होती है।

पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन)
POSHAN Abhiyaan (National Nutrition Mission)

12 फरवरी, 2019 को महिला और बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) ने पोषण अभियान के तहत देश में पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद (National Council on India's Nutrition Challenges) की चौथी बैठक का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने की।

नोट :

- बैठक के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई तथा कार्यकारी समिति की चौथी और 5वीं बैठकों में की गई सिफारिशों के बारे में जानकारी दी।
- पोषण (POSHAN) योजना का पूरा नाम 'PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment' है।
- इस अभियान की शुरुआत 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से की गई थी।
- इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में ठिगनापन/स्टंटिंग (Stunting), अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) और जन्म के समय बच्चों के कम वज़न के मामलों में प्रतिवर्ष क्रमश: 2%, 2%, 3% तथा 2% की कमी लाना है।
- एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और 718 ज़िलों को वर्ष 2020 तक चरणबद्ध रूप से इस अभियान के तहत शामिल किया जाएगा।

कुसुम योजना (KUSUM Scheme)

हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि सरकार किसानों के बीच सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये 'कुसुम' (KUSUM) नामक योजना तैयार कर रही है।

- इस योजना का पूरा नाम 'किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan-KUSUM) है।
- प्रस्तावित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों का प्रावधान किया गया है-
- ग्रामीण इलाकों में 500KW से 2 MW तक की क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
- ऐसे किसानों, जो किसी भी ग्रिड से नहीं जुड़े हैं, की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एकल आधार वाले (stand alone) ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना।
- किसानों को ग्रिड से की जाने वाली आपूर्ति से मुक्त करने के लिये विद्यमान ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण (Solarization) तथा उत्पादित अधिशेष सौर ऊर्जा की बिक्री वितरण कंपनियों (Distribution Companies-DISCOM) को करना और अतिरिक्त आय प्राप्त करना।
- यह योजना सरकार के विचाराधीन है इसलिये, विस्तृत प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है।

मानव से नहीं जीत पाया AI प्रोजेक्ट डिबेटर

हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन (International Business Machines Corporation-IBM) की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रणाली- प्रोजेक्ट डिबेटर के साथ डिबेट चैंपियन हरीश नटराजन की डिबेट आयोजित की गई थी।

- IBM के थिंक 2019 (Think 2019) सम्मलेन में आयोजित इस डिबेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेटर हरीश नटराजन के साथ सार्वजनिक बहस में हार गया।
- डिबेट के ज़रिये दर्शकों को दलीलें समझाने की क्षमता के आधार पर इस आयोजन के विजेता की घोषणा की गई।
- IBM द्वारा विकसित प्रोजेक्ट डिबेटर तीन प्रकार की क्षमताओं से युक्त है-
- डेटा-चालित भाषण लेखन और भाषण प्रस्तुति।
- सुनने की समझ जो लंबे समय से बोली जा रही भाषा के भीतर छिपे प्रमुख दावों की पहचान कर सकती है।
- सैद्धांतिक तर्कों को सक्षम करने के लिये एक अद्वितीय ज्ञान ग्राफ में मानव दुविधाओं की मॉडलिंग।
- ध्यातव्य है कि एक दशक पहले, IBM के सुपरकंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया था।

नोट :

ई-औषधि पोर्टल (e-AUSHADHI portal)

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिये ई-औषधि (e-AUSHADHI) नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है।

- ई-औषधि पोर्टल का लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना, सूचना प्रबंधन सुविधा में सुधार लाना, डेटा के इस्तेमाल में सुधार लाना और उत्तरदायित्व बढ़ाना है।
- इस पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की प्रक्रिया तथा समय-सीमा के बारे में प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में SMS और ई-मेल के ज़रिये जानकारी दी जाएगी।
- नया ई-पोर्टल आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ऑटोमेटेड ड्रग हेल्प इनिशिएटिव (Automated Drug Help Initiative) के लिये एक मूल आधार है।
- यह पोर्टल लाइसेंस प्रदाता अधिकारी, निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिये मददगार होने के साथ-साथ लाइसेंसशुदा निर्माताओं तथा उनके उत्पादों, रद्द की गई और नकली औषधियों के बारे में जानकारी, शिकायतों के लिये संबंधित अधिकारी के संपर्क-सूत्र भी तत्काल उपलब्ध कराएगा।

तीसरा भारत- जर्मन पर्यावरण सम्मेलन

13 फरवरी, 2019 को तीसरे भारत-जर्मन पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

- इस सम्मेलन की थीम 'स्वच्छ वायु, हरित अर्थव्यवस्था' (Cleaner Air, Greener Economy) थी।
- इस एक दिवसीय सम्मेलन में सामूहिक विचार-विमर्श और सामानांतर अधिवेशनों के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन की चुनौतियों, समाधानों और आवश्यक कार्यक्रमों के साथ-साथ क्रमश: पेरिस समझौते (Paris Agreement) तथा संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 (Agenda 2030 of UN) पर आधारित NDCs (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) और सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) के कार्यान्वयन पर ज़ोर दिया गया।
- इस सम्मेलन का आयोजन दोनों देशों के पर्यावरण मंत्रालयों ने ज़र्मन बिज़नेस की एशिया-प्रशांत समिति और फिक्की के सहयोग से किया।
- सम्मेलन में मंत्रालयों, कारोबार एवं विज्ञान जगत के साथ-साथ विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दर्ज की।
- इस अवसर पर भारत और जर्मनी के बीच स्वच्छ वायु और वस्त्र क्षेत्र के लिए संदर्भ की तैयारी के बारे में दो संयुक्त आशय घोषणापत्रों (Joint Declaration of Intent-JDI) का भी आदान-प्रदान किया गया।

ट्रांस फैटी एसिड पर जागरूकता अभियान

केरल स्वास्थ्य विभाग ने व्यावसायिक रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड (Trans Fatty Acid-TFA) के हानिकारक प्रभावों पर सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करने और ट्रांस फैटी एसिड हेतु निर्धारित वर्तमान वैधानिक सीमाओं को पूरा करने के लिये स्थानीय खाद्य उद्योग को प्रोत्साहित करने की एक कार्य योजना बनाई है।

- इस पहल को विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Indian Food Safety and Standards Authority-FSSAI) और राज्य खाद्य सुरक्षा विंग द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

NASA का अपॉरच्यूनिटी मिशन हुआ निष्क्रिय

हाल ही में मंगल ग्रह पर नासा का अपॉरच्यूनिटी रोवर मिशन निष्क्रिय हो गया। गौरतलब है कि 15 वर्ष पुराना यह रोवर मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा समय तक कार्य करने वाला रोवर था।

नोट :

क्या है अपॉरच्यूनिटी रोवर मिशन ?

- नासा ने यह रोवर 15 साल पहले वर्ष 2004 में मंगल ग्रह की सतह पर उतारा था।
- रोवर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे नासा के इंजीनियरों ने मंगल ग्रह पर आए हालिया तूफानों के चलते इसकी आंतरिक बनावट में खराबी आने की आशंका जताई थी।
- मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने को अपॉरच्यूनिटी रोवर के लिये 90 दिन का समय तय किया गया था, लेकिन इसने 14 से ज्यादा साल मंगल पर बिताए।
- इस रोवर मंगल ग्रह पर केवल 90 दिन और 1.006 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिये भेजा गया था लेकिन यह रोवर मंगल ग्रह पर 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के साथ ही 5 हज़ार दिन भी पूरा कर चुका था।
- अपॉरच्यूनिटी रोवर के साथ वैज्ञानिकों का अंतिम संपर्क 10 जून, 2018 को हुआ था।

687 परियोजनाओं में से 682 को मंज़ूरी

- पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife-NBWL) ने संरक्षित क्षेत्रों की वन भूमि को उद्योग हेतु मंज़ूरी प्रदान करते हुए 687 परियोजनाओं में से 682 (99.82%) को मंज़ूरी दे दी।
- कुछ विशेषज्ञों ने आलोचना करते हुए इसे क्लीयरेंस हाउस की उपाधि दे दी, जबकि कुछ अधिकारियों ने मंज़ूरी की वज़हों का उल्लेख किया-
  - सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ
  - 2014 के बाद से नियमित बैठकें
  - ऑनलाइन आवेदन
  - राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में वही परियोजनाएँ आती हैं जिनकी जाँच संबंधित राज्य सरकार पहले ही कर चुकी होती है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

- नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ एक वैधानिक बोर्ड है जिसका गठन 2003 में वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आधिकारिक तौर पर किया गया था।
- NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।
- यह निकाय वन्यजीवन संबंधी सभी मामलों की समीक्षा के लिये और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों एवं इसके आस-पास परियोजनाओं की मंज़ूरी हेतु एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण निकाय है क्योंकि यह वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में तथा आस-पास की परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिये सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की संरचना के तहत इसमें 15 अनिवार्य सदस्य और तीन गैर-सरकारी सदस्यों को रखने का प्रावधान है।

ताज व्यू गार्डन

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने आगरा के किले और ताजमहल के बीच ताज कॉरिडोर क्षेत्र में 'ताज व्यू गार्डन' की नींव रखी।

- इस गार्डन के निर्माण का उद्देश्य बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण करके ताजमहल के चारों ओर हरियाली को बढ़ावा देना है। इससे न केवल ताजमहल के आस-पास के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि यह आगंतुकों को एक मनोरम दृश्य भी प्रदान करेगा।
- ताज व्यू गार्डन को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा मुगलकालीन चारबाग उद्यान की तर्ज़ पर विकसित किया जा रहा है।
- चारबाग शैली उद्यान स्थापत्य की एक फ़ारसी शैली है जिसमें एक वर्गाकार बाग को चार छोटे भागों में, चार पैदल पथों या बहते पानी द्वारा चार छोटे भागों में बाँटा जाता है।
- इस तरह की उद्यान शैली ईरान और भारत सहित संपूर्ण पश्चिमी और दक्षिण एशियाई देशों में पाई जाती है।
- भारत में हुमायूँ के मकबरे (दिल्ली) और ताज महल (आगरा) का निर्माण चारबाग शैली में किया गया है।

नोट :

भारत ने जर्मनी और स्वीडन के साथ रक्षा समझौतों पर किये हस्ताक्षर

भारत ने जर्मनी और स्वीडन दोनों देशों के साथ रक्षा सहयोग और सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

- भारत और स्वीडन के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं जिससे दोनों देश एक- दूसरे के साथ गोपनीय जानकारी को साझा करने में सक्षम होंगे।
- उल्लेखनीय है कि भारत और स्वीडन ने वर्ष 2009 में रक्षा क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।
- इससे पहले जर्मनी में रक्षा मंत्री ने रक्षा और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु उपायों को लागू करने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिससे दोनों देशों की सेनाओं के साथ रक्षा उद्योग और अनुसंधान तथा विकास संबंधों को और मज़बूत बनाया जा सकेगा।
- जर्मनी और स्वीडन दोनों ही भारत को रक्षा उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता हैं और उनकी कंपनियाँ इस समय पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिये कई निविदाओं की प्राप्ति के लिये प्रयासरत हैं।

न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली

राष्ट्रीय जलमार्गों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India-IWAI) ने एक नया पोर्टल 'न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली' (LADIS) लॉन्च किया है।

- LADIS यह सुनिश्चित करेगा कि न्यूनतम उपलब्ध गहराइयों के बारे में वास्तविक आँकड़ों को जहाज़/नौका और मालवाहक जहाज़ों के मालिकों को प्रसारित किया जाए, ताकि वे राष्ट्रीय जलमार्गों पर अधिक नियोजित तरीके से परिवहन परिचालन कर सकें।
- IWAI ने LADIS को राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways) पर चलने वाले अंतर्देशीय जहाज़ों के प्रतिदिन के संचालन को सुगम बनाने तथा सेवा और संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिये डिज़ाइन किया है।
- यह राष्ट्रीय जलमार्गों पर निर्बाध परिचालन के लिये सूचना के आदान-प्रदान की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाएगा, इसके अलावा, जहाज़ों की आवाज़ाही के दौरान पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में भी पूर्वानुमान व्यक्त करेगा।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India-IWAI)

- नौवहन और नौचालन के लिये अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना 27 अक्तूबर, 1986 को की गई।
- IWAI जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- यह जहाज़रानी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण का कार्य करता है।
- प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा (New Okhla Industrial Development Authority-NOIDA) में क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में तथा उप-कार्यालय प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद), वाराणसी, भागलपुर,
- रक्का और कोल्लम में हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अनुसार, अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- वर्ष 2018 में IWAI ने कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु समर्पित पोर्टल 'फोकल' (Forum of Cargo Owners and Logistics Operators-FOCAL) लॉन्च किया था जो जहाज़ों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है।
- 2018 में IWAI ने गंगा नदी पर जलमार्ग विकास परियोजना के लिये विश्व बैंक (World Bank) के साथ एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसका उद्देश्य वाराणसी से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) पर नौवहन (Navigation) की क्षमता में वृद्धि करना है।
- IWAI द्वारा शुरू की गईं ये सभी पहलें राष्ट्रीय जलमार्गों को एक प्रमुख परिवहन क्षेत्र के रूप में विकसित करने और लॉजिस्टिक्स की विशाल लागत (जिनका वर्तमान GDP में 15% योगदान है, तथा यह लागत अमेरिका के लॉजिस्टिक्स कीमत की दोगुनी है) को कम करने के उद्देश्य का एक हिस्सा है।

नोट :

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2019 (Munich Security Conference- MSC)

15-17 फरवरी, 2019 तक 55वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि यह आयोजन जर्मनी के म्यूनिख शहर में किया जाता है।

- MSC के अध्यक्ष, वोल्फगैंग इस्चिंगर की अध्यक्षता में राजनीति, व्यापार, शिक्षा और नागरिक समाज के 600 से अधिक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निर्णायकर्त्ताओं ने वर्तमान संकटों और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की।
- म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2019 में पहली बार 'जॉन मैक्केन शोध प्रबंध पुरस्कार' प्रदान किया गया।
- अंतराष्ट्रीय संबंधों को मज़बूत करने में स्वर्गीय जॉन मैक्केन के महत्त्वपूर्ण योगदान का सम्मान करते हुए इस पुरस्कार की स्थापना राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिये की गई।
- अबीगेल पोस्ट एवं अलराइक फ्रेंक एस पुरस्कार से नवाजे गए।

काला हिरण (Black buck)

काला हिरण (Black buck) पंजाब के फाजिल्का ज़िले में स्थित अबोहर वन्यजीव अभयारण्य (AWS) में अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष कर रहा है। ध्यातव्य है कि IUCN की रेड डेटा बुक में इसे 'लीस्ट कंसर्न' (Least Concern) सूची में रखा गया है।

- काला हिरण कृष्णमृग बहुसिंगा की प्रजाति है, यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। काला हिरण बहुसिंगा प्रजाति की इकलौती जीवित जाति है।
- इसका वैज्ञानिक नाम 'Antilope Cervicapra' है, जिसे 'भारतीय मृग' (Indian Antelope) के नाम से भी जाना जाता है। ये आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं।
- भारत में काले हिरण आमतौर पर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं।
- काला हिरण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राज्य-पशु है और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल है।
- यह मुख्य रूप से अपने गहरे रंग तथा राजसी सर्पिल सींग (Majestic Spiral Horns) के लिये जाना जाता है। प्रारंभ में यह हिमालय के दक्षिण में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता था।
- किंतु 20वीं सदी के दौरान इसकी जनसंख्या में काफी कमी आई, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान की भूमि से ये विलुप्त हो गए तथा अब ये भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों तक सीमित रह गए हैं।
- यह घास के मैदानों एवं खुले जंगलों के साथ-साथ कृषिगत क्षेत्रों के बाहरी ज़ोन में पाया जाता है।
- जल पर अति निर्भरता होने के कारण इनका क्षेत्रगत विस्तार सीमित हो जाता है। ये मुख्य रूप से स्थिर अथवा गतिरहित (Sedentary) जीव होते हैं, किंतु गर्मियों में पानी की तलाश में लंबी दूरियाँ तय करते रहते हैं।

टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया है। गौरतलब है कि संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिये टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार देने की घोषणा पिछले वर्ष की थी।

- यह पुरस्कार क्रमश: मणिपुर नृत्य के महान कलाकार श्री राजकुमार सिंहाजित सिंह, छायानट (बांग्लादेश का सांस्कृतिक संगठन) और भारत के महान मूर्तिकार श्री राम वनजी सुतार को दिया गया है।
- यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल द्वारा लिया गया था जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई, श्री एन. गोपालास्वामी और डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे शामिल थे।

नोट :

पृष्ठभूमि

- इस वार्षिक पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2011 में की गई थी। पहला टैगोर पुरस्कार वर्ष 2012 में भारत के महान सितारवादक पंडित रविशंकर को और दूसरा पुरस्कार वर्ष 2013 में श्री जुबीन मेहता को प्रदान किया गया।
- पुरस्कार में एक करोड़ रुपए की धनराशि, प्रशस्तिपत्र, पट्टिका और पारंपरिक दस्तकारी/हथकरघा से बना उत्कृष्ट उपहार प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, आस्था या लिंग से इतर व्यक्ति को दिया जाता है।

युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019

हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण रेंज में युद्धाभ्यास (फायर पावर डेमोंस्ट्रेशन) वायुशक्ति-2019 आयोजित किया।

- चांधन फील्ड रेंज में हुए इस अभ्यास में वायुसेना के कुल 138 विमान शमिल हुए।
- इनमें MI-17V5 हेलीकॉप्टर, जगुआर, मिग-29, तेजस, मिराज-2000, सुखोई-30MKI, मिग-27, C-130J, आकाश मिसाइल, MI-35 हेलीकॉप्टर, गरुड़ कमांडो शामिल हैं।
- इस अभ्यास में सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल ने पहली बार किसी निशाने को भेदा।
- आकाश के साथ हवा-से-हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का भी परीक्षण किया गया।
- भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में दुश्मन के काफिले और टैंक, रडार स्टेशन, रेलवे यार्ड तथा सैन्य मुख्यालय जैसे- ज़मीनी लक्ष्यों पर वार करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया।
- यह पहला मौका था जिसमें ALH (Advanced Light Helicopter) और आकाश को सैन्य अभ्यास हेतु तैनात किया गया था।

गुरु रविदास जयंती

- 19 फरवरी को देश भर में गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है।
- हिंदू कैलेंडर के अनुसार, संत रविदास जयंती माघ महीने की पूर्णिमा के अवसर पर मनाई जाती है।
- गुरु रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म सन् 1450 के लगभग वाराणसी में हुआ था।
- इस दिन लोग पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करते हैं एवं गुरु की शिक्षाओं का स्मरण करते हैं।
- संत रविदास ने भेदभाव भुला कर सबसे प्रेम करने की शिक्षा दी थी और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन

तटों की सुरक्षा तथा समुद्री मार्ग से भारत-आसियान व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 और 20 फरवरी को मुंबई में देश का पहला क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन (Regional Maritime Safety Conference) आयोजित किया जा रहा है।

- सम्मेलन का यह पहला संस्करण राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (National Maritime Foundation-NMF) द्वारा शिपिंग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय में आयोजित किया जा रहा है।
- 'क्षेत्रीय समुद्री-सुरक्षा सम्मेलन' मुख्य रूप से सुरक्षा और व्यापार पर केंद्रित है।

PCS1x

- क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में PCS1x भी लॉन्च किया जाएगा। PCS1x ई-कॉमर्स पोर्टल, पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (Port Community System-PCS) का उन्नत संस्करण है।

नोट :

- PCS का उपयोग करने वाले हितधारकों के फीडबैक के आधार पर इसे भारतीय बंदरगाह संघ द्वारा रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है।
- PCS ने व्यापार हेतु दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिये पारदर्शी और कागज रहित प्रणाली की सुविधा देकर समुद्री क्षेत्र में व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह पोर्टल भुगतान चक्र में सुधार, लेन-देन चक्र की पारदर्शिता, जहाज़ों की विस्तृत जाँच-पड़ताल की सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (National Rural Economic Transformation Project- NRETP) को मंज़ूरी दी है।

- गौरतलब है कि विश्व बैंक से ऋण सहायता (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD Credit) के ज़रिये दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन [Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)] के तहत 'राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (National Rural Economic Transformation Project- NRETP)' को कार्यान्वित किया जाएगा।

क्या होंगे लाभ ?

- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (NRETP) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी सहायता एवं परियोजना द्वारा सुगम कराए जाने वाले उच्च स्तरीय उपायों से आजीविका संवर्द्धन एवं वित्तीय सुविधा में बढ़ोतरी होगी तथा डिजिटल वित्त एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को बढ़ावा मिलेगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (NRETP) के तहत वित्तीय समावेशन के वैकल्पिक माध्यमों का मार्गदर्शन करने, ग्रामीण उत्पादों के आसपास मूल्य श्रृंखला सृजित करने से संबंधित पहलों को बढ़ावा देने के लिये नवोन्मेषी परियोजनाएँ आरंभ की जाएंगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2019 से आगे के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) चरण- II के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी है।

- PMAY-G चरण- II के तहत सरकार ने 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है।
- PMAY-G चरण-II 2019-20 तक PMAY-G चरण-I के मौजूदा मानदंडों के अनुसार जारी रहेगा जिसके तहत 60 लाख घरों का लक्ष्य है।
- 2016 में शुरू की गई PMAY-G योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी बेघर, कच्चे और जीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं से लैश पक्के मकान प्रदान करना है।

तीन तलाक पर फिर से अध्यादेश मंज़ूर

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपक्षी पार्टियों के विरोध के चलते तीन तलाक विधेयक के संसद में पारित न होने के कारण एक बार फिर अध्यादेश लाने का प्रस्ताव दिया है।

इसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है:

1. संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के तहत परिशिष्ट की पृष्ठ संख्या 9 से 12 के अनुरूप एक अध्यादेश के प्रस्ताव की घोषणा जिसका नाम मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण द्वितीय अध्यादेश- 2019 है।
2. मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण विधेयक- 2018 जो कि राज्यसभा में लंबित है, में आवश्यक आधिकारिक संशोधन करना जिससे कि उपरोक्त अध्यादेश के स्थान पर वर्तमान में आवश्यक प्रारूपण एवं अनुवर्ती प्रकृति के संशोधनों को रखा जा सके।

नोट :

लाभ

- यह प्रस्तावित अध्यादेश विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए उन्हें उनके पतियों द्वारा दिये जाने वाले तात्कालिक और अपरिवर्तनीय 'तलाक-ए-बिद्दत' के प्रचलन द्वारा तलाक दिये जाने पर पाबंदी लगाएगा।
- यह अध्यादेश तीन तलाक अर्थात् तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा को निरुत्साहित करेगा।
- प्रस्तावित अध्यादेश के तहत तीन तलाक यानी ए तलाक-ए-बिद्दत से प्रभावित नाबालिग बच्चों के लिये संरक्षण का अधिकार प्रदान करेगा।

जलवायु परिवर्तन से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट बैरियर रीफ क्षेत्र में पाए जाने वाले कृंतक के विलुप्त सूची में शामिल होने की आधिकारिक तौर पर घोषणा की है, ऐसा माना जाता है कि यह पहला स्तनपायी जीव है जो मानव-जनित जलवायु परिवर्तन से समाप्त हुआ है।

- ब्रम्बल केई मेलोमिस (Bramble Cay melomys) जो चूहे के समान दिखाई पड़ता था, पिछले एक दशक में देखा नहीं गया है। इसका अब तक का ज्ञात वास-स्थान सुदूर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा रेतीले द्वीप था।
- शोधकर्त्ताओं ने इसके गायब होने का एक प्रमुख कारक पिछले दशक के दौरान इस द्वीप में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति पर बार-बार में समुद्री जल सैलाब का आना बताया।
- 2014 में शोधकर्त्ताओं ने इन प्रजातियों का पता लगाने के लिये एक विस्तृत सर्वेक्षण किया, लेकिन कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।
- 2016 में जारी एक अध्ययन के अनुसार, टोरेस स्ट्रेट क्षेत्र में समुद्र के स्तर में वृद्धि और मौसम की घटनाओं पर उपलब्ध आँकड़े 'मानव-जनित जलवायु परिवर्तन' की ओर इशारा करते हैं, जो कि ब्रमबल केई मेलोमिस के नष्ट होने का मूल कारण है।
- 1845 में पहली बार यूरोपीय लोगों द्वारा द ग्रेट बैरियर रीफ पर इस प्रजाति के मेलोमीस रूबिकोला (Melomys rubicola) को खोजा गया था ये लोग अपने मनोरंजन के लिये 'बड़े चूहों' को गोली से मार रहे थे।

पीसा (PISA) में भारत की प्रस्तावित भागीदारी के समझौते को मंज़ूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) द्वारा 2021 में आयोजित किये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मूल्यांकन कार्यक्रम (Programme for International Students Assessment-PISA) में भारत की भागीदारी के लिये OECD के साथ समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

- भारत सरकार और OECD के बीच इस समझौते पर 28 जनवरी, 2019 को हस्ताक्षर हुए थे।
- पीसा में भागीदारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर स्कूल में वर्तमान में चल रही रट कर सीखने की प्रणाली को योग्यता-आधारित परीक्षा में परिवर्तित करने में मदद मिलेगी।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education-CBSE) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training-NCERT) वास्तविक परीक्षा की प्रक्रिया और उससे संबंधित गतिविधियों का हिस्सा होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (Program for International Student Assessment-PISA)

- PISA का आयोजन पहली बार वर्ष 2000 में किया गया था।
- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) द्वारा समन्वित यह एक त्रैवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण है जिसमें दुनिया भर की शैक्षिक प्रणालियों की गुणवत्ता का आकलन विज्ञान, गणित और पठन संबंधी क्षेत्रों में छात्रों का मूल्यांकन करके किया जाता है।
- भारत में अधिकांश स्कूली परीक्षाओं की तरह इस कार्यक्रम में छात्र की स्मृति और पाठ्यचर्या आधारित ज्ञान का परीक्षण नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिये, PISA का विज्ञान परीक्षण तीन दक्षताओं को मापता है- वैज्ञानिक घटनाओं को समझने की क्षमता, डेटा एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक व्याख्या तथा वैज्ञानिक जिज्ञासाओं को डिज़ाइन और मूल्यांकन करने की क्षमता।

नोट :

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (Operation Digital Blackboard-ODB) की शुरुआत की है।

- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड एक क्रांतिकारी कदम है जो पठन-पाठन की प्रक्रिया को इंटरैक्टिव बनाने के साथ ही और शैक्षणिक दृष्टिकोण से सीखने की प्रक्रिया को लोकप्रिय बना देगा।
- गौरतलब है कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उल्लेख सबसे पहले 2018-19 के बजट में किया गया था।
- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड पर कार्ययोजना तैयार करने के लिये प्रोफेसर झुनझुनवाला के नेतृत्व में समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस पहल को आगे बढ़ाया गया है।
- सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में डिजिटल/स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी कक्षाएँ शामिल होंगी।
- राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से लगभग 1.5 लाख माध्यमिक/सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।

VIVID 2019

- 21-22 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा ज़िला सूचना विज्ञान अधिकारियों (District Informatics Officers- DIO) की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसका शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, विधि और न्याय मंत्री ने किया।
- इस कार्यक्रम की थीम – 'विज़न इनसाइट एंड वॉयसेज़ एज़ इंडिया गोज़ डिजिटल' (Vision Insight and Voices as India goes Digital- VIVID) है।
- इस बैठक का आयोजन ज़िला सूचना विज्ञान अधिकारियों (District Informatics Officer) के साथ संवाद करने और उनके अनुभवों एवं योगदान को साझा करने की पहल के रूप में किया जा रहा है।
- 'विविध' का शुभारंभ वर्ष 2017 में एक वार्षिक आयोजन के रूप में हुआ था, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारियों का सशक्तीकरण करना है।
- इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, विधि और न्याय मंत्री Digidhan Mitra Chatbot, Technology Incubation and Development of Entrepreneurs 2.0 scheme (TIDE 2.0) को लॉन्च करने के साथ-साथ 'TechGov' एवं 'स्वच्छता पुरस्कार' भी प्रदान करेंगे।

अट्टुकल पोंगल त्योहार

- केरल में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला 'अट्टुकल पोंगल त्योहार' शुरू हो चुका है।
- यह त्योहार तिरुअनंतपुरम से 3 किमी. दूर स्थित अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाता है।
- पोंगल वह अनुष्ठान है, जिसमें महिलाएँ मीठे पायसम (चावल, गुड़, नारियल इत्यादि से बना हलवा या खीर) तैयार करती हैं और इसे भगवती अट्टुकल को अर्पित करती हैं।
- यह रस्म केवल महिलाओं द्वारा निभाई जाती है एवं दुनिया में यह एकमात्र ऐसा त्योहार है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाएँ जुटती हैं।

डिजिटल इंडिया पुरस्कार

- डिजिटल इंडिया पुरस्कार की स्थापना नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा राष्ट्रीय पोर्टल के तहत 2009 में की गई थी।
- डिजिटल क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थानों के प्रयासों को सम्मानित करने हेतु यह एक अलग तरह का पुरस्कार है।
- डिजिटल इंडिया पुरस्कार ने ई-शासन के लिये एक प्रभावी साधन के रूप में विश्वव्यापी वेब-मंच के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

नोट :

- अब तक डिजिटल इंडिया पुरस्कार के चार संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है जो वर्ष 2010, 2012, 2014 और 2016 में आयोजित किये गए थे।
- डिजिटल इंडिया पुरस्कार के 5वें संस्करण का आयोजन 22 फरवरी, 2019 को किया जा रहा है।
- डिजिटल इंडिया पुरस्कार के 5वें संस्करण में निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी-
  - उभरती हुई टेक्नालॉजी
  - सर्वश्रेष्ठ मोबाइल एप
  - अच्छी ऑन-लाइन सेवा
  - ओपन डेटा चैम्पियन
  - वेब-रत्न- मंत्रालय/विभाग
  - वेब-रत्न- राज्य/संघ शासित प्रदेश
  - वेब-रत्न- ज़िला
  - किसी स्थानीय संस्था द्वारा की गई उल्लेखनीय डिजिटल पहल।
- इस वर्ष के पुरस्कार में एक नई श्रेणी, 'उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ' की शुरूआत की गई है। इस श्रेणी में ऐसी डिजिटल पहल की पहचान कर उसे पुरस्कृत किया जाएगा जिसने उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे-ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लेंगवेज़ प्रोसेसिंग, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), वॉयस यूज़र इंटरफेस, बिग डेटा एंड अनेलेटिक्स का अच्छा इस्तेमाल किया हो।

14वाँ कृषि विज्ञान कॉन्ग्रेस

किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य के मद्देनज़र दिल्ली में चार दिवसीय कृषि विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 20-23 फरवरी, 2019 तक चलेगा।

- गौरतलब है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Research Institute) के सहयोग से NAAS 14वें कृषि विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन कर रहा है।
- इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कृषि नवाचार के माध्यम से किसानों की स्थिति में बदलाव लाने पर बल दिया जाएगा।
- कृषि विज्ञान कॉन्ग्रेस का विषय 'कृषि रूपांतरण के लिये नवाचार' है। यह कॉन्ग्रेस हर दो साल में एक बार आयोजित की जाती है।
- इस सम्मेलन में 17 देशों के लगभग 2,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

वेस्ट टू वंडर पार्क

औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्टों का इस्तेमाल कर दिल्ली के एक थीम पार्क में दुनिया के सात अज़ूबों की प्रतिकृति बनाई गई है।

- इन सातों अज़ूबों की प्रतिकृति बनाने में 150 टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है जिसमें वेस्ट मैटेरियल जैसे- पुराने बेंच, स्क्रैप मेटल, टाइपराइटर, एंगल, नट बोल्ट, साइकिल, मेटल शीट, ऑटोमोबाइल पार्ट, पुराने बर्तन और बेकार पड़े लोहे का भी इस्तेमाल किया गया है।
- ताजमहल के ऊपरी गुंबद को बनाने में साइकिल की रिम का उपयोग किया गया है।
- थीम पार्क के निर्माण में कचरे के इस्तेमाल के कारण ही इसे 'वेस्ट टू वंडर' (Waste to Wonder) नाम दिया गया है। इसे कुल 5 महीने की मेहनत तथा साढ़े सात करोड़ रूपये की लागत से बनाया गया है।
- पार्क में बनाई गई प्रतिकृतियाँ इस प्रकार हैं-
  1. ताजमहल की 20 फुट ऊँची प्रतिकृति
  2. ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की 18 फुट ऊँची प्रतिकृति
  3. एफिल टावर की 60 फुट ऊँची प्रतिकृति

नोट :

4. लीनिंग टावर ऑफ पीसा की 25 फुट ऊँची प्रतिकृति
5. रियो डि जेनेरियो की क्राइस्ट द रिडीमर की 25 फुट ऊँची प्रतिकृति
6. रोम के कोलोसियम की 15 फीट ऊँची प्रतिकृति
7. न्यू यार्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की 30 फुट ऊँची प्रतिकृति

दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने इंडोनेशिया के एक दूरदराज हिस्से में दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी को लगभग 40 वर्षों बाद देखा है।

- ब्रिटिश प्रकृतिविद् अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने 1859 में पहली बार इसकी खोज की इसलिये इसे वॉलेस मधुमक्खी भी कहा जाता है।
- दुनिया की सबसे बड़े आकार की इस मधुमक्खी को 1981 से ही विलुप्त माना जा रहा था जिसे 40 साल बाद ढूंढ लिया गया है।
- इसे वैज्ञानिक भाषा में वॉलेस जाइंट बी और आम भाषा में फ्लाइंग बुलडॉग कहा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

- भाषायी और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिये 2000 के बाद से 21 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। इसे 1999 के यूनेस्को के सम्मेलन में अनुमोदित किया गया था और 2000 के बाद से दुनिया भर में मनाया जाने लगा।
- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2019 की थीम है-
  - 'विकास, शांति और सामंजस्य हेतु स्वदेशी भाषाएँ मायने रखती हैं।'
- यूनेस्को के अनुसार, दुनिया में बोली जाने वाली अनुमानित 6,000 भाषाओं में से कम-से-कम 43 प्रतिशत संकटग्रस्त हैं।
- यूनेस्को के मुताबिक, 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोई भी भाषा संभावित रूप से संकटग्रस्त है।

बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान

हाल ही में नासा की फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (NASA-FIRMS) ने बांदीपुर नेशनल पार्क के हिमवद गोपालस्वामी बेट्टा रेंज में आग की 32 घटनाओं का पता लगाया है।

- बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन प्रबंधन वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है।
- बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में मैसूर–ऊटी राजमार्ग पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान करीब 874.2 वर्ग किमी. इलाके में फैला है।
- पार्क उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा हुआ है। नुगु नदी पार्क से होकर गुज़रती है।
- प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973 में इसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था।
- यह नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ नीलगिरि जीवमंडल रिज़र्व का एक हिस्सा है जो इसे दक्षिण भारत में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र और दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थान बनाता है।
- इसमें शुष्क पर्णपाती जंगल, नम पर्णपाती जंगल और झाड़ीदार क्षेत्र सहित विभिन्न प्रकार के बायोम हैं।

फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम

नासा का फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (Fire Information for Resource Management System-FIRMS) नासा के ही मॉडरेट रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer-MODIS) और विज़िबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सुइट (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite-VIIRS) की सहायता से सैटेलाइट के गुज़रने के 3 घंटे के भीतर नियर रियल टाइम (Near Real Time-NRT) सक्रिय अग्नि डेटा प्रदान करता है।

नोट :

केरल इको- टूरिज़्म सर्किट

हाल ही में केरल पर्यावरण-पर्यटन विभाग ने राज्य में 'इको-टूरिज़्म सर्किट: पठनमथिट्टा-गवी-वागामोन-थेक्कडी' की शुरुआत की है। यह सर्किट केरल के दस स्थानों को जोड़ेगा।

- इन स्थानों में नेय्यर, पोनमुडी, थेन्मला, कोनी, गवी, थेक्कडी, मुन्नार, चिन्नार, परम्बिकुलम और नेल्लिमथी शामिल हैं।
- सर्किट में शामिल पोनमुडी में 'कैनोपी वाक-वे' देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है।
- थेन्मला में मीठे पानी के एक्वेरियम, व्याख्या केंद्र और शिविर की सुविधा विकसित की जाएगी।
- कोनी में हाथी संग्रहालय और पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी तथा पठनमथिट्टा ज़िले के गवी में नौका विहार और जंगल शिविर के लिये सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
- पेरग्राम वन्यजीव अभयारण्य में गतिविधियों का मुख्य आकर्षण 'कलाग्राम' है जो सर्किट की मुख्य गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा।
- चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य में ट्रेकिंग ट्रेल्स और परम्बिकुलम में वन्यजीव सफारी की सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
- पर्यावरण का संरक्षण, सतत निर्वाह, पर्यावरणीय शिक्षा एवं स्थानीय समुदाय को लाभ पहुँचाना इसका मुख्य उद्देश्य है।
- परियोजना को वन विकास एजेंसियों के साथ मिलकर लागू किया जाएगा।

शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान योजना

हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के कुछ किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त प्रदान की।

- इस योजना की पहली क़िस्त मार्च के अंत तक सभी किसानों को उनके खाते में उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।
- प्रधानमंत्री ने इस योजना को आधिकारिक रूप से शुरू करते हुए चुने हुए कुछ किसानों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना

- 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना लॉन्च की है।
- इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि की छोटी जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- 6000 रूपए की यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- इस कार्यक्रम का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
- यह कार्यक्रम 1 दिसंबर, 2018 से लागू किया गया है तथा 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिये पहली किस्त का इसी वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया जाएगा।

रेल दृष्टि डैशबोर्ड

हाल ही में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देने के लिये रेल दृष्टि डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि यह डैशबोर्ड विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र कर उसे एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा।

- इस डैशबोर्ड का यूआरएल 'raildrishti.cris.org.in' है जिसे डेस्कटॉप/लेपटॉप अथवा मोबाइल उपकरण जैसे- फोन अथवा टेबलेट पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
- रेलवे की मौज़ूदा परियोजनाओं से भारत की जनता को जागरूक करने हेतु रेल दृष्टि डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है।

नोट :

- इस डैशबोर्ड के ज़रिये ग्राहक अथवा रेल यात्री देश भर में भारतीय रेलवे में बहुआयामी बदलाव देख सकेंगे।
- यह डैशबोर्ड रेलवे से संबंधित हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
- डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी को 15 यूज़र फ्रेंडली श्रेणियों में बाँटा गया है।

सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान

हाल ही में गुजरात में राज्य सरकार के जल संरक्षण 'सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान' के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया है।

- इस योजना का उद्देश्य मानसून से पहले रिवरफ्रंट की सफाई करना, नदियों की तलहटी से गाद निकाल कर उनकी गहराई बढ़ाना, नहरों की सफाई तथा सुंदरीकरण जैसे कार्य करना है जिससे वर्षा जल भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सके।
- इस योजना के पहले संस्करण के दौरान 13,000 झीलों, चेक-डैम और जलाशयों को गहरा करके राज्य की जल भंडारण क्षमता को 11,000 लाख क्यूबिक फीट तक बढ़ाने में कामयाबी हासिल की गई थी।
- सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान की शुरुआत 1 मई, 2018 को की गई थी।

बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग

हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजस्थान के बगरू गाँव में तितनवाला संग्रहालय का उद्घाटन किया है।

- गौरतलब है कि यह संग्रहालय चिप्पा समुदाय (जिसका शाब्दिक अर्थ है-ऐसे लोग जो लोग छपाई करते हैं) की हैंड-ब्लॉक प्रिंटिंग को प्रदर्शित करता है।
- बगरू प्रिंटिंग प्राकृतिक रंग के साथ प्रिंटिंग की पारंपरिक तकनीकों में से एक है, जिसे राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले चिप्पा समुदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं।
- बगरू मुद्रक डब्बू नामक एक तकनीक का उपयोग करते हैं जिसमें काली मिट्टी, बबूल की गोंद, खराब गेहूँ का आटा और चूना पत्थर के मिश्रण को कपड़े पर प्रिंट किया जाता है।

UAE का पहला अंतरिक्ष यात्री

संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates-UAE) का पहला अंतरिक्ष यात्री 25 सितंबर, 2019 को रूसी सोयूज रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station-ISS) के लिये उड़ान भरेगा।

- ऐसा करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात उन अठारह देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा है।
- संयुक्त अरब अमीरात का यह मिशन उस 'अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम' का हिस्सा है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक मिशनों और मानवयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों में भाग लेने की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
- 2018 में संयुक्त अरब अमीरात ने जापान से अपना पहला स्थानीय रूप से निर्मित उपग्रह 'खलीफासैट' लॉन्च किया था।

अभ्यास 'सम्प्रीति' - 2019

2 से 15 मार्च, 2019 तक बांग्लादेश के तंगेल में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सम्प्रीति' – 2019 का संचालन किया जाएगा।

- यह दोनों देशों के बीच आठवाँ अभ्यास होगा। गौरतलब है कि पहला अभ्यास 2009 में हुआ था।
- यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रयास है।
- इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच व्यापक स्तर पर अंतर-संचालन और सहोग को बढ़ाना है।
- यह अभ्यास दोनों देशों की आपसी साझेदारी, मजबूत सैन्य विश्वास और रणनीतिक सहयोग को सुनिश्चित करता है।

नोट :

क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM)

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने दो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (Quick Reaction Surface to Air Missile - QRSAM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- दोनों मिसाइलों का परीक्षण विभिन्न ऊँचाइयों और स्थितियों के लिये किया गया।
- परीक्षण में मज़बूत नियंत्रण, वायु गति विज्ञान, प्रेरक शक्ति, संरचनात्मक प्रदर्शन और उच्च युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया।
- यह परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (Integrated Test Range-ITR) चांदीपुर ओडिशा से किया गया।

सतत् स्कीम

हाल ही में केंद्र सरकार ने सतत् योजना के तहत संपीडित बायो-गैस (Compressed Bio Gas-CBG) उद्यमी (निर्माता) को 100वाँ लेटर ऑफ इंटेंट (Letter of Intent-LOI) सौंपा है।

क्या है सतत् स्कीम ?

- सतत् एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य सतत् वैकल्पिक वहन योग्य परिवहन (Sustainable Alternative towards Affordable Transportation-SATAT) प्रदान करना है जो विकास के प्रयास के रूप में वाहन-उपयोगकर्त्ताओं और किसानों तथा उद्यमियों को लाभान्वित करेगी।
- गौरतलब है कि इस स्कीम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी।
- सतत् पहल के तहत उद्यमियों से संपीडित जैव-गैस (Compressed Bio Gas-CBG) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधन (परिवहन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन) में CBG के उपयोग हेतु बाज़ार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कहा गया था।

महत्त्व

- इस महत्त्वपूर्ण पहल में अधिक किफायती परिवहन ईंधन, कृषि अवशेषों, मवेशियों का गोबर और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के बेहतर उपयोग के साथ-साथ किसानों को अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करने की क्षमता है।

अपतानी जनजाति

- अपतानी पूर्वी हिमालय के प्रमुख जनजातीय समूहों में से एक है। येजनजाति अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी के जीरो वैली में निवास करती है।
- अपतानी जनजाति के लोग एक अलग धर्म, दोन्यी पोलो, का पालन करते हैं। इसमें यह सूर्य एवं चाँद की पूजा करते हैं और अपने पारंपरिक देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि चढ़ाते हैं।
- इनकी एक अलग भाषा भी है, जिसे 'तानी' या 'अपतानी' के नाम से जाना जाता है। यह सीनो-तिब्बती समूह की भाषा है।
- द फर्स्ट पीपल्स कल्चरल कौंसिल (The First Peoples' Cultural Council) एवं हवाई यूनिवर्सिटी की Endangered Languages Catalogue/ (ELCat) टीम द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट 'Endangered Languages Project' के अंतर्गत इस भाषा को 'VULNERABLE' की श्रेणी में रखा गया है।
- इस जनजाति के लोगों को विभिन्न रोगों के इलाज में प्रयुक्त होने वाली जड़ी-बूटियों एवं प्राकृतिक औषधियों की अच्छी जानकारी होती है।
- 'ड्री' और 'म्योको' इनके प्रमुख त्योहार हैं। ड्री एक कृषि पर्व है जबकि म्योको, दोस्ती और भाईचारे के लिए मनाया जाता है।
- ये लोग मुख्यत: चावल की खेती जानवरों व मशीनों के प्रयोग के बिना करते हैं।
- अपनी 'अत्यंत उच्च उत्पादकता' और पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के 'अनोखे' तरीके के लिए 'अपतानी घाटी' विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल करने के लिए प्रस्तावित है।

नोट :

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक

- आदिवासियों को वन भूमि से बेदखल करने के सर्वोच्च न्यायालय के 13 फरवरी के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिये केंद्र सरकार ने याचिका दायर की थी जिसके जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

केंद्र के अनुसार, राज्यों द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना लाखों वन-वासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के दावों को खारिज कर दिया गया।

केंद्र के निम्नलिखित तर्क थे:

- इन जनजातियों और वनवासियों जो जंगल में रहते हैं के वन भूमि पर दावों को राज्यों द्वारा खारिज कर दिया गया। साथ ही दूरदराज़ के इलाकों में रहने वाले गरीब और अनपढ़ लोगों को दावा दाखिल करने की उचित प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है।
- ग्राम सभाएँ, जो इन दावों का सत्यापन करती हैं वे भी अधिक जागरूक नहीं हैं।
- वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों और समुदायों को सर्वोच्च न्यायालय की अस्वीकृति की सूचना भी नहीं दी जाती है।

दृष्टि The Vision

नोट :